



# ग्रन्थ-परीक्षा

तृतीय भाग ।

अर्थात्

सोमसेन-त्रिणाचार, धर्मपरीक्षा ( श्वेताम्बरी ), अकलंक-  
प्रतिष्ठापाठ और पूज्यपाद-उपासकाचारके  
परीक्षा-लेखोंका संग्रह ।

— • • —

लेखक—

श्रीयुत पंडित जुगलकिशोर मुख्तार

सरसावा जि० सहारनपुर

[ ग्रन्थ-परीक्षा प्रथम द्वितीय भाग, उपासनातत्त्व, जिनपूजाधिकार-मीमांसा,  
विवाहसमुद्देश्य, विवाह-सेत्र प्रकाश, स्वामीसमन्तभद्र ( इतिहास ),  
बीर-पुष्पाजलि, जैनाचार्योंका शासनभेद, आदि अनेक प्रन्थोंके  
रचयिता, और जैनहितैशी आदि पत्रोंके  
भूतपूर्व सम्पादक ]

प्रकाशक—

जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,  
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई ।

प्रथमावृत्ति }  
५०० प्रति }

भादो, स०, १९८५ विक्रम  
सितम्बर, सन् १९२८

मूल्य १॥)

प्रकाशक  
छगनमल बाकलीवाल  
मालिक—जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय  
हीराबाग, पो० गिरगाव—बम्बई ।



मुद्रक  
बाबू दुर्गाप्रसाद  
दुर्गा प्रेस अजमेर  
पेज संख्या १ से २४४ तक  
और शेष अंश  
मं, ना. कुलकर्णी कर्नाटक प्रेस  
३१८ ए ठाकुरद्वार बम्बई ।

## भूमिका ।

—०—

वर्षाका जल जिस शुद्ध रूपमें बरसता है, उस रूपमें नहीं रहता, आकाशसे नीचे उतरते उतरते और जलाशयोंमें पहुँचते पहुँचते वह विकृत हो जाता है और इसके बाद तो उसमें इतनी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि उनके मारे उसके वास्तविक स्वरूपका हृदयगम कर सकना भी दुःख हो जाता है । फिर भी जो वस्तुतरके मरम्ह हैं, पदार्थोंका विश्लेषण करनेमें कुशल या परीक्षाप्रधानी हैं, उन्हें उन सब विकृतियोंसे पृथक् वास्तविक जलका पता लगानेमें देर नहीं लगती है । परमहितैषी और परम बीतराग भगवान् महाबीरकी वाणीको एक कविने जलवृष्टिकी उपमा दी है, जो बहुत ही उपयुक्त मालूम होती है । पिछले ढाई हजार वर्षोंका उपलब्ध इतिहास इमें बतलाता है कि भगवान्का विश्वकल्याणकारी समीचीन धर्म जिस रूपमें उपलब्ध हुआ था, उसी रूपमें नहीं रहा, धीरे धीरे वह विकृत होता गया, ज्ञात और अज्ञातरूपसे उसे विकृत करनेके बराबर प्रयत्न किये जाते रहे और अब तक किये जाते हैं । सम्प्रदाय, संघ, गण, गच्छ, आम्नाय, पन्थ आदि सब प्राय इन्हीं विकृतियोंके परिणाम हैं । भगवानका धर्म सबसे पहले विगम्बर और इवेताम्बर दो सम्प्रदायोंमें विभक्त हुआ, और उसके बाद मूल, यापनीय, द्रविष, काष्ठा, माधुर, आदि नाना सधों और उनके गणों तथा गच्छोंमें विकृत होता रहा है । यह असंभव है कि एक धर्मके इतने भेद प्रभेद होते जायें और उसको मूल प्रकृतिपर विकृतियोंका प्रभाव नहीं पढ़े । यद्यपि सर्वसाधारण जन इन सम्प्रदायों और पन्थोंके विकारसे विकृत हुए धर्मका वास्तविक शुद्ध स्वरूप अवधारण नहीं कर सकते हैं; परन्तु समय समयपर ऐसे विचारशील विवेकी महात्माओंका जन्म अवधय होता रहता है जो इन सब विकारोंका अपनी रासायनिक और विश्लेषक बुद्धिसे पृथक्करण करके वास्तविक धर्मको स्वयं देख सकते हैं और दूसरोंको दिखा जाते हैं ।

जो लोग यह समझते हैं कि वर्तमान जैनधर्म ठीक वही जैनधर्म है जिसका उपदेश भगवान् महाबीरकी दिव्यवाणीद्वारा हुआ था, उसमें जरा भी परिवर्तन, परिवर्द्धन या सम्मेलन नहीं हुआ है—अक्षरशः ज्योंका स्थों चला था रहा है, उन्हें धर्मास्पा या अश्वालु भले ही मान लिया जाय, परन्तु विचारशील नहीं कहा जा सकता । यह संभव है कि उन्होंने शास्त्रोंका अध्ययन किया हो, वे शास्त्री या पण्डित कहलाते हों; परन्तु शास्त्र पढ़ने या परीक्षायें देनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता है कि वे इस विषयमें कुछ गहरे पैठ सके हैं । जो लोग यह जानते हैं कि मनुष्य रागद्वेषसे मुक्त हैं, अपूर्ण हैं और उनपर देश-कालका कल्पनातीत प्रभाव पक्ता है, वे इस बातपर कभी विश्वास नहीं करते

कि ढाई हजार वर्षों के इतने लम्बे समयमें, इतने संघों और गण-गच्छोंकी खीचातानीमें पछ कर भी उनके द्वारा भगवान्‌के धर्ममें जरा भी रूपान्तर नहीं हुआ है।

हमारे समाजके विद्वान्‌ तो अभी तक यह माननेको भी तैयार नहीं थे कि जैन-चारोंमें भी परस्पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। यदि कहीं कोई ऐसे भेद नजर आते थे, तो वे उन्हें अपेक्षाओंकी सहायतासे या उपचार आदि कह कर टाल देते थे; परन्तु अब 'ग्रन्थपरीक्षा'के लेखक पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपनी सुचिन्तित और सुपरीक्षित 'जैनाचारोंका शासनभेद' \* नामकी लेखमालामें इस बातको अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जैनाचारोंमें भी काफी मतभेद थे, जो यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त हैं कि भगवान्का धर्म शुरूसे अब तक ज्योंका त्यों नहीं चला आया है और उसके असली रूपके सम्बन्धमें मतभेद हो सकता है।

संसारके प्रायः सभी धर्मोंमें रूपान्तर हुए हैं और बराबर होते रहते हैं। उदाहरणके लिए पहले हिन्दू धर्मको ही लीजिए। वहे वहे विद्वान् इस बातको स्वीकार करते हैं कि जैनधर्म और बौद्धधर्मके जबर्दस्त प्रभावोंमें पड़कर उसकी 'वैदिकी हिंसा' छुप्राय हो गई है और वैदिक समयमें जिस गौके वछड़ेके मांससे ब्राह्मणोंका अतिथिसत्कार किया जाता था, (महोज वा महोक्ष वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्) वही आज हिन्दू-ओंकी पूजनीया माता है और वर्तमान हिन्दू धर्ममें गोहत्या महापातक भिना जाता है। हिन्दू अब अपने प्राचीन धर्मग्रन्थोंमें बतलाई हुई नियोगकी प्रथाको व्यभिचार और अनुलोम-प्रतिलोम विवाहोंको अनाचार समझते हैं। जिस बौद्धधर्मने संसारसे जीव-हिंसाको उठा देनेके लिए प्रबल आन्दोलन किया था, उसीके अनुयायी तिब्बत और चीनके निवासी आज सर्वभक्षी बने हुए हैं—चूहे छुद्दर, कीवे व मकोवे तक उनके लिए अखाद्य नहीं हैं। महात्मा बुद्ध नीच ऊँचके भेदभावसे युक्त वर्णव्यवस्थाके परम विरोधी थे; परन्तु आज उनके नेपालदेशवासी अनुयायी हिन्दुओंके ही समान जातिभेदके रोगसे प्रसित हैं। महात्मा कबीर जीवन भर इस अध्यात्मवाणीको मुनाते रहे कि—

जात पौत्र पूछे नहीं कोई,  
हरिको भजै सो हरिका होई।

परन्तु आज उनके लाखों अनुयायी जातिपातिके कीचड़में अपने अन्य पड़ोसियोंके ही समान फँसे हुए हैं। इस ऊँच-नीचके भेदभावकी बोमारीसे तो मुद्रूर यूरोपसे आया हुआ ईसाई धर्म भी नहीं बच सका है। पाठकोंने मुना होगा कि मद्रास प्रान्तमें ब्राह्मण ईसाइयोंके गिरजाघर जुदा और शूद्र ईसाइयोंके गिरजाघर जुदा है और वे एक दूसरेको छुणाकी दृष्टिसे देखते हैं। ऐसी दशामें यदि हमारे जैनधर्ममें देशकालके प्रभा-

\* यह लेखमाला अब मुख्तारसाहबके द्वारा संशोधित और परिवर्द्धित होकर जैन-ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बईद्वारा पुस्तकाकार प्रकाशित हो गई है।

वसे और अपने पढ़ीसी वर्णोंके प्रभावसे कुछ विकृतियाँ छुस गई हीं, तो इसपर किसी-को आशय नहीं होना चाहिए। इन विकृतियोंमें कुछ विकृतियाँ इतनी स्थूल हैं कि उन्हें साधारण दुदिके लोग भी समझ सकते हैं । यथा—

१—जैनधर्मसम्मत वर्णव्यवस्थाके अनुसार जिसका कि आदिपुराणमें प्रतिपादन किया गया है, प्रत्येक वर्णके पुरुष अपनेसे बादके सभी वर्णोंकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकते हैं; बल्कि धर्मसंग्रहशावकाचारके अनुसार तो पहलेके तीन वर्णोंमें परस्पर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही कर्मोंसे विवाह हो सकता है और पुराणप्रन्थोंके उदाहरणोंसे इसकी पुष्टि भी होती है \*; परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो एक वर्णकी जो सैकड़ों जातियों बन गई है और जैनधर्मका पालन कर रही है, उनमें भी परस्पर विवाह करना पाप बतलाता है और इसके लिए उसके बड़े बड़े दिग्मज पठिंड शास्त्रोंसे खीच तानकर प्रमाण तक देनेकी धृष्टता करते हैं ! क्या यह विकृति नहीं है ?

२—भगवज्ञिनसेनके आदिपुराणकी ‘बणीलाभकिया’ के अनुसार प्रत्येक अजै-नको जैनधर्मकी दीक्षा दी जा सकती है और किर उसका नया वर्ण स्थापित किया जा सकता है, तथा उस नये वर्णमें उसका विवाहसम्बन्ध किया जा सकता है। उसको उसके प्राचीन धर्मसे यहाँ तक छुदा कर ढालनेकी विधि है कि उसका प्राचीन गोत्र भी बदल कर उसे नये गोत्रसे अभिहित करना चाहिए। परन्तु वर्तमान जैनधर्मके ठेकेदारोंने भोली भाली जनताको सुधारकोंके विरुद्ध भवकानेके लिए इसी बातको एक हथियार बना रखा है कि देखिए, ये मुसलमानों और ईसाइयोंको भी जैनी बनाकर उनके साथ रोटी-बटी व्यवहार जारी कर देना चाहते हैं। मानो मुसलमान और ईसाई मनुष्य ही नहीं हैं ! क्या यह विकृति नहीं है ? क्या भगवान् महावीरका विवरणमें इतना ही संकीर्ण था ? लक्ष्मिसारकी १९५ वीं गाथाकी टीकासे† स्पष्ट मालदम होता है कि म्लेच्छ देशसे आये हुए म्लेच्छ पुरुष भी मुनिदीक्षा ले सकते थे और इस तरह मुक्तिप्राप्तिके अविकारी बनते थे ।

\* इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिए पठिंड जुगलकिशोर मुख्तारकी लिखी हुई ‘विवाहक्षेत्रप्रकाश’ नामकी पुस्तक और मेरा लिखा हुआ ‘वर्ण और जातिभेद’ नामका निबन्ध देखिए। यह निबन्ध शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है।

† म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकलसंयमप्रहृणं कथं संभवतीति नाशकितव्यं । दिग्मिक्यकाले चक्रवर्तिना सह आयंखण्डमागतानां म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जात-वैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरविरोधात् । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषूत्पत्तस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाजः संयमसंभवात् तथाजातीयकानां दीक्षाहृत्वे प्रतिवेधाभावात् ॥ १९५ ॥ पृष्ठ २४१ ।

१—सारत्रयके प्रतिद्वं टीकाकार श्री जवसेनसूरिके कथनातुसार सत्-शुद्र भी मुनि-दीक्षा के सकते हैं \* । परन्तु वर्तमान जैनधर्म में तो शृदोंको इसके लिए सर्वथा अयोग्य समझता है । शुद्र तो खैर बहुत नीची दृष्टिसे देखे जाते हैं; परन्तु उन दक्षिणी जैनियोंके भी मुनिदीक्षा लेने पर कोलाहल मचाया जाता है जिनके यहाँ विषबाविवाह होता है । उदार जैनधर्मपर इस प्रकारकी विकृतियाँ क्या लाभजनस्वरूप नहीं हैं ?

जैसा कि प्रारंभमें कहा जा चुका है, इन विकृतियोंको पहिचान करके असली धर्मको प्रकाशमें लानेवाली विभूतियाँ समय समय पर होती रहती हैं । सारत्रयके कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ऐसी ही विभूतियोंमेंसे एक थे । वर्तमान दिगम्बर संप्रदायके अधिकांश लोग अपनेको कुन्दकुन्दको आम्नायका बतलाते हैं । मालूम नहीं, लोगोंका कुन्द-कुन्दाम्नाय और कुन्दकुन्दान्वयके सम्बन्धमें क्या ख्याल है; परन्तु मैं तो इसे जैनधर्ममें उस समय तक जो विकृतियों हो गई थी उन सबको हटाकर उसके वास्तविक स्वरूपको आविष्कृत करके सर्व साधारणके समझ उपस्थित करनेवाले एक महान् आचार्यके अनुयायियोंका सम्प्रदाय समझता हूँ । भगवान् कुन्दकुन्दके पहले और पीछे अनेक बड़े बड़े आचार्य हो गये हैं, उनकी आम्नाय या अन्वय न कहलाकर कुन्दकुन्दकी ही आम्नाय या अन्वय कहलानेका अन्यथा कोई बलवत्कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है । मेरा अनुमान है कि भगवत्कुन्दकुन्दके समय तक जैनधर्म लगभग उतना ही विकृत हो गया था, जितना वर्तमान तेरहपन्थके उदय होनेके पहले भट्टारकोंके शासन-समयमें हो गया था और उन विकृतियोंसे सुख करनेवाले तथा जैनधर्मके परम वीतराग शान्त मार्गको फिरसे प्रवर्तित करनेवाले भगवान् कोण्डकुण्ड ही थे । परन्तु समयका प्रभाव देखिए कि वह संशोधित शान्तमार्ग भी चिरकाल तक शुद्ध न रहा, आगे चलकर वही भट्टारकोंका धर्म बन गया । कहाँ तो तिल-तुष मात्र परिप्रह रखनेका भी निषेध और कहाँ हाथी घोड़े और पालकियोंके ठाठबाट ! घोर परिवर्तन हो गया ।

जब कुन्दकुन्दान्वयी शुद्ध मार्ग धीरे धीरे इतना विकृत हो गया—विकृतिकी पराकाष्ठापर पहुँच गया, तब कुछ विवेकी और दिल्लेष्यक विद्वानोंका ध्यान फिर इस ओर गया और जैसा कि मैंने अपने ‘बनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय या तेरहपन्थ और बीसपन्थ’ +शीर्षक विस्तृत लेखमें बतलाया है, विक्रमकी सत्राहवीं शताब्दिमें स्वर्गीय पं० बनारसीदासजीने फिर एक संशोधित और परिष्कृत मार्गकी नीव ढाली, जो पहले ‘बाणारसीय’ या ‘बनारसी-पन्थ’ कहलाया और आगे चल कर तेरहपन्थके

\* ... एवं गुणविद्यिष्टपुष्पो जिनदीक्षाप्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छूद्रायापि —प्रबचनसारतात्पर्यहृति, पृष्ठ ३०५ ।

+ देखो, जैनहितीयी भाग १४, अंक ४ ।

नामसे प्राणिद्वं हुआ । इस पञ्चने और इसके अनुवायी पं० टोडमलजी, प२० जयचन्द्रजी, प१० दीलतरामजी, प० सदासुखजी, पं० पञ्चालालजी इनीवाले आदि विद्वानोंने जो साहित्य निर्माण किया और जिस शुद्धमार्गका प्रतिपादन किया, उसने दिग्म्बरसम्प्रदायमें एक बड़ी भारी कान्ति कर डाली और उस कान्तिका प्रभाव इतना वेगशाली हुआ कि उससे जैनधर्मके विधिलालारी महन्तों या भट्ठारकोंके स्थायी समझे, जानेवाले सिंहासन देखते देखते धराशायी हो गये और कहाँ सौ वर्षोंसे जो धर्मके एकच्छत्रधारी समादृ बन रहे थे, वे अप्रतिष्ठाके गहरे गहरें फेंक दिये गये ।

भट्ठारकोंका उक्त विकृत मार्ग कितना पुराना है, इसका अनुमान पण्डितप्रबर आशाधरद्वारा उद्धृत इस बचनसे होता है—

पण्डितैस्त्रैष्ट्वचारितैः बठरैश्चतपोधनैः ।  
शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

अर्थात् खण्डचरित्र पण्डितों और बठर साधुओं या भट्ठारकोंने जिन भगवान्‌का निर्मल शासन मलीन कर डाला । पं० आशाधरजी विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके अन्तमें मौजूद थे और उन्होंने इस स्लोकको किसी अन्य प्रन्थसे उद्धृत किया है । अर्थात् इससे भी बहुत पहले भगवान् भट्ठारके शासनमें अनेक विकृतियाँ पैठ गई थीं ।

तेरहपन्थके पूर्वोक्त मिशनने जैनधर्मकी विकृतियोंको हटाने और उसके शुद्ध स्वरूपको प्रकट करनेमें जो प्रशंसनीय उद्योग किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा । यदि इसका उदय न हुआ होता, तो आज दिग्म्बर जैनसमाजकी क्या दुर्दशा होती, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है । बागङ प्रान्तमें दौरा करनेवाले बम्बई जैन प्रान्तिक सभाके एक उपदेशकने कोई १०-१२ वर्ष हुए सुझसे कहा था कि कुछ समय पहले बहाँके श्रावक शास्त्रस्वाध्याय आदि तो क्या करेंगे, उन्हें जिन भगवान्‌की मूर्तिका अभिषेक और प्रक्षाल करनेका भी अविकार नहीं था । भट्ठारकजीके विष्य पण्डितजी ही जब कभी आते थे, यह पुण्यकार्य करते थे और अपनी दक्षिणा के कर चले जाते थे । कहते थे, तुम बाल-बच्चोंवाले अब्रद्वचारी लोग

† सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर साधु श्रीमेघविजयजी महोपाध्यायने अपना ‘युक्तिप्रबोध’ नामका प्राकृत ग्रन्थ स्वेपह संस्कृतटीकासहित इस ‘बाणारसीय’ मतके खण्डनके लिए ही विक्रमकी अठारहवीं शताब्दिके प्रारंभमें बनाया था—“बोच्छं सुयणाहितस्य धाणारसियस्स मयमेयं ।”—सुजनोंके हितार्थं बाणारसी मतका भेद कहता हूँ । इस ग्रन्थमें इस मतकी उत्पत्तिका समय विक्रमसंवत् १६८० प्रकट किया है । यथा—

सिरिविक्रमनरनाहागरहिं सोलहसप्तरहिं बासेहिं ।

मसि उत्तरोहिं जायं बाणारसियस्स मयमेयं ॥ १८ ॥

भगवान्‌की प्रतिमाका स्पर्श कैसे कर सकते हो ? और यह तो अभी कुछ ही वर्षोंकी बात है जब भट्टारकोंके कर्मचारी आवकोंसे मारमारकर अपना टैक्स घसूल करते थे तथा जो शावक उनका वार्षिक टैक्स नहीं देता था, वह बँधवा दिया जाता था । हम आज भले ही इस बातको महसूस न कर सकें; परन्तु एक समय था, जब समूचा दिग्मवर जैन समाज इन शिथिलाचारी साथ ही अत्याचारी पोपोंकी पीडित प्रजा था और इन पोपोंके सिंहासनको उलट देनेवाला यही शक्तिशाली तेरहपन्थ था । यह इसीकी कृपाका फल है, जो आज हम इतनी स्वाधीनताके साथ धर्मचर्चां करते हुए नजर आ रहे हैं ।

तेरहपन्थने भट्टारको या महन्तोंकी पूजा-प्रतिष्ठा और सत्ताको तो नष्टप्राय कर-दिया; परन्तु उनका साहित्य अब भी जीवित है और उसमें वास्तविक धर्मको विकृत कर देनेवाले तत्त्व मौजूद है । यद्यपि तेरहपन्थ विद्वानोंने अपने भाषाप्रन्थोंके द्वारा और ग्राम ग्राम नगरमें स्थापित की हुई शास्त्रसभाओंके द्वारा लोगोंको इतना सजग और सावधान अवश्य कर दिया है कि अब वे शिथिलाचारकी बातोंको सहसा माननेके लिए तैयार नहीं होते हैं और वे यह भी जानते हैं कि भेदी पाखण्डियोंने वास्तविक धर्मको बहुतसी मिथ्यात्वपोषक बातोंसे भर दिया है, फिर भी संस्कृत प्रन्थोंके और अपने पूर्व-कालीन वडे वडे मुनि तथा आचार्योंके नामसे वे अब भी ठगाये जाते हैं । बैचारे सरल प्रकृतिके लोग इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि धूर्त लोग आचार्य भद्रवाहु, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, भगवज्जनसेन आदि वडे वडे पूज्य मुनिराजोंके नामसे भी प्रन्थ बनाकर प्रचलित कर सकते हैं । उन्हें नहीं मालूम है कि संस्कृतमें जिस तरह सत्य और महान् सिद्धान्त लिखे जा सकते हैं, उसी तरह असत्य और पापकथायें भी रची जा सकती हैं ।

अतएव इस ओरसे सर्वथा निश्चिन्त न होना चाहिए । लोगोंको इस संस्कृतमहिं और नामभक्तिसे सावधान रखनेके लिए और उनमें परीक्षाप्रधानताकी भावनाको दढ बनाये रखनेके लिए अब भी आवश्यकता है कि तेरहपन्थके उस मिशनको जारी रखका जाय जिसने भगवान् महावीरके धर्मको विशुद्ध बनाये रखनेके लिए अब तक निःसीम परिश्रम किया है । हमें सुहृदर पण्डित जुगल किशोरजी मुख्तारका चिर कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने अपनी ‘प्रन्थ-परीक्षा’ नामक लेखमाला और दूसरे समर्थ लेखों-द्वारा इस मिशनको बराबर जारी रखा है और उनके अनवरत परिश्रमने भट्टारकोंकी गहियोंके समान उनके साहित्यके सिंहासनको भी उलट देनेमें कोई कसर बाकी नहीं रखती है ।

लगभग १२ वर्षोंके बाद ‘प्रन्थपरीक्षा’ का यह तृतीय भाग प्रकाशित हो रहा है जिसका परिचय करानेके लिए मैं ये पक्षियों लिख रहा हूँ । पिछले दो भागोंकी

अपेक्षा यह भाग बहुत बड़ा है, और वही सोचकर यह इन्हें विस्तृत रूपमें लिखा गया है कि अब इस विषयपर और कुछ लिखनेकी आवश्यकता न है। भाषारकी साहित्यके प्राचीन सभी अंग प्रस्थान इसमें अच्छी तरह समाप्तकर दिलाला दिये हैं और जैनवर्णको विस्तृत करनेके लिए भाषारकोने जो जो जबन्य और निम्न प्रयोग किये हैं, वे प्राचीन सभी इसके द्वारा स्पष्ट हो गये हैं।

मुख्तारसाहित्यने इन लेखोंको, विशेषकरके सोमसेन त्रिवर्णचारकी परीक्षाको, किसने परिभ्रमसे लिखा है और यह उनकी कितनी बड़ी तपस्याका फल है, यह बुद्धिमान् पाठक इसके कुछ ही पृष्ठ पढ़कर जान लेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि पिछले कई सौ वर्षोंमें किसी भी जैन विद्वानने कोई इस प्रकारका समालोचक ग्रन्थ इन्हें परिभ्रमसे लिखा होगा और यह बात तो विना किसी हिचकिचाहटके कही जा सकती है कि इस प्रकारके परीक्षालेख जैनसाहित्यमें सबसे पहले हैं और इस बातकी सूचना देते हैं कि जैनसमाजमें तेरहपन्थद्वारा स्थापित परीक्षाप्रधानानताके भाव नष्ट नहीं हो गये हैं। वे अब और भी तेजीके साथ बढ़े और उनके द्वारा मठिनीकृत जैनशासन फिर अपनी प्राचीन निर्मलताको प्राप्त करनेमें समर्थ होगा।

विद्वज्ञनबोधक आदि ग्रन्थोंमें भी भाषारकोके साहित्यकी परीक्षा की गई है और उसका खण्डन किया गया है, परन्तु उन के लेखकोंके पास जाँच करनेकी केवल एक ही कसौटी थी कि अमुक विधान वीतराग मार्गके अनुकूल नहीं है, अथवा वह अमुक बड़े आचार्यके मतसे विद्वद् है और इससे उनका खण्डन बहुत जोरदार न होता था, क्योंकि श्रद्धालु फिर भी कह सकता था कि यह भी तो एक आचार्यका कहा हुआ है, अथवा यह विषय किसी ऐसे पूर्वाचार्यके अनुसार लिखा गया होगा जिसे हम नहीं जानते हैं, परन्तु ग्रन्थ परीक्षाके लेखक महोदयने एक दूसरी अलब्धपूर्व कसौटी प्राप्त की है जिसकी पहलेके लेखकोंको कल्पना भी नहीं थी और वह यह कि उन्होंने हिन्दुओंके स्मृतिग्रन्थों और दूसरे कमैकाण्डीय ग्रन्थोंके सैकड़ों लोकोंको सामने उपस्थित करके बताला दिया है कि उक्त ग्रन्थोंमेंसे चुरा चुरा कर और उन्हें तोड़ मरोड़कर सोमसेन आदिने ये अपने अपने 'भानमतीके कुनबे' तैयार किये हैं। जाँच करनेका यह दण बिल्कुल नया है और इसने जैनधर्मका दुलानास्त्रक पदार्थिसे अध्ययन करनेवालोंके लिए एक नया मार्ग खोल दिया है।

ये परीक्षालेख इतनी सावधानीसे और इन्हें अकाव्य प्रमाणोंके आधारसे लिखे गये हैं कि अभीतक उन लोगोंकी ओरसे जो कि त्रिवर्णचारादि भाषारकी साहित्यके परम पुरस्कर्ता और प्रचारक हैं, इनकी एक पंक्तिका भी खण्डन नहीं किया गया है और न अब इसकी आशा ही है। ग्रन्थपरीक्षाके पिछले दो भागोंको प्रकाशित हुए उत्तमग एक युग (१२ वर्ष) बीत गया। उस समय एक दो पंचितग्रन्थोंने इबर उत्तर बोधार्थीयोंकी थी कि हम उनका खण्डन लिखेंगे, परन्तु वे अब तक लिख ही रहे हैं। यह तो असंभव है कि लेखोंमें

खण्डन लिखा जा सकता और फिर भी पछितोंका दलका दल चुपचाप बैठा रहता; परन्तु बात यह है कि इनपर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। योधी बहुत पोल होती, तो वह ढैंकी भी जा सकती; परन्तु जहाँ पोल ही पोल है, वहाँ क्या किया जाय? गरज यह कि यह लेखमाला प्रतिवादियोंके लिए लोहे के चने हैं, यह सब तरहसे सप्रमाण और युक्तियुक्त लिखी गई है।

मुझे विश्वास है कि जैनसमाज इस लेखमालाका पूरा पूरा आवर करेगा और इसे पढ़ कर जैनधर्ममें मुझे हुए मिथ्या विश्वासों, विधिलाचारों और अजैन प्रशृतियोंको परहिचाननेकी शक्ति प्राप्त करके वास्तविक धर्मपर आरुद होगा।

मेरी समझमें इस लेखमालाको पढ़कर पाठकोंका ध्यान नीचे लिखी हुई बातोंकी ओर आकर्षित होना चाहिए:—

१—किसी ग्रन्थपर किसी जैनाचार्य या विद्वान्‌का नाम देखकर ही यह निश्चय न कर लेना चाहिए कि वह जैनग्रन्थ ही है और उसमें जो कुछ लिखा है वह सभी भगवानकी वाणी है।

२—भट्टारकोंने जैनधर्मको बहुत ही दूषित किया है। वे स्वयं ही ब्रष्ट नहीं हुए थे, जैनधर्मको भी उन्होंने ब्रष्ट करनेका प्रयत्न किया था। यह प्रायः असंभव है कि जो स्वयं ब्रष्ट हो, वह अपनी ब्रष्टताको शास्त्रोक सिद्ध करनेका कोई स्पष्ट या अस्पष्ट प्रयत्न न करे।

३—भट्टारकोंके पास विपुल धनसम्पत्ति थी। उसके लोभसे अनेक ब्राह्मण उनके शिष्य बन जाते थे और समय पाकर वे ही भट्टारक बनकर जैनधर्मके शासक पदको प्राप्त कर लेते थे। इसका फल यह होता था कि वे अपने पूर्वके ब्राह्मणत्वके संस्कार छोड़ और अक्षात रूपसे जैनधर्ममें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करते थे। उनके साहित्यमें इसी कारण अजैन संस्कारोंका इतना प्राचल्य है कि उसमें वास्तविक जैनधर्म विलक्षण छुप गया है।

४—मुना गया है कि भट्टारक लोग ब्राह्मणोंको नौकर रखकर उनके द्वारा अपने नामसे ग्रन्थस्वना कराते थे। ऐसी दशामें यदि उनके साहित्यमें जैनधर्मकी कलई किया हुआ ब्राह्मण साहित्य ही दिखलाई दे, तो कुछ आवश्य न होना चाहिए।

५—इस बातका निश्चय करना कठिन है कि भट्टारकोंके साहित्यका कबसे प्रारंभ हुआ है; इसलिए अब हमें इस दूधसे जलकर छाँड़को भी फूँक फूँक कर पीना चाहिए। हमें अपनी एक ऐसी विवेककी कसौटी बना लेनी चाहिए जिसपर हम प्रत्येक ग्रन्थको कस सकें। जिस तरह हमें किसी बड़े आचार्यके नामसे बुलावेमें न पहना चाहिए, उसी तरह प्राचीनताके कारण भी किसी ग्रन्थपर विश्वास न कर लेना चाहिए।

६—संस्कृतके विद्यार्थियों, पण्डितों तथा शास्त्रियोंका ध्यान इन लेखमालाओंके द्वारा तुलनात्मक पद्धतियोंकी ओर आकर्षित होना चाहिए और उन्हें प्रत्येक विषयका अध्ययन खूब परिभ्रमसे करनेकी आदत ढालनी चाहिए। ये परीक्षा लेख बतलाते हैं कि परिभ्रम करना किसे कहते हैं।

७—अभी जल्दत है कि और अनेक विद्वान्, इस मार्गपर काम करें। भाषारकोंके रचे हुए कथाप्रन्थ और चरितप्रन्थ बहुत अधिक हैं। उनका भी बारीकीसे अध्ययन किया जाना चाहिए और जिन प्राचीन प्रन्थोंके आधारसे वे लिखे गये हैं, उनके साथ उनका मिलान किया जाना चाहिए। भाषारकोंने ऐसी भी बीसों कथायें स्वयं गढ़ी हैं जिनका कोई मूल नहीं है।

अन्तमें बुहद्दूर पण्डित जुगल किशोरजीको उनके इस परिभ्रमके लिए अनेकशः धन्यवाद देकर मैं अपने इस वक्तव्यको समाप्त करता हूँ। सोमसेन-त्रिवर्णाचारकी यह परीक्षा उन्होंने मेरे ही आग्रह और मेरी ही प्रेरणासे लिखी है, इस लिए मैं अपनेको सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि इससे जैनसमाजका जो मिष्ठ्याभाव हटेगा, उसका एक छोटासा निमित्त मैं भी हूँ। इति।

मुल्लण (ठाणा)  
भाष्टकृष्ण २, स० १९८५ }

निवेदक—  
नाथूराम प्रेमी।

## विषय-सूची

~~~~~

| विषय                                                     | पृष्ठ |
|----------------------------------------------------------|-------|
| १ भूमिका                                                 | ...   |
| २ सोमसेन-श्रिवर्णाचारकी परीक्षा                          | ...   |
| प्राथमिक निवेदन                                          | ...   |
| प्रंथका संग्रहत्व                                        | ...   |
| अजैन ग्रंथोंसे संग्रह                                    | ...   |
| प्रतिष्ठादि-विरोध—भगवज्जिनसेनप्रणीत आदिपुराणके विशद् कथन | ४९    |
| ज्ञानार्थी ग्रंथके विशद् कथन                             | ५७    |

**दूसरे विशद् कथन—**( देव, पितर और ऋषियोंका धेरा, २ दन्तधावन करनेवाला पापी, ३ तेल मलनेकी विलक्षण फलघोषणा, ४ रविवारके दिन ज्ञानादिका निषेच, ५ घरपर उडे जलसे ज्ञान न करनेकी आज्ञा, ६-८ शूद्रत्वका अद्भुत योग, ९ नरकालयमें वास, १० नमकी विवित्र परिभाषा, ११ अधौतका अद्भुत लक्षण, १२ पतिके विलक्षण घर्म, १३ आमनकी अनोखी फलकल्पना, १४ जून न छोड़नेका भयंकर परिणाम, १५ देवताओंकी रोक थाम, १६ एक बब्लमें भोजन-भजनादिपर आपत्ति, १७ सुपारी लानेकी सजा, १८ जनेऊकी अजीब करामात, १९ तिलक और दर्मके बैंधुए, २० सूतककी विहम्बना, २१ पिष्टलादि पूजन, २२ बैधव्ययोग और अर्क-विवाह, २३ संकीर्णहृदयोद्धार, २४ अहुतुकालमें भोग न करनेवालोंकी गति, २५ अश्ली-लता और अशिष्टाचार, २६ त्याग या तलाक, २७ श्री-पुनर्विवाह, २८ तर्पण आद् और पिण्डदान । )

| उपसंहार                                | पृष्ठ |
|----------------------------------------|-------|
| ३ धर्मपरीक्षा ( इवेताम्बरी )की परीक्षा | ...   |
| ४ अकर्णक-प्रतिष्ठापाठकी जाँच           | ...   |
| ५ पूज्यपाद-उपासकाचारकी जाँच            | ...   |

# ग्रन्थ परीक्षा ।

( दृतीय माग )

सोमसेन-त्रिवर्णाचार की परीक्षा ।



बुद्धि हुए मैंने 'जैल हितैषी' में 'ग्रन्थ परीक्षा' नाम की एक लेखमाला निकालनी प्रारम्भ की थी, जो कई वर्ष तक जारी रही और जिसमें ( १ ) उमास्वामि आवकाचार ( २ ) कुम्दकुन्द आवकाचार ( ३ ) जिनसेन त्रिवर्णाचार, ( ४ ) भद्रवाहु संहिता और ( ५ ) धर्म परीक्षा ( येताम्बर ) नामक मंथों पर विस्तृत आठोचनात्मक निबन्ध लिखे गये हैं और उनके द्वारा, गहरी खोज तथा जौँच के बाद, इन मंथों की असुविधत को खोल कर सर्व साधारण के सामने रखा गया और यह सिद्ध किया गया कि ये सब

\* आकर्षण-प्रतिष्ठा वस्तु, नेमिकान्द्र संहिता ( प्रतिष्ठा तिक्तक ) और पूर्णवाह-उपासकाचार नाम के मध्यों पर भी छोटे छोटे लेख लिखे गये, जिनका उद्देश्य प्राप्त; प्राप्त कर्ता और प्राप्त के निर्माण-साधारण-विषयक नाममध्ये को दूर करना था और उनके द्वारा कह सबह किया गया कि ये मध्य वस्तु: तत्त्वार्थ राजार्थिक के कर्ता यहांकृतकर्त्तव्य, वोपासकाचार के अवेतार भी नेमिकान्द्र निर्माणकारकत्वी और तत्त्वार्थिक के रक्षिता भी पूर्णवाहाचार के वत्तारे दूर नहीं हैं ।

प्रथं जासी तथा बनावटी हैं, और उनका अवतार कुछ द्वारा पुरुषों अथवा  
सम्मान लेखकों द्वारा आधुनिक भौतिकी-युग में हुआ है। इस लेखमाला  
ने समाज को जो नया सन्देश सुनाया, जिस भूल तथा यक्षणत का  
अनुभव कराया, अन्वश्रद्धा की जिस नीद से उसे जगाया और उसमें  
जिस विचारस्थात्र्य तथा तुलनात्मक पद्धति से प्रयोग के अध्ययन को  
उत्तेजित किया, उसे यहीं बतावें की चर्चात नहीं है, उसका अच्छा  
अनुभव उक्त लेखों के पढ़ने से ही सम्भव रहता है। हाँ इतना जरूर  
बतलाना होगा कि इस प्रकार की लेखमाला उस बक्त जैन समाज के  
शिखे एक विलक्षण ही नहीं चीज़ थी, इसने उसके विचार बातोंवरण में  
अच्छी कान्ति उत्पन्न की, सहदय विद्वानों ने इसे खुशी से अपनाया,  
इसके अनेक लेख दूसरे पत्रों में उद्धृत किये गये, अनुमोदन किये गये,  
मराठी में अनुवादित हुए और अक्षग पुस्तकालय भी छपाये गये ॥।  
स्थाद्वादवारिधि ५० गोपालदासजी वैरेण्या ने, जिनसेन त्रिवर्णाचार की  
परीक्षा के बाद से, त्रिवर्णाचारों को अपने विद्यालय के पठनक्रम से निकाल  
दिया और दूसरे विचारशील विद्वान् भी उस बक्त से चराचर अपने कार्य  
तथा न्यवहार के द्वारा उन लेखों की उपयोगितादि को स्वीकार करते  
आयता उनका अभिनवन करते आ रहे हैं। और यह सब उक्त लेखमाला  
की सफलता का अच्छा परिचायक है। उस बक्त-जिनसेन त्रिवर्णाचार  
की परीक्षा लिखते समय मैंने यह प्रगट किया था कि ‘सोमसेन-त्रिवर्णा-  
चार की परीक्षा भी एक स्वतंत्र लेख द्वारा की जायगी’। परंतु लेद है कि  
अननवकाश के कारण इच्छा रहते भी, मुझे आज तक उसकी परीक्षा

• कमवाई के जैव प्रभवरकाकर कार्यालय ने 'जलव चरीका' प्रधम आव और द्वितीय आव भाग से, पहले बार अन्यों के लेखों को दो भागों में उपलब्ध कर दिया दिया दिया है और इनका लाभान्वत दूसरे कार्यालय, जहां आने तथा बार आने रक्षा है।

लिखने का बोई अवसर नहीं मिल सका । मैं उस बक्त से बराबर ही दूसरे ज़ख्मी कामों से बित रहा हूँ । आज भी मेरे पास, यद्यपि, इसके लिये काफी समय नहीं है—दूसरे अधिक ज़ख्मी कामों का देर का देर समय पकड़ा हुआ है और उसकी चिंता हृदय को डब्बित कर रही है—परन्तु कुछ असें से कई मित्रों का यह लगातार आग्रह चल रहा है कि हस्त्रियोंचार की झीझ परीक्षा की जाय । वे आज कल इसकी परीक्षा को खास तौर से आवश्यक महसूस कर रहे हैं और इसलिये आज उसी का यस्तिचित् प्रयत्न किया जाता है ।

इस त्रिवर्णीचारका दूसरा नाम 'धर्मसिक' ग्रथ भी है और यह तेरह अध्यायों में विभाजित है । इसके कर्ता सोमसेन, यद्यपि, अनेक पदों में अपने को 'मुनि', 'गणी' और 'मुनीन्द्र' तक लिखते हैं \* परन्तु वे वास्तव में उन आधुनिक भट्ठारकों में से थे जिन्हें शिथिलाचारी और परिप्रहधारी साधु अथवा श्रमणाभास कहते हैं । और इसलिये उनके विषय में बिना किसी सदेह के यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे पूर्णरूप से श्रावक वी उ वीं प्रतिमा के भी धारक थे । उन्होंने अपने को पुष्टर गच्छ के भट्ठारक गुणभद्रसूरिका पद्मशिष्य लिखा है और साथ ही महेन्द्रकीर्ति गुरु का जिस रूप से उल्लेख किया है उससे यह जान पड़ता है कि वे इनके विद्या गुरु थे । भट्ठारक सोमसेनजी कवि हुए हैं और उन्होंने किस सन् सम्बद्ध में इस ग्रथ की रचना की है, इसका अनुसन्धान करते के लिये कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है । स्वयं भट्ठारकजी प्रथ के अत में लिखते हैं—

\* यथा—

...अधिभट्ठारक सोमसेन मुनिभि ॥ ६-११५ ॥

...अधिभट्ठारक सोमसेन गणिता ॥ ६-११६ ॥

... पुण्यानिलहैः सोमसेनैमुनीन्द्रैः ॥ ६-११७ ॥

अथेऽत्तरसंगम्भूकलिसे शीविकमादित्यजे  
मासे कार्तिकमासमीह अवसे पहो त्वरत्वंभवेष ।  
वारेभास्वति सिद्धनामग्नि तथा योगेषुपूर्णातिथी ।  
नक्षत्रेऽचिनिनाम्नि धर्मरसिको प्रम्यम् पूर्णीकृत ॥२५॥

अर्थात्—यह धर्म रसिक प्रथ विक्रम स० १६६५ में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को शविवार के दिन सिद्ध योग और अचिनी नक्षत्र में बनाकर पूर्ण किया गया है ।

इस प्रथ के पहले अध्याय में एक प्रतिश्चा—वाक्य निम्न प्रकार से दिया हुआ है—

यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यपश्चिभि समग्नतमद्वैष्टतया  
सिद्धान्तेषुगुणमद्वामामसुनिर्विर्भूकलक्षकैः परे ।  
शीघ्रपिद्विजनामेव विकुञ्जेराशाधरैर्वान्वरै—  
स्तद्वृष्ट्या रचयामि धर्मरसिकंशालविवर्णारम्भम् ॥२६॥

अर्थात्—जिनसेनगणी, समग्नतमद्वैष्टतया, गुणमद्वामामसुनि, भद्राकलक, विकुञ्जेराशाधरै और पं० आशाधर ने अपने २ प्रथों में जो कुछ कहा है उसे देखकर मैं जापण, लक्षण, लक्षण, वैश्य नाम के तीन वर्णों का आचार बतलाने वाला। यह 'धर्मरसिक' नामका शब्द रचता है ।

प्रथ के शुरू में इस प्रतिश्चा वाक्य को देखते ही यह मालूम होने लगता है कि इस प्रथ में जो कुछ भी कथन किया गया है वह सब उक्त विद्वानों के ही वचनानुसार—उनके ही प्रथों को देखकर—किया गया है । परन्तु प्रथके कुछ पत्र पलटने पर उसमें एक जगह ज्ञानार्थी प्रथ के अनुसार, जो कि शुभचद्राचार्य का बनाया हुआ है, ध्यान का कथन करने की और दूसरी जगह भद्राक एकसधि कृत सहिता (चिनसहिता) के अनुसार होमकुण्डों का ज्ञापण कथन करने की प्रतिश्चाएँ भी फाई जाती हैं । यथा—

" अद्यते तांत्रदं वाचानिदित्यांवाचानिदेव वाचानम् ॥६—८८ ॥ "

" वाचादे होमकुपहानां वाचे वाचानमुलारतः ।

महारत्नीकंस्तथेष्य वर्ण्णा विस्तारंहिताम् ॥ ६—१०४ ॥

इसके सिवाय कही २ पर खास तौर से वाचात्मि, अथवा जिन-  
सेनाचार्य के महापुराण के अनुसार कथन करने की जो पृष्ठक रूप से  
प्रतिक्षा या सूचना की गई है उसे पहली प्रतिक्षा के ही अंतर्गत अथवा  
उसी का विशेष रूप समझना आहिये, ऐसी एक सूचना तथा प्रतिक्षा भी जो  
दी जाती है —

अद्यत्वाद्यादिविवरणं भीजैवप्रार्थनिदित्यतत्त्वः

वाचंतु तस्येवपिलोक्यगांधूरंविश्वाम्भुनिलोमसेमैः ॥६—१५० ॥

जिनसेनमुर्मां वाचा विविधिदित्यतत्त्वः ।

वाचेपुराणमानेष्य लौकिकाचारसिद्धये ॥ ६—२ ॥

इन सब प्रतिक्षा वाक्यों और सूचनाओं से प्रथ कर्त्ता ने अपने  
पाठकों को दो बातों का विकास दिलाया है —

( १ ) एक तो यह कि, यह विश्वर्हाचार कोई संभव प्रथ नहीं है  
बल्कि ज्ञानप्रयोग को देखकर उनके आधार पर इसकी स्वतंत्र  
रचना की गई है । \*

( २ ) दूसरे यह कि इस प्रथ में जो कुछ लिखा गया है वह  
उक्त जिनसेनादि लूहों विद्वानों के अनुसार तथा जैनागम के अनुकूल

\* इन्हें के भाव से भी वह कोई संभव प्रथ मालूम नहीं होता  
और न इसकी संविधियों में ही इसे संभव प्रथ घोषित किया गया है ।  
एक संविधि नमूने के तौर पर इस प्रकार है —

इति श्री वर्मरात्मिक शास्त्रे विश्वर्हाचार विकासके महारत्न श्री  
सोमसेन विविधते स्त्राववस्त्रवस्त्रमन संख्या तर्हय वर्णनो भाव तृती-  
योऽन्धायः ।

लिखा गया है और जहाँ कहीं दूसरे ( शुभचन्द्रादि ) विद्वानों के ग्रंथा-  
नुसार कुछु कढ़ा गया है वहाँ पर उन विद्वानों अथवा उनके प्रथों का  
नाम देदिया गया है।

परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। प्रथ को परीक्षादृष्टि से अवलोकन  
करने पर मालूम होता है कि यह प्रथ एक अच्छा खासा समझ प्रथ है,  
इसमें दूसरे विद्वानों के ढेर के ढेर वाक्यों को उयों का लों उठा कर या  
उनमें कहीं कहीं कुछु साधारणासा अथवा निरर्थकता परिवर्तन करके  
रखा गया है, ने वाक्य प्रथ के प्रतिपाद्य विषय को पुष्ट करने के लिये  
'उक्त च' आदि रूप से नहीं दिये गये, बल्कि वैसे ही प्रथ का अग बना  
कर अपनाये गये हैं और उनको देते हुए उनके लेखक विद्वानों का या  
उन प्रथों का नाम तक भी नहीं दिया है, जिनसे उठाकर उन्हें रखा  
है। शायद पाठक यह समझें कि ये दूसरे विद्वान् वेही होंगे, जिनका उक्त  
प्रतिज्ञा-वाक्यों में उल्लेख किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं है—उनके  
अतिरिक्त और भी बीसियों विद्वानों के शब्दों से प्रथ का कलेवर बढ़ाया  
गया है और वे विद्वान् जैन ही नहीं किन्तु अजैन भी हैं। अजैनों के बहुत  
से साहित्य पर हाथ साफ किया गया है और उसे दुर्भाग्य से जैन साहित्य  
प्रकट किया गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है। इस व्यर्थ की उठा  
धरी के कारण प्रथ की तरतीब भी ठीक नहीं बैठसकी—वह कितने ही  
स्थानों पर स्वलित अथवा कुछु बेढोपन को लिये हुए होगई है और  
साथ में पुनरुक्तियाँ भी हुई हैं। इसके सिवाय, कहीं भी पर उन  
विद्वानों के विरुद्ध भी कथन किया गया है जिनके वाक्यानुसार कथन  
करने की प्रतिज्ञा अथवा सूचना की गई है और बहुतसा कथन जैन  
सिद्धांत के विरुद्ध अथवा जैनादर्श से गिरा हुआ भी इसमें पाया जाता  
है। इस तरह पर वह प्रथ एक बड़ा ही विचित्र प्रथ जान पड़ता है  
और 'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा' जौली

कहावत को भी कितने ही अर्थों में चरितर्थ लगता है। क्योंपि प्रथम उक्त जिनसेन त्रिवर्णाचारादि भी तरह का जली प्रथ नहीं है—इसकी रचना प्राचीन बड़े आचार्यों के नाम से नहीं हुई—फिर भी यह अर्थजाली चरूर है और इसे एक मान्य जैन प्रथ के तौर पर स्वीकार करने में बहुत बड़ा सक्रिय होता है। नीचे इन्हीं सब बातों का विस्तृत वराया जाता है, जिससे पाठकों को इस प्रथ के विश्वय में अपनी-ठीक समाजिक स्थिर करने का अद्वितीय मिल सके।

सब से पहले मैं अपने पाठकों को यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त प्रतिज्ञा पथ न० ६ में जिन विद्वानों के नाम दिये गये हैं उनमें ‘भट्टाकलक’ से अभिप्राय राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलक देव से नहीं है बल्कि अकलक प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठातिलक ) आदि के कर्ता दूसरे भट्टाकलक से है जिन्होंने अपने को ‘भट्टाकलकदेव’ भी लिखा है और जो विक्रम की प्राय १६ वीं शताब्दी के विद्वाने थे ॥। और ‘गुणभद्र मुनि समवतः वेही भट्टारक गुणभद्र जान पड़ते हैं, जो प्रथ कर्ता के पहुँच गुण थे । गुणभद्र भट्टारक के बनाये हुए ‘पूजाकल्प’ नामक एक प्रथ का उल्लङ्घन भी ‘दिग्म्बर जैन प्रथवर्ती और उनके प्रथ’ नामक सूची में पाया जाता है । होसकता है कि इस प्रथ के आधार

\* इस त्रिवर्णाचार म जिनसेन आदि दूसरे विद्वानों के बाकीयों का जिस प्रकार से उल्लेख पाया जाता है, उस प्रकार से राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलक देव के बनाये हुए किसी भी प्रथ का ग्राय छोड़े उल्लेख नहीं मिलता । हाँ, अकलक प्रतिष्ठापाठ के कितने ही कथनों के साथ त्रिवर्णाचार के कथनों का मेल तया साफ़ैश्य ज़रूर है और कुछ पर्यादिक दोनों ग्रंथों में संबंध रुप से भी पर्याय जाते हैं । इसले उक्त पथ में ‘भट्टाकलकैः’ पद का वाच्य रखा है, यह वहुत हुँकूरूप दृष्टि हो जाता है ।

पर भी प्रहृत त्रिवर्णाचार में कुछ कथन किया गया हो और इसके भी बाक्यों को बिना नाम धार के उठा कर रखा गया हो । परन्तु मुझे गुणभद्र मुनि के किसी भी प्रथके साथ इस प्रथके साहित्य को जाँचने का अवसर नहीं मिल सका और इसलिये मैं उनके प्रथके विषय का यहाँ कोई उल्लेख नहीं कर सकूँगा । बाकी चार विद्वानों में से जिनसेनाचार्य तो 'आदिपुराण' के कर्ता, स्वामी समन्तभद्र 'रत्नकरणद्वार' श्रावकाचार के प्रयोगा, पं० आशाधर 'सागार धर्मामृत' आदि के रचयिता और विष्व ब्रह्मसूरि 'ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार' अथवा 'जिनसंहितासारोद्धार' के विधार्ता हुए हैं जिसका दूसरा नाम 'प्रतिष्ठातिलक' भी है । आशाधर की तरह ब्रह्मसूरि भी गृहस्थ विद्वान् थे और उनका समय विकाम की प्रायः १५वीं शताब्दी पाया जाता है । ये जैन धर्मानुयायी ब्राह्मण थे । सोमसेन ने भी 'अधिब्रह्मसूरिद्विजवंशारण', 'ब्रह्मसूरिसुविग्रेण', 'अधिब्रह्मसूरिवरविप्रकवीश्वरण' आदि पदों के द्वारा इन्हें ब्राह्मण वंश का प्रकट किया है । इनके पिता वा नाम 'विजयेन्द्र' और माता का 'श्री' था । इनके एक पूर्वज गोविन्द भट्ट, जो वेदान्तानुयायी ब्राह्मण थे, स्वामी समन्तभद्र के 'देवागम' स्तोत्र को सुनकर जैनधर्म में दीक्षित होगये थे † । उसी बहू से इनके बश में जैनधर्म की बराबर मान्यता चली आई है, और उसमें कितने ही विद्वान् हुए हैं ।

ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार को देखने से ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मसूरि के पूर्वज जैनधर्म में दीक्षित होने के समय हिन्दूधर्म के कितने ही संस्कारों को अपने साथ लाये थे, जिनको उन्होंने स्थिर ही नहीं रखा बल्कि उन्हें जैन का लिवास पहिनाने और त्रिवर्णाचार जैसे मंथों द्वारा उनका जैनसमाज में प्रचार करने का भी आयोजन किया है । संभव है देश-काल की परिस्थिति ने भी उन्हें वैसा करने के सिये

† देखो उक्त 'जिनसंहितासारोद्धार' की प्रशास्त्र ।

मबूर किया हो—उस वक्त बाहर खोग जैन द्विजों अथवा जैनधर्म में दीक्षितों को ‘बर्णानः पाती’ और संस्कारविहीनों को ‘शद्’ तक कहते थे; आखर्य महीं जो यह बात नव दीक्षितों को—खास कर विदानों को—असहा हो उठी हो और उसके प्रतीकार के लिये ही उन्होंने अथवा उनसे पूर्व दीक्षितों ने उपर्युक्त आयोजन किया हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उस वक्त दक्षिण मारत में इस प्रकार के साहित्य की—संहिता शास्त्रों, प्रतिष्ठा पाठों और त्रिवर्णाचारों की—बहुत कुछ सुषिटि हुई है। एक संधि म० जिन संहिता, इन्द्रनन्दि संहिता, नेमिचंद्र # संहिता, भद्रचाहु संहिता, आशाधर प्रतिष्ठापाठ, अक्षंक प्रतिष्ठा पाठ और जिनसेन त्रिवर्णाचार आदि बहुत से ग्रंथ उसी वक्त के बने हुए हैं। इस प्रकार के सभी उपलब्ध ग्रंथों की सृष्टि विक्रम की प्रायः दूसरी सहस्राब्दी में पाई जाती है—विक्रम की पहली सहस्राब्दी (दसवीं शताब्दी तक) का बना हुआ वैसा एक भी ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ—और इससे यह जाना जाता है कि ये ग्रंथ उस जमाने की किसी खास हुलचल के परिणाम हैं और इनके किंतने ही नूतन विषयों का, जिन्हें खास तौर से लक्ष्य में रखकर ऐसे ग्रंथों की सृष्टि की गई है, जैनियों के प्राचीन साहित्य के साथ प्रायः कंई सम्बन्ध विशेष नहीं है। अस्तु,

### अन्यका संग्रहस्त्र ।

( १ ) इस त्रिवर्णाचार में सब से अधिक संप्रद यदि किसी ग्रंथ का किया गया है तो वह ब्रह्मसूरि का उक्त त्रिवर्णाचार ही है। सोमसेन ने अपेन त्रिवर्णाचार की इलोक संख्या, ग्रंथके अंत में, २७०० दी है और यह संख्या ३२ अहरों की इलोक गणना के अनुसार

\* नेमिचंद्र संहिताके रचयिता ‘नेमिचंद्र’ भी यह शूहस्त्र विद्वान् थे और वे ब्रह्मसूरि के भानजे थे। वेऽको ‘नेमिचंद्र संहिता’ की प्रशासित अथवा जैन द्विजी के १२ वें भाग का अंक नं० ४-५.

जान पड़ती है। परन्तु ऐसे, प्रथ की पथ संख्या २०४६ है और वास्ती का उसमें मंत्र भाग है जो ५५० या ६०० श्लोकों के करीब होगा। कुछ अपवादों को छोड़ कर, यह सारा मंत्र भाग ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार से उठाकर—ज्यों का त्यों अथवा कहीं कहीं कुछ बदलकर—रखा गया है। रही पथों की बात, उनका जहाँ तक मुक्ताबला किया गया उससे मालूम हुआ कि इस प्रथ में १६६ पथ तो ऐसे हैं जो प्रायः ज्यों के त्यों और १७७ पथ ऐसे हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से उठा कर रखे गये हैं। इस तरह पर प्रथ का कोई एकतिहाई भाग ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से लिया गया है और उसे जाहिर में अपनी रचना प्रकट किया गया है। इस प्रथ में संप्रह के कुछ नमूने इस प्रकार हैं :—

( क ) ज्यों के त्यों उठाकर रखते हुए पथ ।

सुखं यांषुभित्ति सर्वेऽपि जीवा दुःखं न जातुचित् ।

तस्मात्सुखादिष्ठो जीवा: संस्कारात्याभिसम्मताः ॥ २-७ ॥

एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विधीयते ।

पैदं तिलोदकं चापि कर्ता दद्यात्तदान्वहम् ॥ १३-१७६ ॥

इन पथों में से पहला पथ ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार का पूर्वों और दूसरा पथ उसके अन्तिम पर्व का १३६ वाँ पथ है। दूसरे पथ के अपेक्षे के और भी पचासों पथ ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार से ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं। दोनों प्रथों के अन्तिम भाग ( अध्याय तथा पर्व ) सूक्तक प्रेतक अथवा जननाशीच और मृताशीच नामके प्रायः एक ही विषय को लिये हुए भी हैं।

( ख ) वारिवर्तन करके रखते हुए पथ ।

कालादिलभित्तः पुस्तामन्तःशुद्धिः प्रजायते ।

मुख्यापेष्यातु संस्कारे वाहशुद्धिमपेक्षते ॥ २-८ ॥

चतुर्थे दिवसे ज्ञायात्मात्मोसर्गतः पुणा ।

पूर्वाह्निकाषट्कं गोसर्गे इति भाषितः ॥ १३-२२ ॥

शुद्धाभर्तुष्टुयेऽहिभोजने रथमेऽपिवा ।

देवपूजा शुक्रपास्तिहोमसेवासु पंचमे ॥ १३-२३ ॥

ये पथ ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णीचार के जिन पदों को परिवर्तित करके बनाये गये हैं वे क्रांति. इस प्रकार है—

अन्तःशुद्धिस्तु जीवानां भवेत्कालादित्यधितः ।

एषामुख्यापिंसंस्करे वाहशुद्धिरपेक्षते ॥ ७ ॥

रजस्वलाचतुर्थेऽहिभायाद्वौसर्गतः परं ।

पूर्वाह्नि घटिकाषट्कं गोसर्गे इति भाषितः ॥ ८-१३ ॥

तस्मिन्नानि योग्या स्यादुदक्षया शृङ्कर्मणि ।

देवपूजा शुक्रपास्तिहोमसेवासु पंचमे ॥ ८-१४ ॥

इन पदों का परिवर्तित पदों के साथ मुकाबला करने से यह संहज ही में मालूम हो जाता है कि पहले पथ में जो परिवर्तन किया गया है उससे कोई अर्थ-भेद नहीं होता, बल्कि साहित्य की दृष्टि से वह कुछ छठिया ज़रूर हो गया है। मालूम नहीं फिर इस पथ को बदलने का क्यों परिश्रम किया गया, जब कि इससे पहला ‘सुख-वांछनित’ नाम का पथ ज्यों को ल्यो उठाकर रक्खा गया था! इसे भी उसी तरह पर उठाकर रख सकते थे। शेष दोनों पदों के उत्तरार्ध ज्यों के ल्यों हैं, सिर्फ पूर्वार्ध बदले गये हैं और उनकी यह तबदीली बहुत कुछ भद्री जान पड़ती है। दूसरे पथ की तबदीली ने तो कुछ विरोध भी उपस्थित कर दिया है—ब्रह्मसूरि ने चौथे दिन रजस्वला के स्नान का समय पूर्वाह्नि की छुहरदी के बाद कुछ दिन चढ़े रक्खा था; परन्तु ब्रह्मसूरि-के अनुसार कथन की प्रतिज्ञा करने वाले सोमसेनजी ने, अपनी इस तबदीली के द्वारा गोसर्ग की उक्त छुहरदी से पहले रात्रि में ही उसका विधान

कर दिया है ! इससे इन पदों के परिवर्तन की निर्धकता स्पष्ट है और साथ ही सोमसेनजी की योग्यता का भी कुछ परिचय मिल जाता है ।

### ( ग ) परिवर्तित और अपरिवर्तित मन्त्र ।

इस प्रन्थ के तीसरे अध्याय में, एक स्थान पर, दशदिक्ग्रामों को प्रसन्न करने के मन्त्र देते हुए, लिखा है:—

ततोऽपि मुकुलितकरकुह्मलः सन् “ अँनमोहंते भगवते  
थी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविज्ञप्रशाशनाय सर्व—  
रोगापमृत्युविनाशनाय सर्वं परकृत छुद्रोणद्रविनाशनाय  
मम सर्वशान्तिर्भवतु ” इत्युच्चार्य—

इसके बाद-‘पूर्वस्थां दिशि इन्द्रः प्रसीदतु, आग्रेयां  
दिशि अग्निः प्रसीदतु, दक्षिणस्थां दिशि यमः प्रसीदतु’  
इत्यादि रूप से वे प्रसन्नता सम्पादन कराने वाले दसों मन्त्र दिये हैं ।  
ये सब मन्त्र वेही हैं जो ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार में भी दिये हुए हैं,  
सिर्फ़ ‘उत्तरस्थां दिशि कुवेरः प्रसीदतु’ नामक मन्त्र में कुवेरः  
की जगह यहाँ ‘ यन्दः ’ पद का परिवर्तन पाया जाता है । परन्तु इन  
मन्त्रों से पहले ‘ ततोऽपि मुकुलितकरकुह्मलः सन् ’ और  
‘इत्युच्चार्य’ के मध्य का जो मंत्र पाठ है वह ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार में  
निम्न प्रकार से दिया हुआ है: -

ॐ नमोहंते शीशांतिनाथाय शांतिकराय सर्वं शांतिर्भवतु लाहा । \*

\* इस मंत्र में जिन विशेषण पदों को बढ़ाकर इसे ऊपर का रूप दिया गया है उसे सोमसेनजी के उस विशेष कथन का एक नमूना समझना चाहिये जिसकी सूचना उन्होंने अध्याय के अन्त में निम्न पद द्वारा की है—

भी ब्रह्मसूरि द्विजवंश रत्नं भी जैतरांगं प्रतिकुह्मतत्वः ।

शांतु तस्यैव विलोक्य शारमं हनं विशेषाम्भुनिसोमसेनैः ॥

इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट जाना जाता है कि स्तोमसंग्रही इन किया मंत्रों को ऐसे अर्थ मंत्र नहीं समझते थे जिनके अहर अंचेतुले अथवा गिरे चुने होते हैं और जिनमें अङ्गों की कमी वेशी आदि के कारण कितनी ही विडम्बना होजाया करती है अथवा यों कहिये कि यथेष्ट फल संघटित नहीं होसकता । वे शायद इन मंत्रों को इतना साधारण समझते थे कि अपने जैसों को भी उनके परिवर्तन का अधिकारी मानते थे । यही बजह है जो उन्होंने उक्त दोनों मंत्रों में और इसी तरह और भी बहुत से मंत्रों में अपनी इच्छानुसार तबदीली अथवा न्यूनाधिकता की है, जिस सबको यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं है । मंत्रों का भी इस मंथ में कुछ ठिकाना नहीं—अनेक देवताओं के पूजा मंत्रों को छोड़कर, नहाने, धोने, कुल्ला दाँतन करने, खाने, पीने, वस्त्र पहनने, चलने फिरने, उठने बैठने और हगने मूनने आदि बात बात के मंत्र पाये जाते हैं—मंत्रों का एक खेलसा नजर आता है—और उनकी रचना का ढंग भी प्रायः बहुत कुछ सीधा सादा तथा आसान है । ॐ, हीं, अहं स्वाहा आदि दो चार अहर इधर उधर जोड़ कर और कहीं कहीं कुछ विशेषण पद भी साथ में लगाकर संस्कृत में वह बात कहदीर्घी है जिस विषय का कोई मंत्र है । ऐसे कुछ मंत्रों का सारांश यदि हिन्दी में दे दिया जाय तो पाठकों को उन मंत्रों की जाति तथा प्रकृति आदि के समझने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी । अतः नीचे ऐसे ही कुछ मंत्रों का हिन्दी में दिग्दर्शन कराया जाता है—

१ ऊँ हीं, हे यहाँ के क्षेत्रपाल ! क्षमा करो, मुझे मनुष्य जानो, इस स्थान से चले जाओ, मैं यहाँ मल मूत्र का त्याग करता हूँ, स्वाहा ।

२ ऊँ, इन्द्रों के मुकुटों की रत्नप्रभा से प्रदातित पाद पद्म अर्द्ध-न्तमण्डान को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से पैर धोता हूँ, स्वाहा ।

३ ऊँ हीं हीं ... मैं हाथ धोता हूँ, स्वाहा ।

४ ऊँ हीं दर्दीं भूतीं, मैं मुह धोता हूँ, स्वाहा ।

५ ऊँ परम पवित्राय, मैं दन्तधावन (दाँतन कुण्डा) करता हूँ, स्वाहा ।

६ ऊँ हीं श्री कीं एं अहं असिआउसा, मैं स्नान करता हूँ, स्वाहा ।

७ ऊँ हीं, संसार सागर से निकले हुए अहंत भगवान को नमस्कार, मैं पानी से निकलता हूँ, स्वाहा ।

८ ऊँ हीं दर्दीं भूतीं अहं हं सः परम पावनाय, मैं वज्र पवित्र करता हूँ, स्वाहा ।

९ ऊँ, हे श्वेतबर्ण बाली, सर्व उपद्रवों को हरने वाली, सर्व महाजनों का मनोरंजन करने वाली, धोतीं हुपष्टा धारण करने वाली हं अं वं मं सं तं मैं धोतीं हुपष्टा धारण करता हूँ स्वाहा ।

१० ऊँ भूमुखः स्वः असिआउसा, मैं प्राणायाम करता हूँ, स्वाहा ।

११ ऊँ हीं ... , मैं सिरके ऊपर पानी के छुट्टे देता हूँ, स्वाहा ।

१२ ऊँ हीं ... मैं चुच्छू मैं पानी लेता हूँ, स्वाहा ।

१३ ऊँ हीं ... मैं चुच्छू का अमृत (जल) पीता हूँ, स्वाहा ।

१४ ऊँ हीं अहं, मैं किंवाङ खोलता हूँ, स्वाहा ।

१५ ऊँ हीं अहं मैं द्वारपालको (भीतर जाने की) सूचना देता हूँ, स्वाहा ।

१६ ऊँ हीं, अहं, मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा ।

१७ ऊँ हीं, मैं मुख वज्र को उघाइता हूँ, स्वाहा ।

१८ ऊँ हीं, अहं, मैं यागभूमि में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा ।

१९ ऊँ हीं, मैं बाजा बजाता हूँ, स्वाहा ।

२० ऊँ हीं ... मैं पृथ्वी को पानी से धोकर शुद्ध करता हूँ, स्वाहा ।

२१ ऊँ हीं अहं क्षां ठ ठ, मैं दर्मासन विकृता हूँ, स्वाहा ।

२२ ऊँ हीं अहं निस्सही हूँ फट् मैं दर्मासन पर बैठता हूँ, स्वाहा ।

२३ ऊँ हीं हीं हूँ ही हूँ, श्री अहंत भगवान को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से बगतन धोता हूँ, स्वाहा ।

- २४ ऊँ ही अहं... , मैं पूजा के द्रव्य को धोता हूँ स्वाहा ।  
 २५ ऊँ ही अहं...., मैं हाथ जोड़ता हूँ स्वाहा ।  
 २६ ऊँ ही स्वस्त्रये, मैं कलश उठाता हूँ, स्वाहा ।  
 २७ ऊँ ऊँ ऊँ ऊरं रं रं, मैं दर्भ ढालकर आग जलाता हूँ स्वाहा ।  
 २८ ऊँ ही, मैं पवित्र जलसे द्रव्य शुद्धि करता हूँ, स्वाहा ।  
 २९ ऊँ ही, मैं कुश प्रहण करता हूँ, स्वाहा ।  
 ३० ऊँ ही, मैं पवित्र गंधोदक को सिर पर लगाता हूँ, स्वाहा ।  
 ३१ ऊँ ही..., मैं बालक को पालने में झुलाता हूँ, स्वाहा ।  
 ३२ ऊँ ही अहं असिंचाड़सा, मैं बालक को बिठलाता हूँ, स्वाहा ।  
 ३३ ऊँ ही श्री अहं, मैं बालक के कान नाक बीधता हूँ, असि  
 आ उ सा स्वाहा ।

३४ ऊँ मुक्ति शक्ति के देने वाले अहृन्न भगवान को नमस्कार मैं  
 बालक को भोजन कराता हूँ ...स्वाहा ।

३५ ऊँ ..... , मैं बालक को पैर धरना सिखलाता हूँ, स्वाहा ।

**प्रायः** ये सभी मंत्र ब्रह्मसूरि—त्रिवर्णाचार में भी पाये जाते हैं  
 और वहीं से उठाकर यहाँ रखे गये मालूम होते हैं । परंतु किसी २  
 मंत्र में कुछ अद्वयों की कमी बेशी अथवा तबदीली जरूर पाई जाती  
 है और इससे उस विचार को और भी ज्यादा पुष्टि-सिलती है जो ऊपर  
 जाहिर किया गया है । साध ही, यह मालूम होता है कि ये मंत्र जैन-  
 समाज के लिये कुछ अधिक प्राचीन तथा रुढ़ नहीं हैं और न उसकी  
 व्यापक प्रकृति या प्रवृत्ति के अनुकूल ही जान पड़ते हैं । कितने ही  
 मंत्रों की सुष्टि-उनकी वर्दीन कल्पना—भाष्टरकी युग में दुर्ब है और  
 यह बात आये चलकर स्पष्ट की जायगी ।

( ३ ) ३० आशाधर के मंत्रों से भी कितने ही पद, इस त्रिवर्णा-  
 चार में, बिना नाम धाम के संप्रद वित्ते गये हैं । छठे अध्याय में २२

और दसवें अध्याय में १३ पद सागार धर्मामृत से लिये गये हैं। इनमें से छुठे अध्याय के दो पदों को छोड़कर, जिनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, शेष १२ पद ऐसे हैं जो इन अध्यायों में ज्यों के त्वों उठाकर रखे गये हैं। अनगारधर्मामृत से भी कुछ पद लिये गये हैं और आशाधर-प्रतिष्ठापाठ से भी कितने ही पदों का संग्रह किया गया है। छुठे अध्याय के ११ पदों का आशाधर-प्रतिष्ठा पाठ के साथ जो मुकाबला किया गया तो उन्हें ज्यों के त्वों पाया गया। इन पदों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

योग्य कालासनस्थानमुद्ग्राह्वर्त्तशिरोनसिः ।

विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामलं भजेत् ॥१-६३॥

किमिच्छुकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य यः ।

चक्रिभिः कियते सोऽह्याहो कल्पदुमो मतः ॥ ६-७६ ॥

जाती पुण्यसहस्राणि जप्त्वा द्वादश सदृशः ।

विधिनादत्त होमस्य विद्या सिद्धति वर्णिनः ॥ ६-४ ॥

इनमें से पहला पद अनगारधर्मामृत के द्वावें अध्याय का ७८ वाँ, दूसरा पद सागारधर्मामृत के दूसरे अध्याय का २८ वाँ और तीसरा पद आशाधर-प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठासरोदार ) के प्रथमाध्याय का १३ वाँ पद है। प्रतिष्ठापाठ के अगले नं० १४ से २४ तक के पद भी यहाँ एक स्थान पर ज्यों के त्वों उठाकर रखे गये हैं।

अविते मरणे लाभेऽलाभे योगे विपर्यये ।

वर्धवावरौ सुखे दुःखे सर्वदा समता भव ॥ १-६४॥

यह अनगारधर्मामृत के आठवें अध्याय का २७ वाँ पद है। इसका शब्दाचरण यहाँ बदला हुआ है—‘साम्यसेवाभ्युपैम्यहम्’ की जगह ‘सर्वदा समता भव’ ऐसा बनाया गया है। मालूम नहीं इस परिवर्तन की क्या जरूरत पैदा हुई और इसमें कौमसी विशेषता

उत्तरन की ! बहिक नियतकालिक सामाजिक के अनुष्ठान में 'सर्वदा' शब्द का प्रयोग कुछ खटकता चरूर है ।

**मध्यमांसमधुम्युजमेत्पञ्चवीरफलानि च ।**

**अवैतान् गृदिषां मूलगुणान् स्थूलवधाद्विदुः ॥ ६-१६४ ॥**

यह पद्म सागर-धर्मामृत के दूसरे अध्याय के पद्म नं० २ और नं० ३ बनाया गया है । इसका पूर्वार्थ पद्म नं० २ का उत्तरार्थ और उत्तरार्थ पद्म नं० ३ का पूर्वार्थ है । साथ ही 'स्थूलवधादि वा' की जगह यहाँ 'स्थूलवधाद्विदुः' ऐसा परिवर्तन भी किया गया है । सागर-धर्मामृत के उक्त पद्म नं० २ का पूर्वार्थ है 'तत्रादौ अद्य उज्जैनीमाङ्गां हिंसामपासितुं' और पद्म नं० ३ का उत्तरार्थ है 'फलस्थाने स्मरेद्यूनं मधुस्थान इहैव वा ।' ये दोनों पद्म १० वें अध्याय में ज्यों के त्यों उद्घृत भी किये गये हैं और वहाँ पर अष्टमूल गुणों का विशेष रूप से कथन भी किया गया है, फिर नहीं मालूम यहाँ पर यह अष्टमूल गुणों का कथन दोबारा क्यों किया गया है और इससे क्या लाभ निकाला गया । प्रकरण तो यहाँ लाज्य अन अपथत्रा भोजन का था—कोल्हापुर की छुपी हुई प्रति में 'अथ त्याज्या-ज्ञम्' ऐसा उक्त पद्म से पहले लिखा भी है—और उसके लिये इन आठ बातों का कथन उन्हें अष्टमूल गुण की संख्या न देते हुए भी किया जा सकता था और करना चाहिये था—खासकर ऐसी हालत में जब कि इनके लाग का मूलगुण रूप से आगे कथन करना ही था । इसके सिवाय दूसरे 'रागजीववधापाय' \* नामक पद्म में जो परिवर्तन विद्या गया है यह बहुत ही साधारण है । उसमें 'रात्रिभक्त' की जगह 'रात्रौभुक्त' बनाया गया है और यह बिलकुल ही निर्णयक परिवर्तन जान पड़ता है ।

\* यह सागर-धर्मामृत के दूसरे अध्याय का १४ वाँ पद्म है और स्त्रेमसेन-विवर्णाचार के छठे अध्याय में नं० २०१ पर दर्ज है ।

( ३ ) इस प्रथ के दसवें आध्याय में रत्नकरण्ड-श्रावकाचार के 'विषयाशावशातीतो' आदि साठ पद्य तो उयों के त्यों और पाँच पद्य कुछ परिवर्तन के साथ समझ किये गये हैं । परिवर्तित पद्यों में से पहला पद्य इस प्रकार है ।

आष्टांगीः पालितं शुद्धं सम्यक्तं शिवदायकम् ।

न हि मंत्रोऽक्षरन्यूनो निहन्त विष्वेदनाम् ॥ २८ ॥

यह पद्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार के २१ वें पद्य रूपान्तर है । इसका उत्तरार्थ तो वही है जो उक्त २१ वें पद्य का है, परन्तु पूर्वार्थ को ब्रिलकुल ही बदल डाला है और यह तबदीली साहित्य की दृष्टि से बड़ी ही भद्री गालूम होता है । रत्नकरण्ड श्रावकाचार के २१ वें पद्यका पूर्वार्थ है—

नाङ्गहीनमलं छ्रुतं दर्शनं जन्मसन्ततिम् ।

पाठकजन देखें, इस पूर्वार्थ का उक्त पद्य के उत्तरार्थ से कितना गहरा सम्बन्ध है । यहाँ सम्पर्दशन की अंगहीनता जन्मसन्तति को नाश करने में आसमर्थ है और वहाँ उदाहरण में मंत्र की आङ्गरन्यूनता विष्वेदना को दूर करने में अशक्त है—दोनों में कितना साम्य, कितना सादृश्य और कितनी एकता है, इसे बतलाने की ज़रूरत नहीं । परन्तु खेद है कि भट्टाकाजी ने इसे नहीं समझा और इसलिये उन्होंने रत्न के एक टुकड़े को अलग करके उसकी जगह काच जोड़ा है जो ब्रिल-कुल ही बेमेल तथा बेडौल गालूम होता है । दूसरे चार पद्यों की भी प्रायः ऐसी ही हालत है—उनमें जो परिवर्तन किया गया है वह व्यर्थ जान पड़ता है । एक पद्य में तो 'महाकुलाः' की जगह उत्तम-कुलाः' बनाया गया है, दूसरे में 'ज्ञेयं पाखण्डभोहनं' को 'ज्ञेया-पाखण्डभूदता' का रूप दिया गया है, तीसरे में 'स्मयमाहुर्ग-तस्मयाः' की जगह 'श्रीपते तन्मदाष्टकम्' यह चौथा चरण कायम किया गया है और चौथे पद्य में 'दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते'

के स्थान पर 'विद्यन्ते कामदा नित्यम्' यह नवीन पद जोड़ा गया है और इससे मूलका प्रतिपाद्य विषय भी कुछ कम होगया है।

( ४ ) श्रीजिनेसगाचार्यप्रणीत आदिपुराण से भी कितने दी पद उठाकर इस प्रथ में रखे गये हैं, जिनमें से दो पद नमूने के तौर पर इस प्रकार है—

ब्रनचर्यामहं वद्ये क्रियामस्योपविभ्रतः ।

कदद्युरुरः शिरोलैंगमनूचानवतोचितम् ॥ ६-६७ ॥

वस्त्राभरणमाल्यादिग्रहणं गुर्वनुशया ।

शर्खोपजीविवर्घ्यश्चद्वारयेच्छुस्त्रमध्यदः ॥ ६-६८ ॥

इनमें से पहला पद तो आदिपुराण के ३८ वें पर्व का १०६ वाँ पद है—इसके आगे के और भी कई पद ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं और दूसरा उसी पर्व के पद नं० १२५ के उत्तरार्ध और नं० १२६ के पूर्वार्ध को मिलाकर बनाया गया है। पद नं० १२५ का पूर्वार्ध और नं० १२६ का उत्तरार्ध क्रमशः इस प्रकार हैं—

कृतद्विजार्चनस्यास्य व्रतावतरणोचितम् ॥ पृ० १२५ ॥

स्ववृत्तिपरिच्छार्यं शोभार्यं चास्य तदग्रहः ॥ उ० १२६ ॥

गालूम नहीं दोनों पदों के इन अशों को क्यों छोड़ा गया और उसमें क्या लाग सोचा गया। इस व्यर्थ की छोड़ छोड़ तथा काट छूट का ही यह परिणाम है जो यहाँ व्रतावतरण क्रिया के कथन में उस सार्वकालिक व्रत का कथन छूट गया है जो आदिपुराण के 'मध्यमांस परित्यागः' नामक १२३ वें पद में दिया हुआ है \*। और इसलिये

\* 'व्रतावतरणं चेदं' से पहले आदिपुराण का वह १२३ वाँ पद इस प्रकार है—

मध्यमांसपरित्यागः पंचोदुम्यर्वर्जनम् ।

इंसादिविरतिश्चास्य व्रतं स्यात्सार्वकालिकम् ॥

उक्त ८० वें पद से पहले आदिपुराण का जो १२४ वाँ पद उद्भृत किया गया है वह एक प्रकार से बेढ़ंगा तथा असंगत जान पड़ता है । वह पद इस प्रकार है—

ब्रतावतरणं चेदं गुरुसाक्षिकृताच्चनम् ।

ब्रतसरात् डादशादूर्ध्वमथवा योडशात्परम् ॥४-७६ ॥

इसमें 'इदं' शब्द का प्रयोग बहुत खटकता है और वह पूर्वकथन को 'ब्रतावतरण' किया का कथन बतलाता है परन्तु प्रन्थ में वह 'ब्रतचर्या' का कथन है और 'ब्रतचर्यामहं चक्षये' इस ऊपर उद्भृत किये हुए पद से प्रारम्भ होता है । अतः भट्टारकजी की इस काट छूँट और उठाई धर्मी के कारण दो क्रियाओं के कथन में कितना गोलमाल होगया है, इसका अनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं और साथ ही यह जान सकते हैं कि भट्टारकजी काट छूँट करने में कितने निपुण थे ।

( ५ ) श्रीशुभचन्द्राचार्य—प्रणीत 'ज्ञानार्णव' प्रन्थ से भी इस त्रिवर्णाचार में कुछ पदों का संप्रह किया गया है । पहले अध्याय के पाँच पदों को जाँचने से मालूम हुआ कि उनमें से तीन पद तो ज्यों के लिये और दो कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रखते गये हैं । ऐसे पदों में से एक एक पद नमूने के तौर पर इस प्रकार है:—

चतुर्वर्णमयं भञ्जं चतुर्वर्गफलप्रदम् ।

चतुरात्रं जपेद्योगी चतुर्थस्य फलं भवेत् ॥ ७५ ॥

विद्यां पद्मवर्णसंभूतामजद्यां पुण्यशालिनीम् ।

जपन्प्राणुकमर्थेति फलं ध्यानी शतत्रयम् ॥ ७६ ॥

ये दोनों पद ज्ञानार्णव के ३८ वें प्रकरण के पद हैं और वहाँ क्रमशः नं० ५१ तथा ५० पर दर्ज है—यहाँ इन्हें आगे पीछे उद्भृत किया गया है । इनमें से दूसरा पद तो ज्यों का त्यों उठा कर रखा

गया है और पहले पद्य के उत्तरार्थ में कुछ परिवर्तन किये गये हैं—  
‘चतुःशतं’ की जगह ‘चतुरात्रं’, ‘जपन्’ की जगह ‘जपेत्’  
और ‘लभेत्’ की जगह ‘भवेत्’ बनाया गया है। इन परिवर्तनों में से पिछले दो परिवर्तन निरर्थक हैं—उनकी कोई जरूरत ही  
न थी—और पहला परिवर्तन ज्ञानार्थक के मतसे विशद पड़ता है जिसके  
अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है ×। ज्ञानार्थक के अनुसार  
‘चतुरक्षरी मंत्र का चारसौ संहया प्रमाण जप करने वाला योगी एक  
उपवास के फलको पाता है’ परन्तु यहाँ, जाप्य की संहया का कोई  
नियम न देते हुए, चार रात्रि तक जप करने का विधान किया गया  
है और तब कहीं एक उपवास \* का फल होना लिखा है। इससे

× वह प्रतिज्ञा-वाक्य इस प्रकार है—

ध्यानं तावदहं वदामि चिदुषां ज्ञानार्थवे यन्मतम् ।

\* पं० पञ्चालालजी सोनी ने अपने अनुवाद में, “चार रात्रिपूर्वयतं  
जप करें तो उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होती है” ऐसा लिखा है और  
इससे यह जाना जाता है कि आपने उक्त ७५ वें पद्य में प्रयुक्त हुए  
‘चतुर्थ’ शब्दका अर्थ उपवास न समझकर ‘मोक्ष’ समझा है।  
परन्तु यह आपकी बही भूल है—मोक्ष इतना सस्ता है भी नहीं। इस  
परिभाषिक शब्दका अर्थ यहाँ ‘मोक्ष’ ( चतुर्थवर्ग ) न होकर ‘चतुर्थ’  
नाम का उपवास है, जिसमें भोजन की चतुर्थ बेला तक निराहार  
रहना होता है। ७६ वें पद्य में ‘प्रागुक्तं’ पद के द्वारा जिस पूर्व-  
कथित फल का उल्लेख किया गया है उसे ज्ञानार्थक के पूर्ववर्ती पद्य  
नं० ४६ में ‘चतुर्थतपसः फलं’ लिखा है। इससे ‘चतुर्थस्य फलं’  
और ‘चतुर्थतपसः फलं’ दोनों एकार्थवाक्यक पद हैं और वे पूरे  
एक उपवास-फल के घोतक हैं। पं० पञ्चालालजी बाकलीवाल ने भी  
ज्ञानार्थक के अपने अनुवाद में, जिसे उन्होंने पं० अयोद्धजी की

दोनों में परस्पर कितना अन्तर है और उससे प्रतिज्ञा में कहाँतक विरोध आता है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। इस अध्याय में और भी कितने ही कथन ऐसे हैं जो ज्ञानार्थीव के अनुकूल नहीं हैं। उनमें से कुछ का परिचय आगे चलकर वथास्थान दिया जायगा।

( ६ ) एकसंघि भट्टारक की 'जिनसहिता' से भी किनने ही पद्धादिकों का संप्रह किया गया है और उन्हें प्रायः ज्यों का त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर अनेक स्थानों पर रखा गया है। चौथे अध्याय में ऐसे जिन पदों का संप्रह किया गया है उनमें से दो पद नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं—

तीर्थकुद्धणभृच्छेषकेवल्यन्तमहोत्सवे ।

प्राप्य ये पूजनाङ्गत्वं पवित्रत्वमुपागताः ॥ ११५ ॥

ते चयेणि प्रणेतव्या कुण्डेष्वेषु महानयम् ।

गार्दपत्याहवनीयदत्तिग्नाम्निप्रसिद्धया ॥ ११६ ॥

भाषा-टीका का 'अनुकरण मात्र' लिखा है, 'चतुर्थ' का अर्थ अनेक स्थानों पर 'उपवास' दिया है। और प्रायश्चित्त प्रथाओं से तो यह बात और भी स्पष्ट है कि 'चतुर्थ' का अर्थ 'उपवास' है, जैसाकि 'प्रायश्चित्त चूलिका' की श्रीनन्दिगुरुकृत टीका के निम्न वाक्यों से प्रकट है—

'त्रिचतुर्थानि श्रीणि चतुर्थानि त्रय उपवासा इत्यर्थः ।'

'चतुर्थ उपवासः'। इससे सोनीजी की भूल स्पष्ट है और उसे इसलिये स्पष्ट किया गया है जिससे मेरे उक्त लिखने में किसी को भ्रम न हो सके। अन्यथा, उनके अनुवादकी भूलें दिखलाना यहाँ इष्ट नहीं है, भूलों से तो सारा अनुवाद भरा पड़ा है—कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं जिसमें अनुवाद की दसपाँच भूलें न हों—उन्हें कहाँतक दिखलाया जा सकता है। हाँ, मेरे लेखके विषय से जिन भूलोंका खास अथवा गहरा सम्बन्ध होगा उन्हें वथावसर स्पष्ट किया जायगा।

ये दोनों पद्म एकसंघि-जिनसंहिता के ७ वें परिच्छेद में क्रमशः नं० १६, १७ पर दर्ज हैं और वहाँ से उठाकर रखले गये मालूम होते हैं। साथ में आगे पीछे के और भी कई पद्म लिये गये हैं। इनमें से पहला पद्म वहाँ ऊंचों का त्यों और दूसरे में 'महानयम्' की जगह 'महानयः' तथा 'प्रसिद्धया' की जगह 'प्रसिद्धयः' ऐसा पाठ भेद पाया जाता है और ये दोनों ही पाठ ठीक जान पड़ते हैं। अन्यथा, इनके स्थान पर जो पाठ वहाँ पाये जाते हैं उन्हें पद्म के शेष भाग के साथ प्रायः असम्बद्ध कहना होगा। मालूम होता है ये दोनों पद्म संहिता में थोड़े से परिवर्तन के साथ आदिपुराण से लिये गये हैं। आदिपुराण के ४०वें पर्व में ये नं० ८३, ८४ पर दिये हुए हैं, सिर्फ पहले पद्म का चौथा चरण वहाँ 'पूजाङ्गत्वं समाप्ताद्य' है और दूसरे पद्म का पूर्वार्ध है—'कुण्डलये प्रणेतव्याख्य एते महानयः'। इनका जो परिवर्तन संहिता में किया गया है वह कोई अर्थविशेष नहीं रखता—उसे व्यर्थ का परिवर्तन कहना चाहिये।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि यह संहिता विक्रम की प्रायः १३ वीं शताब्दी की बनी हुई है और आदिपुराण विक्रम वीं ८ वीं १० वीं शताब्दी की रचना है।

( ७ ) वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ से भी बहुत से पद्म लिये गये हैं। छठे अध्याय के १६ पदों की जाँच में ११ पद्म ऊंचों के त्यों और = पद्म कुछ बदले हुए पाये गये। इनमें से तीन पद्म नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं—

लक्षणैरपि संयुक्तं विम्बं दण्डिविवर्जितम् ।

न शोभते यतस्तस्मात्कुर्याद् दण्डिप्रकाशनम् ॥ ३३ ॥

अर्थनाशं विरोधं च तिर्यग्वर्षेभ्यं तदा ।

अधस्तात्पुत्रनाशं च भारीमरणमूर्धवक् ॥ ३४ ॥

शोकमुद्गगसन्तापं सदा कुर्यादनक्षयम् ।  
शान्ता सौभाग्यपुष्टार्थशान्तिवृद्धिप्रदानहक् ॥ ३५ ॥

ये तीनों पद बसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठासारसंप्रह ) के चौथे पार्थिवेद के पद हैं और उसमें क्रमशः नं० ७२, ७५, ७६, पर दर्ज हैं । इनमें पहला पद ज्यों का न्यों और शेष दोनों पद कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रखे गये हैं । दूसरे पद में 'हृष्टिर्भयं' की जगह 'हृष्टेर्भयं', 'तथा' की जगह 'तदा' और 'ऊर्ध्वगा' की जगह 'ऊर्ध्वहक' बनाया गया है । और तीसरे पद में 'स्तवधा' की जगह 'सदा' और 'प्रदा भवेत्' की जगह 'प्रदानहक्' का परिवर्तन किया गया है । ये सब परिवर्तन निरर्थक जान पड़ते हैं, 'तथा' की जगह 'तदा' का परिवर्तन भदा है और 'स्तवधा' की जगह 'सदा' के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है । यही बजह है जो पचालालजी सोनी ने, अपने अनुवाद में, स्तवधा दृष्टि के फल को भी ऊर्ध्वदृष्टि के फल के साथ जोड़ दिया है—अर्थात् शोक, उद्गग, सन्ताप और धनक्षय को भी ऊर्ध्वदृष्टि का फल बतला दिया है \* !

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि पहले पदमें जिस हृष्टि-प्रकाशन की प्रेरणा की गई है, जिनविम्ब की वह हृष्टि कैसी होनी चाहिये उसे बतलाने के लिये प्रतिष्ठापाठ में उसने अनन्तर ही निम्नलिखित दो पद और दिये हुए हैं—

नात्यन्नोन्मीलिता स्तवधा न विस्फारितमीलिता ।  
तिर्यगूर्ध्वमधोहृष्टि वर्जयित्वा प्रयत्नतः ॥ ३३ ॥

\* यथा—“(प्रतिमा की) हृष्टि यदि ऊपरको ही सोनी का मरण होता है और वह शोक, उद्गग, सन्ताप और धनक्षय करती है।”

मासामनिहिता शान्ता प्रसन्ना लिर्विकारिका ।

बीतरागस्य मध्यस्या कर्तव्या चोक्तमा तथा ॥ ७४ ॥

मालूम नहीं इन दोनों पदों को सोमसेनजी ने क्यों छोड़ा और क्यों इन्हें दूसरे पदों के साथ उद्धृत नहीं किया, जिनका उद्धृत किया जाना ऐसी हालत में बहुत जल्दी पा और जिनके अस्तित्व के बिना अगला कथन कुछ अधूरा तथा लँझरा सा मालूम होता है। सच है अच्छी तरह से सोचे समझे बिना योही पदों की उठाईधरी करने का ऐसा ही नतीजा होता है।

( ८ ) प्रन्थ के दसवें अध्याय में वसुनन्दश्रावकाचार से छुट और गोमटसार से आठ गायाएँ प्रायः उयों की लों डठाकर रक्खी गई हैं, जिनमें से एक एक गाया नमूने के तौर पर इस प्रकार है—

पुञ्चत गणविदाणं पि मेहुणं सद्वदा विवर्जतो ।

इतिथकहादिणिवस्ती सत्तमं वंभवारी सो ॥ १२७ ॥

चत्तारि वि खेत्ताइ आउगवंधेण होइ सम्पत्तं ।

अणुव्ययमहव्ययाइ ण हवह देवाउगं मोत्तु ॥ ४१ ॥

इनमें से पहली गाया वसुनन्दश्रावकाचार की १२७ नम्बर की और दूसरी गोमटसार की ४४२ नम्बर की गाया है। ये गायाएँ भी किसी पूर्वकथित अर्थ का समर्थन करने के लिये 'उक्तं च' रूप से नहीं दी गई बांकिक वैसे ही अपनाकर भ्रंण का अंग बनाई गई हैं। प्राकृत की और भी कितनी ही गायाएँ इस प्रन्थ में पाई जाती हैं; के सब भी 'मूलाचार' आदि दूसरे प्रन्थों से डठाकर रक्खी गई हैं।

( ९ ) भूपाल कवि-प्रणीत 'जिनचतुर्विशतिका' स्तोत्र के भी कई पद ग्रन्थ में संगृहीत हैं। यहले अध्याय में 'सुसोत्थितेन' और 'श्रीखीखायतनं' चौथे में 'किसखयितंभनस्यं' और 'देव-

‘त्वदंग्नि’ तथा छुठे में ‘स्वामिनश्च’ और ‘हृष्टं धामरसायनस्य’ नाम के पद अयों के त्यों उद्भृत पाये जाते हैं । और ये सब पद उक्त स्तोत्र में क्रमशः नं० १६, १, १३, १६, ३ और २५ पर दर्ज हैं ।

( १० ) सोमदेवसूरि-प्रणीत ‘यशस्तिलक’ के भी कुछ पदोंका संप्रह पाया जाता है, जिनमें से दो पद नमूने के तौरपर इस प्रकार हैं—

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि पद् ।

अष्टौ शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे पञ्चविंशतिः ॥१०-२६॥

अद्वा भक्षिस्तुष्टिर्विश्वानमलुभ्यता क्षमा सत्वम् ।

यत्रैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशुंसन्ति ॥१०-११॥

इनमें से पहला ‘यशस्तिलक’ के छुठे आश्चास का और दूसरा आठवें आश्चास का पद है । पहले में ‘शंकादयश्चेति हृष्टोषाः’ की जगह ‘शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे’ का परिवर्तन किया गया है और दूसरे में ‘शक्तिः’ की जगह ‘सत्वम्’ बनाया गया है । ये दोनों ही परिवर्तन साहित्य वी दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं रखते और न अर्थकी दृष्टि से कोई खास भेद उत्पन्न करते हैं और इसलिये इन्हें व्यर्थ के परिवर्तन समझना चाहिये ।

( ११ ) इसीतरह पर और भी कितने ही जैनग्रन्थों के पद इस त्रिवर्णाचार में फुटकर रूप से इधर उधर संगृहीत पाये जाते हैं, उनमें से दो चार ग्रन्थों के पदोंका एक २ नमूना यहाँ और दिये देता हूँ—

त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विकलं नरस्य ।

तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्ग्रहतोऽर्थकामौ ॥७-४॥

यह सोमप्रभाचार्यकी ‘सूक्तमुक्तावली’ का जिसे ‘सिन्दूरप्रकर’ भी कहते हैं, तीसरा पद है ।

सूक्तमाः स्थूलास्तया जीवाः सन्त्युदुम्बरमध्यगाः ।

तत्रिमित्तं जिनोद्दिष्टं पञ्चोदुम्बरमज्ञनम् ॥ १०-१०४ ॥

यह 'पूर्यगाद-उपासकाचार' का पथ है और उसमें इसका संह्यानम्बर ११ है।

वधादसत्याक्षीर्याच्च कामादु प्रथाजिवर्तनम् ।

पंचकाणुवतं रात्रिभुक्तिः षष्ठमणुवतम् ॥ १०-८५ ॥

यह चामुण्डराय-विरचित 'चरित्रसार' प्रथ के अणुवत-प्रकरण का अन्तिम पथ है।

आन्होमुखेऽवस्थाने च यो द्वे द्वे बटिके त्यजेत् ।

निशामोजनदोपक्षोऽश्रात्यसौ पुण्यमोजनम् ॥ १०-८६ ॥

यह हेमचन्द्राचार्य के 'योगशास्त्र' का पथ है और उसके तीसरे प्रकाश में नं० ६३ पर पाया जाता है। इसमें 'त्यजन्' की जगह 'स्थजेत्' और 'पुण्यभोजनम्' की जगह यहाँ 'पुण्यभोजनम्' बनाया गया है। पथका यह परिवर्तन कुछ अच्छा मालूम नहीं होता। इससे 'सुबह शामकी दो दो घड़ी छोड़कर दिनमें भोजन करनेवाला मनुष्य पुण्यका भाजन (पान) होता है' की जगह यह आशय हो गया कि 'जो सुबह शामकी दो दो घड़ी छोड़ता है वह पुण्य भोजन \* करता है, और यह आशय आथवा कथनका ढंग कुछ समीक्षीन प्रतीत नहीं होता।

आस्तामेतद्यदिव जनर्णो बह्नभां मन्यमाना

निन्द्यां चेष्टां विदधति जना निखपाः पीतमद्याः ।

तथाधिक्यं पथि निपतिता यत्किरत्सारमेयात्

बक्त्रे मूर्चं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिबन्ति ॥ ६-१६७ ॥

यह मध्यपान के दोषको दिखाने वाला पथ पञ्चनन्दि-आचार्य-विरचित 'पञ्चनन्दिपंचविंशति' का २२ वाँ पथ है।

\* पं० पञ्चालालजी सोनी ने भी, अपने अनुवाद में, यही लिखा है कि "यह बुद्ध पुण्यभोजन करता है।"

खयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिगस्यात्मा कथायवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥ १०-७४ ॥

यह पद 'राजवार्तिक' के ७ वें अध्याय में 'उक्तं च' रूप से दिया हुआ है और इसलिये किसी प्राचीन प्रथ का पद जान पड़ता है। हाँ, राजवार्तिक में 'कापायवान्' की जगह 'प्रगादवान्' पाठ पाया जाता है, इतना ही दोनों में अन्तर है।

यह तो ही जैनप्रथों से संप्रह की बात, और इसमें उन जैनविद्वानों के वाक्यसंप्रह का ही दिग्दर्शन नहीं हुआ जिनके प्रथों को देखकर उनके अनुसार कथन करने की—न कि उनके शब्दों को उठा कर प्रथ का अंग बनाने की—प्रतिज्ञाएँ अथवा सूचनाएँ की गई थीं बल्कि उन जैन विद्वानों के वाक्यसंप्रह का भी दिग्दर्शन होगया जिनके वाक्यानुसार कथन करने की बात तो दूर रही, प्रथ में उनका कहीं नामोङ्गेख तक भी नहीं है। नं० ६ के बाद के सभी उल्लेख ऐसे ही विद्वानों के वाक्य—संप्रह को लिये हुए हैं।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि इस संपूर्ण जैनसंप्रह में ब्रह्मसूरि—त्रिवर्णाचार जैसे दो एक समकक्ष प्रथों को छोड़कर शेष प्रथों से जो कुछ संप्रह किया गया है वह उस क्रियाकांड तथा विचारसमूह के साथ प्रायः कोई खास नेतृ अथवा सम्बन्धविशेष नहीं रखता जिसके प्रचार अथवा प्रसार को लक्ष्य में रखकर ही इस त्रिवर्णाचार का अवलाभ हुआ है और जो बहुत कुछ दूषित, ब्रुटिपूर्ण तथा आपत्ति के घोग्य है। उसे बहुधा त्रिवर्णाचार के मूल अभिप्रेतों या प्रधानतः प्रतिपाद्य विषयों के प्रचारादि का साधनमात्र समझना चाहिये अथवा यो कहना चाहिये कि वह खोटे, जाली तथा अल्प मूल्य सिक्कों को चलाने के लिये उनमें खोरे, पैर जाली तथा बहुमूल्य सिक्कों का समिश्रण है और कहीं कहीं मुलम्बे का काम भी देता है, और इसलिये एक प्रकार का घोखा है।

इस घोषे से सावधान करने के लिये ही यह परीक्षा की जारी है और यथार्थ वस्तुस्थिति को पाठकों के सामने रखने का यत्त्र किया जाता है। अस्तु।

अब उस संप्रह की भी बानगी लीजिये जो अजैन विद्वानों के मंथों से किया गया है और जिसके विषय की न कहीं कोई प्रतिक्षा और न तत्सम्बंधी विद्वानों के नागादिक की कहीं कोई सूचना ही मंथ में पाई जाती है। प्रत्युत इसके, जैनसाहित्य के साथ मिलाकर अथवा जैनाचारों के बाक्यानुसार बतलाकर, उसे भी जैनसाहित्य प्रकट किया गया है।

### अजैन ग्रंथों से संग्रह ।

( १२ ) अजैन विद्वानों के मंथों से जो विशाल संप्रह भट्टारकजी ने इस मंथ में किया है—उनके सैंकड़ों पद-वाक्यों को ये कात्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर रखा है—उस सबका पूरा परिचय यदि यहाँ दिया जाय तो लेख बहुत बढ़ जाय, और सुके उनमें से कितने ही पद-वाक्यों को आगे चलकर, विशद् कथनों के अवसर पर, दिखलाना है—वहाँ पर उनका परिचय पाठकों को मिलेगा ही। अतः यहाँ पर नमूने के तौर पर, कुछ योंडे से ही पदों का परिचय दिया जाता है:—

सन्तुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैभुवम् ॥ ८-४६ ॥

यह पद, जिसमें भार्या से भर्तीर के और भर्तीर से भार्या के नित्य सन्तुष्ट रहने पर कुल में सुनिश्चित रूप से बल्याण का विधान किया गया है, 'मनु' का बचन है, और 'मनुस्मृति' के तीसरे अध्याय में नं० ६० पर दर्ज है। वहीं से ये कात्यों का त्यों उठाकर रखा गया मालूम होता है।

मांत्रं भौमं तथाऽग्नेयं वायव्यं विव्यमेव च ।

वायव्यं मानसं वैव सप्तस्त्वानान्यनुकमात् ॥ ९-५२ ॥

इस श्लोक में ज्ञान के सात भेद बतलाये गये हैं—मन्त्र ज्ञान, भूमि ( पृथिका ) स्नान, अग्नि ( भरम् ) स्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान तथा मानसस्नान—और यह ' योगि याज्ञवल्क्य ' का वचन है। बिहुलात्मजनारायण कृत 'आन्दिकसूत्रावलि' में तथा श्रीबैङ्गठनाथ-रचित 'स्मृतिरत्नाकर' में भी इसे योगियाज्ञवल्क्य का वचन बतलाया है और 'शब्द कल्पद्रुम' कोश में भी 'स्नान' शब्द के नीचे यह उन्हीं के नाम से उद्धृत पाया जाता है।

सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजास्वलाः ।  
तासां तटे न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥ ७८ ॥  
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रातः स्नाने तथैव च ।  
चन्द्रसूर्यप्रद्वे चैव रजो दोषो न विद्यते ॥ ७९ ॥  
धनुस्सहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते ।  
न ता नद्यः समाख्याता गर्तास्ताः परिकीर्तिताः ॥ ८० ॥  
—तृतीय अध्याय ।

ये तीनों पथ जरा २ से परिवर्तन के साथ 'कात्यायन स्मृति' से लिये गये मालूम होते हैं और उक्त स्मृति के दसवें खण्ड में क्रमशः नं० ५ ७ तथा ६ पर दर्ज हैं। 'आन्दिक सूत्रावलि' में भी इन्हें 'कात्यायन' ऋषि के वचन लिखा है। पहले पथ में 'मासद्वयं आवणादि' की जगह 'सिंहकर्कटयोर्मध्ये' और 'तासुस्नानं' की जगह 'तासांतटे' बनाया गया है, दूसरे में 'प्रेतस्नाने' की जगह 'प्रातःस्नाने' का परिवर्तन किया गया है और तीसरे में 'नदीशब्दवहाः' की जगह 'नद्यः समाख्याताः' ऐसा पाठ भेद किया गया है। इन चारों परिवर्तनों में पहला और अन्त का दोनों परिवर्तन तो प्रायः कोई अर्थभेद नहीं रखते परन्तु शेष दूसरे और तीसरे परिवर्तन ने बड़ा भारी अर्थभेद उपस्थित कर दिया है। कात्यायन

स्मृतिकार ने, श्रावण भाद्रो में सब नदियों को रजस्वला बतलाते हुए, यह प्रतिपादन किया था कि 'उनमें (समुद्रगमिनी नदियों को छोड़कर) स्नान न करना चाहिये ।' भट्टारकजी ने इसकी जगह, अपने परिवर्तन द्वारा, यह विधान किया है कि 'उनके तट पर न करना चाहिये ।' परन्तु क्या न करना चाहिये, यह उक्त पथ से कुछ जाहिर नहीं होता । हाँ, इससे पूर्व पथ नं० ७७ में आपने तीर्थ तट पर प्राणायाम, आचमन, संध्या, आद्व और पिण्डदान करने का विधान किया है और इसलिये उक्त पथ के साथ संगति मिलाने से यह अर्थ हो जाता है कि ये प्राणायाम आदि की क्रियाएँ रजस्वला नदियों के तट पर नहीं करनी चाहिये—भले ही उनमें स्नान कर लिया जाय । परन्तु ऐसा विधान कुछ समीचीन अथवा सहेतुक मालूम नहीं होता और इसलिये इसे भट्टारकजी के परिवर्तन की ही खबरी समझना चाहिये । तीसरे परिवर्तन की हालत भी ऐसी ही है । स्मृतिकार ने जहाँ 'प्रेतस्नान' के अवसर पर नदी का रजस्वला दोष न मानने की बात कही है वहाँ आपने 'प्रातः स्नान' के लिये रजस्वला दोष न मानने का विधान कर दिया है । स्नान प्रधानतः प्रातःकाल ही किया जाता है, उसीकी आपने खुट्टी देदी है, और इसलिये यह कहना कि आपके इस परिवर्तन ने स्नान के विषय में नदियों के रजस्वला दोष को ही प्रायः उठा दिया है कुछ भी अनुचित न होगा ।

कृत्या यज्ञोपवीतं च पृष्ठतः करण्डलमिष्टतम् ।

विएमूत्रेतु शृङ्गी कुर्यादामकर्णे ब्रतान्वितः ॥ २-२७ ॥

यह 'अंगिरा' अधि की बचत है । 'आनिहकसूत्रावलि' में भी इसे अंगिरा का बचत लिखा है । इसमें 'समाहितः' की जगह 'ब्रतान्वितः' का परिवर्तन किया गया है और वह निर्यक जान पड़ता है । यहाँ 'ब्रतान्वितः' पद यथपि 'शृङ्गी' पद का विशेषण

है और इस क्षेत्र में गृहस्थ के लिये मलमूत्र के ल्याग समव यज्ञोपवीत को बाएँ कान पर रखकर पीठ की तरफ लम्बायमान करने का विधान किया गया है परन्तु पं० पन्नालालजी सोनी ने ऐसा नहीं समझा और इसलिये उन्होंने इस पद्य के विषय को विभिन्न व्यक्तियों (ब्रती-अब्रती) में बाँटकर इसका निम्न प्रकार से अनुवाद किया है—

“गृहस्थजन अपने यज्ञोपवीत (जनेऊ) को गर्दन के सहारे से पीठ पीछे लटकाकर टट्ठी पेशाब करे और ब्रती श्रावक बाएँ कान में लगाकर टट्ठी पेशाब करे ।”

इससे मालूम होता है कि सोनीजी ने यज्ञोपवीत दीक्षा से दीक्षित व्यक्तियों ‘अब्रती’ भी समझा है । परन्तु भगवजिनसेनाचार्य ने तो ‘ब्रताच्छिह्नं दधत्सूत्रं’ आदि वाक्यों के द्वारा यज्ञोपवीत को ब्रतचिह्न बतलाया है तब सर्वथा ‘अब्रती’ के विषय में जनेऊ की कल्पना कैसी ! परन्तु इसे भी छोड़िये, सोनीजी इतना भी नहीं समझ सके कि जब इस पद्य के द्वारा यह विधान किया जारहा है कि ब्रती श्रावक तो जनेऊ को बाएँ कान पर रखकर और अब्रती उसे योंही पीठ पीछे लटका कर टट्ठी पेशाब करे तो फिर अगले पद्य में यह विधान किसके लिये किया गया है कि जनेऊ को पेशाब के समय तो दाहिने कान पर और टट्ठी के समय बाएँ कान पर टाँगना चाहिये । यही बजह है जो आप इन दोनों पद्यों के पारस्परिक विरोध का कोई स्पष्टीकरण भी अपने अनुवाद में नहीं करसके । अस्तु; वह अगला पद्य इस प्रकार है—

भूत्र तु दक्षिणे कर्णे पुरीषे वामकर्णके ।

धारयेद्वाहसूत्रं तु देखुने मस्तके तथा ॥ २८ ॥

इस पद्य का पूर्वार्ध, जो पहले पद्य के साथ कुछ विरोध उत्पन्न करता है, वास्तव में एक दूसरे विद्वान का वचन है । अनिदिक सूत्राच्छिं

में इसे 'आनिहक कारिका' का बचन लिखा है और इसका उत्तरार्थ 'उपबीतं सदा धार्य मैथुने तूपबीतिवत्' दिया है। भट्टारकजी ने उस उत्तरार्थ को 'धारयेद्वामसूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा' के रूप में बदल दिया है। परन्तु इस संप्रह और परिवर्तन के अवसर पर उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जब हम दो विद्वानों के परस्पर मतभेद को लिये हुए वचनों को अपना रहे हैं तो हमें अपने प्रन्थविरोध को दूर करने के लिये कोई ऐसा शब्द प्रयोग साथ में जरूर करना चाहिये जिससे ये दोनों विधिविधान विवरण रूप से समझे जायँ। और यह सहज ही में 'तथा' की जगह 'अथवा' शब्द रखदेने से भी हो सकता था। भट्टारकजी ने ऐसा नहीं किया, और इससे उनकी संप्रह तथा परिवर्तन सम्बन्धी योग्यता का और भी अच्छा परिचय मिल जाता है।

अर्थविहवफलमात्रा प्रथमा मृत्यिका मता ।

द्वितीया तु द्वितीया तु तदर्थार्था प्रकार्तिता ॥ २-५० ॥

शौचे यज्ञः सदा कार्यः शौचमूलो गृही रसूतः ।

शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ २-५४ ॥

अत्यन्तमस्तिनः कार्यो नष्टचिक्षद्वस्त्रम्बन्धतः ।

स्वत्यंव विवारात्रौ प्राप्तः स्नानं विशोधनम् ॥ २-५८ ॥

ये 'दक्षस्मृति' के बाब्य हैं। तीसरा पद दक्षस्मृति के दूसरे अध्याय से ज्यों का लों उठा कर रखा गया है—शब्दविवरण द्वुम कोश में भी उसे 'दक्ष' ज्ञाति का बचन लिखा है। दूसरा पद उक्त स्मृति के पांचवें अध्याय का पद है और उसमें नं० २ पर दर्ज है—स्मृतिरत्नाकर में भी वह 'दक्ष' के नाम से उद्घृत पाया जाता है—उसमें तिर्क 'द्विजः' की जगह 'गृही' का परिवर्तन किया गया है। पहला पद भी चाँचवें अध्यायका ही पद है और उसमें

नं० ७ पर दर्ज है। इस पद में “ प्रसृतिमात्रा तु ” की जगह ‘ विलबकलमात्रा ’, ‘ च ’ की जगह ‘ सु ’ और ‘ तदधर्षा परिकीर्तिता ’ की जगह ‘ तदधर्षा धर्षा प्रकीर्तिता ’ ये परिवर्तन किये गये हैं, जो साधारण हैं और कोई खास महत्व नहीं रखते। यह पद अपने दक्षस्मृति वाले रूप में ही आचारादर्श और शुद्धिविवेक नामके प्रन्थों में ‘ दक्ष ’ के नाम से उल्लेखित मिलता है।

अन्तर्गुहे देवगृहे बलमीके मूषकस्थले ।

कृतशौचाविशेष च न प्राह्णः पञ्चमृतिकाः ॥ २-४५ ॥

यह श्लोक जिसमें शौच के लिये पाँच जगह की मिट्ठी को स्थान्य ठहराया है \* ‘ शातातप ’ ऋषि के निम्न श्लोक को बदल कर बनाया गया गलूम होता है—

अन्नर्जलादेवगृहाद्वलमीकान्मूषकगृहात् ।

कृतशौचस्थलाच्च च न प्राह्णः पञ्चमृतिकाः ॥

यह श्लोक ‘ आन्द्रिक सूत्रावलि ’ में भी ‘ शातातप ’ के नाम से उद्धृत पाया जाता है।

अलाभे दन्तकाष्ठानां निविद्यायां तिथावपि ।

अग्नां द्वादशगणहृष्मुक्षशुद्धिः प्रजायते ॥ २-७३ ॥

यह ‘ व्यास ’ ऋषिका वचन है। स्मृतिरत्नाकर और निर्णय-सिन्धु में भी इसे ‘ व्यास ’ का वचन लिखा है। हाँ, इसके पूर्वार्थ में ‘ प्रतिषिद्धदिनेष्वपि ’ की जगह ‘ निविद्यायां तिथावपि ’ और उत्तरार्थ में ‘ भविष्यति ’ की जगह ‘ प्रजायते ’ ऐसा पाठ भेद यहाँ पर जरूर पाया जाता है जो बहुत कुछ साधारण है और कोई खास अर्थनेद नहीं रखता।

प्रथ के दूसरे अध्याय में गल-मूत्र के लिये निविद्ध स्थानों का वर्णन करते हुए, एक श्लोक निम्न प्रकार से दिया हुआ है—

हस्तकृष्ण जाले विस्त्वां वल्मीके शिरिमस्तके ।

देवाकालये नवीतीरे दर्भेषुष्येषु चाह्वले ॥ २२ ॥

यह 'बौधायन' नाम के एक प्राचीन हिन्दू लेखक का बचन है। स्मृतिरखनाकर में भी यह 'बौधायन' के नाम से ही उद्धृत मिलता है। इसमें 'फालकृष्ण' की जगह यहाँ 'हस्तकृष्ण' और 'दर्भेषुष्येषु' की जगह 'दर्भेषुष्येषु' बनाया गया है, और ये दोनों ही परिवर्तन कोई ख़ास महत्व नहीं रखते—बहिक निरर्थक जान पढ़ते हैं।

प्रभाते मैथुने वैष ग्रस्तावे दक्षतावने ।

स्नाने च भोजने वास्त्वां सप्तमीनं विधीयते ॥ २-३१ ॥

यह पद्य, जिसमें सात अवसरों पर मौन धारण करने की व्यवस्था की गई है—यह विधान किया गया है कि १ प्रातःकाल, २ गैथुन, ३ मूत्र, ४ दन्तधावन, ५ स्नान, ६ भोजन, और ७ वमन के अवसर पर मौन धारण करना चाहिये—'हारीत' ऋषि के उस बचन पर से कुछ परिवर्तन करके बनाया गया है, जिसका पूर्वी 'प्रभाते' की जगह 'उच्चारे' पाठमेद के साथ बिलकुल वही है जो इस पद्य का है और उत्तरार्थ है 'आद्वे (स्नाने) भोजनकाले च षट्सुमीनं समाचरेत्' और जो 'आन्तिक सूत्रावलि' में भी 'हारीत' के नाम से उद्धृत पाया जाता है। इस पद्य में 'उच्चारे' की जगह 'प्रभाते'

\* इस श्लोक के बाद 'मलमूत्रसमीपे' नाम का एक पद्य और भी पंचमूत्तिका के निषेध का है और उसका अन्तिम चरण भी 'न ग्राह्याः पंचमूत्तिकाः' है। यह किसी दूसरे विद्वान की रचना जान पड़ता है।

† 'आद्वे' की जगह 'स्नाने' पेसा पाठमेद भी पाया जाता है। देखो 'शुच्द कल्पहुम'।

का जो स्नास परिवर्तन किया गया है वह बड़ा ही विचित्र रथा विलक्षण जान पड़ता है और उससे मलत्याग के अवसर पर मौन का विधान न रहकर प्रातःकाल के समय मौन का विधान हो जाता है, जिसकी संगति कहीं से भी ठीक नहीं बैठती। मालूग होता है सोनीजी को भी इस पदकी विलक्षणता कुछ खटकी है और इसीलिये उन्होने, पदकी अस्थियत को न पहचानते हुए, यों ही अपने मनगढ़न्त 'प्रभाते' का अर्थ "सामायिक करते समय" और 'प्रस्तावे' का अर्थ "टट्टी पेशाव करते समय" दे दिया है, और इस तरह से अनुचाद की भर्ती द्वारा भट्टारकजी के पद की त्रुटि को दूर करने का कुछ प्रयत्न किया है। परन्तु आपके ये दोनों ही अर्थ ठीक नहीं हैं—'प्रभात' का अर्थ 'प्रातःकाल' है न कि 'सामायिक' और 'प्रस्ताव' का अर्थ 'मूल्य' है न कि 'मल-मूल्य' (टट्टी पेशाव) दोनों। और इसीलिये अनुचाद की इस लीपापोती द्वारा मूल की त्रुटि दूर नहीं हो सकती और न विद्वानों की नज़रों से वह छिप ही सकती है। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि अनुचादकजी में सत्य अर्थ को प्रकाशित करने की कितनी निष्ठा, तत्परता और क्षमता है।

खदिरश्च करञ्जश्च कदम्बश्च घटस्तथा ।

तितिणी वेणुवृक्षश्च निम्य आग्रस्तथैव च ॥ २-६३ ॥

आपामार्गश्च विलवश्च हर्क आमलकस्तथा ।

एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि ॥ २-६४ ॥

ये दोनों पद, जिनमें दौँतन के लिये उत्तम काष्ठ का विधान किया गया है 'नरसिंहपुराण' के वचन हैं। आचारादर्श नामक प्रथ में भी इन्हें 'नरसिंहपुराण' के ही वाक्य लिखा है। इनमें से पहले पद में 'आग्रनिम्बी' की जगह 'निम्य आग्रः' का तथा 'वेणुपृष्ठश्च' की जगह 'वेणुवृक्षश्च' का पाठमेद पाया जाता है, और दूसरे पद

मेरे 'अर्कमोकुन्द्राः' की जगह 'शार्क आमलकः' ऐसा परिवर्तन किया गया जान पड़ता है। दोनों पाठमें साधारण हैं, और परिवर्तित पद के द्वारा उडूम्बर काष्ठ की जगह आँवले की दाँतन का विधान किया गया है।

कुण्डा काशा यवा दूर्षा उशीराश्च कुकुन्द्राः ।

गोधूमा व्रीहयो मुंजा दश दमाः प्रकीर्तिताः ॥ ३-८१ ॥

यह 'गोभिल' ऋषि का वचन है। सृतिरत्नाकर में भी इसे 'गोभिल' का वचन लिखा है। इसमें 'गोधूमाश्च कुकुन्द्राः' की जगह 'उशीराश्च कुकुन्द्राः' और 'उशीराः' की जगह 'गोधूमा' का परिवर्तन किया गया है, जो व्यर्थ जान पड़ता है; क्योंकि इस परिवर्तन से कोई अर्थमें उत्पन्न नहीं होता—सिर्फ दो पदों का स्थान बदल जाता है।

एकपंक्त्युपाधिष्टानां धर्मिणां सहमोजने ।

यथेऽपि त्यजेत्यात्रं शेषैरज्ञं न भुज्यते ॥ ६-२२० ॥

यह पद, जिसमें सहमोजन के अवसर पर एक पंक्ति में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति के भी पात्र छोड़ देने पर शेष व्यक्तियों के लिये भोजन-त्याग का विधान किया गया है, जरा से परिवर्तन के साथ 'पराशर' ऋषि का वचन है और वह परिवर्तन 'विप्राणां' की जगह 'धार्मिणां' और 'शेषमन्त्रं न भोजयेत्' की जगह 'शेषैरज्ञं न भुज्यते' का किया गया है, जो बहुत कुछ साधारण है।

\* यथा:- १ 'मूङ्रं प्रस्तावः'—इति अमरकोशः ।

२ 'प्रस्तावः मूङ्रं'—इति शब्दकल्पहृष्टः ।

३ 'उच्चारपस्त्येत्यादि' उच्चारः पुरीषः प्रस्तवणं मूङ्रं ।

—इति कियाकलापटीकार्या प्रभाष्मन्त्रः ।

आन्दिकसूत्रावलि और स्मृतिरक्षाकर नामके ग्रंथों में भी यह पद 'पराशर' ऋषि के नाम से ही उद्धृत पाया जाता है।

स्वगृहे प्राक्षिरः कुर्याच्छ्रुशुर दक्षिणासुखः ।

प्रत्यङ्गमुखः प्रवासे च न कदाचिदुद्धर्मुखः ॥ ८-२४ ॥

यह पद, जिसमें इस बात का विधान किया गया है कि अपने घर पर तो पूर्व की तरफ सिर करके, सासके घर पर दक्षिण की ओर मुँह करके और प्रवास में पश्चिम की ओर मुँह करके सोना चाहिये तथा उत्तर की तरफ मुँह करके कभी भी न सोना चाहिये—थोड़े से परिवर्तनों के साथ—'वर्ग' ऋषि का वचन है। आन्दिकसूत्रावलि में इसे गर्ग ऋषि के नाम से जिस तरह पर उद्धृत किया है उससे मालूम होता है कि यहाँ पर इसमें 'शेते श्वाशुर्ये' की जगह 'कुर्याच्छ्रुशुरे' का, 'प्राक्षिरः' की जगह 'प्राक्षिरः' का, 'तु' की जगह 'च' का और पिछ्ले तीनों चरणों में प्रयुक्त हुए प्रत्येक 'शिराः' पद की जगह 'मुखः' पद का परिवर्तन किया गया है। और यह सब परिवर्तन कुछ भी महत्व नहीं रखता—'शेते' की जगह 'कुर्यात्' की परिवर्तन भदा है और 'शिराः' पदों की जगह 'मुखः' पदों के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। किसी दिशा की ओर सिर करके सोना और बात है और उसकी तरफ मुँह करके सोना दूसरी बात है—एक दूसरे के विपरीत है। मालूम होता है भट्टारकजी को इसकी कुछ खबर नहीं पड़ी। परन्तु सोनीजी ने खबर ज़रूर लेली है। उन्होंने अपने अनुबाद में मुख की जगह सिर बनाकर उनकी त्रुटि को दूर किया है और इस तरह पर सर्वसाधारण को अपनी सत्यार्थ-प्रकाशकता का परिचय दिया है।

रात्रोदय समुत्पन्नं मृते रजसि सूतके ।

पूर्वमेव दिनं प्राणं याच्छ्रोदेति वै रविः ॥ १३-६ ॥

यह पद्म, 'नोदेति वे' की जगह 'नोदयते' पाठ भेद के साथ, 'कशयप' शृंखि का वचन है। याङ्गबल्क्यस्मृति की 'मिताक्षरा' टीका में भी, 'यथाह कशयपः' वाक्य के साथ, इसे 'कशयप' शृंखि का वचन सूचित किया है।

पूर्वमायुः परीक्षेत पञ्चालज्ञणमेष्व च ।

आयुर्हीनजनानां च लक्षणैः किं प्रयोजनम् ॥ ११-८॥

यह 'सामुद्रक' शास्त्र का वचन है। शब्दकल्पद्रुम कोश में इसे किसी ऐसे सामुद्रक शास्त्र से उद्भृत किया है जिसमें श्रीकृष्ण तथा महेश का संवाद है और उसमें इसका तीसरा चरण 'आयुर्हीनं नराणां चेत्' इस रूप में दिया हुआ है।

महानद्यान्तरं यत्र गिरिर्द्वी व्यवधायकः ।

बाचो यत्र विभिन्नते तदेशान्तरमुच्यते ॥ १३-६६ ॥

यह 'देशान्तर' का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पद 'वृद्धमनु' का वचन है, ऐसा शुद्धिविवेक नामक ग्रंथ से मालूम होता है, जिसमें 'वृद्धमनुरप्याह' इस वाक्य के साथ यह उद्भृत किया गया है। यहाँ पर इसके चरणों में कुछ क्रम-भेद किया गया है—पहले चरण को तीसरे नम्बर पर और तीसरे को पहले नम्बर पर रखा गया है—बाकी पाठ सब ऊपों का त्यों हैं।

पितरौ चेष्ट्यूनौ स्यातां दूरस्थाऽपि हि बुत्रकः ।

श्रुत्वा तदैनमारभ्य पुत्राणां वशरात्रकम् ॥ १३-७१॥

यह पद, जिसमें माता पिता की मृत्यु के समाचार सुनने पर दूर देशान्तर में रहने वाले पुत्र को समाचार सुनने के दिन से दस दिन का सूतक बतलाया गया है, 'वैठीनसि' शृंखि का वचन है। याङ्गबल्क्यस्मृति की 'मिताक्षरा' टीका में भी, जो एक प्राचीन ग्रंथ है और अदालतों में मान्य किया जाता है, 'इति वैठीनसि स्मरस्यात्'

धार्म के द्वारा इसे 'पैठीनसि' ज्ञानि का बचन सूचित किया है। यहाँ इसका चौथा चरण बदला हुआ है—'दशाहं सूतकी भवेत्' की जगह 'पुञ्चाणां दशाराञ्चकम्' बनाया गया है। और यह तबदीली विलकुल भद्रो जान पड़ती है—'पुञ्चकः' आदि पदों के साथ इन परिवर्तित पदों वा अर्थसम्बन्ध भी कुछ ठीक नहीं बैठता, सासकर 'पुञ्चाणां' पद का प्रयोग तो यहाँ बहुत ही खटकता है—सोनीजी ने उसका अर्थ भी नहीं किया—और वह भद्रारकजी वी योग्यता को और भी अधिकता के साथ व्यक्त कर रहा है।

ज्वराभिभूता या नारी रजसा चेत्परिष्टुता ।  
कथं तस्या भवेत्क्षीरं शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा ॥ ८६ ॥  
घतुर्येऽहनि संप्रते स्पृशेदन्या तु तां स्त्रियम् ।  
स्नात्वा चैव पुनस्तां चै स्पृशेत् स्नात्वा पुनः पुनः ॥ ८७ ॥  
वशाद्वादशकृत्यो वा ह्याचमेष्ट पुनः पुनः ।  
अन्ते च वाससां स्यां गं स्नात्वा शुद्धा भवेत् सा ॥ ८८ ॥

—१३ वाँ अध्याय ।

इन पदों में ज्वर से पीड़ित रजस्वला ली की शुद्धि का प्रकार बतलाया गया है और वह यों है कि ' चौथे दिन कोई दूसरी ली ज्ञान करके उस रजस्वला को छूने, दोबारा ज्ञान करके फिर छूने और इस तरह पर दस या बारह बार ज्ञान करके प्रत्येक ज्ञान के बाद उसे छूने; साथ ही बारबार आचमन भी करती रहे । अन्त में सब कपड़ों का ( जिन्हें रजस्वला ओढ़े पहले अथवा चिढ़ाए हुए हो ) ल्याग कर दिया जाय तो वह रजस्वला शुद्ध हो जाती है' । ये तीनों पद ज्ञानसे परिवर्तन के साथ 'उशना' नामक हिन्दू ज्ञानि के बचव हैं, जिनकी 'सूति' भी 'ओशनस्थधर्मसाक्ष' के नाम से प्रसिद्ध है । याङ्गबूङ्य-स्मृति की मिताक्षरा टीका, शुद्धिविवेक और स्मृतिरक्षकर आदि ग्रन्थों

में भी इन्हे 'उशना' के बचन लिखा है। मिताक्षरा आदि प्रयोगों में इन पदों का जो रूप दिया है उससे मालूम होता है कि पहले पद में सिर्फ़ 'च' की जगह 'चेत्' बनाया गया है, दूसरे का उत्तरार्थ 'सा सचेतावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्' नामक उत्तरार्थ की जगह कायम किया गया है और तीसरे में 'त्यागस्ततः' की जगह 'त्याग स्नाता' का परिवर्तन हुआ है। इन तीनों परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन निरर्थक है और उसके द्वारा पद का प्रतिपाद्य विषय कुछ कम हो जाता है—जा ली ज्वर से पीड़ित हो वह यदि रजस्वला हो जाय तो उसी की शुद्धि का विवान रहता है\* किन्तु जो पहले से रजस्वला हो और पीछे जिसे ज्वर आजाय उसमीं शुद्धि की कोई अवस्था नहीं रहती। 'च' शब्द का प्रयोग इस दोष को दूर कर देता है और वह दोनों में से किसी भी अवस्था की रजस्वला के लिये एक ही शुद्धि का विवान बतलाता है। अत 'च' की जगह 'चेत्' का परिवर्तन यहाँ ठीक नहीं हुआ। दूसरा परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन है और उसके द्वारा सचेत अवगाहन की बात वो छोड़कर उस दूसरी ली के सादा स्नान की बात को ही अपनाया गया है। रहा तीसरा परिवर्तन, वह बड़ा ही चिलक्कण जान पड़ता है, उसके 'स्नाता' पद का सम्बन्ध अतिम 'सा' पद क साथ टॉक नहीं बैठता और 'त्याग' पद तो उसका और भी उपादा खटकता है। हो सकता है, कि यह परिवर्तन कुछ असावधान लेखकों की ही कर्तृत हो; उनके द्वारा 'त्यागस्ततः' का 'त्याग स्नाता' लिखा जाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्यों कि दोनों में अक्षरों की बहुत कुछ समानता है, परतु सोनीजी ने

\* शायद इसीलिये प०० पश्चात्तालं जी सोनी इस पद के अनुवाद में लिखते हैं—' कोई ज्वर से पीड़ित ली (यदि) रजस्वला हो जाय तो उसकी शुद्धि कैसे हो ? कैसी किया करने से वह शुद्ध हो सकती है ?'

‘स्यागं स्नाता’ पाठको ही शुद्ध समझा है—शुद्धिपत्र में भी उसका संशोधन नहीं दिया—और अनुवाद में ‘स्नाता’ पद का सम्बंध उस दूसरी ली के साथ जोड़ दिया है जो ज्ञान करके रजस्वला को छूते। यह सब देखकर बड़ा ही खेद होता है ! आप लिखते हैं—“अन्त में वह स्पर्श करने वाली ली आपने कापङ्क भी उतार दे और उस रजस्वला के कापङ्क भी उतार दे और ज्ञान करले ।” समझ में नहीं आता, जब उस दूसरी ली को अन्त में भी आपने कापङ्क उतारने तथा ज्ञान करने की चर्चात बाकी रह जाती है और इस तरह पर बढ़ उस अंतिम ज्ञान से पहले अशुद्ध होती है तो उस अशुद्धा के हारा रजस्वला की शुद्धि कैसे हो सकती है । सोनीजी ने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वैसे ही खीचनान कर ‘स्नाता’ पद का सम्बंध उस दूसरी ली के साथ जोड़ दिया है जिसके साथ पद्य में उसका कोई सम्बंध ठीक नहीं बैठता । और इसलिये यह परिवर्तन यदि भट्टारकजी का ही किया हुआ है तो इससे उनकी योग्यता की और भी अच्छी कालई खुल जाती है ।

यहाँ तक के इस सम्पूर्ण प्रदर्शन से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रथा, जैसा कि लेखारम्भ में जाहिर किया गया था, वास्तव में एक बहुत बड़ा संग्रह प्रथा है और इमों जैन अजैन दोनों ही प्रकार के विद्वानों के बाक्यों का भागी संग्रह किया गया है—प्रथा की २७०० श्लोक-संख्या में से शायद सौ डेढ़सौ श्लोक ही मुशकिल से ऐसे निकले जिन्हें प्रथकार की स्ततन्त्र रचना कहा जा सके, बाकी सब श्लोक ऐसे ही हैं जो दूसरे जैन-अजैन प्रथों से ऊपर के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रखे गये हैं—अधिकांश पद्य तो इसमें अजैन प्रथों तथा उन जैन प्रथों पर से ही उठा कर रखे गये हैं जो प्रायः अजैन प्रथों के आधार पर या उनकी छाया को लेकर बने हुए हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रथकार ने अपने प्रतिज्ञा-बाक्यों तथा

सूचनाओं के द्वारा जो यह विभास दिलाया था कि ' उसने इस प्रेषण में जो कुछ लिखा है वह तक जिनसेनादि कहों विद्वानों के प्रश्नानुसार लिखा है और जहाँ वहीं दूसरे विद्वानों के प्रश्नानुसार कुछ कथन किया है वहाँ पर उन विद्वानों का अध्यवा उनके प्रयोगों का नाम दे दिया है ' यह एक प्रकार का धोखा है । प्रेषकार महाशय ( भद्रारकजी ) अपनी प्रतिज्ञाओं तथा सूचनाओं का पूरी तौर से निर्वाह नहीं कर सके और न वैसा करना उन्हें इष्ट था, ऐसा जान पढ़ता है—उन्होंने दो चार अपवादों को-छोड़ कर कहाँ भी दूसरे विद्वानों का या उनके प्रयोगों का नाम नहीं दिया और न प्रेषण का सारा कथन ही उन जैन विद्वानों के वाक्यानुसार किया है जिनके प्रयोगों को देख कर कथन बरने की प्रतिज्ञाएँ की गई थीं; बल्कि बहुतसा कथन अजैन प्रयोगों के आधार पर, उनके वाक्यों तक वो उद्धृत बरके, किया है जिनके अनुसार कथन करने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी । और इसलिये यह कहना कि ' भद्रारकजी ने जान छूझ कर अपनी प्रतिज्ञाओं का विरोध किया है और उसके द्वारा पश्चिमिक को धोखा दिया है ' कुछ भी अनुचित न होगा । इस प्रकार के विरोध तथा धोखे का कुछ और भी स्पष्टीकरण ' प्रतिज्ञादि-विरोध ' नाम का एक अलग शार्षक के नीचे किया जावेगा ।

यहाँ पर मैं सिर्फ़ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भद्रारकजी ने दूसरे विद्वानों के प्रयोगों से जो यह बिना नाम धाम का भागी संप्रह करके उसे अपने प्रयोगों में निवद्ध किया है—' उक्त च ' \* आदि रूप से भी नहीं रखा—और इस तरह पर दूसरे विद्वानों की कृतियों को अपनी कृति अध्यवा रखना प्रकट करने का साहस किया है वह

\* प्रेषण में दस पाँच पद्धों को जो ' उक्त च ' आदि रूप से दे रखा है उनका यहाँ पर प्रहल नहीं है ।

एक बड़ा ही निष्ठ तथा नीच कर्म है। ऐसा जघन्य आचरण करने वालों को श्रीमोभदेवसूरि ने 'काव्यचोर' और 'पातकी' लिखा है। यथा:—

कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रायादर्त ताः पुनरीक्षमाणः।  
तथैव जलेषदथ योऽन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च ॥

—यशस्तिलक ।

श्री अजिनसेनाचार्य ने तो दूसरे काव्यों के सुन्दर शब्दार्थों की छाया तक हटने वाले वाचि को 'चोर' (पश्यतोहर) बतलाया है। यथा:—

अन्यकाव्यसुशब्दार्थङ्गायां नो रचयेत्कविः।  
स्वकाव्यं स्वेऽन्यथा लोके पश्यतोहरतामटेत् ॥६५॥

—अलङ्कारचिन्तामणि ।

ऐसी हालत में गठारक सोगमेनजी इस कलंक से किमी तरह भी मुक्त नहीं हो सकते। वे अपने प्रथ की इस स्थिति में, उक्त आचार्यों के निर्देशानुसार, अवश्य ही 'काव्यचोर' और 'पातकी' कहलाये जाने के योग्य हैं और उनकी गणना तस्कर लेखनों में की जानी चाहिये। उन्हे इस कलंक से बचने के लिये कमसे कम उन पद-वाक्यों के साथ में जो व्यों के त्वयों उठाकर रक्खे गये हैं उन विद्वानों अथवा उनके प्रन्थों का नाम जरूर देदेना चाहिये या जिनके वे वचन थे; जैसा कि 'आचारादर्श' और 'मिताद्वरा' आदि प्रन्थों के कर्ताओं ने किया है। ऐसा करने से प्रथ का महत्व कम नहीं होता किन्तु उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है। परन्तु भट्टारकजी ने ऐसा नहीं किया और उसके दो खास कारण जान पड़ते हैं—एक तो यह कि, वे हिन्दू धर्म की बहुतसी बातों को प्राचीन जैनाचार्यों अथवा जैनविद्वानों के नाम से जैनसमाज में प्रचारित करना चाहते

थे और यह बात अजैन विद्वानों के बाक्यों के साथ उत्तमा अथवा उनके ग्रन्थों का नाम देदेने से नहीं बन सकती थी, जैसी जन उसे मान्य न करते। दूसरे यह कि, वे मुक्त में अल्प परिश्रण से ही काव्य-कीर्ति भी कमाना चाहते थे—दूसरे कवियों की कृतियों को अपनी कृति प्रकट करके, सहज ही में एक अच्छे कवि का पद तथा सम्मान प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी—और वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी यदि सभी उद्धृत पद-बाक्यों के साथ में दूसरे विद्वानों के नाम देदिये जाते। तब तो आपकी निजकी कृति प्रायः कुछ भी न रहती अथवा यों कहिये कि गहत्वशून्य और तेजोहानसी दिखलाई पड़ती। अतः मुख्यतया इन दोनों चित्तवृत्तियों से अभिभूत होकर ही आप ऐसा हीनाचरण करने में प्रवृत्त होते हैं, जो एक सत्कवि के लिये कभी शोभा नहीं देता, बल्कि उलटा लज्जा तथा शर्म का स्थानक होता है। शायद इस लज्जा तथा शर्म को उतारने या उसका कछु परिगार्जन करने के लिये ही भट्टारकजी ने मन्थ के अन्त में, उसकी समाप्ति के बाद, एक पद निम्न प्रकार से दिया है—

श्लोका येऽत्रपुरातना विलिखिना अस्माभिरन्वर्यत—  
स्तंदीपा इव सत्सु काव्यरचना मुदीपथने परम् ।  
नाना शास्त्रमनान्तरं यदि नवं प्रायोऽकरिष्यं त्वहम् ॥  
काशा माऽस्य महस्तदेति सुधियः कवित्यगंवदाः ॥

इस पद से जहाँ यह सूचना मिलती है कि मन्थ में कुछ पुरातन पद भी लिखे गये हैं वहाँ मंथकार का उन पुरातन पदों के सहारे से अपनी काव्यरचना को उद्योगित करने अथवा काव्यकीर्ति कमाने का बहु भाव भी बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। भट्टारकजी पद के पूर्वार्ध में लिखते हैं—‘हमने इस मन्थ में, ब्रकरणानुसार, जिन पुरातन श्लोकों को लिखा है वे दीपक की तरह

सधुरहों के सामने हमारी काव्यरचना को उद्दीपित ( प्रकाशित ) करते हैं'। परन्तु उन्होंने, अपने प्रथम में, जब स्वकीय और परकीय पदों का प्रायः कोई भेद नहीं रखा तब प्रथ के कौन से पदों को 'दीपिक' और कौनसों को उनके द्वारा 'उद्दीपित' समझा जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता। साधारण पाठक तो उन दस पाँच पदों को छोड़कर जिन्हें 'उक्तंच', 'मतान्तरं' तथा 'अन्यमतम्' आदि नामों से उल्लेखित किया गया है और जिनका उक्त संप्रह में कोई खास चिक्र भी नहीं किया गया अथवा ज्यादा से ज्यादा कुछ परिचित पदों को भी उनमें शामिल करके, शेष सब पदों को भट्टारकजी की ही रचना समझने हैं और उन्हीं के नाम से उनका उल्लेख भी करते हुए देखे जाते हैं। क्या यहीं भट्टारकजी की काव्यरचना का सच्चा उद्दीपन है? अथवा पाठकों में ऐसी यज्ञत समझ उत्पन्न करके काव्यकीर्ति का लाभ उठाना इसका एक उद्देश्य है? मैं तो समझता हूँ पिछली बात ही ठीक है और इसीसे उन पदों के साथ में उनके लेखकों अथवा प्रथों का नाम नहीं दिया गया और न दूसरी ही ऐसी कोई सूचना साथ में को गई जिससे वे पढ़ने हीं पुरातन पद समझ लिये जाते। पद के उत्तरार्ध में भट्टारकजी, अपनी कुछ चिन्तासी व्यक्त करते हुए, लिखते हैं—‘यदि मैं नाना शब्दों के मतान्तर की नवीनप्राय रचना करता तो इस प्रथ का तेज पहता—अथवा यह मान्य होता—इसकी मुझे बहाँ आशा थी।’ और फिर इसके अगन्तर ही प्रकट करते हैं—‘इसीलिये कुछ सुधीजन ‘प्रयोगवद्’ होते हैं—प्राचीन प्रयोगों का उल्लेख करदेना ही उचित समझने हैं\*।’

\* पं० पञ्चालालजी सोनी ने इस पद के उत्तरार्ध का अनुवाद बहाँ ही विलक्षण किया है और वह इस प्रकार है—

“ यद्यपि मैंने अनेक शास्त्र और मतों से सार लेकर इस नवीन शास्त्र की रचना की है, उनके सामने इसका प्रकाश पड़ेगा यह आशा

और इस तरह पर आपने अपने को प्रयोगवद ( प्रयोगशादी ) अपना प्रयोगवद की नीतिका अनुमरण करने वाला भी सूचित किया है । हो सकता है गद्वारकजी की उक्त चिन्ता कुछ ठीक हो—वे आपनी स्थिति और कमज़ोरी आदि को आप जानते थे—परन्तु जब उनको अपनी रचना से तेज अथवा प्रभाव पड़ने की बाई आशा नहीं थी तब तो उन्हें दूसरे विद्वानों के वाक्यों के साथ में उनका नाम देदेने की और भी झ़यादा ज़रूरत थी । ऐसी हालत में भी उनका नाम न देना उक्त दोनों कारणों के सिवाय और किसी बातको सूचित नहीं करता । रही 'प्रयोगवद' की नीतिका अनुमरण करने की बात, प्रयोगवद की यह नीति कदापि नहीं होती कि वह दूसरे की रचना को अपनी रचना प्रकट करे । यदि ऐसा हो तो 'काव्यचोर' और 'प्रयोगवद' में फिर कुछ भी अन्तर नहीं रह सकता । वह तो इस बात की बड़ी सावधानी रखता है और इसी में आनन्द मानता है कि दूसरे विद्वान का जो वाक्य प्रयोग उद्धृत किया जाय उसके विषय में किसी तरह पर यह जाहिर कर दिया जाय कि वह असुर किदम्बन का वाक्य है अथवा उसका अपना वाक्य नहीं है । उसकी रचना-प्रणाली ही अलग होती है और वह नहीं, तो भी कितन ही बुद्धिमान नवीन नवीन प्रयोगों को एसंद करते हैं, अतः उनका वित्त इससे अवश्य अनुरंजित होगा ।"

अनुवादकजी और तो क्या, लृडलकार की 'अकरिष्यं' किया का अर्थ भी ठीक नहीं समझ सके । तब 'इतिसुधियः केचित्प्रयोगवदाः' का अर्थ समझना तो उनके लिये दूर की बात थी । आपन पुरानन पद्मास्तरण के समर्थन में नवीन नवीन प्रयोगोंको एसंद करने की बात तो खूब कही !! और 'उनका वित्त इससे अवश्य अनुरंजित होगा' इस अन्तिम वाक्यावनार ने तो आपके प्रश्न के द्वारा दिया !!!

दूसरों के प्रयोगों को बदल कर रखने की ज़रूरत नहीं समझता और न अपने को उसका अधिकारी ही मानता है। सोमसेनजी की स्थिति ग्रन्थ पर से ऐसी मालूम नहीं होती, वे इस विषय में प्रायः कुछ भी सावधान नज़र नहीं आते, उन्होंने सैकड़ों पुरातन पद्धों को बिना ज़रूरत ही बदल डाला है और जिन पद्धों को उन्होंने कात्यों का त्यों उठाकर रखा है उनके विषय में प्रायः कोई सूचना ऐसी नहीं कि जिससे वे दूसरे विद्वानों के वाक्य समझे जायें। साथ ही, ग्रन्थ की रचना—प्रणाली भी ऐसी मालूम नहीं होती जिसे प्रायः ‘प्रयोगंवद्’ वीं नीतिका अनुसरण करने वाली कहा जा सके ॥ १ ॥ ऐसी डालत में इस पद्ध द्वारा जिन बातों की सूचना की गई है वे काव्यचोरी के उक्त कलक को दूर करने के लिये किसी तरह भी समर्थ नहीं हो सकतीं। उन्हें प्रायः दौँग मात्र सुमझना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि वे पछे से कुछ शर्म सी उतारने अथवा अपने दृष्टकर्म पर एक प्रकार का पर्दा डालने के लिये ही लिखी गई हैं। अन्यथा, विद्वानों के समक्ष उनका कुछ भी मूल्य नहीं है।

‘ग्रन्थ में एक जगह कलौं तु पुनरुद्धाहं वर्जयेदिनिगालबः’ ऐसा लिखा है। यह वाक्य वेशक प्रयोगंवद् की नीतिका अनुसरण करने वाला है—इसमें ‘गालब’ शृंखि के वाक्य का उनके नाम के साथ उल्लेख है। यदि सारा ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ का अधिकांश भाग इस तरह से भी लिखा जाता तो वह प्रयोगंवद् की नीति का एक अच्छा अनुसरण कहलाता। और तब किसी को उपर्युक्त आपसि का अवसर नहीं न रहता। परन्तु ग्रन्थ में, दो चार उदाहरणों को छोड़कर, इस प्रकार की रखना का प्रायः सर्वत्र अमाव है।

## प्रतिज्ञादि-विरोध ।

वह त्रिवर्णाचार अनेक प्रकार के विरुद्ध तथा अनिष्ट कथनों से भरा हुआ है । प्रथके सप्रहत्व आदि का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं उन्हीं को लेता हूँ और उनमें भी सब से पहले उन कथनों का दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा आदि के विरोध को लिये हुए हैं । इस सब दिग्दर्शन से प्रथ की रचना, तरतीब, उपयोगिता और प्रमाणता आदि विषयों की और भी कितनी ही बातें पाठकों के अनुभव में आजाएँगी और उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम पड़ जायगा कि इस प्रथ में किनना धोखा है, किनना जाल है और वह एक मान्य जैन प्रथ के तौर पर स्वीकार किये जाने के लिये कितना अयोग्य है अथवा अधिक आपत्ति के योग्य है: —

( १ ) भट्टारक सोमसेनजी ने, प्रन्थ के शुरू में, ‘ यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः ’ नामक पथ के द्वारा जिन विद्वानों के प्रन्थों को देख कर—उनके बचनानुसार—प्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा की है उनमें ‘ जिनसेनाचार्य ’ का नाम सब से प्रथम है और उन्हें आपने ‘ योग्यगणी ’ भी, सूचित किया है । इन जिनसेनाचार्य का बनाया हुआ एक ‘ पुराण ’ प्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है जिसे ‘ आदि-पुराण ’ अथवा ‘ महापुराण ’ भी कहते हैं और उसकी गणना बहुमान्य आर्थ प्रन्थों में की जाती है । इस पुराण से पहले का दूसरा कोई भी पुराण प्रन्थ ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें गर्भाधानादिक क्रियाओं का संक्षेप अथवा विस्तार के साथ कोई खास वर्णन दिया हो । यह पुराण इन क्रियाओं के लिये खास तौर से प्रसिद्ध है । भट्टारकजी ने प्रन्थ के आठवें अध्याय में इन क्रियाओं का वर्णन आरम्भ करते हुए, एक प्रतिज्ञा वाक्य निम्न प्रकार से दिया है—

गर्भाधानादयो भव्याभिर्विश्रुतसुकिया मताः ।

बद्येऽधुना पुराणे तु याः प्रोक्ता गणिभिः पुरा ॥३॥

इस वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है कि 'ग्रांचीन आचार्य महोदय (जिनसेन) ने पुराण (आदिपुराण) में जिन गर्भाधानादिक ३३ क्रियाओं का कथन किया है उन्हीं का मैं अब कथन करता हूँ'। यहाँ बहुवचनान्त 'गणिभिः' पदका प्रयोग वही है जो पहले प्रतिज्ञा-वाक्य में जिनसेनाचार्य के लिये उनके सम्मानार्थ किया गया है और उसके साथ में 'पुराणे' \* पद का एकवचनान्त प्रयोग उनके उक्त पुराण प्रन्थ को सूचित करता है। और इस तरह पर इस विशेष प्रतिज्ञा-वाक्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस प्रथ में गर्भाधानादिक क्रियाओं का कथन जिनसेनाचार्य के आदिपुराणानुसार किया जाता है। साथ ही, कुछ पद भी आदिपुराण से इस पथ के अनन्तर उद्धृत किये गये हैं, 'व्युष्टि' नामक क्रिया को आदिपुराण के ही दोनों पथों ('ततोऽस्य हायने' आदि) में दिया है और 'ब्रतचर्या' तथा 'ब्रतावतरण' नामक क्रियाओं के भी कितने ही पथ ('ब्रतचर्यामहं चद्ये' आदि) आदिपुराण से ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी इन क्रियाओं का अविकाश कथन आदिपुराण आथवा भगवजिनसेनाचार्य के बचनों के विरुद्ध किया गया है, जिसका कुछ खुलासा इस प्रकार है:—

\* पं० पञ्चालालजी सोनीने 'पुराणे' पद का जो बहुवचनान्त अर्थ "शास्त्रों में" ऐसा किया है, वह ठीक नहीं है। इसी तरह 'गणिभिः' पद के बहुवचनान्त प्रयोग का आशय भी आप ठीक नहीं समझ सकेंगे और आपने उसका अर्थ "महर्विद्यों ने" दे दिया है।

( क ) लालचिनसेन ने गर्भाधानादिक क्रियाओं की सख्ता ५३ दी है और साथ ही निम्न पद द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि गर्भाधान से लेकर निर्बाण तक की ये ५३ क्रियाएँ परमागम में 'गर्भान्वय क्रिया' मानी गई हैं—

ब्रयपंचाश्रवेता हि भता गर्भान्वयक्रिया ।

गर्भाधानादिक्रियाणुपर्यन्ता परमागमे ॥

पर तु जिनसन के वचनानुसार कथन करने की प्रतिष्ठा से बैधे हुए भट्टारकजी उक्त क्रियाओं की सख्ता ३३ बतलाते हैं और उन्होंने उन ३३ के जो नाम दिये हैं वे सब भी वे ही नहीं हैं जो आदिपुराण की ५२ क्रियाओं में पाय जाते हैं । यथा —

आधान प्रीति सुप्रीतिर्घृनिमोद प्रियोद्भव ।

नामकर्म अद्विर्यान निषद्या प्राशने तथा ॥ ४ ॥

च्युषिष्ठ केशवापद्म लिपिस्स्थानसप्रह ।

उपनीतिर्वतचर्या व्रतावतरण तथा ॥ ५ ॥

विवाहो वर्णलाभपद्म कुलचर्या गृहीशिता ।

प्रशान्तिश्च गृहत्यागो दीक्षाद्य जिनरूपता ॥ ६ ॥

मूलकस्य च स्तस्कारो निर्धाण पिण्डवानकम् ।

आद्व च सूतकहृते प्रयशिक्षां तथैव च ॥ ७ ॥

तीर्थयात्रेति कविता छार्णिशत्संख्या क्रिया ।

अथार्णिशत्स घर्मस्य देशनार्थ्या विशेषत ॥ ८ ॥

इनमें से पहले तीन पद तो आदिपुराण के पद हैं और उनमें गर्भाधान को आदि लेकर २४ क्रियाओं के नाम दिये हैं, बाकी के दो पद भट्टारकजी की प्रायः अपनी रचना जैसे पढ़ते हैं और उनमें ६ क्रियाओं के नाम देकर तेहीस क्रियाओं की पूर्ति की गई है । और यहीं से प्रकृत विषय के विरोध अथवा क्लूज का आरम्भ हुआ है । इन

६ क्रियाओं में, 'निर्वाण' क्रिया को छोड़कर, मृतक संस्कार, पिण्डदान, आदि, दोनों प्रकार के सूतक ( जननाशौच, मृताशौच ), प्रायश्चित्त, तीर्थयात्रा और धर्मदेशन। नाम की ८ क्रियाएँ ऐसी हैं जो आदिपुराण में नहीं हैं। आदिपुराण में उक्त २४ क्रियाओं के बाद 'मौनाध्ययनत्व' आदि २६ क्रियाएँ और दी हैं और उनमें अन्तिम क्रिया 'निर्वृति' अर्थात् निर्वाण बतलाई है। और इसीसे ये क्रियाएँ गर्भाधानादि निर्वाणान्त' कहलाती हैं। भगवज्जिनसेन ने इन गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की ५३ क्रियाओं को 'सम्यक् क्रिया' बतलाया है और उनसे भिन्न इस संग्रह की दूसरी क्रियाओं को अथवा 'गर्भाधानादि रमशानान्त' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों \* की क्रियाओं को मिथ्या क्रिया ठहसाया है। यथा:—

\*हिन्दुओं की क्रियाएँ 'गर्भाधानादिरमशानांत' नाम से प्रसिद्ध हैं, यह बात 'याज्ञबलक्यस्मृति' के निम्न वाक्य से रणष्ट है—

व्रह्मशशियविद्शुद्धा वर्णास्त्वाद्याख्यो द्विजाः ।

निषेकाद्याः शमशानान्तास्तपां वै मंत्रनः क्रियाः ॥ १० ॥

भट्टारकजी ने अपनी ३३ क्रियाएँ जिस क्रम से यहाँ ( उक्त पद्धों में ) दी हैं उसी क्रम से उनका आगे कथन नहीं किया, 'मृतक संस्कार' नाम की क्रिया को उन्होंने सब के अन्त में रखा है और इसलिये उनकी इन क्रियाओं को भी 'गर्भाधानादिरमशानांत' कहना चाहिये। यह दूसरी बात है कि उन्हें अपनी क्रियाओं की सूची उसी क्रम से देनी नहीं आई, और इसलिये उनके कथन में क्रम-विरोध हो गया, जिसका कि एक दूसरा नमूना 'बतावतरस' क्रिया के बाद 'सिद्धाद' को न देकर 'प्रायश्चित्त' का देना है।

किया गर्भादिका यास्ता निर्वाणान्ता पुरोदितः ।

आधानादि इमशानान्ता न ताः सम्यक् क्रियामताः ॥ २५ ॥

—३६ चौं पर्व ।

और इसलिये भट्टारकजी की 'पिण्डदान' तथा 'आद्व' आदि नाम की उक्त क्रियाओं को भगवजिनसेनाचार्य के ब्रह्म विशद ही न समझना चाहिये बल्कि 'मिथ्या क्रियाएँ' भी मानना चाहिये ।

(ख) अपनी उद्दिष्ट क्रियाओं का कथन करते हुए, भट्टारकजी ने गर्भाधान के बाद प्रीति, सुप्रीति, और धृति नाम की क्रियाओं का कोई कथन नहीं किया, जिन्हें आदिपुराण में क्रमशः तीसरे, पाँचवें और सातवें महीने करने का विधान किया है, बल्कि एकदम 'मोद' क्रिया का वर्णन दिया है और उसे तीसरे महीने करना लिखा है । यथा:—

गर्भेस्थिरं ऽथ संजाते मासे तृतीयेके ध्रुवम् ।

प्रमोदेनैव संस्कार्यः क्रियामुख्यः प्रमोदकः ॥ ५२ ॥

परन्तु आदिपुराण में 'नवमे मास्यतोऽभ्यर्थे मोदोनाम क्रियाविधिः' इस बाक्य के द्वारा 'मोद' क्रिया इवं वें महीने करनी लिखी है । और इसलिये भट्टारकजी का कथन आदिपुराण के विशद है ।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि भट्टारकजी ने 'प्रीति' और 'सुप्रीति' नामकी क्रियाओं को 'प्रियोद्भव' क्रिया के साथ पुत्रजन्म के बाद करना लिखा है\* । और साथ ही, सज्जनों में उत्कृष्ट प्रीति करने को 'प्रीति', पुत्र में प्रीति करने को 'सुप्रीति' और देवों में महान् उत्साह फैलाने को 'प्रियोद्भव' क्रिया बतलाया है । यथा:—

\* 'धृति' क्रिया के कथन को आए यहाँ भी छोड़ गये हैं और उसका वर्णन अंथ भर में कही भी नहीं किया । इसी तरह 'तीर्थयात्रा' आदि और भी कुछ क्रियाओं के कथन को आए विस्तृत ही छोड़ दिये अथवा भुलाए गये हैं ।

पुञ्चजन्मनि संजातं प्रीतिसुप्रीतिके किये ।

प्रियोद्भवश्च सोत्साहः कर्तव्यो जातकर्मणि ॥ ६१ ॥

सज्जनेषु परा प्रीतिः पुञ्च सुप्रीतिरुच्यते ।

प्रियोद्भवश्च देवेष्टुष्टसाहस्तु कियते महान् ॥ ६२ ॥

यह सब कथन भी भगवज्जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है—क्रमविरोध को भी लिये हुये है—और इसमें ‘प्रीति’ आदि तीनों क्रियाओं का जो स्वरूप दिया है वह बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। आदिपुराण के साथ उसका कुछ भी गोल नहीं खाना, जैसा कि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है—

गर्भाधानात्परं मासे तृतीये संप्रवर्तते ।

प्रीतिर्नाम किया प्रीतैर्याऽनुष्ठेया द्विजन्मभिः ॥ ७७ ॥

आधानात्परं च मासि किया सुप्रीतिरिप्यते ।

या सुरीर्नैप्रयोङ्कव्या परमोपासकव्रतैः ॥ ८० ॥

प्रियोद्भवः प्रसूतायां जातकर्मविधिः स्मृतः ।

जिनजातकमाध्याय प्रवर्त्यो यो यथाविधि ॥८४॥

—३८ वाँ पर्व ।

पिछले श्लोक से यह भी प्रकट है कि आदिपुराण में ‘जातकर्मविधि’ को ही ‘प्रियोद्भव’ किया बतलाया है। परन्तु भट्टारकजी ने ‘प्रियोद्भव’ को ‘जातकर्म’ से मिन्न एक दूसरी किया प्रतिपादन किया है। यही बजह है जो उन्होंने अध्याय के अन्त में, प्रतिपादित क्रियाओं की गणना करते हुए, दोनों की गणना अलग अलग क्रियाओं के रूप में की है। और इसलिये आपका यह विधान भी जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है।

एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि, भट्टारकजी ने ‘जातकर्म विधि’ में ‘जननाशौच’ को भी शामिल किया है और उसका कथन छह पद्धों में दिया है। परन्तु ‘जननाशौच’ को आपने अलग किया भी बतलाया है, तब दोनों में अन्तर क्या रहा, यह

सोचने की बात है। परंतु अन्तर कुछ रहो गा न रहो, इससे ग्रथ की वेतरतीवी और उसके बेद्धगेयन का हाल कुछ बरुर मालूम हो जाता है।

(ग) 'मोद' किया के बाद, त्रिवर्णाचार में 'पुंसवन' और 'सीमन्त' नाम की दो क्रियाओं का क्रमशः निर्देश किया गया है और इन्हें यथाक्रम गर्भ से पाँचवें तथा सातवें महीने करने का विधान किया है। यथा:—

सद्गुर्भेस्याथ पुष्टयर्थं क्रियां पुंसवनाभिधाम् ।

कुर्वन्तु पंचमे मासि पुमांसः क्षेमभिच्छब्दः ॥६३॥

अथ सप्तमके मासे सीमन्तविधिरुच्यते ।

केशमध्ये तु गर्भिण्याः सीमा सीमन्तमुच्यते ॥७२॥

ये दोनों क्रियाएँ आदिपुराण में नहीं हैं और न महाराकजी की उक्त ३३ क्रियाओं की सूची में ही इनका कहीं नामोद्देख है। फिर नहीं मालूम इन्हें यहाँ पर क्यों दिया गया है! क्या भद्रारकजी को अपनी प्रतिज्ञा, ग्रंथ की तरतीव और उसके पूर्वापर सम्बंध आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा? वैसे ही जहाँ जो जी में आया लिख मारा!! और क्या इसी को ग्रथरचना कहते हैं? वास्तव में ये दोनों क्रियाएँ हिन्दू धर्म की खास क्रियाएँ (संस्कार) हैं। हिन्दुओं के धर्म ग्रंथों में इनका विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। गर्भिणी लीं के केशों में माँग पाइन को 'सीमन्त' क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा वे गर्भ का खास तौर से संस्कारित होना मानते हैं। और 'पुंसवन' क्रिया का अभिप्राय उनके यहाँ यह माना जाता है कि इसके कारण गर्भिणी के गर्भ से लड़का पैदा होता है, जैसा कि मुहूर्तचिंतामणि की पीयूषधारा टीका के निम्न वाक्य से भी प्रकट है—

"पुमान् स्थृतेऽनेन कर्मणेति व्युत्पत्या पुंसवनकर्मणा पुंस्त्वदेतुना ।"

परंतु जैन सिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार के संस्कार से, गर्भ में आई हुई लड़की का लड़का नहीं बन सकता। इसलिये जैन धर्म से इस संस्कार का कुछ सम्बंध नहीं है। भगवद्विजनसेन के वचनानुसार इन दोनों

क्रियाओं को भी विद्या क्रियाएँ समझना चाहिये । मालूम होता है कुछ विद्वानों ने दूसरों की इन क्रियाओं को किसी तरह पर अपने प्रेषणों में अपनाया है और भट्टारकजी ने उन्हीं में से किसी का यह अध्यात्मनुकरण किया है । अन्यथा, आपकी तेतीस क्रियाओं से इनका कोई सम्बंध नहीं था ।

( घ ) त्रिवर्णाचार में, निर्धन के लिये, गर्भाधान, प्रमोद, सीमंत और पुंसवन नाम की चार क्रियाओं को एक साथ ६ वें महीने करने का भी विधान किया गया है । यथा:—

गर्भाधानं प्रमोदश्च सीमन्तः पुंसवं तथा ।

नवमे मासि चैकष्ट कुर्यात्सर्वतु निर्धनः ॥८०॥

यह कथन भी भगवत्जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है—आदिपुराण में गर्भाधान और प्रमोद नाम की क्रियाओं को एक साथ करने का विधान ही नहीं । यहाँ ‘गर्भाधान’ क्रिया का, जिसमें भट्टारकजी ने ऊंसंभोग का खासतौर से तकसीलवार विधान किया है, ६वें महीने क्रिया जाना बढ़ा ही विलक्षण जान पड़ता है और एक प्रकार का पाखण्ड मालूम होता है । उस समय भट्टारकजी के उस ‘कामयज्ञ’ का रचाया जाना जिसका कुछ परिचय आगे चल कर दिया जायगा, निःसन्देह, एक बड़ा ही पाप कार्य है और किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । स्वयं भट्टारकजी के ‘मासान्तु पञ्चमादूर्ध्वं तस्याः संगं विवर्जयेत्’ इस वाक्य से भी उसका विरोध आता है, जिसमें लिखा है कि ‘पाँचवें महीने के बाद गर्भिणी लों का संग छोड़ देना चाहिये—उससे भोग नहीं करना चाहिये’ । और वैसे भी गर्भ रह जाने के आठ नौ महीने बाद ‘गर्भाधान’ क्रिया का क्रिया जाना गहरा एक दौँग रह जाता है, जो सत्पुरुषों द्वारा आदर किये जाने के योग्य नहीं । भट्टारकजी निर्धनों के लिये ऐसे दौँग का विधान करते हैं, यह आपकी बड़ी ही त्रिचित्र लीला अथवा परोपकार बुद्धि है ! आपकी राय में शायद ये गर्भाधान आदि की क्रियाएँ विपुलबन—साध्य है और उन्हें धनवान लोग ही कर

सकते हैं। परन्तु आदिपुराण से ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता। यहाँ अनेक क्रियाओं का विधान करते हुए 'यथाविभवं' 'यथा विभव-भवापि' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और उससे मालूम होता है कि इन क्रियाओं को सब लोग अपनी अपनी शक्ति और सम्पत्ति के अनुसार कर सकते हैं—धनवानों का ही उनके लिये कोई ठेका नहीं है।

( उ ) भट्टाचार्यजी ने, निम्न पद द्वारा, ब्राह्मण, लक्ष्मिय, वैश्य और शूद्र चारों जातियों के लिये क्रमशः १२ वें, १६ वें, २० वें, और ३२ वें दिन बालक का नाम रखने की व्यवस्था की है—

\* द्वादशे षोडशे विशेषाद्विंशेऽपि च।

नामकर्म स्वजातीनां कर्तव्यं पूर्वमार्गतः ॥ १११ ॥

आपकी यह व्यवस्था भी भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है। आदिपुराण में जन्म दिन से १२ दिन के बाद—१३ वें, १४ वें, आदि किसी भी अनु-कूल दिवस में—नाम कर्म की सबके लिये समान व्यवस्था की गई है और उसमें जाति अथवा वर्णभेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। यथा:—

\* सोनीजी ने इस पद के अनुबाद में कुछ यत्नती खार्इ है। इस पद में प्रयुक्त हुए 'स्वजातीनां' पद और 'अपि' तथा 'च' शब्दों का अर्थ वे टीक नहीं समझ सके। 'स्वजातीनां' पद यहाँ चारों जातियों अर्थात् चारों का बाचक है और 'अपि' समुच्चयार्थ में तथा 'च' शब्द अवधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—विकल्प अर्थ में नहीं। हिन्दुओं के यहाँ भी, जिनका इस प्रथा में प्रायः अनु-स्लरण किया गया है, वर्ण-कर्म से ही नाम कर्म का विधान किया गया है, जैसा कि 'सारसंग्रह' के निम्न वाक्य से प्रकट है जो मु० चिन्तामणि की 'पीयूषधारा' टीका में दिया हुआ है—

पकादशेऽग्निं विमाणां लक्ष्मयाणां चयोदशे ।

वैश्याणां षोडशे नाम मालास्ते शूद्रजन्मनः ॥

द्वावशादात्परं नाम कर्म जन्मदिनान्मतम् ।  
अनुकूले सुनस्यास्य पित्रोरपि सुखावहे ॥ ३८-८७ ॥

( च ) त्रिवर्णाचार में, ' नाम ' क्रिया के अनन्तर, बालक के बान नाक बीधने और उसे पालने में बिठलने के दो मंत्र दिये हैं और इस तरह पर ' कर्णवेधन ' तथा ' आन्दोलारोपण ' नाम की दो नवीन क्रियाओं का विधान किया है, जिनका उक्त इ३ क्रियाओं में कहीं भी नामोद्भेद नहीं है । आदिपुराण में भी इन क्रियाओं का कोई कथन नहीं है । और इसलिये भट्टरकजी का यह विधान भी भगवत्तिज्ञनसेन के विरुद्ध है और उनकी इन क्रियाओं को भी ' मिथ्या-क्रियाएँ ' समझना चाहिये । ये क्रियाएँ भी हिन्दू धर्म की खास क्रियाएँ हैं और उनके यहाँ दो अलग संस्कार माने जाते हैं । मातृम नहीं भट्टरकजी इन दोनों क्रियाओं के सिर्फ मंत्र देकर ही क्यों रह गये और इनका पूरा विधान क्यों नहीं दिया ! शायद इसका यह कारण हो कि जिस प्रथा से आप संप्रह कर रहे हों उसमें क्रियाओं का मंत्र भाग अलग दिया हो और उस पर से नाम क्रिया के मंत्र की नवाल करते हुए उसके अनन्तर दिये हुए इन दोनों मंत्रों की भी आप नकल कर गये हों और आपको इस बात का खयाल ही न रहा हो कि हमने इन क्रियाओं का अपनी तेतीस क्रियाओं में विधान अथवा नामकरण ही नहीं किया है । परन्तु कुछ भी हो, इससे आपके प्रन्थ की अव्यवस्था और बेनरतीवी जरूर पाई जाती है ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार की जो हस्तलिखित प्रति पं० सीताराम शास्त्री की लिखी हुई है उसमें आन्दोलारोपण का मंत्र तो नहीं—शायद कूटगया हो—परन्तु कर्णवेधन का मंत्र जरूर दिया हुआ है और वह नामकर्म के मंत्र के अनन्तर ही दिया हुआ है । लेकिन वह मंत्र इस त्रिवर्णाचार के मंत्र से कुछ भिन्न है, जैसा कि दोनों के निम्नरूपों से प्रकट है—

ॐ ह्रः कर्णनासावेदनं करोमि ॐ स्वाहा ।

—ब्रह्मसूरित्रिवर्णचार ।

ॐ ह्री श्री अहं बालकस्य ह्रः कर्णनासावेदनं करोमि असिष्टाउसा स्वाहा  
—सोमसेनत्रिवर्णचार ।

इससे ब्रह्मसूरित्रिवर्णचार के मंत्रों का आशिक विरोध पाया जाता है और उसे यहाँ बदलकर रखा गया है, ऐसा जान पढ़ता है। इसी तरह पर और भी कितने ही मंत्रों का ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णचार के साथ विरोध है और वह ऐसे मंत्रों के महत्व अथवा उनकी सभी चीनता की और भी कम किये देता है।

( छु ) भट्ठारकजी ने 'अनन्प्राशन' के बाद और 'व्युष्टि' किया से पहले 'गमन' नाम की भी एक क्रिया का विधान किया है, जिसके द्वारा बालक को पैर रखना सिखलाया जाता है। यथा:—

अथास्य नवमे मासे गमनं कारयेति प्रिता ।

गमनोचितनन्त्रेत्र सुवारे शुभयोगके ॥१४०॥

यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है—आदिपुराण की दृष्टि से यह मिथ्या क्रिया है—और इसलिये इसका कथन भी भगवत्तिजनसेन के विरुद्ध है। साथ ही, पूर्वापर-विरोध को भी लिये हुए है; क्योंकि भट्ठारकजी की तेतीस क्रियाओं में भी इसका नाम नहीं है। नहीं मालूम भट्ठारकजी को बारबार अपने कथन के भी विरुद्ध कथन करने की यह क्या भुन समाई थी! जब आप यह बतला चुके कि गर्भाधानादिक क्रियाएँ तेतीस हैं और उनके नाम भी दे चुके, तब उसके विरुद्ध बीच बीच में दूसरी क्रियाओं का भी विधान करते जाना और इस्तरह पर संख्या आदि के भी विरोध को उपस्थित करना चलचित्तता, असमिद्यकारिता अथवा पागलपन नहीं तो और क्या है! इस तरह की प्रहृति निःसन्देह आपकी मन्त्ररचना-सम्बन्धी अयोग्यता को अच्छी तरह से स्वापित करती है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 'लिपि-संस्थानसंप्रह' ( अद्वराभ्यास ) नामक क्रिया के बाद भी एक क्रिया और बढ़ाई गई है और उसका नाम है 'पुस्तकग्रहण' । यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है और न तेतीस क्रियाओं की सूची में ही इसका नाम है । लिपिसंस्थान क्रिया का विधान करते हुए, 'मौजु़ी-बंधनतः पञ्चाच्छाखारंभो विधियिते' इस बाक्य के द्वारा, यथपि, यह कहा गया था कि शास्त्राध्ययन का आरम्भ मौजु़ीबंधन ( उपनयन क्रिया ) के पश्चात् होता है परन्तु यहाँ 'पुस्तकग्रहण' क्रिया को बढ़ा कर उसके द्वारा उपनयन संस्कार से पहले ही शास्त्र के पढ़ने का विधान कर दिया है और इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखा कि पूर्व कथन के साथ इसका विरोध आता है । यथा:—

उपाध्यायेन तं शिष्यं पुस्तकं दीयते मुद्रा ।

शिष्योऽपि च पठेच्छाखं नान्दीपठनपूर्वकःम् ॥१८॥

( ज ) भट्टारकजी ने 'लिपि-संस्थान-संप्रह' नामक क्रिया को देते हुए उसका मुहूर्त भी दिया है, जब कि दूसरी क्रियाओं में से गर्भाधान, उपनयन ( यज्ञोपवीत ) और विवाहसंस्कार जैसी बड़ी क्रियाओं तक का आपने कोई मुहूर्त नहीं दिया । नहीं मालूम इस क्रिया के साथ में मुहूर्त देने की आपको क्या सूझी और आपका यह कैसा रचना-क्रम है जिसका कोई एक तरीका, नियम अथवा ढंग नहीं !! अस्तु, इस मुहूर्त के दो पद्धति इस प्रकार हैं:—  
\*मृगादिपञ्चस्वपिते [मे]पु मूले, इस्तादिके च क्रियते [अन्तये]ऽभिनीषु

\* इस पद्धति में जो पाठ भेद बैकिटों में दिया गया है वही मूलका शुद्ध पाठ है, सोनीजी की अनुवाद-पुस्तक में वह पलत रूप से दिया हुआ है । पद्धति का अनुवाद भी कुछ पलत हुआ है । कमसे कम 'चित्रा' के बाद 'स्वाती' का और 'पूर्वावाढ' से पहले 'पूर्वाफालगुनी' नक्षत्र का नाम और दिया जाना चाहिये था ।

पु [ प ] वीचये च भवत्यन्नये च, विद्यासमारम्भमुशन्तिसिद्धयै ॥ १६५  
उदगते भास्वति पञ्चमेऽध्ये, प्राप्तेऽक्षरस्वीकरणं शिश्नाम् ।  
सरस्वतीं लेखसुपालकं च, गुडौदनायैरभिपूज्य कुर्यात् ॥ १६६ ॥

इनमें से पहला पथ ‘अपिति’ का और दूसरा ‘बशिष्ठ’ ऋषि का बचन है। मुहूर्त चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका में भी ये इन्हीं विद्वानों के नाम से उद्धृत पाये जाते हैं। दूसरे पथ में ‘विघ्नविनायकं’ की जगह ‘लेखसुपालकं’ का परिवर्तन किया गया है और उसके द्वारा ‘गणेशजी’ के स्थान में ‘लेखपाल’ की गुड़ और चावल वैरह से पूजा की व्यवस्था की गई है।

लेखपाल की यह पूजन-व्यवस्था आदिपुराण के विरुद्ध है। इसी-तरह पर दूसरी क्रियाओं के वर्णन में जो यज्ञ, यज्ञी, दिक्पाल और जयादिदेवताओं के पूजन का विवाद किया गया है, अथवा ‘पूर्ववत्पूजयेत्’ ‘पूर्ववद् होमं पूजां च कृत्वा’ आदि वाक्यों के द्वारा इसीप्रकार के दूसरे देवताओं की भी पूजा का—जिसका वर्णन चैथं पौच्छे अध्यायों में है—जो इशारा किया गया है वह सब भी आदि-पुराण के विरुद्ध है। आदिपुराण में भगवत्जिजनसेन ने गर्भाधानादिक क्रियाओं के अवसर पर, इसप्रकार के देवी देवताओं के पूजन की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने आमतौर पर सब क्रियाओं में ‘सिद्धों’ का पूजन रखा है, जो ‘पीठिका’ मंत्रों द्वारा किया जाता है +। बहुतसी क्रियाओं में अर्हन्तों का, देवगुरु का और किसी में आचार्यों आदि का पूजन भी बतलाया है, जिसका विशेष हाल आदिपुराण के ३८ में और ४० में पत्रों को देखने से मालूम हो सकता है।

+ यथा:—

एतैः (पीठिका मंत्रैः) सिद्धार्थं कुर्यादाधानादि क्रियाविधौ ।

यहाँ पर मैं त्रिवर्णाचार की एक दूसरी विलक्षण पूजा का भी उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ, और वह है 'योनिस्थ देवता' की पूजा। भट्टारकजी ने, गर्भाधान किया का विवान करते हुए, इस अपूर्व अथवा अशुतपूर्व देवता की पूजा का जो मंत्र दिया है वह इस प्रकार है—

ॐ ह्रीं क्लीं ब्लूं योनिस्थदेवते मम सत्पुत्रं जनयस्व  
आसिआउसा स्वाहा ।

इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि 'हे योनिस्थान में बैठे हुए देवता ! मेरे सत्पुत्र पैदा करो ।' भट्टारकजी लिखते हैं कि 'यह मंत्र पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, रही, धी कुश ( दर्भ ) और जल से योनिका अच्छी तरह से प्रक्षालन करे और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तुरी आदि का लेप कर देवे । यथा—

‘इति मंत्रेण गोमयगोमूत्रक्षीरदधिसारिःकुशोदकैर्योनि  
सम्प्रक्षालय श्रीगंधकुमकस्तूरिकाद्यनुलेपनं कुर्यात् ।’

यही योनिस्थ देवता का सप्रक्षाल पूजन है। और इससे यह मालूम होता है कि भट्टारकजी ऐसा मानते थे कि ली के योनि स्थान में किसी देवता का निवास है, जो प्रार्थना करने पर प्रार्थी से अपनी पूजा लेकर उसके लिये पुत्र पैदा कर देता है। परन्तु जैनधर्म की ऐसी शिक्षा नहीं है और न जैनमतानुसार ऐसे किसी देवता का अस्तित्व या व्यक्तित्व ही माना जाता है। ये सब वाममार्गियों अथवा शाकितों जैसी बातें हैं। भट्टारकजी ने सम्भवतः उन्हीं का अनुकरण किया है, उन्हीं जैसी शिक्षा को समाज में प्रचारित करना चाहा है, और इसलिये 'गर्भाधान' किया में आपका यह पूजन-विधान महज प्रतिज्ञा-विरोध को ही लिये हुये नहीं है बल्कि जैनधर्म और जैननीति के भी विरुद्ध है, और आपके इस किया मंत्र को अधर्म्य मंत्र समझना चाहिये।

( अ ) इस आठवें अध्याय में, और आगे भी, आदिपुराण वर्णित क्रियाओं के जो भी मंत्र दिये हैं वे प्रायः सभी आदिपुराण के विरुद्ध हैं। आदिपुराण में गर्भाधानादिक क्रियाओं के मंत्रों को दो भागों में विभाजित किया है—एक ‘सामान्यविषय मंत्र’ और दूसरे ‘विशेषविषय मंत्र’। ‘सामान्यविषय मंत्र’ वे हैं जो सब क्रियाओं के लिये सामान्य रूप से निर्दिष्ट हुए हैं और ‘विशेषविषय’ उन्हें कहते हैं जो खास खास क्रियाओं में अतिरिक्त रूप से नियुक्त हुए हैं। सामान्यविषय मंत्र १ पीठिका, २ जाति, ३ निस्तारक, ४ ऋषि, ५ सुरेन्द्र, ६ परमराज और ७ परमेष्ठि मंत्र—मेद से सात प्रकार के हैं। इन सबों को एक नाम से ‘पीठिका—मंत्र’ कहते हैं; क्रिया—मंत्र, साधन—मंत्र तथा आहुति—मंत्र भी इनका नाम है और ये ‘उत्सर्गिक—मंत्र’ भी कहलाते हैं, जैसाकि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट हैं।

एते तु पीठिका मंत्राः सप्त शेया द्विजोत्तमैः ।

एतैः सिद्धार्चनं कुर्यादाधानादिक्रियाविधौ ॥ ७७ ॥

क्रियामंत्रास्त एते स्युराधानादिक्रियाविधौ ।

सूत्रे गणधरोदायें यान्ति साधनमंत्रताम् ॥ ७८ ॥

संध्यास्थमित्रये देवपूजने नित्यकर्मणि ।

भवन्त्याहुतिमंत्राद्य त एते विधिसाधिताः ॥ ७९ ॥

साधारणादित्वमें मंत्राः सर्वत्रैव क्रियाविधौ ।

यथासंभवमुत्तेष्ये विशेषविषयांश्च तान् ॥ ८० ॥

क्रियामंत्रादित्वहु शेया ये पूर्वमनुवर्णिताः ।

सामान्यविषयाः सप्त पीठिकामंत्रकृद्यः ॥ ८१ ॥

ते हि साधारणाः सर्वक्रियासु विनियोगिनः ।

तत उत्सर्गिकातेतास्मन्त्रामंत्रविदो वितुः ॥ ८२ ॥

विशेषविषया मेत्राः क्रियास्तत्त्वसु दर्शिताः ।

इतः प्रभृति चाभ्युहास्ते यथाज्ञायमग्रज्ञैः ॥ २१७ ॥

मंत्रानिमान्वयथा योग्यं यः क्रियासु विनियोजयेत् ।

स लोके सम्मर्ति याति युक्ताचारो द्विजोत्तमः ॥ २१८ ॥

—५० वाँ पर्व ।

इन वाक्यों से आदिपुराण-वर्णित मंत्रों का खास तौर से महत्व पाया जाता है और यह मालूम होता है कि वे जैन आम्नायानुसार खसूसियत के साथ इन क्रियाओं के मंत्र हैं। गणधर रचित सूत्र (उपासकाध्ययन) अथवा परमागम में उन्हें 'साधनमंत्र' कहा है—क्रियाएँ उनके द्वारा सिद्ध होती हैं ऐसा प्रतिपादन किया है—और इसलिये सब क्रियाओं में उनका यथायोग्य विनियोग होना चाहिये। एक दूसरी जगह भी इस विनियोग की प्रेरणा करते हुए लिखा है कि 'जैतमत' में इन मंत्रों का सब क्रियाओं में विनियोग माना गया है, अतः श्रावकों को चाहिये कि वे व्यामोह अथवा भ्रम छोड़ कर—निःसंदेह रूप से—इन मंत्रों का सर्वत्र प्रयोग करें। यथा:—

विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषां मतो जिनैः ।

अव्यामोहादृतस्तज्ज्ञैः प्रयोज्यास्तु उपासकैः ॥ ३८-७५ ॥

परन्तु, यह सब कुछ होते हुए भी, मटारकजी ने इन दोनों प्रकार के सनातन और यथामनाय + मंत्रों में से किसी भी प्रकार के मंत्र का यहाँ \* प्रयोग

+ आदिपुराण में 'तन्मंत्रास्तु यथामनाय' आदि पश्च के द्वारा इन मंत्रों को जैन आज्ञाय के मंत्र बतलाया है।

\* पाँचवें अध्याय में, वित्यपूजन के मंत्रों का विधान करने, हुए, सिर्फ एक प्रकार के पीठिका मंत्र दिये हैं परन्तु उन्हें भी उनके असली रूप में नहीं दिया—बदलकर रखा है—सब मंत्रों के शुरू में ऊँ जोड़ा गया है और कितनेही मंत्रों में 'नमः' आदि शब्दों के द्वितीय प्रयोग की जगह एकत्व का प्रयोग किया गया है। इसी तरह और भी कुछ न्यून-धिकता की गई है। आदिपुराण के मंत्र जंचे तुले श्लोकों में बद्द हैं।

नहीं किया, बल्कि दूसरे ही मत्रों का व्यवहार किया है जो आदिपुराण से विलकृत ही विलक्षण अथवा भिन्न टाइप के मत्र हैं\*। इससे अधिक भगवज्जनसेन का—और उनके बचनानुसार जैनागम का भी—विरोध और क्या हो सकता है ? ऐसे इसे भगवज्जनसेनकी खासी अवहेलना और साथ ही जनसाधारण की अच्छी प्रतारणा ( बचना ) समझता हूँ। अस्तु; भगवज्जनसेनने ' मंत्रास्त एव धर्म्याः स्युर्ये क्रियासु विनियोजिताः ' इस ३६ वें पर्व के वाक्य द्वारा उन्हीं मत्रों को ' धर्म्यमंत्र ' प्रतिपादन किया है जो उक्तप्रबार से क्रियाओं में नियोजित हुए हैं और इसलिये भट्टारकजी के मत्रों को ' अधर्म्य मंत्र ' अथवा ' भूठेमंत्र ' कहना चाहिये। जब उनके द्वारा प्रयुक्त हुए मत्र वास्तव में उन क्रियाओं के मत्र ही नहीं, तब उन क्रियाओं से लाभ भी क्या हो सकता है ? बल्कि भूठे गत्रों का प्रयोग साथ में होने की वजह से कुछ विगाड़ हो जाय तो आर्थर्य नहीं।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि, त्रिवर्णाचार में जा क्रिया-मत्र दिये हैं वे आदिपुराण से पहले के बने हुए

\* उदाहरण के तौर पर 'निषद्या क्रिया के मत्र को लिजिये। आदि पुराण में 'सत्यजाताय नमः' आदि पीठिका मत्रों के अतिरिक्त इस क्रिया का जो विशेष मत्र दिया वह है—' दिव्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी भव "। और त्रिवर्णाचार में जो मत्र दिया है वह है—ऊँहीं अहं असि आ उ सा बालकमुपवेशयामि स्वाहा "। दोनों में कितना अन्तर है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। एक उत्तम आशीर्वादात्मक अथवा भावनात्मक है तो दूसरा महज सूचनात्मक है कि मैं बालक को शिठलाता हूँ। प्राय ऐसी ही द्वात्त दूसरे मन्त्रों की समझनी चाहिये।

किसी भी ग्रन्थ में नहीं पाये जाते, और आदिपुराण से यह स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसमें जो क्रिया—मत्र दिये हैं वे ही इन क्रियाओं के असली, आगम—कथित, सनातन और जैनाम्नायी मंत्र हैं। ऐसी हालत में त्रिवर्णाचार वाले मंत्रों की बाबत यहाँ नतीजा निकलता है कि वे आदिपुराण से बहुत पीछे के बने हुए हैं। उनकी अपेक्षा उन जैसे मंत्रों की वल्यना भट्टारकी युग में—संभवतः १२ वीं से १५ वीं शताब्दी तक के मध्यवर्ती किसी समय में—हुई है, ऐसा जान पड़ता है।

( अ ) अध्याय के अन्त में, ‘ पुस्तकप्रहण ’ क्रिया के बाद, भट्टारकजी ने एक पद्य निम्नप्रकार से दिया है—

\* गर्भायानसुमोदयुसवतकाः सीमन्तजामाभिधा  
बाह्यसुयानभेऽजनं च गमनं चौलाद्यगम्यासनम् ।  
सुप्रीतिः प्रियमृद्गच्छा गुरुमुखाच्छ्रुत्यस्यसंप्रादणं  
एताः पञ्चदश क्रियाः समुदिता अस्मिन् जिनेन्द्रागमे ॥१८२॥

इसमें, अध्याय—वर्णित क्रियाओं की उनके नामके साथ गणना करते हुए, कहा गया है कि ‘ ये पंद्रह क्रियाएँ इस जिनेन्द्रागम में भलेप्रकार से कथन वीर्ग हैं’, परन्तु क्रियाओं के जो नाम यहाँ दिये हैं वे चौदह हैं—१ गर्भायान, २ मोद, पुसवन, ४ सीमन्त, ५ जन्म, ६ अभिधा ( नाम ), ७ बहिर्यान, ८ भोजन, ९ गमन, १० चौल, ११ अक्षराम्यास, १२ सुप्रीति, १३ प्रियोद्रव तथा १४ शास्त्रप्रहण—और अध्याय में जिन क्रियाओं का वर्णन किया गया है उनकी सह्या उन्हीं स है। प्रीति, निपद्या ( उपवेशन ), व्युष्टि, कर्णवेधन और आन्दोलारोपण

\* इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने जो व्यर्थ की स्त्रीचातानी की है वह सहदय विद्वानों को अनुवाद के देखने ही मालूम पड़ाती है। उस पर यहाँ कुछ टीका दिया करने की ज़रूरत नहीं है।

नामकी पाँच क्रियाओं का वहाँ तो वर्णन है, परन्तु यहाँ गणना के अवसर पर उन्हें बिलकुल ही मुला दिया है। इससे आपका महज चर्चन-विरोध ही नहीं पाया जाता, बहिक यह भी आपकी ग्रन्थ रचना की विलक्षणता का एक अच्छा नमूना है और इस बात को जाहिर करता है कि आपको अच्छी तरह से ग्रन्थ रचना करना नहीं आता था। इतने पर भी, खेद है कि, आप अपने इस ग्रन्थ वो ‘जिनेन्द्रागम’ बतलाते हैं ! जो ग्रन्थ प्रतिज्ञाविरोध, आगमविरोध, आम्नायविरोध, कृष्णवाक्यविरोध, मिद्दान्तविरोध, पूर्वापरविरोध, युक्तिविरोध और क्रमविरोध आदि दोषों को लिये हुए है, साथ ही चोरी के कलक से कलंकित है, उसे ‘जिनेन्द्रागम’ बतलाते हुए आपको जरा भी लज़ा तथा शर्म नहीं आई ! × इससे अधिक धृष्टना और धूर्तना और क्या हो सकती है ? यदि ऐसे हीन ग्रन्थ भी ‘जिनेन्द्रागम’ कहलाने लगे तब तो जिनेन्द्रागम की अच्छी खासी मिट्ठी पलीढ़ हो जाय और उसका कुछ भी महत्व न रहे। इसीलिए ऐसे छुआवेपनारी ग्रन्थों के नग्न रूप को दिखला कर उनसे सावधान करने का यह प्रयत्न विद्या जा रहा है।

(ट) त्रिवर्णाचार के ६ वें अव्याय में, ‘यज्ञोपवीतसत्कर्म वद्ये नत्वा गुरुकमात्’ इस वाक्य के द्वारा गुरु-परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत (उपनीति) क्रिया के कथन की विशेष प्रतिज्ञा करते हुए, निम्न पद दिये हैं—

गर्भाण्टमऽच्छे कुर्यात् ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भादेकादशे राशो गर्भात्तु द्वादशे विशुः ॥ ३ ॥

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राशो बलार्थिनः पष्टे वैश्यस्यद्वार्थिनोऽप्यमे ॥ ४ ॥

×हाँ सोनीजी को अनुचाद के समय कुछ किम्भक ज़रूर पैदा हुई है और इस लिये उन्होंने “जिनेन्द्रागम” को “अध्याय” में बदल दिया है।

\* आषोडशाच [ दा ] द्वाविशाचतुर्विशाच्चतु [ च ] वत्सरात् ।

अहम्कारविशां कालो ह्युपनयनजः [ ल औपनायनिकः ] परः॥५५॥

अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मवहिष्कृताः ।

प्रतिष्ठादिषु कार्येषु न योज्या ब्राह्मणोत्तमैः ॥ ६ ॥

इन पदों में से पहले पद में उपनयन के साधारण काल का, दूसरे में विशेष काल का, तीसरे में काल की उत्कृष्ट मर्यादा का और चौथे में उत्कृष्ट मर्यादा के भीतर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने के फल का उल्लेख किया गया है, और इस तरह पर चारों पदों में यह बतलाया गया है कि—‘गर्भ से आठवें वर्ष ब्राह्मण का ग्यारहवें वर्ष द्वित्रिय का और बारहवें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिये । परन्तु जो ब्राह्मण ( विद्याध्ययनादि द्वारा ) ब्रह्मतेज का इच्छुक हो उसका गर्भ संपाँचवें वर्ष, राज्यबल के अर्थी द्वित्रिय का छुठे वर्ष और व्यापारादि द्वारा अपना उत्कार्ष चाहने वाले वैश्य का आठवें वर्ष उक्त संस्कार किया जाना चाहिये । इस संस्कार की उत्कृष्ट मर्यादा ब्राह्मण के लिये १६ वर्ष तक, द्वित्रिय के लिये २२ वर्ष तक और वैश्य के लिये २४ वर्ष तक की है । इस मर्यादा तक भी जिन लोगों का उपनयन संस्कार न हो पाएं, वे अपनी अपनी मर्यादा के बाद पतित हो जाते हैं, किसी भी धर्म कर्म के अधिकारी नहीं रहते—उन्हें सर्व धर्मकार्यों से बहिष्कृत समझना चाहिये—और इसलिये ब्राह्मणों को चाहिये कि वे प्रतिष्ठादि धर्मकार्यों में उनकी योजना न करें ।

यह सब कथन भी भगवज्जिनसेन के विशद्द है । आदिषुराण में वर्णभेद से उपनयनकाल में कोई भेद ही नहीं किया—सब के लिये गर्भ से आठवें वर्ष का एक ही उपनयन का साधारणकाल रखा गया है । यथा:—

\* इस पद में ब्रैकिटों के भीतर जो पाठभेद दिया है वह पद का मूल पाठ है जो अनेक ग्रंथों में उल्लिखित मिलता है और जिसे संभवतः यहाँ बदल कर रखा है ।

क्रियोपर्नं निर्नामाऽहय वर्णे गर्भाएुमे मता ।

यत्रापनतिकेशस्य मौङ्गी सब्दतयन्वना ॥ ६८-१०३ ॥

और यह बात जैननीति के भी विरुद्ध है कि जिन लोगों का उक्त मर्यादा के भीतर उपनयन संस्कार न हुआ हो उन्हें सर्व धर्म-कृत्यों से बहिष्कृत और बचित किया जाय अथवा धर्म-सेवन के उनके सभी अधिकारों को छीन लिया जाय । जैनधर्म का ऐसा न्याय नहीं है और न उसमें उपनयन संस्कार को इतना महत्व ही दिया गया है कि उसके बिना किसी भी धर्म कर्म के करने का कोई अधिकारी ही न रहे । उसमें धर्मसेवन के अनेक गार्ग बतलाये गये हैं जिनमें उपनयन-संस्कार भी एक गार्ग है अथवा एक गार्ग में दाखिल है । जैनी बिना यज्ञोपवीत संस्कार के भी पूजन, दान, स्नान्याय, तप और रंगम जैसे धर्मकृत्यों का आचरण कर सकते हैं, करते हैं और करते आए हैं; श्रावक के बारह ब्रतों का भी वे खड़शः अथवा पूर्णरूप से पालन कर सकते हैं और अन्त में सज्जेखना ब्रत का भी अनुष्टुप्न कर सकते हैं । प्रतिष्ठाचार्यों में भी बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति देखी जाती है जिनका उक्त मर्यादा के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ होता । यदि उक्त मर्यादा से ऊपर का कोई भी अजैन जैनधर्म की शरण में आए तो जैनधर्म उसका यह कह कर कभी ल्याग नहीं कर सकता कि 'मर्यादा के भीतर तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ इसलिये अब तुम इस धर्म को धारण तथा पालन करने के अधिकारी नहीं रहे' । ऐसा कहना और करना उसकी नीति तथा सिद्धान्त के विरुद्ध है । वह खुशी से उसे अपनाएगा, अपनी दीक्षा देगा और जरूरत समझेगा तो उसके लिये यज्ञोपवीत का भी विधान करेगा । इसी तरह पर एक जैनी, जो उक्त मर्यादा तक अक्रती अथवा धर्म कर्म से पराढ़मुख रहा हो, अपनी भूल को मालूम करके श्रावकादि के ब्रत लेना चाहे तो जैनधर्म उसके लिये भी यथायोग्य व्यवस्था करेगा । उसका

गयोदा के गीतर यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित न होना, उसमें कुछ भी वापरक न होगा। और इन सब बातों को पुष्ट करने के लिये जैन शास्त्रों में भैकड़ों कथन, उपायन और उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनमें यहाँ पर कोई जरूरत मालूम नहीं होती। अतः भट्टारकजी का उक्त लिखना जैनवर्म की नीति शीर प्रकृति के विरुद्ध है। वह हिन्दूवर्म नीति शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पद्धति भी हिन्दूवर्म की चाल है—पहले दोनों पद्धति 'मनु' के वचन है और ये 'सानुस्मृति' के दूसरे अध्याय में क्रमशः न० ३६, ३७ पर ज्यों के त्यो दर्ज हैं; तोसरा पद्धति और चौथे पद्धति का पूर्वार्थ दोनों 'याज्ञवल्क्य' ऋषि के वचन है और 'याज्ञवल्क्यपरम्परान्ति' के पहले अन्याय में क्रमशः न० ३७ तथा ३८ पर दर्ज है। रहा चौथे पद्धति का उत्तरार्थ, वह भट्टारकजी की प्राय आपनी रचना जान पड़ता है और याज्ञवल्क्य स्मृति के 'सावित्रीपतिता ब्रात्या ब्रात्यस्तोमाहने ऋतोः' इस उत्तरार्थ के स्थान में बनाया गया है।

यहाँ पर पाठकों की समझ में यह बात सहज है। आजायगी कि कि जब भट्टारकजी ने गुरुपरम्परा के अनुमार कथन करने की प्रतिज्ञा की तब उसके अनन्तर ही आपका 'मनु' और 'याज्ञवल्क्य' के बाक्यों को उद्धृत करना। इस बातको साफ सूचित करता है कि आपकी गुरु परम्परा में मनु और याज्ञवल्क्य जैसे हिन्दू ऋषियों का खास स्थान था। आप बजाहिर आपने भट्टारकी वेप में मले ही, जैसी तथा जैनगुरु बने हुए, अजैन-गुरुओं वी निन्दा करते हो और उनकी कृतियों तथा विधियों को अच्छा न बतलाते हों परन्तु आपका अन्तरंग उनके प्रति झुका हुआ जरूर था, इसमें सन्देह नहीं; और यह आपका मानसिक दौर्बल्य था जो आपको उन अजैन-गुरुओं या हिन्दू ऋषियों के बाक्यों अथवा विधि-विधानों का प्रकट रूप से अभिनन्दन करने का

साहस नहीं होता या और इसीलिये आपको छुल बरना पड़ा । आपने, जिनी होने के कारण, 'गुरुक्रमात्' पद के प्रयोग द्वारा अपने पाठको को यह विश्वास दिलाया कि आप जेनगुरुओं की (जिनसे नादि वी) कथन—परम्परा के अनुमार यज्ञोपवीत क्रिया वा कथन करते हैं परन्तु कथन किया आपने 'गनु' और 'यज्ञवलक्ष्य' जैसे हिंदू ऋषियों की परम्परा के अनुगार, उनके बचनों तक को उद्भृत करके । यही आपका छुल है, यही धोम्बा है और इसे आपकी ठग-दिया का एक खामा नमूना समझना चाहिये ।

इस क्रिया के वर्णन में नान्दीश्वाल्ल और पिष्टलपृजनादिक की और भी फिरनी ही निरुद्ध बातें ऐसी हैं जो हिन्दूधर्म से ली गई हैं और जिनमें से कुछ का विचार आगे किया जायगा ।

( ठ ) 'ब्रतचर्या' क्रिया का कथन, यद्यपि, भट्टारकजी ने आदि-पुराण के पदों में ही दिया है परन्तु इस कथन के 'यावद्विद्यासमाप्तिः' (७७), तथा 'सूत्रमौपासिकं' (७८) नाम के दो पदों को आपने 'ब्रतावतरण' क्रिया का कथन करते हुए उसके मध्य में दे दिया है, जहाँ वे असंगत जान पड़ते हैं । और इन पदों के अनन्तर के निम्न दो पदों को विस्तुत ही छोड़ दिया है—उनका आशय भी नहीं दिया—

शब्दविद्यउर्ध्यशास्त्रादि चाध्येयं नाऽस्य दूष्यते ।

सुभंस्कारप्रबोधाय वैयात्यरूपातयेऽपि च ॥ ३८-११६ ॥

ज्योतिर्ज्ञानमथ छन्दो शानं शानं च शाकुनम् ।

संख्याशानमितीदं च तेनाध्येयं विशेषतः ॥ १२० ॥

इन पदों को छोड़ देने अथवा इनका आशय भी न देने से प्रकृत क्रिया के अभ्यासी के लिये उपासकसूत्र और अध्यात्मशास्त्र के पढ़ने का ही विधान रह जाता है परन्तु इन पदों द्वारा उसके लिये व्याकरण-शास्त्र, अर्थशास्त्रादिक, ज्योति-शास्त्र, छन्द-शास्त्र, शकुनशास्त्र और गणित

शास्त्र के अध्ययन का भी सविशेष रूप से विधान पाया जाता है, \* जिसे भट्टारकजी ने शायद अनुपयोगी समझा हो। इसी तरह पर ब्रतावतरण क्रिया के कथन में, 'ब्रतावतरणं चेदं' से पहले के निम्न दो पदों को भी आपने छोड़ दिया है, जिनमें से दूसरा पद जो 'सार्वकालिक ब्रत' का उल्लेख करने वाला है, खासतौर से जरूरी था—

ततोऽस्याधीतविद्यम्य ब्रतवृत्पवत्तारणम् ।

विशेषविषयं तथा स्थितस्थौत्सर्गिके ब्रते ॥ १२८ ॥

मधुमांसपरित्यागः पंचादुम्बरवर्जनम् ।

हिमदिविवरतिश्चास्य ब्रते स्थात्सार्वकालिकम् ॥ १२९ ॥

इन पदों के न होने से 'ब्रतावतरणं चेदं' नाम का पद्धति सम्बद्ध जान पड़ता है—'यावद्विद्या समाप्तिः' आदि पूर्व पदों के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही ठीक नहीं बैठता। और 'ब्रताभरण' नाम का उत्तर पद्धति भी, आदिपुराण के पद्धति १२५ और १२६ के उत्तरार्थ तथा पूर्वार्थ को मिलाकर बनाए जाने से कुछ बेंटंगा हो गया है जिसका उल्लेख प्रथम के संप्रहत्व का दिग्दर्शन करते हुए किया जातुका है। इसके सिवाय, भट्टारकजी ने ब्रतावतरण क्रिया का नित्र पद्धति भी नहीं दिया और न उसके आशय का ही अपने शब्दों में उल्लेख किया है, जिसके अनुसार 'कामब्रह्मब्रत' का अवतार (ल्याग) उस बहुत तक नहीं होता—वह बना रहता है—जब तक कि विवाह नाम की उत्तर क्रिया नहीं हो लेती:—

भोगब्रह्मब्रतादेवमवतीर्णो भवेत्सदा ।

कामब्रह्मब्रतं चास्य तावद्यावलिक्ष्योत्तरा ॥ १२७ ॥

\* पृ० १० एषालालजी सोनी ने भी इस विधान का अपने अनुवाद में उल्लेख किया है परन्तु आप से यह सङ्केत गलती हुई जो आपने 'यावद्विद्या समाप्तिः' आदि चारों ही पदों को ब्रतावतरण क्रिया के पद्धति बतला किया है। आपके 'सी ( ब्रतावतरण ) क्रिया में यह और भी बतलाया है' शब्द बहुत खटकते हैं।

थही सब इस प्रंथ की दोनों (व्रतचर्या और व्रतावतरण) क्रियाओं का आदिपुराण के साथ विरोध है। मालूम नहीं जब इन क्रियाओं को प्रायः आदिपुराण के शब्दों में ही रखना था तो फिर यह व्यर्थ की गड़बड़ी क्यों की गई और क्यों दोनों क्रियाओं के कथन में यह असामंजस्य उत्पन्न किया गया !! भट्टारकी लीला के सिवाय इसे और क्या कहा जा सकता है ? भट्टारकजी ने तो अध्याय के अन्त में जा कर इन क्रियाओं के अस्तित्व तक को भुला दिया है और 'हृत्थं मौजी-बन्धनं पालनीयं' आदि पद के द्वारा इन क्रियाओं के कथन को भी मौजीबन्धन का—यज्ञोपवीत क्रिया का—ही कथन बतला दिया है !! इसके सिवाय, एक बात और भी जान लेने की है और वह यह कि श्रावकाचार अथवा श्रावकीय व्रतों का जो उपदेश 'व्रतचर्या' क्रिया के अवसर पर होना चाहिये था \* उसे भट्टारकजी ने 'व्रतावतरण' क्रिया के भी बाद, दसवें अध्याय में दिया है और व्रतचर्या के कथन में वैसा करने की कोई सूचना तक भी नहीं दी। ये सब बातें आपके रचना-विरोध और उसके बेंगेपन को सूचित करती हैं। आपको कम से कम 'व्रतावतरण' क्रिया को दसवें अध्याय के अन्त में, अथवा ग्यारहवें के शुरू में—विवाह से पहले—देना चाहिये था। इस प्रकार का रचना-सम्बन्धी विरोध अथवा बेंगापन और भी बहुत से स्थानों पर पाया जाता है, और वह सब मिलकर भट्टारकजी की प्रंथरचना-संबंधी योग्यता को चौपट किये देता है।

\*व्रतचर्या के अवसर पर उपासकाध्ययन के उपदेशों का संक्षेप में संग्रह होता है, यह बात आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी प्रकट है:-

अथतोऽस्य प्रवद्यामि व्रतचर्यामिनुकमात् ।

स्याद्योपासकाध्ययः समाप्तेनानुसंहृतः ॥ ४०-१६५ ॥

( ड ) त्रिवर्णाचार के ग्यारहवें अध्याय में, तेतीस क्रियाओं में से सिर्फ़ ' विवाह ' नामकी क्रिया का वर्णन है और उसका प्रारम्भ करते हुए एक पद निम्न प्रकार से दिया है —

जिनसेनमुनिं नत्वा वैवाहविविमुत्सवम् ।

वद्ये पुराणमार्गेण लौकिकाचारसिद्धये ॥ २ ॥

इस पद में जिनसेन मुनि को नमस्कार करके पुराण के अनुगार विवाह-विधि के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है और इस तरह पर-पूर्वप्रतिज्ञाओं की मौजूदगी में आवश्यकता न होते हुए भी— इस प्रतिज्ञाद्वारा सविशेष रूप से यह घोषणा की गई है अथवा विश्वास दिलाया गया है कि इस क्रिया का सब कथन भगवन्नजिनसेन के आदि—पुराणानुसार किया जाता है । परन्तु अध्याय के जव पत्र पलटते हैं तो नक्षत्र विलकुल ही बदला हुआ नज़र आता है और यह गालूम होने लगता है कि अध्याय में वर्णित अधिकांश बातों का आदिपुराण के साथ प्रायः कोई सम्बन्धविशेष नहीं है । यहुतसी बातें हिन्दूधर्म के आचारविचार को लिये हुए हैं—हिन्दुओं की रीतियाँ, विधियाँ अथवा क्रियाएँ हैं—और किननी ही लोक में इधर उधर प्रचलित अनावश्यक रूढियाँ हैं, जिन सब का एक घेंडंगा संग्रह यहाँ पर किया गया है । इस रोपद से भट्टाकजी का अभिप्राय उक्त प्रकार की सभी बातों को जैनियों के लिये शाल्लसम्मत करार देने अथवा उन्हें जैनों की शाल्लज्ञा प्राप्त करा देने का जान पड़ता है, और यह बात आपके ' लौकिकाचार-सिद्धये ' पद से भी धनित होती है । आप 'लौकिकाचार' के बड़े ही अन्ध भक्त थे ऐसा जान पड़ता है, बूढ़ी क्रियाँ जो कुछ बतलाएँ उन सब क्रियाओं तक को बिना चूँ चरा करने की आपने पर-वानगी दी है और एक दूसरी जगह तो, जिसका विचार आगे किया

जायगा, आप यहाँ तक लिख गये हैं कि 'एवं कृते न मिथ्यात्वं  
लौकिकाचारवर्तनात्'—अर्थात्, ऐसा करने से मि-  
थ्यात्व का दोष नहीं लगता; क्योंकि यह तो लोका-  
चार का वर्तना है। आपकी इस अद्भुत तक्षणा और अन्धमन्ति  
का ही यह परिणाम है जो आप बिना विवेक के कितने ही विहृद  
आचरणों तथा मिथ्या क्रियाओं वो अपने ग्रंथ में स्थान दे गये हैं,  
और इसी तरह पर कितनी ही देश, काल, इच्छा तथा शक्ति आदि पर  
निर्भर रहने वाली वैकल्पिक या स्थानिकादि बातों को सबके लिये अवश्य-  
करणीयता का रूप प्रदान कर गये हैं। परन्तु इन बातों को छोड़िये,  
यहाँ पर मैं सिर्फ़ इनना ही बनलाना चाहता हूँ कि आदिपुराण में विवाह-  
क्रिया का कथन, यद्यपि, सूत्ररूप से बहुत ही संक्षेप में दिया है परन्तु  
जो कुछ दिया है वह सार कथन है और विवरणाचार का कथन  
उससे बहुत कुछ विरोध को लिये हूए है। चोंचे इस विरोध का ही  
कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है, जिसमें प्रसंगतश दो चार दूसरी बातें  
भी पाठकों के सामने आजाएँगी।—

१—भट्टारकजी, सामुद्रवशालादि के अनुसार विवाहयोग्य कन्या  
का वर्णन ५९ करते हुए, लिखते हैं—

इत्थं लक्षणसंयुक्तं पद्मप्राणिवाजिताम् ।

वर्णविद्धसंस्त्यकां सुभगां कन्यकां वरेत् ॥ ३५ ॥

\* इस वर्णन में 'सामुद्रक' के अनुसार कन्याओं आथवा लियोंके  
जो सातण फल सहित दिये हैं वे फल इष्ट से बहुत कुछ आपत्ति के  
योग्य हैं—कितने ही प्रत्यक्षविद्युत हैं और कितने ही दूसरे सामुद्रक  
साक्षों के साथ विरोध को लिये हुए हैं—उन सब पर विचार करने का  
यहाँ अवसर बहीं है। इस लिये उनके विचार को छोड़ा जाता है।

इस पथ में, अन्य वातों को छोड़कर, एक बात यह कही गई है कि जो कन्या विवाही जाय वह वर्णविरोध से रहित होनी चाहिये—अर्थात्, असवर्णा न हो किन्तु सवर्णा हो । परन्तु यह नियम आदिपुराण के विरुद्ध है । आदिपुराण में त्रैबर्णिक के लिये सवर्णा और असवर्णा दोनों ही प्रकार की कन्याएँ विवाह के योग्य बनलाई हैं । उसमें साफ़ लिखा है कि वैश्य अपने वर्ण की और शूद्र वर्ण की कन्या से, क्षत्रिय अपने वर्ण की और वैश्य तथा शूद्र वर्ण की कन्याओं से और ब्राह्मण चारों ही वर्ण की कन्याओं से विवाह बर सकता है । सिर्फ़ शूद्र के लिये ही यह विधान है कि वह शूद्रा अर्थात् सवर्णा से ही विवाह करे असवर्णा से नहीं । यथा—

शूद्रा शूद्रेण वोद्वया नान्या स्वां तां च नैगमः ।

वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ता ॥१६-४७॥

इस पूर्वविधान को ध्यान में रखकर ही आदिपुराण में विवाह-क्रिया के अवसर पर यह वाक्य कहा गया है कि ‘वैवाहिके कुले कन्यामुचितां परिणेष्यते’—अर्थात् विवाहयोग्य कुल में से उचित कन्या का परिणयन करे । यहाँ कन्या का ‘उचिता’ विशेषण बड़ा ही गहत्यपूर्ण, गम्भीर तथा व्यापक है और उन सब त्रुटियों को दूर करने वाला है जो त्रिवर्णाचार में प्रयुक्त हुए सुभगा, सुलक्षणा अन्यगोत्रभवा, अनातङ्का, आयुष्मती, गुणाद्वा, पितृदत्ता और रूपवती आदि विशेषणों में पाई जाती हैं । उदाहरण के लिये ‘रूपवती’ विशेषण को ही लीजिये । यदि रूपवती कन्याएँ ही विवाह के योग्य हों तब ‘कुरुपा’ सब ही विवाह के अयोग्य ठहरें । उनका तब क्या बनाया जाय ? क्या उनसे जबरन ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाय अथवा उन्हें वैसे ही व्यभिचार के लिये छोड़ दिया जाय ? दोनों ही बातें अनिष्ट तथा अन्यायमूलक हैं । परन्तु एक कुरुपा का उसके

अनुरूप कुरूप वर के साथ विवाह हो जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता—उस कुरूप के लिये वह कुरूपा ‘उचिता’ ही है। अतः विवाहयोग्य कन्या ‘रूपवती’ ही हो ऐसा व्यापक नियम कदापि आदरणीय तथा व्यवहरणीय नहीं हो सकता—वह व्यक्तिविशेष के लिये ही उपयोगी पड़ सकता है। इसी तरह पर ‘पितृदत्ता’ आदि दूसरे विशेषणों की त्रुटियों का भी हाल जानना चाहिये।

भट्टारकजी उक्त पद के बाद एक दूसरा पद निम्न प्रकार से देने हैं:—

रूपधनी स्वजातीया स्वतोलच्छन्यगोत्रजा ।

भोकुं भोजयितुं योग्या कन्या बहुकुद्गमिनी ॥ ३६ ॥

यहाँ विवाहयोग्य कन्या का एक विशेषण दिया है ‘स्वजातीया’—अपनी जाति की—और यह विशेषण ‘सवर्णा’ का ही पर्यायनाम जान पड़ता है; क्योंकि ‘जाति’ शब्द ‘वर्ण’ अर्थ में भी प्रयुक्त होता है—आदिपुराण में भी वह बहुधा ‘वर्ण’ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—मूल जातियाँ भी वर्ण ही हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि यह विशेषण-पद अप्रवाल, खंडेलवाल आदि उपजातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इसके द्वारा अपनी अपनी उपजाति की कन्या से ही विवाह करने को सीमित किया गया है। अपने इस कथन के समर्थन में उन लोगों के पास एक युक्ति भी है और वह यह कि ‘यदि इस पदका आशय सवर्णा का ही होता तो उसे यहाँ देने की जरूरत ही न होती; क्योंकि भट्टारकजी पूर्वपद में इसी आशय को ‘वर्णविरुद्ध संत्यकां’ पद के द्वारा व्यक्त कर चुके हैं, वे फिर दोबारा उसी बात को क्यों लिखते ? परन्तु इस युक्ति में कुछ भी दम नहीं है। कहा जा सकता है कि एक पद में जो बात एक ढंग से कही गई है वही दूसरे पद में दूसरे ढंग से बतलाई गई है। इसके सिवाय, भट्टारकजी का सारा ग्रंथ पुनरुक्तियों से भरा हुआ है, वे इतने सावधान नहीं थे जो ऐसी बारी-

कियों पर व्याप्ति देते, उन्होंने इधर उधर से मंदि वा सप्रह किया है और इसलिये उसमें बहुतसी पुनरुक्तियाँ हो गई हैं। उदाहरण के लिये इसी अध्याय का लिंगिये, इसके तीसरे पद्धति में आप विवाहयोग्य कन्या का विशेषण ‘अन्यगोच्रमत्रा’ देते हैं और उक्त पद्धति न० ३६ में ‘अन्यगोच्रजा’ लिखने हैं, दोनों में जौनसा अर्थ-भेद है? फिर यह पुनरुक्ति न्यों बी गई? इसी तरह पर १६०वें पद्धति में ‘उद्धृत विवाहात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितुः समार्थम्’ इस वाक्य के द्वारा जो ‘पुन विवाह से छुट नहीं बाद तक पुरी का विवाह न करने की’ बात कही गई है वही १६२वें पद्धति में ‘न पुंविवाहोर्ध्वमृतुचयेऽपि विवाहकार्य दुहितुश्च कुर्यात्’ इन शब्दों में ढोड़ा गई है। ऐसी हालत में उक्त द्वेषु साध्य की मिल्दि करने में आपर्य है। फिर भी यदि वसं ही यह मान लिया जाय कि नष्टरक्षा का अशय इम पद्धति के प्रयोग में अपनी अपनी उपजाति की कन्याओं से ही नहीं किन्तु मलेच्छु जाति जैसी विजातीय कन्याओं से भी विवाह करने का विभान है— स्वयं भरतजी महागज ने, जो आदिपुराण-वार्णिन बहुत से विविधानों के उपदेष्टा हुए हैं और एक प्रकार से ‘कुलकर’ माने गये हैं, ऐसी बहुतमी कन्याओं के साथ विवाह किया है, जैसाकि आदिपुराण के निम्न पद्धति से प्रकट है—

इन्द्रुपार्यरुपायशः खात्रयन्मलेच्छभूमुजः ।

तेभ्यः कन्यादिरक्षानि प्रभोभेऽन्यान्युपाहरत् ॥ २१-१४१ ॥

कुलजात्यभिसमग्रा देव्यस्तात्रत्रमाः स्मृताः ।

रूपलात्रण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः ॥ ३७-३४ ॥

म्लेच्छदाज्ञादिभिर्त्तास्तावन्त्यो नुपवस्थभाः ।

अप्सरः संकथा क्षोणी यकामिरवतारिनाः ॥ ३७-३८ ॥

इन पदों से यह भी प्रकट है कि खजातीय कन्याएँ ही भोगयोग्य नहीं होतीं बलिक म्लेच्छ जाति तक की विजातीय कन्याएँ भी भोगयोग्य होती हैं; और इसलिये महाराजी का खजातीय कन्याओं को ही ‘भोक्तुं भोजयितुं योग्या’ लिखना ठीक नहीं है — वह आदिपुराण की नीति के विरुद्ध है ।

२—एक स्थान पर महाराजी, कन्या के स्वयंवराधिकार का नियंत्रण करते हुए लिखते हैं:—

पित्रादिवात्रभावे तु कन्या कुर्यात्स्वर्यंवाम् ।

इत्येवं केचिदाचार्याः प्राहुर्मद्विति संकटे ॥ ८३ ॥

इस पद में कन्या को ‘स्वयंवर’ का अधिकार सिर्फ उस हालत में दिया गया है जबकि उसका पिता, पितामह, भाई आदि कोई भी बांधव कन्यादान करने वाला मौजूद न हो । और साथ ही यह भी कहा गया है कि स्वयंवर की यह विधि कुछ आचार्यों ने महासंकट के समय बतलाई है । परन्तु कौन से आचार्यों ने बतलाई है ऐसा कुछ लिखा नहीं—भगवज्जिनसेन ने तो बतलाई नहीं । आदिपुराण में स्वयंवर को संपूर्ण विवाहविवियों में ‘श्रेष्ठ’ ( वरिष्ठ ) बतलाया है और उसे ‘सनातनमार्ग’ लिखा है । उसमें राजा अकम्पन की पुत्री ‘सुलोचना’ सती के जिस स्वयंवर का उल्लेख है वह सुलोचना के पिता आदि की मौजूदगी में ही बड़ी खुशी के साथ सम्पादित हुआ था । साथ ही, भरत चक्रवर्ती ने उसका बड़ा अभिनंदन किया था और उन लोगों को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य ठहराया था जो ऐसे सनातन मार्गों का पुनरुद्धार करते हैं । यथा:—

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः ।  
 विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ ४४-४२ ॥  
 तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन्यथकम्पनाः ।  
 कः प्रवर्तयिनाऽन्योऽस्य मार्गस्यैव सनातनः ॥ ४५-४५ ॥  
 मार्गांश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितरोहितान् ।  
 कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्ग्रीष्म पूज्यास्त एव हि ॥ ४५-४५ ।

ऐसी हालत में भट्टारकजी की उक्त व्यवस्था आदिपुराण के विशद्द है और इस बात को सूचित करती है कि आपने आदिपुराण की रीति, नीति अथवा मर्यादा का प्रायः कोई खयाल नहीं रखा ।

इ-एक दूसरे स्थान पर भट्टारकजी, विवाह के ब्राह्म, दैव, आर्य प्राजापत्य, आसुर, गन्धर्व, राक्षस और पैशाच, ऐसे आठ भेद करके, उनके स्वरूप का वर्णन निम्न प्रकार से देते हैं—

ब्राह्मो देवस्तथा चा [ यैवा ] र्थः प्राजापत्यस्तथा॒॒सुरः ।  
 गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ७० ॥  
 आच्छाद्य चार्ह [ चं ] यित्वा च ब्रतशीलवते स्त्रयम् ।  
 आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तिः ॥ ७१ ॥  
 यज्ञे तु वितते सम्यक् जिनाच्च [ ऋत्विंजः ] कर्म कुर्वते ।  
 अलंकृत्य सुतादानं दैवो धर्मः प्रचक्ष्यते ॥ ७२ ॥  
 एकं वस्त्रयुगं [ गोमिथुनं ] द्वे वा चरादादाय धर्मतः ।  
 कन्याप्रदानं विधिवदार्थो धर्मः स उच्यते ॥ ७३ ॥  
 सहोभौ चरतां धर्ममिति तं [ वा ] चानुभाष्य तु [ च ] ।  
 कन्याप्रदानमभ्यर्थ्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ७४ ॥  
 जातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै वैव शक्तिः ।  
 कन्या॒॒दानं [ प्रदानं ] यत्क्रियते चा [ स्वाच्छक्न्यादा ] सुरोधर्म  
 उच्यते ॥ ७५ ॥

स्वे [ ६ ] चक्रयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाज्ञ वरस्य च ।

गत्वर्वः स तु विषेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥ ७६ ॥

हत्वा भित्वा च छित्वा च क्षोशन्ती रुदनीं शुदात् ।

प्रसादा कन्याहरणं राज्ञसो विधिरुचयते ॥ ७७ ॥

सुसां गत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथिनोऽष्टमः [चाष्टमोऽधमः] ॥ ७८ ॥

विवाहभेदों का यह सब वर्णन आदिपुराण समत नहीं है—उससे नहीं लिया गया—किन्तु हिन्दुओं के प्रसिद्ध प्रथ ‘मनुस्मृति’ से उठाकर रखा गया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ये सब श्लोक, श्रेकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, क्रमशः न० २१ तथा न० २७ से ३४ तक दर्ज हैं \*। और इनमें ‘ऋत्यिजे’ की जगह ‘जि-नाची’ तथा ‘गोमिथुनं’ की जगह ‘वस्त्रयुगं’ जैसे पाठभेद भट्टारकजी के किये हुए जान पड़ते हैं।

४-इस विवाहक्रिया में भट्टारकजी ने ‘देवपूजन’ का जो विधान किया है वह आदिपुराण से बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। आदिपुराण में इस अवसर के लिये खास तौर पर सिद्धों का पूजन रखा है—जो प्रायः गार्हपत्यादि आग्निकुण्डों में सत पीठिका गंत्रो द्वारा किया जाता है—और किसी पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा के समुख वर और कन्या का पाणिप्रहणोत्सव करने की आज्ञा की है। यथा:—

सिद्धार्थनविधि सम्यग्निवर्त्य द्विजसत्तमः ।

कृताग्निवर्यसंपूजाः कुरुस्तत्साक्षि तां क्रियाम् ॥ २८-१२६ ॥

पुण्याश्रमे काचित्सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयोः ।

दम्पत्योः परथा भूत्या कार्यः पाणिप्रहोत्सवः ॥—१३० ॥

\* देखो ‘मनुस्मृति’ निर्णयसागर ब्रेस बर्वर्ड द्वारा सन् १६०६ की छुपी हुई। अन्यत्र भी इसी पड़ीशन का हवाला दिया गया है।

परंतु भट्टारकजी ने सिद्धपूजनादि की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आपने व्यवस्था की है जलदेवताओं की गंध, अक्षत, पुष्प तथा फलों से पूजा करने की, घर में बेटी बना कर उसमें गृहदेवता + की स्थापना करने तथा दीपक जलाने आदि रूप से उसकी पूजा करने की, पंचमङ्गल और नवग्रह देवताओं के पूजन की, अघोर-मंत्र से होम करने की और नागदेवताओं को बलि देने आदि की; जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है—

“ फलगन्धाकृतैः पुष्पैः सम्पूज्य जलदेवताः । ” (६१)

“ वेदां गृहाधिदेवं संस्थाप्य दीपं प्रज्वालयेत् । ” (६३)

“ पुण्याहवाचनां पञ्चात्पञ्चमण्डल पूजनम् ।

नवानां देवतानां च पूजने च यथाविधि ॥ १३३ ॥

तथैवाऽघोरमंत्रेण होमश्च समिधाहुतिभ् ।

लाजाहुतिं वधूहस्तद्वयेन च वरेण च ॥ १३४ ॥

“ शुभे मंडरे दक्षिणीकृत्य तं चै प्रदायाशु नागस्य साक्षाद्वलिं च । ” ( १६४ )

इससे साफ जाहिर है कि त्रिवर्णाचार का यह पूजन-विधान आदिपुराण-सम्मत नहीं किन्तु भगवत्जिनसेन के विरुद्ध है। रही मंत्रों की बात, उनका प्रायः वही हाल है जो पहले लिखा जा चुका है— आदिपुराण के अनुसार उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, पाठकों

+ सानीजी ने ‘ गृहाधिदेव ’ को “ कुल देवता ” समझा है परन्तु यह उनकी भूल है, क्योंकि भट्टारकजी ने चौथे अध्याय में कुल देवता से गृहदेवता को अलग बतलाया है और उसके विश्वेश्वरी, धरणेन्द्र, धीरेवी तथा कुबेर ऐसे बार भेद किये हैं। यथा—

विश्वेश्वरीधराधीशशीर्वीधनदास्तथा ।

गृहलक्ष्मीकरा केयाश्चतुर्भा वेश्यदेवताः ॥ २०५ ॥

को यहाँ पर वह जानने की ज़रूर इच्छा होगी कि वह अधोरमंत्र कौनसा है जिससे भट्टारकजी ने विवाह के अवसर पर होम करने का विधान किया है और जिसे 'कुर्याद् होमं सन्मन्त्रपूर्वकम्' वाक्य के द्वारा 'सन्मन्त्र' तक लिखा है। भट्टारकजी ने इस मंत्र को नहीं दिया परंतु वह जैन का कोई मंत्र न हो कर वैदिक धर्म का एक प्रसिद्ध मन्त्र जान पड़ता है जो हिन्दुओं की विवाह-पुस्तकों में निम्न प्रकार से पाया जाता है और जिसे 'नवरत्नविवाह पद्धति' के छुठे संस्करण में अर्थवन् वेद के १४ वें काण्ड के ६ वें अनु० का १८ वाँ मंत्र लिखा है—

"ॐ अधोरचक्षुरपतिष्ठयेऽशिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा  
वीरसूर्देवकामास्योना शशो भव दिपदे शं चतुष्पदे ।"

इस सब विधिविधान से पाठक सहज ही में समझ सकते हैं कि भट्टारकजी हिन्दू धर्म की तरफ कितने कुको हुए थे अथवा उनके संस्कार कितने अधिक हिन्दू धर्म के आचार विचारों को लिये हुए थे और वे किस ढंग से जैनसमाज को भी उसी रास्ते पर अथवा एक तीसरे ही विलक्षण मार्ग पर चलाना चाहते थे। उन्होंने इस अध्याय में वर का मधुपर्क<sup>५</sup>

\* यह मधु (शहद) का एक मिक्सचर (सम्पर्क) होता है, जिसमें दही और धी भी मिला रहता है। हिन्दुओं के यहाँ दान-पूजनादि के अवसरों पर इसकी वरी महिमा है। भट्टारकजी ने मधुपर्क के लिये (मधुपर्कार्थि) एक जगह वर को महज दही चटाई है परंतु सोनीजी को आपकी यह फीकी दही पसन्द नहीं आई और इसलिये उन्होंने पीछे से उसमें 'शकर' और मिलाई है और इस तरह पर मधु के स्थान की पूर्ति की है जिसका ज्ञाना जैनियों के लिये वर्जित है। यहाँ मधुपर्क के लिये दही का चटाया जाना हिन्दुओं की एक प्रकार की नक्कल को साफ़ जाहिर करता है।

से पूजन, वर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने लिये कन्या-वरण की प्रार्थना करना, वधू के गले में वर की दी हुई ताली बाँधना, सुवर्णदान और देवोत्थापन आदि की बहुत सी बातें हिंदू धर्म से लेकर आथवा इधर उधर से उठाकर रकड़ी हैं और उनमें से कितनी ही बातें प्रायः हिन्दूप्रथों के शब्दों में उल्लेखित हुई हैं, जिसका एक उदाहरण 'देवोत्थापन-विधि' का निम्न पद्य है—

समे च दिवसे कुर्यादेवतोत्थापनं बुधः ।

षष्ठे च विषमे नेष्टुं त्यत्का पंचमसप्तमौ ॥ १८०॥

यह 'नारद' ऋषि का वचन है। मुहूर्न चिन्तामणि की 'पीयूषधारा' टीका में भी इसे 'नारद' का वचन लिखा है। इसी प्रकरण में भट्टारकजी ने 'विवाहात्प्रथमे पौषे' नाम का एक पद्य और भी दिया है जो 'ज्योतिर्निवन्ध' प्रथ का पद्य है। परंतु उसका इस 'देवोत्थापन' प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं, उसे इससे पहले 'बधू गृह-प्रवेश' प्रकरण में देना चाहिये था, जहाँ 'बधूप्रवेशनं कार्यं' नाम का एक दूसरा पद्य भी 'ज्योतिर्निवन्ध' प्रथ से बिना नाम धाम के उद्भृत किया गया है। मालूम होता है भट्टारकजी को नकल करते हुए इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा ! और न सोनीजी को ही अनुवाद के समय इस गडबडी की कुछ ख़बर पड़ी है !!

५.—आदिप्रहण में लिखा है कि पाणिप्रहण दीक्षा के अवसर पर वर और वधू दोनों को सात दिन का ब्रह्मवर्य लेना चाहिये और पहले तीर्थभूमियों आदि में विहार करके तब अपने घर पर जाना चाहिये। घर पर पहुँच कर कङ्कण खोलना चाहिये और तत्पश्चात् अपने घर पर ही शयन करना चाहिये—श्वशुर के घर पर नहीं। यथा:—

पाणिप्रहणदीक्षायां नियुक्तं तद्धधूवरम् ।

आसत्तादं धरेद्वद्रहस्यनं देवाद्विसाक्षिकम् ॥ १३२ ॥

कान्तवा स्वस्योचितं भूमि तीर्थभूमीर्वहत्य च ।  
स्वगृहं प्रविशेहत्या परथा तद्वधुवरम् ॥ १३३ ॥  
विमुक्तकङ्गणं पश्चात्स्वगृहे शयनीयकम् ।  
अधिशश्य तथाकालं भोगाङ्गेहपलालितम् ॥ १३४ ॥

— दृढ़वौं पर्व ।

परंतु महाराकजी ने उन दोनों के ब्रह्मचर्य की अवधि तीन रात भी रखती है, गृहप्रवेश से पहले तीर्थयात्रा को जाने की कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि सीधा अपने घर को जाने की बात कही है और वहाँ तक बन्ध लगाया है कि एक वर्ष तक किसी भी आरूढ़ी तार्थ अथवा देवता के दर्शन को न जाना चाहिये; बङ्गण को प्रस्थान से पहले शशुरगृह पर ही खोल देना लिखा है और वहाँ पर चैथे दिन दोनों के शयन करने अथवा एक शश्यासन होने की भी व्यवस्था की है। जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है—

“तदनन्तरं कङ्गणमोचनं कृत्वा महाशोभया ग्रामं प्रदक्षिणीहत्य  
पथः पातिनिधुवनादिकं सुखेन कुर्यात् । स्वप्रामं गच्छेत् ॥

“विवाहे दम्पती स्यातां त्रिरात्रे व्रह्मचारिणौ ।

अलंकृता वधूष्वेव सहशश्यासनाशनौ ॥ १७२ ॥

\*इस वाक्य में ग्राम की प्रदक्षिणा के अनन्तर सुखपूर्वक दुर्घटना तथा शीसंभोगादिक ( निधुवनादिक ) करने का साक्ष विधान है और उसके बाद स्वप्राम को जाना लिखा है। परंतु सोनीजी ने अनुवाद में इसके विरुद्ध पहले अपने ग्राम को जाना और किर वहाँ संभोगादिक करना बतलाया है, जो अमले पर्यों के कथन से भी विवरण पड़ता है। कहीं आदिपुराण के साथ संगति मिलाने के लिये तो ऐसा नहीं किया गया। तब तो कङ्गण भी वहाँ स्वप्राम को आकर खुलवाना था।

धध्वा सहेव कुर्वीत निवासं भवशुरालये ।

चतुर्थदिनमत्रैव केविदेवं बदनित हि ॥ १७३ ॥

“ विवाहामन्तरं गच्छेत्सभार्यः स्वस्य मन्दिरम् ।

यदि प्रामाण्यते तत्स्यासत्र यत्नेन गम्यते ॥ १७४ ॥

× ज्ञानं सतैलं तिलमिश्रकर्म, प्रेतानुयानं करकप्रदानम् ।

अपूर्वतीर्थामरदर्शनं च विष्वर्जयेन्महालग्नोऽङ्गमेकम् ॥ १७५ ॥

इससे स्पष्ट है कि भट्टारकजी का यह सब कथन आदिपुराण के विलकुल विरुद्ध है और उनकी पूरी निरंकुशता को सूचित करता है। साथ ही इस सत्य को और भी उजाल देता है कि श्री जिनसेनाचार्य के वचनानुसार कथन करने की आपकी सब प्रतिज्ञाएँ ढौंग मात्र हैं। आपने उनके सहारे अथवा छुल से लोगों को ठगना चाहा है और इस तरह पर धोख से उन हिन्दू संस्कारों—कियाकाएडों—तथा आचार-विचारों को समाज में फैलाना चाहा है जिनसे आप स्वयं संस्कृत थे अथवा जिनको आप पसद करते थे और जो जैन आचार-विचारों आदि

× इस पद्य में, विवाह के बाद अपूर्व तीर्थ तथा देवदर्शन के निषेध के साथ एक साल तक तेल मलकर स्नान करने, तिलों के उपयोग घाला कोई कर्म करने, मृतक के पीछे जाने और करक (कम-एडलु आदि) के दान करने का भी निषेध किया है। मालूम नहीं इन सबका क्या हेतु है ? तेल मलकर नहा लेने आदि से कौनसा पाप चढ़ता है ? शरीर में कौनसी विकृति आजाती है ? तीर्थयात्रा अथवा देवदर्शन से कौनसी हानि पहुँचती है ? आत्मा को उससे क्या अलाभ होता है ? और आपने किसी लिकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर उसके शर्व के पीछे न जाना भी कौनसा शिष्टाचार है ? जैनधर्म की शिक्षाओं से इन सब बातों का कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता। ये सब प्रायः हिन्दू धर्म की शिक्षाएँ जान पड़ती हैं।

के बहुत कुछ विरुद्ध हैं। इससे अधिक धूर्ता, उत्सूत्रवादिता और ठगविद्या दूसरी और क्या हो सकती है? इनमें पर भी जो लोग, साम्राज्यिक मोहवश, भट्टारकजी को ऊचे चरित्र का व्यक्ति समझते हैं, संयम के कुछ उपदेशों का इधर उधर से संप्रह वर देने मात्र से उन्हें 'अद्वितीय संयमी' प्रतिपादन करते हैं, उनके इस त्रिवर्णाचार की दीवार को आदिपुराण के ऊपर-उसके आधारपर-खड़ी हुई बतलाते हैं और 'इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो किसी आर्थ ग्रंथ अथवा जैनागम के विरुद्ध हो' ऐसा कहने तक का दुःसाहस करते हैं, उन लोगों की स्थिति, निःसंदेह, बड़ी ही शोचनीय तथा करुणाजनक है, मालूम होता है वे भोजे हैं या दुराप्रदी हैं, उनका अध्ययन स्वल्प तथा अनुमत अल्प है, पर-साहित्य को उन्होंने नहीं देखा और न तुलनात्मक पद्धति से कभी इस प्रंथ का अध्ययन ही किया है। अस्तु ।

इस प्रंथ में आदिपुराण के विरुद्ध और भी कितनी ही बातें हैं जिन्हें लेख बढ़ जाने के भय से यही छोड़ा जाता है ।

( २ ) आदिपुराण के विरुद्ध अथवा आदिपुराण से विरोध रखने वाले कथनों का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं एक दूसरे प्रंथ को और लेता हूँ जिसके सम्बन्ध में भी भट्टारकजी का प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है और वह प्रंथ है 'ज्ञानार्थव', जो श्री शुभचन्द्राचार्य का बनाया हुआ है। इसी प्रंथ के अनुसार ध्यान का कथन करने की एक प्रतिज्ञा भट्टारकजी ने, प्रंथ के पहले ही 'सामायिक' अध्याय में, निम्न प्रकार से दी है:—

ध्यानं तावद्वहं वदामि विदुषां ज्ञानार्थवे यम्मत-  
मार्त्तं रौद्रसुधर्म्यशुक्लं चरमं तुःआदिसौख्यप्रदम् ।  
पिण्डस्थं च पदस्थरपरहिनं रूपस्थवामा परं ।  
तेषां भिन्न चतुर्थुर्विवयज्ञा भेदाः परे सम्बित वै तरव्या ॥

इस प्रतिज्ञावाक्य-द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि इस अध्याय में ध्यान का—उसके आर्त, रौद्र, धर्म, शुल्क भद्रों का, उप-भद्रों का और पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत नाम के दूसरे भद्रों का—जो कुछ कथन किया गया है वह सब 'ज्ञानार्णव' के गतानुसार किया गया है, ज्ञानार्णव से भिन्न अथवा विरुद्ध इसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु जाँचने से ऐसा मालूम नहीं होता—ग्रंथ में कितनी ही बातें ऐसी देखने में आती हैं जो ज्ञानार्णव-सम्मत नहीं है अथवा ज्ञानार्णव से नहीं ली गईं। उदाहरण के तौर पर यहां उनके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:—

(अ) 'अपायविचय' धर्मध्यान का लक्षण बतलाते हुए भट्ट-रक्जी लिखते हैं—

\* येत केन प्रकारेण जैनो धर्मो प्रवर्धते ।

तदेव क्रियते पुमिरापायविचयं मतम् ॥ ३५ ॥

अर्थात्—'जिस तिस प्रकार से जैन धर्म बढ़े वही करना अपायविचय माना गया है।' परन्तु ज्ञानार्णव में तो ऐसा कहीं कुछ माना नहीं गया। उसमें तो साफ़ लिखा है कि 'जिस ध्यान में कमें के अपाय (नाश) का उपाय सहित चिन्तवन किया जाता है उसे अपायविचय कहते हैं। यथा:—

\* इस पद्ध पर से 'अपायविचय' का जब कुछ ठीक लक्षण निकलता हुआ नहीं देखा तब सोनीजी ने वैसे ही स्त्रीचस्त्रीच कर भावार्थ आदि के द्वारा उसे अपनी तरफ से समझाने की कुछ चेष्टा की है, जिसका अनुभव विश्व पाठकों को अनुवाद पर से सहज ही में हो जाता है।

आपाक्षिचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः ।

आपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते तुवैः ॥३४—१॥

इस लक्षण के सामने भट्टारकजी का उक्त लक्षण कितना विलक्षण जान पड़ता है उसे बतलाने की जरूरत नहीं । सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं । वास्तव में, वह बहुत कुछ सदोष तथा क्लृप्तिपूर्ण है और ज्ञानार्णव के साथ उसकी संगति ठीक नहीं बैठती ।

( आ ) इसी तरह पर पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यान के जो लक्षण भट्टारकजी ने दिये हैं उनकी संगति भी ज्ञानार्णव के साथ ठीक नहीं बैठती । भट्टारकजी लिखते हैं—‘लोक में जो कुछ विद्यमान है उस सबको देह के मध्यगत चिन्तवन करना पिण्डस्थ ध्यान कहलाता है’ और ‘जिस ध्यान में शरीर तथा जीव का भेद चिन्तवन किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं’ । यथा—

“ यत्किञ्चिद्दिघते लोके तत्सर्वं देहमध्यगम् ।

इति चिन्तयते यत्तु पिण्डस्थं ध्यानमुच्यते ॥४६॥

“ शरीरजीवयोर्भेदो यत्र रूपस्थमस्तु तत् ॥ ४६ ॥

परन्तु ज्ञानार्णव में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा । उसमें पिण्डस्थ ध्यान का जो पञ्चधारणात्मक स्वरूप दिया है उससे भट्टारकजी का यह लक्षण लाजिमी नहीं आता । इसी तरह पर समवसरण विभूति सहित देवाधिदेव श्री अर्द्धतपरमेष्ठी के स्वरूप चिन्तवन को जो उसमें रूपस्थ ध्यान बतलाया है उससे यह ‘शरीरजीवयोर्भेदः’ नाम का लक्षण कोई मेल नहीं खाता ॥

\* शायद इसीलिये सोर्मीजी को भावार्थ द्वारा यह लिखना पड़ा हो कि “विभूतियुक अर्द्धतपरमेष्ठी के गुणों का चिन्तवन करना रूपस्थ ध्यान है ।” परन्तु उक्त लक्षण का यह भावार्थ नहीं हो सकता ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने स्पष्ट ध्यान के अनन्तर 'खण्डातीत' ध्यान का लक्षण एक पथ में देने के बाद 'प्रातश्चोत्थाय' से लेकर 'बडावश्यकसत्कर्म' तक १७ पद दिये हैं, जो प्रथम में 'प्रातःकाल सम्बंधी कियाएँ' और 'सामायिक' शर्विकों के साथ न० ५० से ६६ तक पाये जाते हैं। इन पदों में प्रातःकाल सम्बन्धी विचारों का कुछ उल्लेख करके सामायिक करने की प्रेरणा की गई है और सामायिक का स्वरूप आदि भी बतलाया गया है। सामायिक के लक्षण का प्रसिद्ध श्लोक 'समता सर्वभूतेषु' इनमें शामिल है, 'योग्य कालासन' तथा 'जीविते मरणे' नाम के दो पद अनगारधर्मामृत के भी उद्धृत हैं और 'पापिष्ठेन दुरात्मना' नाम का एक प्रसिद्ध पथ प्रतिक्रमण पाठ का भी यहाँ शामिल किया गया है। और इन सब पदों के बाद 'पदस्थ ध्यान' का कुछ विशेष कथन आरम्भ किया गया है। प्रथं की इस स्थिति में उक्त १७ पद यहाँ पर बहुत कुछ असम्बद्ध तथा बेंटे मालूम होते हैं—पूर्वीपर पदों आथवा कथनों के साथ उनका सम्बंध ठीक नहीं बैठता। इनमें से कितने ही पदों को इस सामायिक प्रकरण के शुरू में—'ध्यानं तावदहं चदाभिः' से भी पहले—देना चाहिये था। परंतु भट्टारकजी को इसकी कुछ भी सूझ नहीं पड़ी, और इसलिये उनकी रचना क्रममेंगादि दोषों से दूरित हो गई, जो पढ़ते समय बहुत ही खटकती है। और भी कितने ही स्थानों पर ऐसे रचनादोष पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है।

( ६ ) पदस्थ ध्यान के वर्णन में, एक स्थान पर भट्टारकजी, 'हीं' मंत्र के जप का विधान करते हुए, लिखते हैं—

हवर्णान्तः पाश्वजिनोऽधोरेफस्तलगतः सधरेन्द्रः  
तुर्यस्वरः सविन्दुः स भवेत्पश्चाचतीसङ्घः ॥ ७२ ॥

त्रिभुवनजनमोहकरी विद्येयं प्रश्नपूर्वनमनान्ता ।

एकाक्षरीति संज्ञा जपतः फलदायिनी नित्यम् ॥ ७३ ॥

यहाँ 'हीं' पद में हकार को पार्श्वनाथ भगवान का, निम्न के इकार को तत्त्वगत धरणेन्द्र का और विन्दुसहित ईकार को पद्मावती का वाचक बतलाया है—अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि यह 'हीं' मंत्र धरणेंद्र पद्मावती सहित पार्श्वनाथ जिनेंद्र का घोतक है। साथ ही, इसके पूर्व में 'उँ' और अंत में 'नमः' पद लगा कर 'उँ हीं नमः' ऐसा जप करने की व्यवस्था की गई है, और उसे त्रिभुवन के लोगों को मोहित करने वाली 'एकाक्षरी विद्या' लिखा है। परंतु ज्ञानार्णव में इस मंत्र का ऐसा कोई विवान नहीं है—उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि 'हीं' पद धरणेंद्रपद्मावतीसहित पार्श्व जिन का वाचक है अथवा 'उँ हीं नमः' यह एकाक्षरी विद्या है—और इसलिये भट्टारकजी का यह सब कथन ज्ञानार्णव—सम्मत न होने से उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है।

( ५ ) इसी तरह पर भट्टारकजी ने एक दूसरे मंत्र का विधान भी निम्न प्रकार से किया है:—

उँनमः सिद्धमित्येतन्मंत्रं सर्वसुखप्रदम् ।

जपतां फलतीहेष्टं स्वयं स्वगुणजृभितम् ॥ ८२ ॥

इसमें 'उँनमः सिद्धं' मंत्र के जाप की व्यवस्था की गई है और उसे सर्व सुखों का देने वाला तथा इष्ट फल का दाता लिखा है। यह मंत्र भी ज्ञानार्णव में नहीं है। अतः इसके सम्बन्ध में भी भट्टारकजी का प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है।

इस पद के बाद प्रथम में, 'इत्थं मंत्रं स्मरति सुगुणं यो नरः सर्वकालं' ( ८३ ) नामक पद के द्वारा आग तौर पर मंत्र स्मरण के फल का उल्लेख करके, एक पद निम्न प्रकार से दिया है:—

अथ मंत्रो महामंत्रः सर्वपापविनाशकः ।

अष्टोत्रशतं जसो धर्ते कार्याणि सर्वशः ॥ ८४ ॥

इस पद में जिस मंत्र को सर्वपापविनाशक महामंत्र बतलाया है और जिसके १०८ बार जपने से सर्व प्रकार के कार्यों की सिद्धि होना लिखा है वह मंत्र कौनसा है उसका इस पद से अथवा इसके पूर्ववर्ती पद से कुछ भी पता नहीं चलता । ‘ॐनमः सिद्धं’ नाम का वह मंत्र तो हो नहीं सकता जो ८२ वें पद में वर्णित है; क्योंकि उसके सम्बन्ध का ८३ वें पद द्वारा विच्छेद हो गया है । यदि उस से अभिप्राय होता तो यह पद ‘हृत्थं मंत्रं’ नामक ८३ वें पद से पहले दिया जाता । अतः यह पद यहाँ पर असम्बद्ध है । सोनीजी कहते हैं इसमें ‘अपराजित मंत्र’ का उल्लेख है; पैतीस अक्षरों का अपराजित मंत्र (‘णमो अरहंताणं’ आदि) बेशक महामंत्र है और वह उन सब गुणों से विशिष्ट भी है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है परन्तु उससे यदि अभिप्राय या तो यह पद ‘अपराजित् मंत्रोऽयं’ नामक ८० वें पद के ठीक बाद दिया जाना चाहिये या । उसके बाद ‘षोडशात्त्वरविद्या’ तथा ‘ॐनमः सिद्धं’ नामक दो मंत्रों का और विधान बीच में हो ऊका है, जिससे इस पद में प्रयुक्त हुए ‘अयं’ (यह) पद का वाच्य अपराजित मंत्र नहीं रहा । और इस लिये अपराजितमंत्र की दृष्टि से यह पद यहाँ और भी असम्बद्ध है और वह भट्टारकजी की रचनाचातुरी का भण्डाफोड़ करता है ।

इस पद के बाद पाँच पद और हैं जो इससे भी ज्यादा असम्बद्ध हैं और वे इस प्रकार हैं:—

हिंसानृतान्यदारेच्छा चुरा चातिपरिप्रहः ।

अमूनि पंच पापानि दुःखदायीनि संसृतौ ॥ ८५ ॥

अष्टोत्रशतं भेदास्तेषां पृथगुदाहताः ।

हिंसा तत्र कृता पूर्व करोति च करिष्यति ॥ ८६ ॥

मनोव्यवहार कार्यीक ते तु गुणिता नवं ।

पुनः स्वयं कृतकारितां द्वयैर्गुणाहतिः ॥ ८७ ॥

लक्षणित्वात्मेस्ते मेदाः कथायैर्गुणयेष्टाम् ।

अद्योत्तरणात् वैयस्त्वादिषु तात्पर्यम् ॥ ८८ ॥

पृथ्वीपानीयतेजः पवनसुतरवः स्थावरः पंचकार्याः ।

निश्चानित्यौ निगोदौ युगलशिखित्वतुः संहस्रांडितसाः स्मृतः ।

एते प्रोक्ताः जिनेद्वार्त्वश परिगुणिता वाक्मनः कायभैर्व-

स्ते चान्वैः कारितादैखिभिरपि गुणिनाऽनुशृण्यैकसंव्याप्तिः ॥ ८९ ॥

इन पदों में से पहले पद में हिंसादिक पंच पार्णों के नाम देकर लिखा है कि 'ये पाँचों पाप संसार में दुःखदायी हैं' और इसके बाद तीन पदों में यह बतलाया है कि इन में से प्रत्येक पाप के १०८ भेद हैं। जैसे हिंसा पहले थी, अब करता है, आगे करेगा ऐसे तीन भेद हुए; इनको मन-वचन-काय से गुणने पर हृ भेद; कृत-कारित-अनुमोदना से गुणने पर २७ भेद और फिर चार कषायों से गुणने पर १०८ भेद हिंसा के हो जाते हैं। इसी तरह पर असत्यादिक के भेद जानने। और पाँचवें पद में हिंसादिक का कोई विकल्प उठाए बिना ही दूसरे प्रकार से १०८ भेदों को सूचित किया है—लिखा है 'पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वृक्ष, (चन्द्रपति) ऐसे पाँच स्थावर काय, नित्य निगोद, अनित्य निगोद, दीद्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुर्निद्रिय, संज्ञिपञ्चनिद्रिय, और असाङ्गिपञ्चनिद्रिय ऐसे बारह भेद\* जिनेद्र भगवान ने कहे हैं। इनको मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, अनुमोदना, से गुणने पर १०८ भेद हो जाते हैं'।

\*ये बारह भेद भगवान ने किसके कहे हैं—जीवों के, जीधहिंसा के या असत्यादिक के, येसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। और न यही बतलाया कि ये पिछले भेद यदि जिनेद्र भगवान के कहे हुए हैं तो गहले भेद किसके कहे हुए हैं अथवा दोनों का ही कथन विकल्प कंपसे भगवान का किया हुआ है।

यही उक्त पदों का परिचय है। इस परिचय पर से सहदय पाठक सहज ही में इस बातका अनुभव कर सकते हैं कि ये सब पथ यहाँ पर पदस्थ ध्यान के वर्णन में, पूर्वापर सम्बन्ध अथवा कथनक्रम को देखते हुए, कितने असंबद्ध तथा बेढ़ंगे मालूम होते हैं और इनके यहाँ दिये जाने का उद्देश्य तथा आशय कितना अस्पष्ट है। एकसौ आठ भेदों की यह गणना भी कुछ विलक्षण जान पड़ती है—भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालके भेद से भी हिंसादिक में कोई प्रकार-भेद होता है यह बात इस प्रथसे ही पहले पहल जानने को मिली। परंतु यह बात चाहे ठीक हा या न हो किन्तु ज्ञानार्थके विरुद्ध जरूर है; क्योंकि ज्ञानार्थमें हिंसाके भूत, भविष्यत् और वर्तमान ऐसे कोई भेद न करके उनकी जगह पर संरंभ, समारंभ, और आरंभ, नाम के उन भेदों का ही उल्लेख किया है जो दूसरे तत्वार्थ प्रथों में पाये जाते हैं; जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है—

संरभादित्रिकं योगैः कथायैर्व्याहतं क्रमात् ।

शतमष्टाधिकं लेयं हिंसा भेदैस्तु पिरिडतम् ॥८-१०॥

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनीजी ने अपनी अनुवाद पुस्तक में पथ नं० ८८ और ८९ के मध्य में ‘उक्तं च तत्वार्थं’ वाक्य के साथ संरंभसमारंभारंभयोग’ नाम के तत्वार्थ सूत्र का भी अनुवादसहित इस ढंग से उल्लेख किया है जिससे वह भट्टारकजी के द्वारा ही उद्भृत जान पड़ता है। परंतु मराठी अनुवाद वाली प्रति में वैसा नहीं है। हो सकता है कि यह सोनीजी की ही अपनी कर्तृत हो। परंतु यदि ऐसा नहीं है किन्तु भट्टारकजी ने ही इस सूत्र को अपने पूर्व कथन के समर्थन में उद्भृत किया है और वह ग्रन्थ की कुछ प्राचीन प्रतियों में इसी प्रकार से उद्भृत पाया जाता है तो कहना होगा कि भट्टारकजी ने इसे देकर अपनी रचना

को और भी बेढ़ंगा किया है—क्योंकि इससे पूर्व कथन का पूरीतरह पर समर्थन नहीं होता—अथवा यों कहिये कि सर्व साधारण पर यह प्रकट किया है कि उन्होंने संरंभ, समारंभ तथा आरंभ का अभिग्राय क्रमशः भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् काल समझा है। परंतु ऐसा समझना भूल है; क्योंकि पूरुषपाद् जैसे आचार्यों ने सर्वार्थसिद्धि आदि प्रथाओं में प्रयत्नावेश को 'संरंभ' साधनसमर्थ्यासीकरण को 'समारंभ' और प्रक्रम या प्रथमप्रवृत्ति को 'आरंभ' बतलाया है।

( ३ ) उक्त पाँचों पथों के अनन्तर प्रथ में वशीकरण, आकर्षण संभन, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, शातिकरण और पौष्टिक कर्म नाम के आठ कर्मों के सम्बन्ध में जप की विधि बतलाई गई है—अर्थात् यह प्रकट किया गया है कि किस कर्मविषयक मंत्र को किस समय, किस आसन तथा मुद्रा से, कौनसी दिशा की ओर मुख करके, कैसी माला लेकर और मंत्र में कौनसा पञ्चव लगाकर जपना चाहिये। साथ ही, कुछ कर्मों के सम्बन्ध में जप के समय माला का दाना पकड़ने के लिये जो जो अङ्गुली अङ्गुठे के साथ काम में लाई जावे उसका भी विधान किया है। यह सब प्रकार का विधि-विधान भी ज्ञानार्णव से बाहर की चीज़ है—उससे नहीं लिया गया है। साथ ही, इस विधान में मालाओं का कथन दो बार किया गया है, जो दो जगहों से उठाकर रक्षा गया मालूम होता है और उससे कथन में कितना ही पूर्वपर विरोध आगया है। यथा:—

\* स्तंभकर्मणि । .....माला स्वर्णमणिभिता ॥ ६४ ॥

\* अर्थात्—एक जगह स्तंभ कर्म में स्वर्णमणि की माला का और निषेध (मारण) कर्म में जीवापूते की मालाका (जिसे सोनीजीवे पुण जीवे भासक किसी मणि की—रक्त की—माला समझा है ! ) विधान किया है तब दूसरी जगह स्तंभन तथा दुष्टों के सम्मान दोनों

विषेधकर्मणि ..... पुत्रजीवकृतमाला ॥ ६६ ॥  
 स्तंभने दुष्प्रसादाशे जपेत् प्रस्तरकर्त्तराम् ॥ १०८ ॥  
 ×            ×            ×            ×  
 विद्वेषकर्मणि ..... पुत्रजीवकृतमाला ॥ ६८ ॥  
 विद्वेषेऽरिष्टीजज्ञा ॥ १०९ ॥  
 ×            ×            ×            ×  
 शांतिकर्मणि ..... मौक्षिकानां माला ॥ १०१ ॥  
 शास्त्रये .. जपेदुत्पलमालिकाम् ॥ ११० ॥

मालूम होता है भट्टारकजी को इस विरोध की कुछ भी खबर नहीं पहीं और वे चैसे हीं बिना सोचे समझे इवर उधर से पद्मों का संग्रह कर गये हैं। ११० वें पथ के उत्तरार्थ में आप लिखते हैं—‘षद्-कर्मणि तु प्रोक्ष्यनि पङ्कवा अन उच्यते’—अर्थात् छुइ कर्म तो कहे गये अब पङ्कवों का कथन किया जाता है। परन्तु कथन तो आपने इससे पहले वशीकरण आदि आठ कर्मों का किया है फिर यह छुइकी संख्या कैसी? और पङ्कवों का विधान भी आप प्रत्येक कर्म के साथ में कर चुके हैं फिर उनके कथन की यह नई प्रतिज्ञा कैसी? और उस प्रतिज्ञा का पालन भी क्या किया गया? पङ्कवों की कोई खास व्यवस्था नहीं बतलाई गई, महज कुछ मंत्र दिये हैं जिनके साथ में पङ्कव भी लगे हुए हैं और वे पङ्कव भी कई स्थानों पर पूर्वी कथन के विरुद्ध हैं। मालूम नहीं यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी क्या किसी नशे

कर्मों के लिये पत्थर के ढुकड़ों की माला बतलाए गई है। विद्वेष कर्म में यह अगह जन्मापूते की और दूसरी जगह रीढ़े के शीज की माला लिखी है और शांतिकर्म में यह अगह मोतियों की तो दूसरी जगह कमलगद्दों की माला की व्यवस्था की गई है। इस तरह पर कथन परस्परविरोध को लिये दुष्ट है।

की दासत में थे, उन्मत्त ये अथवा उन्हें इतनी भी सूक्ष ढूक नहीं पी जो अपने सामने स्थित एक ही पत्र पर के पूर्वापर विरोधों को भी समझ सकें ! और क्या इसी विरते अथवा बूते पर आप प्रंशरचना करने वैठ गये ? संभव है भट्टारकजी को घर की ऐसी कुछ ज्यादा अकल न हो और उन्होंने किराये के साधारण आदमियों से रचना का काम लिया हो और उसी की वजह से यह सब गढ़वाही फैली हो । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रयत्न का निर्माण किसी अच्छे हाथ से नहीं हुआ और इसीलिये वह पद पद पर अनेक प्रकार के विरोधों से भरा हुआ है तथा बहुत ही बेदंगेपन को लिये हुए है ।

यहाँ पर पाठकों को यह जानकर बढ़ा ही शार्थ्य तथा कौतूहल होगा कि भट्टारकजी ने 'सामायिक' के इस अध्याय में विद्वेषण तथा मारण मंत्रों तक के जप का विधान किया है \* और ऐसे दुष्ट कार्यार्थी मंत्रों के जप का स्थान इमशान भूमि+ बतलाया है ॥ खेद है जिस सामायिक की बाबत आपने स्वयं यह प्रतिपादन किया है कि 'उसमें सब जीवों पर समता भाव रखना जाता है, संयम में शुभ भावना रहती है तथा आर्त-रौद्र नाम के अशुभ ध्यानों का त्याग होता है' और जिसके विषय में आप यहाँ तक शिक्षा दे आए हैं कि ' उसके अभ्यासी को जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, योग वियोग, बन्धु-शत्रु तथा सुख-दुख में सदा समता भाव रखना चाहिये—रागद्वेष नहीं करना चाहिये' उसी सामायिक के प्रकरण में आप विद्वेष फैलाने तथा किसी को मारने तक के मंत्रों का विधान करते हैं !! यह कितना भारी विरोध तथा

"यथा:-ॐ ह्रीं अर्हद्वयो ह्रीं फट्, ऊँ ह्रीं सिद्धेभ्यो ह्रीं फट्,  
इत्यादि-विद्वेषमंत्रः ।

ऊँ ह्रीं अर्हद्वयो धेष्वे हस्ति ( इत्यादि ! ) मारणमंत्रः ।  
+यथा:-इमशाने कुछकार्यार्थं शान्त्याचर्थीजिनालये ॥११८॥

अन्याय है। क्या ऐसे पाप मंत्रों का जपना भी 'सामायिक' हो सकता है? कदापि नहीं। ऐसे मारणादि—विषयक मंत्रों का आराधन प्रायः हिंसा-नन्दी रौद्र ध्यान का विषय है और वह कभी 'सामायिक' नहीं कहला सकता। भगवज्ञिनसेन ने भी ऐसे मंत्रों को 'तुम्र्च' बतलाया है जो प्राणियों के मारण में प्रयुक्त होते हैं॥ भले ही उनके साथ में अहन्तादिक का नाम भी क्यों न लगा हो। और इसलिये यहाँ पर ऐसे मंत्रों का विधान करके सामायिक के प्रकारण का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया गया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और इससे भट्टाकर्जी के विवेक का और भी अच्छा खासा पता चल जाता है अथवा यह मालूम हो जाता है कि उनमें हेयादेय के विचार अथवा समझबूझ का मादा बहुत ही कम था। फिर वे बेचारे अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन भी कहाँ तक कर सकते थे, कहाँ तक वैदिक तथा लौकिक व्यायोह को छोड़ सकते थे और उनमें चारित्रबल भी कितना हो सकता था, जिससे वे अपनी अशुभ प्रवृत्तियों पर विजय पाते और मायाचार अथवा छुलकपट न करते। अस्तु।

यह तो हृष्णा प्रतिज्ञादि के विरोधों का दिग्दर्शन। अब मैं दूसरे प्रकार के विरुद्ध कथनों की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, जो इस विषय में और भी यादा महत्व को लिये हुए हैं और ग्रंथ को सविशेष रूपसे अमान्य, अश्रद्धेय तथा त्याज्य ठहराने के लिये समर्थ हैं।

## दूसरे विरुद्ध कथन।

लेख के इस विभाग में प्रायः उन कथनों का दिग्दर्शन कराया जायगा जो जैनधर्म, जैनसिद्धान्त, जैननीति, जैनधार्दर्श, जैन आचार-विचार अथवा जैनशिष्टाचार आदि के विरुद्ध हैं और जैनशासन के

\* पथः तुम्र्चास्तेऽत्र विज्ञेया ये युक्ताः प्राणिमारणे

साथ जिनका प्रायः बाँई मेल नहीं । इससे पाठकों पर ग्रंथ की अस-  
लियत और भी अच्छी तरह से खुल जायगी और उन्हें प्रयोक्ता की  
मनोदशा का भी कितना ही विशेष अनुभव हो जायगा अथवा यों कहिये  
कि भट्टारकजी की अद्वा आदि का उन्हें बहुतसा पता चल जायगा:—

### देव, पितर और ऋषियों का घेरा ।

( १ ) 'शौच' नाम के दूसरे अध्याय में, कुरला करने का विधान  
करते हुए, भट्टारकजी ने लिखा है—

\* पुरतः सर्वदेवाभ्य दक्षिणे व्यन्तराः [ पितरः ] स्थिताः [ तथा ] ।

ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गणहृषमुत्सुजेत् [ माचरेत् ] ॥ ६० ॥

\* इस पद्य के अनुवाद में सोनजी ने बहुत माशा किया है ।  
आपने 'पुरतः' का अर्थ 'पूर्व की तरफ', 'पृष्ठतः' का अर्थ 'पश्चिम  
की ओर' और 'वामे' पद के साथ मौजूद होते हुए भी 'दक्षिणे'  
का अर्थ दाहिनी ओर न करके, 'दक्षिण दिशा की तरफ' यात्रा किया  
है और इस सरल यात्रा के कारण ही पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम  
दिशाओं में क्रमशः सर्व देवों, व्यन्तरों तथा सर्व ऋषियों का निवास  
बतला दिया है ! परन्तु 'वामे' का अर्थ आप 'उत्तर दिशा' न कर  
सके और इसलिये आपको "इन तीन दिशाओं में कुरला न फेंके"  
के साथ साथ यह भी लिखना पड़ा— "किन्तु आपनी बाँई ओर फेंके" ।  
परन्तु बाँई ओर यदि पूर्व दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, अथवा पश्चिम  
दिशा हो तब क्या बने और कैसे बाँई ओर कुरला करने का नियम  
क्रायम रहे ? इसकी आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ी ! और न यही  
खबर आया कि जैनागम में कहाँ पर ये दिशाएँ इन देवादिकों के  
लिये मखसूस अथवा निर्धारित की गई हैं !! वेसे ही बिना सोचे  
समझे जो जी मैं आया लिख मारा !! यह भी नहीं सोचा कि यदि

अर्थात्— सामने सर्व देख, दौहिनी और अंतर ( पितर ) और पीठ पिछाई सर्व ऋषि खड़े हैं अतः बाँई तरफ कुरला करना चाहिये । और इस तरह पर यह सूचित किया है कि मनुष्य को तीन तरफ से देव, पितर तथा ऋषिगण बेरे रहते हैं, कुरला कहीं उनके ऊपर न पड़जाय उसके लिये यह अहतियात की गई है । परंतु उन लोगों का यह बेरा कुरले के बहत ही होता है या स्वाभाविक रूप से हरवक्त रहता है, ऐसा कुछ सूचित नहीं किया । यदि कुरले के बहत ही होता है तो उसका कोई कारणविशेष होना चाहिये । क्या कुरले का तमाशा देखने के लिये ही ये सब लोग उनके इरादे की जगह पाकर जमा हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो वे लोग आकाश में कुरला करने वाले के सिर पर खड़े होकर भी तमाशा देख सकते हैं और छीटों से बच सकते हैं । उनके लिये ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं—वह निरर्थक जान पड़ती है । और यदि उनका बेरा बराबर में हरवक्त बना रहता है तब तो बड़ी मुश्किल का सामना है—इधर तो उन बेचारों को बड़ी ही कवाहद सी करनी पड़ती होगी, क्योंकि मनुष्य जल्दी २ अपने मुख तथा आसन को इधर से उधर बदलता रहता है, उसके साथ में उन्हें भी जल्दी से पैतरा बदल कर बिना इच्छा भी घूमना पड़ता होगा !! और उधर मनुष्यों का थूकना तथा नाक साफ करना भी तब इधर उधर नहीं बन सकेगा, जिसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई । यह मल भी तो कुरले के जल से कुछ कम अपवित्र नहीं है । और, इसकी व्यवस्था भी हो सकेगी और यह मल भी बाँई और पेंका जा सकेगा, पर मूत्रोत्सर्ग के समय—जो उत्सर्ग के सामने की ओर

---

पूर्व की ओर सोरे देख रहते हैं तो किर इस म्र्यालय में ही पूर्व की ओर मुँह करके मस्तिष्क करने को क्यों कहा गया है ? क्या कुरला मूज की भार से भी मरा चीता है ?

ही होता है — देवताओं की क्या व्यवस्था बनेगी, यह कुछ समझ में नहीं आता ! ! परंतु समझ में कुछ आओ या न आओ, कोई व्यवस्था बनो या न बनो, कही मुशकिल का सामना करना पड़ो या छोटी मुशकिल का और कुरसे के बक्क पर उन देवादिकों के उपस्थित होने का भी कोई कारण हो या न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जैनधर्म के साथ इस सब कथन का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है — उसकी कोई संगति ठीक नहीं बैठती । जैनधर्म में देवों, वितरों तथा ऋषियों का जो स्वरूप दिया है अथवा जीवों की गति-स्थिति आदि का जो निरूपण किया है उसे देखते हुए भट्टारकजी का उक्त कथन उसके बिलकुल विरुद्ध जात पड़ता है और उस अतत्व श्रद्धान को पुष्ट करता है जिसका नाम मिथ्यात्म है । मालूम नहीं उन्होंने एक जैनी के रूप में उसे किस तरह अपनाया है । वास्तव में यह सब कथन हिन्दू-धर्म का कथन है । उक्त लोक भी हिन्दुओं के 'प्रयोगपरिज्ञात' मंथ का स्रोक है; और वह 'आनिष्टक-सूत्रावलि' में भी, बैकिठों में दिये हुए पाठमेद के साथ, प्रयोगपरिज्ञात से उद्धृत पाया जाता है । पाठमेद में 'पितरः' की जगह 'दयन्तराः' पद का जो विशेष परिवर्तन नज़र आता है वह अधिकांश में लेखकों की लीका का ही एक नमूना जान पड़ता है । अन्वया, उसका कुछ भी महत्व नहीं है, और सर्व देवों में व्यन्तर भी शाविष हैं ।

### दन्तधावन करने वाला पापी ।

( २ ) त्रिवण्णचार के दूसरे अध्याय में, दन्तधावन का वर्णन करते हुए, एक पथ निष्ठ प्रकार से दिया है —

सहस्रांशावनुदिते यः कुर्याद्मतधावनम् ।

अ पापी मरणं याति सर्वजीवद्यातिगः ॥ ७१ ॥

इसमें लिखा है कि 'सूर्योदय से पहले जो मनुष्य दन्तधावन करता है वह पापी है, सर्व जीवों के प्रति निर्दयी है और ( ज़हदी ) मर जाता

है । परंतु उसने पाप का कौनसा विशेष कार्य किया ? कैसे सर्व जीवों के प्रति उसका निर्देशन प्रमाणित हुआ ? और शरीर में कौनसा विकार उपस्थित हो जाने से वह जल्दी मर जायगा ! इन सब बातों का उक्त पद्धति से कुछ भी बोध नहीं होता । आगे पीछे के पद्धति भी इस विषय में मौन हैं और कुछ उत्तर नहीं देते । लोकव्यवहार भी ऐसा नहीं पाया जाता और न प्रत्यक्ष में ही किसी को उस तरह से जल्दी मरता हुआ देखा जाता है । मालूम नहीं भट्टारकजी ने कहाँ से ये निर्मूल आङ्गाँ जारी की हैं, जिनका जैननीति अथवा जैनागम से कोई समर्थन नहीं होता । प्राचीन जैनशास्त्रों में ऐसी कोई भी बात नहीं देखी जाती जिससे बेचारे प्रातःकाल उठ कर दन्तधावन करने वाले एक साधारण गृहस्थ को पापी ही नहीं किन्तु सर्व जीवों के प्रति निर्देशी तक ठहराया जाय । और न शरीरशास्त्र का ही ऐसा कोई विधान जान पड़ता है जिससे उस बक्त का दन्तधावन करना मरण का साधन हो सके । बागभट जैसे शरीरशास्त्र के आचार्यों ने ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर शौच के अनंतर प्रातःकाल ही दन्तधावन का साफ़ तौर से विधान किया है । वह स्वास्थ्य के लिये कोई हानिकर नहीं हो सकता । और इसलिये यह सब कथन भट्टारकजी की प्रायः अपनी बाल्पन्ना जान पड़ता है । जैनधर्म की शिक्षा से इसका कोई खास सम्बंध नहीं है । लेद है कि भट्टारकजी को इतनी भी खबर नहीं पड़ी कि क्या प्रातःसंध्या बिना दन्तधावन के ही हो जाती है \* जिसको आप स्वयं ही 'सूर्योदयाच्च प्रागेव प्रातःसंध्या समापयेत् ( ३-१३५ )' वाक्य के द्वारा सूर्योदय से पहले ही समाप्त कर देने को लिखते हैं ॥ यदि खबर पड़ती तो आप व्यर्थ ही ऐसे

\*नहीं होती । भट्टारकजी ने खुद संध्या समय के स्थान को ज़रूरी बतलाते हुए उसे दन्तधावनपूर्वक करना लिखा है । यथा—  
सन्ध्याकाले । कुर्यात्स्नानश्यं जिह्वादन्तधावनपूर्वकम् ॥१०७-११॥

निःसार वाक्य द्वारा अपने कथन में विरोध उपस्थित न करते । अस्तु; इसी प्रकार ए में भट्टारकजी ने दो पद निम्न प्रकार से भी दिये हैं—

गुवा [ डा ] कतालहिन्तालकेतक्य [ का ] अ महा [ वृहद् ] वटः ।

खर्जूरी नालिकेरश्च ससैते तृणराजकाः ॥ ६६ ॥

तृणराजसमोरेतो [ तं ] यः कुर्याह्नतधावनम् ।

निर्दयः पापभागी स्यादनन्तकायिकं त्यजेत् ॥ ६७ ॥

इनमें से पहले पद में सात वृक्षों के नाम दिये हैं, जिनकी 'तृणराज' संज्ञा है और जिनमें बड़ तथा खजूर भी शामिल हैं । और दूसरे पद में यह बतलाते हुए कि 'तृणराज' की जो दाँतन करता है वह निर्दयी तथा पाप का भागी होता है,' परिणाम रूप से यह उपदेश भी दिया है कि '( अतः ) अनन्तकायिक को छोड़ देना चाहिये' । इस तरह पर भट्टारकजी ने इन वृक्षों की दाँतन को अनन्तकायिक बनलाया है और शायद इसीलिये ऐसी दाँतन करने वाले को निर्दयी तथा पाप का भागी ठहराया हो ! सोनीजी ने भी अनुवाद में लिख दिया है—“क्योंकि इनकी दत्तैन के भीतर अनन्त जीव रहते हैं ।” परंतु जैनसिद्धान्त में 'अनन्तकायिक' अथवा 'साधारण' बनस्पति का जो स्वरूप दिया है— जो पहिचान बतलाई है—उससे उक्त बड़ तथा खजूर आदि की दाँतन का अनन्तकायिक होना लाजिमी नहीं आता । और न किसी माननीय जैनाचार्य ने इन सब वृक्षों की दाँतन में अनन्त जीवों का होना ही बतलाया है । प्राचीन जैनशास्त्रों में तो 'सप्त तृणराज' का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता । भट्टारकजी ने उनका यह कथन हिन्दू-धर्म के ग्रंथों से उठा वर रखा है । उक्त पदों में से पहला पद और दूसरे पद का पूर्वाध दोनों 'गोभिल' शब्द के बचत हैं और वे ग्रैकिटों में दिये हुए पाठमेद के साथ 'रमृतिरलाकर !' में भी 'गोभिल' के नाम से उल्लेखित मिलते हैं । गोभिल ने दूसरे पद का उत्तरार्थ 'नरश्चारुडाल-

योनिः स्याद्याबद् गंगां न पश्यति' दिया था जिसको भट्टारकजी ने 'निर्देषः पापभागी स्यादनंतकायिकं त्यजेत्' के रूप में बदल दिया है । और इस तरह पर ऐसी दाँतन करने वाले को पापी आदि सिद्ध करने के लिये उन दाँतों में ही अनंत जीवों की कल्पना कर डाली है । जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं । और न उसके आधार पर ऐसी दाँतन करने वाले को पापी तथा निर्देषी ही ठहराया जा सकता है । खेद है कि भट्टारकजी ने स्वयं ही दो पद पहले—६३ वें पद में—'बटस्तथा' पद के द्वारा, बाग्मट आदि की तरह, बड़ की दाँतन का विधान किया और ६४ वें पद में 'एताः प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि' वाक्य के द्वारा उसे दन्तधावन कर्म में श्रेष्ठ भी बतलाया परंतु बाद को गोमिल के वचन सामने आते ही आप, उनके कथन की दृष्टि और आपनी स्थिति का विचार भूल कर, एक दम बदल गये और आपको इस बात का भान भी न रहा कि जिस बड़की दाँतन का हम अभी विधान कर आए हैं उसका अब निषेध करने जारहे हैं । इससे कथन की विरुद्धता ही नहीं किंतु भट्टारकजी की खासी असमीद्यकारिता भी पाई जाती है ।

### तेल भलने की विलक्षण फलघोषणा ।

( ३ ) दूसरे अध्याय में, तेलमर्दन का विधान करते हुए, भट्टारकजी ने उसके फल का जो बखान किया है वह बड़ा ही विलक्षण है । आप लिखते हैं—

सोमे कीर्तिः प्रसरति घरा रोद्विषेये हिरण्यं  
देवाचार्ये तदश्चित्तनये बर्घते नित्यमागुः ।  
तैलाभ्यक्षात्तनुजमरणं दृश्यते सूर्यकारे  
भौमे शृन्युभवति च नितरहं भार्गवे वित्तनाशः ॥ ८४ ॥

अर्थात्—सोमवार के दिन तेल भलने से उत्तम कीर्ति फैलती है,

मुध के दिन तेल मलने से सुखरणी की बढ़ि होती है—ज्यदा बढ़ती है—गुरुवार तथा शनिवार के दिन मलने से सदा आयु बढ़ती है, रविवार के दिन मलने से पुत्र का मरण होता है, मंगल के दिन की मालिश से अपना ही मरण हो जाता है और शुक्रवार के दिन की मालिश सदा धन का क्षय किया करती है।

तेल की मालिश का यह फल कितना प्रत्यक्षविरुद्ध है इसे बतलाने की जरूरत नहीं। सहृदय पाठक अपने नित्य के अनुभव तथा व्यवहार से उसकी सहज ही में जाँच कर सकते हैं। इस विषय की और भी गहरी जाँच के लिये जैनसिद्धान्तों को बहुत कुछ टोला गया और कर्म फ़िल्हासोंकी का भी बहुतेरा मरण किया गया परंतु कहीं से भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे प्रत्येक दिन के तेल मर्दन का उसके उक्त फल के साथ अविनाभावी सम्बन्ध ( व्याप्ति ) स्थापित हो सके। वैष्णव शास्त्र के प्रधान ग्रंथ भी इस विषय में मौन मालूम होते हैं। वारभट आचार्य अपने 'अष्टांगहृदय' में नित्य तेल मर्दन का विधान करते हैं और उसका फल बतलाते हैं—'जरा, श्रम तथा वात विकार की हानि, दृष्टि की प्रसन्नता, शरीर की पुष्टि, आयु की स्थिरता, सुनिद्रा की प्राप्ति और त्वचा की दृढ़ता।' और यह फल बहुत कुछ समीचीन जान पड़ता है। यथा—

अभ्यंगमाचरेत्तिं स जराश्वातहा ।

दृष्टिप्रसादपुष्टयायुःस्त्रमसुत्वत्त्वदार्ढलत् ॥ ८ ॥

हाँ, इस हूँड खोज में, शब्दकल्पद्रुम कोश से, हिन्दू शास्त्रों के दो पद्य जरूर मिले हैं जिनका विषय भट्टारकजी के पद के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है और वे इस प्रकार हैं—

१—अर्केनूनं ददति हृदयं कीर्तिलाभम् खोमे

भौमे मृत्युर्भवति नियतं अन्द्रजे पुत्रकामः ।

अथगलानिर्भवति च गुरौ भारीवे शोकयुक्त-  
स्तैलाभ्यंगात्तनयमरणं सूर्यजे दीर्घमायुः ॥

२—भन्तापः कीर्तिरह्यायुर्धने निधनमेव च ।  
आरोग्यं सर्वकामासिरभ्यंगाद्वास्करादिषु ॥

इनमें से पहला पद्य ‘ ज्योति.सारसप्रह ’ का और दूसरा ‘ गारुड ’ के ११४ वें अध्याय का पद्य है । दोनों में परस्पर कुछ अन्तर भी है—  
पहले पद्य में बुध के दिन तेल मलने से पुत्र लाभ का होना बतलाया है तो दूसरे में धनका होना लिखा है और यह धनका होना भट्टारकजी के पद्य के साथ साम्य रखता है; दूसरे में शनिवार के दिन सर्वकामासि ( इच्छाओं की पूर्ति ) का विधान किया है तो पहले में दीर्घायु होना लिखा है और यह दीर्घायु होना भी भट्टारकजी के पद्य के साथ साम्य रखता है । इसीतरह शुक्रवार के दिन तेलगईन का फल एक में ‘ आरोग्य ’ तो दूसरे में ‘ शोकयुक्त ’ बतलाया है और भट्टारकजी उसे ‘ वित्तनाश ’ लिखते हैं जो शोक का कारण हो सकता है; रविवार और गुरुवार का फल दोनों में समान है परन्तु भट्टारकजी के पद्य में वह कुछ भिन्न है और सोमवार तथा मंगल को तेल लगाने का फल तीनों में ही समान है । अस्तु; इन पर्यों के सामने आने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इस तेलगईन के फल का कोई एक नियम नहीं पाया जाता—वैसे ही जिसकी जो जी में आया उसने वह फल, अपनी रचना में कुछ विशेषता अथवा रंग लाने के लिये, एक दूसरे की देखा देखी घड़ डाला है । बहुत संभव है भट्टारकजी ने हिन्दू प्रथों के किसी ऐसे ही पद्य का यह अनुसरण किया हो अथवा ज़रूरत बिना ज़रूरत उसे कुछ बदल कर या ज्यों का लो ही उठाकर रख दिया हो । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त पद्य सैद्धांतिक दृष्टि से जैनधर्म के विरुद्ध है और जैनाचार-विचार के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखता ।

## रविवार के दिन स्नानादिक का निषेध ।

( ४ ) भट्टारकजी दूसरे आध्याय में यह भी लिखते हैं कि रविवार ( इतवार ) के दिन दन्तधावन नहीं करना चाहिये, तेज़ नहीं मलना; चाहिये और न स्नान ही बरना चाहिये । यथा—

अर्कचारे व्यतीपते संकान्तौ जन्मवासरे ।

वर्जयेद्दन्तकाष्ठं तु व्रतादीनां दिनेषु च ॥ ६६ ॥

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पंचम्यामर्कवासरे ।

व्रतादीनां दिनेष्वेव न कुर्यात्तेलमर्दनम् ॥ ६७ ॥

तस्मात्सनानं प्रकर्तव्यं रविवारे तु वर्जयेत् ॥ ६७ ॥

तेलमर्दन की बाबत तो खैर आपने लिख दिया कि उससे पुत्र का मरण हो जाता है परन्तु दन्तधावन और ज्ञान की बाबत कुछ भी नहीं लिखा कि उन्हें क्यों न करना चाहिये ? क्या उनके करने से रवि महाराज ( सूर्यदेवता ) नाराज हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो लोगों को बहुत कुछ विपत्ति में पड़ना पड़ेगा; क्योंकि अधिकांश जनता रविवार के दिन सविशेष रूप से ज्ञान करती है—खुद्दी का दिन होने से उस दिन बहुतों को अच्छी तरह से तेलादिक मलकर ज्ञान करने का अवसर मिलता है । इसके सिवाय, उस दिन भगवान का पूजनादिक भी न हो सकेगा, जो भट्टारकजी के कथनानुसार दन्तधावनपूर्वक ज्ञान की अपेक्षा रखता है; उन देवपितरों को भी उसदिन प्यासे रहना होगा जिनके लिये ज्ञान के अवसर पर भट्टारकजी ने तर्पण के जल की व्यवस्था की है और जिसका विचार आगे किया जायगा; और भी लोक में कितनी ही अशुचिता छा जायगी और बहुत से धर्मकार्यों को हानि पहुँचेगी; बल्कि त्रिवर्णाचार की ज्ञानविविक्षण आवश्यकताओं को देखने हुए तो यह कहना भी कुछ अत्युक्ति में दाखिल न होगा कि धर्मकार्यों में एक प्रकार का प्रलयसा उपस्थित हो जायगा । मालूम नहीं भट्टारकजीने किर

क्या सोचकर रविवार के दिन ज्ञान का निषेध किया है !! जैन सिद्धान्तों से तो इसका कुछ सम्बंध है नहीं और न जैनियों के आचार-विचार के ही यह अनुकूल पाया जाता है, प्रत्युत उसके विरुद्ध है। शायद भट्टारकजी को हिन्दूधर्म के किसी ग्रंथ से रविवार के दिन ज्ञान के निषेध का भी कोई वाक्य मिल गया हो और उसी के भरोसे पर आप ने वैसी आज्ञा जारी करदी हो। परन्तु मुझे तो मुहूर्तचिन्तामाणि आदि ग्रंथों से यह मालूम हुआ है कि 'रोगनिर्मुक्त ज्ञान' तक के लिये रविवार का दिन प्रशस्त माना गया है। इसीसे श्रीपतिजी लिखते हैं—‘लग्ने चरे सूर्यकुजेज्यवारे.....स्नानं हितं रोगविमुक्तकानाम् ।’ हाँ, दन्तधावन का निषेध तो उनके यहाँ व्यासजी के निम्न वाक्य से पाया जाता है जिसमें कुछ तिथियों तथा रविवार के दिन दाँतों से काष्ठ के संयोग करने की वाचत लिखा है कि वह सातवें कुल तक को दहन करता है, और जो आन्हिकसूत्रावलि में इस प्रकार से उद्घृत है—

प्रतिपद्धर्षपञ्चिषु नवम्यां रविवासरे ।

दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम् ॥

परन्तु जैनशासन की ऐसी शिक्षाएँ नहीं हैं, और इसलिये भट्टारकजी का उक्त कथन भी जैनमत के विरुद्ध है।

घर पर ठंडे जल से स्नान न करने की आज्ञा ।

( ५ ) भट्टारकजी ने एक खास आज्ञा और भी जारी की है और वह यह है कि 'घर पर कभी ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये'। आप लिखते हैं—

अभ्यङ्गं चैव मांगलेय शृङ्गे चैव तु सर्वदा ।

शीतोदकेन न स्नायात्र धार्यं तिलकं तथा ॥ ३-४५ ॥

अर्थात्—तेल मला हो या कोई गांगलिक कार्य करना हो उस

वक्त, और घर पर हमेशा ही ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये और न वैसे स्नान किये बिना तिलक ही धारण करना चाहिये ।

यहाँ तेल की मालिश के अवसर पर गर्म जल से स्नान की बात तो किसी तरह पर समझ में आ सकती है परन्तु घर पर सदा ही गर्म जल से स्नान करने की अथवा ठंडे जल से कभी भी स्नान न करने की बात कुछ समझ में नहीं आती । मालूम नहीं उसका क्या कारण है और वह किस आधार पर अवलम्बित है ! क्या ठंडे जल से स्नान नदी—सरोवरादिक तीरों पर ही होता है अन्यत्र नहीं ? और घर पर उसके कर लेने से जलदेवता रुष हो जाते हैं ? यदि ऐसा कुछ नहीं तो फिर घर पर ठंडे जल से स्नान करने में कौन बाधक है ? ठंडा जल खास्थ के लिये बहुत लाभदायक है और गर्म जल प्रायः रोगी तथा अशक्त गृहस्थों के लिये बतलाया गया है । ऐसी हालत में भट्टारकजी की उक्त आज्ञा समीचीन मालूम नहीं होती—वह जैनशासन के विरुद्ध ज़िंचती है । लोकब्यवहार भी प्रायः उसके विरुद्ध है । लौकिक जन, अनु आदि के अनुकूल, घर पर स्नान के लिये ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के जलका व्यवहार करते हैं ।

हाँ, हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों से एक बात का पता चलता है और वह यह कि उनके यहाँ नदी आदि तीरों पर ही स्नान करने का विशेष माहात्म्य है, उसीसे स्नान का फल माना गया है, अन्यत्र के स्नान से महज शरीर की शुद्धि होती है, स्नान का जो पुण्यफल है वह नहीं मिलता और इसलिये उनके यहाँ तीर्थभाव में अथवा तीर्थ से बाहर ( घर पर ) उष्ण जल से स्नान करलेने की भी व्यवस्था की गई है । सम्मत है उसका एकान्त लेकर ही भट्टारकजी को यह आज्ञा जारी करने की सूझी हो, जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं । अन्यथा, हिन्दुओं के यहाँ भी दोनों प्रकार के स्नान का विधान पाया जाता है । यथा:—

नित्यं नैमित्तिकं स्नानं कियाङ्गं मलकर्षणम् ।  
तीर्थोभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकैः ॥ यथः ॥

कुर्यान्नैमित्तिकं स्नानं शीताञ्जिः काम्यमेव च ।  
नित्यं यादृच्छुकं चैव यथारुचि समाचरेत् ॥ चांद्रिका ॥

—इति स्मृतिरत्नाकरे ।

भट्टारकजी ने अपने उक्त पद से पहले 'आपः स्वभावतः शुद्धाः' नाम का जो पद गर्म जल से खान की प्रशंसा में दिया है वह भी हिन्दू प्रथों से उठाकर रखा है । स्मृतिरत्नाकर में, वह साधारण से पाठमेद\* के साथ, प्रायः ऊर्यों का ल्यो पाया जाता है और उसे आतुरविषयक—रोगी तथा अशक्तों के खान सम्बन्धी—सूचित किया है, जिसे भट्टारकजी ने शायद नहीं समझा और वैसे ही अगले पद में समूचे गृहखान के लिये सदा को ठंडे जल का निषेध कर दिया !!

### शूद्रत्व का अद्भुत योग ।

( ६ ) दूसरे अध्याय में, खान का विधान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं कि 'जो गृहस्थ सात दिन तक जल से खान नहीं करता वह शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है—शूद्र बन जाता है' । यथः—

सप्ताहान्यमसाऽज्ञायी गृही शूद्रत्वमाप्नुयात् ॥ ६७ ॥

शूद्रत्व के इस अद्भुत योग अथवा नूतन विधान को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और समझ में नहीं आता कि एक बालण, लक्षिय या वैरय महज़ सात दिन के खान न करने से कैसे शूद्र बन जाता है !

\* वह पाठमेद 'शुद्धाः' की जगह 'मेध्याः' 'वन्हितापिताः' की जगह 'वन्हिसंयुताः' और 'अतः' की जगह 'तेन' इतना ही है जो कुछ अर्थ-मेद नहीं रखता ।

कहाँ से शूद्रत्व उसके भीतर छुस आता है ? क्या शूद्र का कर्म स्नान न करना है ? अथवा शूद्र स्नान नहीं किया करते ? शूद्रों को बराबर स्नान करते हुए देखा जाता है, और उनका कर्म स्नान न करना कहीं भी नहीं लिखा । स्वयं भट्टारकजी ने सातवें अध्याय में शूद्रों का कर्म त्रिवर्णों की सेवा तथा शिल्प कर्म बतलाया है और यहाँ तक लिखा है कि ये चारों वर्ण अपने अपने नियत कर्म के विशेष से कहे गये हैं, जैनधर्म को पालन करने में इन चारों वर्णों के मनुष्य परम समर्थ हैं और उसे पालन करते हुए वे सब परस्पर में मार्ई मार्ई के समान हैं । यथा—

विप्रक्षतियवैश्यानां शूद्रास्तु सेवका मता ॥ १४० ॥

तेषु नाता विधं शिल्पं कर्म प्रोक्षं विशेषतः ॥ १४१ ॥

विप्रक्षतियविद्यशूद्राः प्रेक्षा क्रियाविशेषतः ।

जैनधर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥ १४२ ॥

फिर आपका यह लिखना कि सात दिन तक स्नान न करने से कोई शूद्र हो जाता है, कितना असंगत है और शूद्रों के प्रति कितना तिरस्कार का घोतक तथा अन्यायमय है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । हाँ, यदि कोई दिन असे तक शिल्पादि कर्म करता रहे तो उसे भट्टारकजी अपने लक्षण के अनुसार शूद्र कह सकते थे परन्तु स्नान न करना कोई शूद्र कर्म नहीं है—उसके लिये रोगादिक के अनेक कारण सभी के लिये हो सकते हैं—और इसलिये महज उसकी बजह से किसी में शूद्रत्व का योग नहीं किया जा सकता । मालूम नहीं सात दिन के बाद यदि वह गृहस्थ फिर नहाना शुरू कर देवे तो भट्टारकजी की दृष्टि में उसका वह शूद्रत्व दूर होता है या कि नहीं ? प्रथम में इसकी बात कुछ लिखा नहीं ।

( ७ ) तीसरे अध्याय में भट्टारकजी उस मनुष्य को जीवन भर के लिये शूद्र ठहराते हैं और गरने पर कुत्ते की योनि में जान बतुआते

है जो संध्याकाल प्राप्त होने पर भी संध्या नहीं करता है !! यथा:—

सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते सन्ध्यां नैवमुपासते ।

जीविमानो भवेच्छृद्धः मृतः श्वा वैष्व जायते ॥ १४१ ॥

यहाँ भी पूर्ववत् शूद्रत्व का अद्भुत योग किया गया है और इस से यह भी ध्वनित होता है कि शूद्र को संध्योपासन का अधिकारी नहीं समझा गया । परन्तु यह दिन्दूधर्म की शिक्षा है जैनधर्म की शिक्षा नहीं । जैनधर्म के अनुसार शूद्र संध्योपासन के अधिकार से वंचित नहीं रक्खा जा सकता । जैनधर्म में उसे नित्य पूजन का अधिकार दिया गया है \* वह त्रिसंध्या—सेवा का अधिकारी है और ऊँचे दर्जे का श्रावक हो सकता है । इसीसे सोमदेवसूरि तथा प॑० आशाधरजी ने भी आचारादि की शुद्धि को प्राप्त हुए शूद्र को ब्राह्मणादिक की तरह से धर्मक्रियाओं के करने का अधिकारी बतलाया है; जैसाकि उनके निम्न वाक्यों से प्रकट है:—

“ आचाराऽनवद्यत्वं शुचिरुपस्कारः शरीरशुद्धिभ्य करोति शूद्राः  
नपि देवद्विजातिपरिकर्मसु योग्यान् । ” —नीनिवाक्यामृत ।

“ अथ शूद्रस्याप्याहारादिशुद्धिमतो ब्राह्मणादिवृद्धर्मक्रियाकरित्वं  
यथोचितमनुमन्यमानः प्राह—

शुद्धोऽप्युपस्कराचारवपुःशुध्यास्तु ताहशः ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलभ्यौ ह्यात्मास्ति धर्ममाक् ॥”

—सागारधर्मामृत सटीक ।

इसके सिवाय, भट्टारकजी ऊपर उद्धृत किये हुए पद नं० १४२ में जब स्वयं यह बतला चुके हैं कि शूद्र भी जैन धर्म का पालन करने में ‘परम समर्थ’ हैं तो फिर वे संध्योपासन कैसे नहीं कर सकते ?

\* शूद्रों के इस सब अधिकार को अच्छी तरह से जानने के लिये सेवक की लिखी हुई ‘जिनपूजाऽधिकार-मीमांसा’ नामक पुस्तक को देखना चाहिये ।

और कैसे यह कहा जा सकता है कि जो संध्यासमय संध्योपासन नहीं करता वह जीवित शूद्र होता है ? मालूम होता है यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी जैनत्व को अथवा जैन धर्म के स्वरूप को बिलकुल ही भूल गये हैं और उन्होंने बहुधा आँख मीच कर हिन्दू धर्म का अनुसरण किया है । हिन्दुओं के यहाँ शूद्रों को संध्योपासन का अधिकार नहीं—वे बेचारे वेदमन्त्रों का उच्चारण नक नहीं कर सकते—इसलिये उनके यहाँ ऐसे वाक्य बन सकते हैं । यह वाक्य भी उन्हीं के वाक्यों पर से बनाया गया अथवा उन्हीं के प्रमेयों पर से उठा कर रखा गया है । इस वाक्य से मिलता जुलता 'मरीचि' ऋषि का एक वाक्य इस प्रकार है—

संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता ।

जीवमाना भवच्छूद्रः सृतः श्वा चाभिजायते ॥

—आनन्दिकसूत्रावलि ।

इस पद्य का उत्तरार्थ और भट्टारकजी के पद्य का उत्तरार्थ दोनों एक है और यही उत्तरार्थ जैनदृष्टि से आपत्ति के योग्य है । इसमें मर कर कुत्ता होने का जो विधान है वह भी जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध है । संध्या के इस प्रकरण में और भी कितने ही पद्य ऐसे हैं जो हिन्दू धर्म के प्रमेयों से ऊँचों के त्यों उठा कर अथवा कुछ बदल कर रखे गये हैं; जैसे 'उत्तमा तारकोपेता', 'अन्होरात्रेश्च यः सन्धिः' और 'राष्ट्रभंगे नृपत्तोभे' आदि पद्य । और इस तरह पर बहुधा हिन्दू धर्म की आँधी सीधी नकल की गई है ।

( ८ ) म्यारहवें अध्याय में शूद्रत्व का एक और भी विचित्र योग किया गया है और वह यह कि 'जो कन्या विवाह संस्कार से पहले पिता के घर पर ही रजस्वला हो जाय' उसे 'शूद्रा ( वृपली )' बतलाया गया है और उसमें जो विवाह करे उसे शूद्रापति ( वृषलीपति ) की संज्ञा दी गई है । यथा—

पितुर्गृहे तु या कन्या रजः पश्येदसंस्कृता ।

सा कन्या वृषली हेया तत्पतिर्वृषलीपतिः ॥ १६६ ॥

मालूम नहीं इसमें कन्या का क्या अपराध समझा गया और उसके खो-धर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति में शूद्र की वृत्ति का कौनसा संयोग हो गया जिसकी बजह से वह बेचारी 'शूद्रा' करार दी गई !! इस प्रकार की व्यवस्था से जैनधर्म का कोई सम्बन्ध नहीं । यह भी उसके विरुद्ध हिन्दूधर्म की ही शिक्षा है और उक्त श्लोक भी हिन्दूधर्म की चीज़ है— हिन्दुओं की विष्णुमंहिता \* के २४ वें अध्याय में वह नं० ४१ पर दर्ज है, मिर्क उमका चौथा चरण यहाँ बदला हुआ है और 'पितुर्वेशमनि' की जूँ ॥ १६६ ॥ 'पितुर्गृहे तु' बनाया गया अथवा पाठान्तर जान पड़ता है । प्रथम इसी आशय के दो पद्य 'उद्वाहतत्व' में भी पाये जाते हैं, जिन्हें शब्दकल्पपुस्तकोंश में निम्नप्रकार से उद्धृत किया है—

" पितुर्गृहे च या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।

भृणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता ॥"

" यस्तु तां वरयेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानर्दुर्बलः ।

अथाद्येयमपांकेयं तं विद्याद् वृषलीपतिम् ॥"

इसके सिवाय, ब्रह्मवर्तपुराण में भी 'यदि शूद्रां ब्रजेद्विप्रो वृषलीपतिरेव सः' वाक्य के द्वारा शूद्रागामी ब्राह्मण को वृषलीपति ठहराया है । इस तरह पर यह सब हिन्दू धर्म की शिक्षा है, जिसको भट्टारकजी ने जैन धर्म के विरुद्ध अपनाया है । जैन धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति में इस तरह पर शूद्रत्व का योग नहीं किया जा सकता । यदि ऐसे भी शूद्रत्व का योग होने लगे तब तो शूद्र खियों की ही नहीं किन्तु पुरुषों की भी संख्या बहुत बढ़ जाय और लाखों कुटुम्बों को शूद्र-सन्तति में परिणामित करना पड़े !!

\*देखो बंगवासी प्रेस कलकत्ता का सं० १६६४ का छुपा हुआ संस्करण ।

### नरकालय में वास ।

(६) शायद पाठक यह सोचते हों कि कन्या यदि विवाह से पहले रजस्वला हो जाती है तो उसमें कन्या का कोई अपराध नहीं—वह अपराध तो उस समय से पहले उसका विवाह न करने वालों का है जिन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई और देवारी कन्या को नाहक शूद्रा ( वृपली ) करार दे दिया गया । परंतु इस चिंता की ज़रूरत नहीं, भट्टारकजी ने पहले ही उनके लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था की है और पीछे कन्या को शूद्रा ठहराया है । आप उक्त पद से पूर्ववर्ती पद में ही लिखते हैं कि यदि कोई अविवाहिता कन्या रजस्वला हो जाय तो समझ लीजिये कि उसके माता पिता और भाई सब नरकालय में पड़े—अर्थात्, उसके रजस्वला होते ही उन सब के नरकवास की रजिस्ट्री हो जाती है—शायद नरकायु बैठ जाती है—और उन्हें नरक में जाना पड़ता है \* । यथा:-

असंस्कृता तु या कन्या रजसा चेत्परिष्टुना ।

आतरः पितरस्तस्याः पतिता नरकालये ॥ ११५ ॥

पाठकगण ! देखा, कितना विलक्षण, भयंकर और नहर ऑर्डर है ! क्या कोई शास्त्री पंडित जैन सिद्धान्तों से—जैनियों की कम किलोसॉफ़ी से—इस ऑर्डर अथवा विवान की संगति ठीक बिठला सत्ता है ? अथवा यह सिद्ध कर सकता है कि ऐसी कन्याओं के माता पिता और भाई अवश्य नरक जाते हैं ? कदापि नहीं । इसके विरुद्ध में असंख्य प्रमाण जैनशास्त्रों से ही उपस्थित किये जा सकते हैं । उदाहरण के लिये, यदि भट्टारकजी की इस व्यवस्था को ठीक माना जाय तो कहना होगा कि ब्राह्मी और सुन्दरी कन्याओं के पिता भगवान् कृष्णभद्रेव, माताएँ यशस्वती ( नंदा ) तथा सुनंदा और भाई बाहुबलि तथा भरत चक्र-

---

\* यदि उनमें से पहिले कोई स्वर्ग चले गये हों तो क्या उन्हें भी खिच कर पीछे से नरक में आना होगा ? कुछ समझ में नहीं आना ।

वर्ती आदिक सब नरक गये ; क्योंकि ये दोनों कन्याएँ युवावस्था में घर पर अविवाहिता रहीं और तब वे रजस्वला भी हुईं, यह स्वाभाविक है। परंतु ऐसा कोई भी जैनी नहीं कह सकता। सब जानते हैं कि भगवान् ऋषभेदव और उनके सब पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए और उक्त दोनों माताएँ भी ऊँची देवगणि को प्राप्त हुईं। इसी तरह सुलोचना आदि हजारों ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी सामने रखे जा सकते हैं जिनके विवाह युवावस्था में हुए जब कि वे रजोधर्म से युक्त हो चुकी थीं और उनके कारण उनके माता पिता तथा भाइयों को कहीं भी नरक जाना नहीं पड़ा। अतः भट्टारकजी का यह सब कथन जैन धर्म के अत्यंत विरुद्ध है और हिंदूधर्म की उसी शिक्षा से सम्बंध रखता है जो एक अविवाहिता कन्या को पिता के वर पर रजस्वला हो जाने पर शूद्रा ठहराता है। इस प्रकार के विविच्छयों तथा उपदेशों ने ही समाज में बाल-विवाह का प्रचार किया है और उसके द्वारा समाज तथा धर्म को भारी, नि.सीम, अनिवार्यनीय तथा कल्पनातीत इनि पहुँचाई है। ऐसे ज़ज़हरीले उपर्देश जबतक समाज में क्रायम रहेंगे, और उनपर अमल होता रहेगा तबतक समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकता और न उसमें धार्मिक जीवन ही आ सकता है। ऐसी छोटी उम्र में कन्या का विवाह महज उसी के लिये घातक नहीं है बल्कि देश, धर्म और समाज तीनों के लिये घातक है। बास्तव में माता पिता का यह कोई खास कर्तव्य अथवा कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी संतान का विवाह करें ही करें और वह भी छोटी उम्र में। उनका मुख्य कर्तव्य तथा धर्म है संतान को सुशिक्षित करना, अनेक प्रकार की उत्तम विद्याएँ तथा कलाएँ सिखलाना, खोटे संस्कारों से उसे अलग रखना, उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को विकसित करके उनमें दृढ़ता लाना, उसे जीवनयुद्ध में स्थिर रहने तथा विजयी

होने के योग्य बनाना अथवा अपनी संसार यात्रा का सुख पूर्वक निर्वाह करने की क्षमता पैदा कराना और साथ ही उसमें सत्य, प्रेम, धैर्य, उदारता, सहनशीलता तथा परेपकारता आदि मनुष्योचित गुणों का संचार कराके उसे देश, धर्म तथा समाज के लिये उपयोगी बनाना। और यह सब तभी हो सकता है जबकि ब्रह्मचर्यश्रम के काल को गृहस्थाश्रम का काल न बनाया जाये अथवा विवाह जैसे महत्व तथा जिम्मेदारी के कार्य को एक खेल या तमाशे का रूप न दिया जाय, जिसका दियाजाना नाशिंगों का विवाह रचाने की हालत में ज़रूर समझा जायगा। खेद है भट्टारकजी ने इन सब बाँहों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही दूसरों की देखादेखी ऊठपट्ठांग लिख मारा जो किसी तरह भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

### नग्र की विचित्र परिभाषा ।

(१०) तीसरे अध्याय में, बिना किसी पूर्वापर सम्बन्ध अथवा ज़रूरत के, 'नग्न' की परिभाषा बतलाने को ढाई श्लोक निम्न प्रकार से दिये हैं—

अपवित्रपटो नग्नो नग्नश्चार्धपटः स्मृतः ।

नग्नश्च मलिनोद्वासी नग्नः कौपीनवानपि ॥२१॥

कपायवाससा नग्नो नग्नश्चानुत्तरीयमान् ।

अन्तःकच्छो बद्धिः कच्छो मुक्तकच्छुस्तथैव च ॥२२॥

साक्षात्त्राग्नः स विक्षेयो दश नग्नः प्रकीर्तिताः ।

इन श्लोकों में भट्टारकजी ने दस प्रकार के मनुष्यों को 'नग्र' बतलाया है—अर्थात्, जो लोग अपवित्र बस्त्र पहने हुए हों, आधा बस्त्र पहने हों, मैले कुचले बस्त्र पहने हुए हों, लंगोटी लगाए हुए हों, भगवे बस्त्र पहने हुए हों, महज धोती पहने हुए हों, भीतर कच्छु लगाए हुए हों, बाहर कच्छु लगाए हुए हों, कच्छु बिलकुल न लगाए हुए हों, और बस्त्र से बिलकुल रहित हों, उन सब को 'नग्न' ठहराया

है। मालूग नहीं भट्टारकजी ने नग्न की यह परिभाषा कहाँ से की है ! प्राचीन जैन शास्त्रों में तो खोजने पर भी इसका कहीं कुछ पता चलता नहीं !! आग तौर पर जैनियों में 'जातरूपधरो नग्नः' की प्रसिद्धि है। भट्टाकलंकदेव ने भी राजवार्तिक में 'जातरूपधारणं नाग्नंयं' ऐसा लिखा है। और यह अवस्था सर्व प्रकार के बख्तों से रहित होती है। इसीसे अमरकोश में भी 'नग्नोऽवासा दिग्म्बरे' वाक्य के द्वारा बखरहित, दिग्म्बर और नग्न तीनों को एकार्थवाचक बतलाया है। इससे भट्टारकजी की उक्त दशभेदात्मक परिभाषा बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है। उनके दस भेदों में से अर्धवखधारी और कौपीनवान् आदि को तो किसी तरह पर 'एकदेशनग्न' कहा भी जासकता है परन्तु जो लोग बहुत से मैले कुचैले या अपवित्र बख पहने हुए हों अथवा इससे भी बढ़कर सर से पैर तक पवित्र भगवे बख धारण किये हुए हों उन्हें किस तरह पर 'नग्न' कहा जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता !! ज़रूर, इसमें कुछ रहस्य है। भट्टारक लोग बख पहनते हैं, बहुधा भगवे ( कपाय ) बख धारण करते हैं और अपने को 'दिग्म्बर मुनि' कहते हैं। सभव है, उन्हें नग्न दिग्म्बर मुनियों की कोटि में लाने के लिये ही यह नग्न की परिभाषा गढ़ी गई हो। अन्यथा, भगवे बख वालों को तो हिन्दू ग्रन्थों में भी नग्न लिखा हुआ नहीं मिलता। हिन्दुओं के यहाँ पच प्रकार के नग्न बतलाये गये हैं और वह पंच प्रकार की संख्या भी विभिन्न रूप से पाई जाती है। यथा:-

" द्विकच्छः कच्छुशेषश्च सुक्षकच्छुस्तथैव च ।

एकवासा अवासाश्च नग्नः पंचविधः स्मृतः ॥

—आनिक तत्त्व ।

" नग्नो मलिनबखः स्याप्नग्नो नीलपटस्तथा ।

विकच्छ्येऽनुत्तरीयश्च नग्नश्चावख एवच ॥

“ अकच्छुः पुच्छुकच्छु वा । उद्विकच्छुः कटिंविष्टुः ।

कौपीनकधरव्यव नग्नः पंचविष्टुः समृतः ॥

-स्मृतिरक्षाकर ।

जान पढ़ता है हिन्दू धर्मों के कुछ ऐसे श्लोकों पर से ही भट्टारकजी ने अपने श्लोकों की रचना की है और उनमें ‘कषायवामसा नग्नः’ जैसी कुछ बातें अपने मतलब के लिये और शामिल करली हैं ।

### अधौत का अद्भुत लक्षण ।

( ११ ) तीसरे अध्याय में ही भट्टारकजी, ‘अधौत’ का लक्षण बतलाते हुए, लिखते हैं—

इष्टदोतं खिया चाँतं शूद्रधौतं च चेटकैः ।

बालं कर्धौतमशानैरधौतमिति भाष्यते ॥ ३२ ॥

अर्थात्—जो (वस्त्र) कम धुला हुआ हो, किसी खीं का धोया हुआ हो, शूद्रों का धोया हुआ हो, नौकरों का धोया हुआ हो, या अज्ञानी बालकों का धोया हुआ हो उसे ‘अधौत’—बिना धुला हुआ—कहते हैं ।

इस लक्षण में कम धुले हुए और अज्ञानी बालकों के धोये हुए वस्त्रों को अधौत कहना। तो कुछ समझ में आता है, परन्तु खियों, शूद्रों और नौकरों के धोये हुए वस्त्रों को भी जो अधौत बतलाया गया है वह किस आधार पर अवलम्बित है, यह कुछ समझ में नहीं आता ! क्या ये लोग वस्त्र धोना नहीं जानते अथवा नहीं जान सकते ? जरूर जानते हैं और योदे से ही अभ्यास से बहुत अच्छा कपड़ा धो सकते हैं । शूद्रों में धोबी (रजक) तो अपनी खींसहित वस्त्र धोने का ही काम करता है और उसके धोये हुए वस्त्रों को सभी लोग पहनते हैं । इसके सिवाय, लाखों लियाँ तथा नौकर वस्त्र धोते हैं और उनके धोए हुए वस्त्र लोक में अधौत नहीं समझे जाते । किर नहीं मालूम भट्टारकजी किस न्याय अथवा सिद्धान्त से ऐसे लोगों के द्वारा धुले हुए अच्छे से अच्छे वस्त्र को भी अधौत कहने का साहस करते हैं ॥ क्या आप त्रैवर्णिक

लियों तथा नौकरों को मलिनता का पुंज समझते हैं जो उनके स्पर्श से धौत बछ भी अवौत हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो वही गडबड़ी मचेगी और घर का कोई भी सागान पवित्र नहीं रह सकेगा — सभी को उनके सार्श से अपवित्र होना पड़ेगा । और यदि वैसा नहीं है तो किर दूसरी कोई भी ऐसी बजह नहीं हो सकती जिससे उनके द्वारा अच्छी तरह से धौत बछ को भी अवौत करार दिया जाय । बास्तव में इस प्रकार का विधान स्त्री जानि आदि का स्पष्ट अपमान है, और वह जैननीति अथवा जैनशासन के भी विरुद्ध है । जैनशासन का लियों तथा शूद्रों के प्रति ऐसा धृणात्मक व्यवहार नहीं है, वह इस विषय में बहुत कुछ उदार है । हाँ, हिन्दू-धर्म की ऐसी शिक्षा जहर पाई जाती है । उसके 'दक्ष' ऋषि लियों तथा शूद्रों के धोए हुये बछ को सब कामों में गर्हित बतलाते हैं ! यथा—

ईष्ठोतं लिया धौतं शूद्रधौतं तथैव च ।  
प्रतारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकर्मसु ॥

—आनंदक सूत्रावलि

इस श्लोक का पूर्वार्थ और भट्टारकजी के श्लोक का पूर्वार्थ दोनों प्रायः एक हैं, सिर्फ़ 'तथैव' को भट्टारकजी ने 'चेटकैः' में बदला है और इस परिवर्तन के द्वारा उन नौकरों के धोए हुये बछों को भी तिरस्कृत किया है जो शूद्रों से भिन्न 'त्रैवर्णीक' ही हो सकते हैं ।

इसीनरह हिन्दुओं के 'कर्मलाभन' प्रथ में खी तथा धोबी के धोए हुये बछ को 'अवौत' करार दिया गया है; जैसा कि 'शब्दकल्पद्रुम' में उद्धृत उमके निम्न बाक्य से प्रकट है—

ईष्ठातं लिया धौतं यद्यातं रजकेन च ।  
अधौतं तद्विजानीयादशा दक्षिणपञ्चिमे ॥

ऐसे ही हिन्दू-बाक्यों पर से भट्टारकजी के उक्त बाक्य की सुषिं हुई जान पड़ती है । परन्तु इस शृणा तथा बहम के व्यापार में भट्टारकजी

हिन्दुओं से एक कदम और भी आगे बढ़े हुए मालूम होते हैं—उन्होंने त्रैवर्णीक सेवकों के धोए हुये वस्त्रों को ही तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि पहले दिनके खुद के धोए हुये वस्त्रों को भी तिरस्कृत किया है। आप किखते हैं 'अधौत (बिना धोया हुआ), कारु-धौत (शिल्प शर्दों का धोया हुआ) और पूर्वेद्युर्धौत (पहले दिन का धोया हुआ) ये तीनों प्रकार के वस्त्र सर्व कार्यों के अयोग्य हैं—किसी भी काम को करते हुये इनका व्यवहार नहीं करना चाहिये।' यथा—

अधौतं कारुधौतं वा पूर्वेद्युर्धौतमेव च ।

प्रथमेतदसम्बन्धं सर्वकर्मसु वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

पाठकगण ! देखा, इस वहम का भी कहीं कुछ ठिकाना है !! मालूम नहीं पहले दिन धोकर अहतियात से रखें हुए कपड़े भी अगले दिन कैसे बिगड़ जाते हैं ! क्या हवा लगकर खराब हो जाते हैं या धरे धरे बुम जाते हैं ? और जब वह पहले दिन का धोया हुआ वस्त्र अगले दिन काम नहीं आ सकता तो फिर प्रातः संध्या भी कैसे हो सकेगी, जिसे भट्टारकजी ने इसी अध्याय में सूर्योदय से पहले समाप्त कर देना लिखा है ? क्या प्रातःकाल उठकर धोये हुए वस्त्र उसी वक्त सूख सकेंगे, या गीले वस्त्रों में ही संध्या करनी होगी ? खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों को कुछ भी नहीं सोचा और न यही खयाल किया कि ऐसे नियम से समय का कितना दुरुपयोग होगा ! सच है वहम की गति बड़ी ही विचित्र है—उसमें मनुष्य का विवेक बेकार सा होजाता है। उसी वहम का यह भी एक परिणाम है जो भट्टारकजी ने अधौत के लक्षण में शूद्रधौत आदि को शामिल करते हुये भी यहाँ 'कारुधौत' का एक तीसरा भेद अलग बर्णन किया है। अन्यथा, शूद्रधौत और चेटकधौत से भिन्न 'कारुधौत' कुछ भी नहीं रहता। अधौत के लक्षण की मौजूदगी में उसका प्रयोग बिलकुल व्यर्थ और खालिस वहम जान पड़ता है। इस प्रकार के वहमों से यह मंथ बहुत कुछ भरा पड़ा है ।

## पति के विलक्षण धर्म ।

( १२ ) आठवें अध्याय में, गर्भिणी स्त्री के पति—धर्मों का वर्णन करते हुए, भद्रारकजी लिखत हैं—

पुन्सो भार्या गर्भिणी यस्य चासौ सूनोश्चौलं क्षौरकर्मात्मनम् ।

गेदारंभं स्तंभसंस्थापनं च वृद्धिस्थानं दूरयात्रां न कुर्यात् ॥८६॥

शवस्य वाहनं तस्य दहनं सिन्धुदर्शनम् ।

पर्वतारोहणं चैव न कुर्याद्गर्भिणीपतिः ॥ ८७ ॥

अर्थात्—जिस पुरुष की छी गर्भवती हो उसे (उस छी से उत्पन्न) पुत्र का चौलकर्म नहीं करन चाहिये, स्वय हजामत नहीं बनवानी चाहिये, नये मकान की तामीर न करनी चाहिये, कोई खामा खड़ा न करना चाहिये, न वृद्धिस्थान बनाना चाहिये और न कहीं दूर यात्रा को ही जाना चाहिये । इसके सिवाय, वह सुर्द का न उठाए, न उसे जलाए, न समुद्र को देखे और न पर्वत पर चढ़े ।

पाठकगण ! देखा कैसे विलक्षण धर्म हैं !! इनमें से दूरयात्रा को न जाने जैसी बात तो कुछ समझ में आ भी सकती है परन्तु गर्भ-वस्था पर्यंत पति का हजामत न बनवाना, कहीं पर भी किसी नये मकान की रचना अथवा वृद्धिस्थान की स्थापना न करना, समुद्र को न देखना और पर्वत पर न चढ़ना जैसे धर्मों का गर्भ से क्या सम्बन्ध है और उनका पालन न करने से गर्भ, गर्भिणी अथवा गर्भिणी के पति को क्या हानि पहुँचती है, यह सब कुछ भी समझ में नहीं आता । इन धर्मों के अनुसार गर्भिणी के पति को आठ नौ महीने तक नख-केश बढ़ाकर रहना होगा, किसी कुटुम्बी अथवा निकट सम्बन्धी के मरजाने पर आवश्यकता होते हुए भी उसकी अरथी को कन्धा तक न लगाना होगा, वह यदि बर्बाद जैसे शहर में समुद्र के किनारे-तट पर—रहता है तो उसे वहाँ का अपना बासस्थान छोड़ कर अन्यत्र जाना होगा अथवा

आँखों पर पही बौंध कर रहना होगा जिससे समुद्र दिखाई न पड़े, वह त्रिकट की ऐसी तीर्थयात्रा भी नहीं कर सकेगा जिसका पर्वत-कूटों से सम्बंध हो, और अगर वह मंसुरी-शिमला जैसे पार्वतीय प्रदेशों का रहने वाला है तो उसे उस बक्त उन पर्वतों से नीचे उत्तर आना होगा, क्योंकि वहाँ रहते तथा कारोबार करते वह पर्वतारोहण के दोष से बच नहीं सकता । परन्तु ऐसा करना कराना, अथवा इस रूप से प्रवर्तना कुछ भी इष्ट तथा युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । जैनसिद्धान्तों तथा जैनों के आचार-विचार से इन धर्मों की कोई संगति ठीक नहीं बैठती और न ये सब धर्म, जैनदृष्टि से, गर्भिणीपति के कर्तव्य का कोई आवश्यक अंग जान पड़ते हैं । इन्हें भी भट्टारकजी ने प्रायः हिन्दू-धर्म से लिया है । हिन्दुओं के यहाँ इस प्रकार के कितने ही श्लोक पाये जाते हैं, जिनमें से दो श्लोक शब्दकल्पद्रुमकोश से नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

“क्षौरं शवानुगमनं नखकृन्तनं च युद्धादिवास्तुकरणं त्वतिदूरयान् ।  
उद्धादमौपनयनं जलधेश्च गाहमायुः क्षयार्थमिति गर्भिणिकापतीनाम् ॥”

—मुहर्त्तरीपिका ।

“दहनं वपनं चैव चौलं वै गिरिरोद्दणम् ।

नाव आरोहणं चैव वर्जयेद्गर्भिणीपतिः ॥”

—रत्नसंग्रहे, गालवः ।

इनमें से पहले श्लोक में क्षौर ( इजामत ) आदि कर्मों को जो गर्भिणी के पति की आयु के क्षय का कारण बतलाया है वह जैनसिद्धान्त के विरुद्ध है । और इसलिये हिन्दू-धर्म के ऐसे कृत्यों का अनुकरण करना जैनियों के लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकता जिनका उद्देश्य तथा शिक्षा जैन-तत्त्वज्ञान के विरुद्ध है । उसी उद्देश्य तथा शिक्षा को लेकर उनका अनुष्ठान करना, निःसंदेह, मिथ्यात्म का वर्धक है । खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही विना सोचे समझे अथवा हानि-लाभ का विचार किये दूसरों की नकल कर लैठे !!

### आसन की अनोखी फलकल्पना ।

( १३ ) तीसरे अध्याय में, संध्योपासन के समय चारों ही आश्रम बालों के लिये पंचपरमेष्ठी के जप का विधान करते हुए, भट्टारकजी ने कुछ आसनों का जो फल वर्णन किया है उसका एक श्लोक इस प्रकार है:—

बंशासनं दरिद्रः स्यात्पाषाणे व्याधिर्णितः ।

घरण्यां दुःखसंभूतिर्दीर्भाग्यं दारुकासने ॥ १०७ ॥

इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि '(जप के समय) बाँस के आसन पर बैठने से मनुष्य दरिद्री, पाषाण के आसन पर बैठने से व्याधि से पीड़ित, पृथ्वी पर ही आसन लगाने से दुःखों का उत्पन्न-कर्ता और काष्ठ के आसन पर बैठने से दुर्भाग्य से युक्त होता है ।'

आसन की यह फलकल्पना बड़ी ही अनोखी जान पड़ती है ! मालूम नहीं, भट्टारकजी ने इसका कहाँ से अवतार किया है !! प्राचीन ऋषिप्रणाली किसी भी जैनागम में तो ऐसी फल-व्यवस्था देखने में आती नहीं !! प्रत्युत इसके, 'ज्ञानार्णव' में योगिराज श्रीशुभचंद्राचार्य ने यह स्पष्ट विधान किया है कि 'समाधि (उत्तम ध्यान) की सिद्धि के लिये काष्ठ के पट्ट पर, शिलापट्ट पर, भूमि पर अथवा रेत के स्थल पर सुदृढ़ आसन लगाना चाहिये ।' यथा:—

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विद्ध्यात्सुस्थिरासनम् ॥ २८-६ ॥

पाठकगण ! देखा, जिन काष्ठ, पाषाण तथा भूमि के आसनों को योगीश्वर महोदय ने समाधि जैसे महान कार्य के लिये अत्यंत उपयोगी— उसकी सिद्धि में ज्ञास तौर से सहायक—बतलाया है उन्हें ही भट्टारकजी ऋमशः दीर्भाग्य, व्याधि और दुःख के कारण ठहराते हैं ! यह कितना विपर्यास अथवा आगम के विरुद्ध कथन है ! उन्हें ऐसा प्रतिपादन करते हुए इतना भी स्मरण न हुआ कि इन आसनों पर बैठकर असंहय योगीजन सद्वति अथवा कल्याण-परम्परा को प्राप्त हुए हैं । अस्तु; हिन्दूधर्म में भी इन आसनों

को बुरा अथवा इस प्रकार के दुष्परिणामों का कारण नहीं बतलाया है बल्कि 'डत्तम' तथा 'प्रश्नास्त' आसन लिखा है। और इसलिये आसन की उक्त फल-कल्पना अधिकांश में भट्टारकजी की प्रायः अपनी ही कल्पना जान पढ़ती है, जो निराधार तथा निःसार होने से कदापि मान्य किये जाने के योग्य नहीं। और भी कुछ आसनों का फल भट्टारकजी की निजी कल्पना द्वारा प्रसूत हुआ जान पड़ता है, जिसके विचार को यहाँ छोड़ा जाता है।

### जूठन न छोड़ने का भयंकर परिणाम ।

( १४ ) बहुत से लोग, जिनमें लागी और ब्रह्मचारी भी शामिल हैं, यह समझे हुए हैं कि जूठन नहीं छोड़ना चाहिये—कुत्ते को भी अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिये—और इसलिये वे कभी जूठन नहीं छोड़ते। उन्हें यह जानकर आश्वर्य होगा कि भट्टारकजी ने ऐसे लोगों के लिये जो खा पीकर बरतन खाली छोड़ देते हैं—उनमें कुछ जूठा भोजन तथा पानी रहने नहीं देते—यह व्यवस्था दी है कि 'वे जन्म जन्म में भूख व्यास से पीड़ित होंगे; जैसा कि उनके निम्न व्यवस्था—पथ से प्रकट हैः—

भुक्त्वा पीत्वा तु तत्पाञ्च रिक्तं त्यजति यो नरः ।

स नरः कुत्पिपासातो भधेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ ६-२२५ ॥

मालूम नहीं भट्टारकजी ने जूठन न छोड़ने का यह भयंकर परिणाम कहाँ से निकाला है ! अथवा किस आधार पर उसके लिये ऐसी दण्ड-व्यवस्था की घोषणा की है !! जैन सिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का कोई समर्थन नहीं होता—कोई भी ऐसा व्यापक नियम नहीं पाया जाता जो ऐसे निरपराधियों को जन्म जन्म में भूख व्यास की बेदना से पीड़ित रहने के लिये समर्थ हो सके। हाँ, हिन्दू धर्म की ऐसी कुछ कल्पना जरूर है और उक्त पथ भी प्रायः हिन्दू धर्म की ही सम्पत्ति जान पड़ता है। वह साधारण से पाठ-मेद के साथ उनके स्मृतिरत्नाकर में उद्भूत मिलता है। यहाँ इस पथ का पूर्वार्थ 'भुक्त्वा पीत्वा च यो मर्थ्यः शून्यं

पात्रं परित्यजेत्' ऐसा दिया है और उत्तरार्थ ज्यों का त्यों पाया जाता है—सिर्फ़ 'नर' के स्थान पर भूयः' पद का उसमें भेद है। और इस सब पाठ—भेद से कोई वास्तविक अर्थ—भेद उत्पन्न नहीं होता। मालूम होता है भट्टारकजी न हि दुओं के प्राय उक्त पद पर से ही अपना यह पद बनाया है अथवा किसी दूसरी ही हिंदू प्रथ पर से उसे ज्यों स्थों उठाकर रखा है। और इस तरह पर दूसरों द्वारा वल्लिपत हुई एक ०यवस्था का आधा उनुसरण किया है। भोजनप्रकरण का और भी बहुत सा वथन अथवा क्रियाकांड इस अध्याय में हि दू प्रथों स उठाकर रखा गया है और उसमें कितनी ही बातें निर्धक तथा खाली वहम का लिय हुए हैं।

### देवताओं की रोकथाम ।

( १५ ) हि दुओं का विश्वाम है कि इधर उधर विचरते हुये राक्षसादिक ढगता भोजन के सब अथवा अन्नबल को हर लेते हैं—खा जात हैं—और इसलिय उनक इस उपद्रव की राकथाम के बास्त उन्होंने मडल बनाकर भाजन करने क। ०यवस्था वी है \* ॥। व समझते हैं कि इस तरह गोल, त्रिकोण अथवा चतुर्भौणादि मडलों के भीतर भोजन रख कर खान स उन देवताओं की ग्रहण शक्ति रुक जाता है और उससे भोजन की पूर्णशक्ति बनी रहती है। भट्टारकजी ने उनकी इस ०यवस्था को भी उन्हीं के विश्वास अथवा उद्देश्य के साथ अपनाया है। इसी से अप छुठे अध्याय में लिखते हैं—

चतुरस्त्र त्रिकोणं च बतुलं चार्ष्वचन्द्रकम् ।  
कर्तव्यानुपूर्यण मडलं ब्राह्मणादिषु ॥ १६४ ॥

\* गोमय मडल इत्वा भक्तव्यमिति निश्चितम् ।

पिण्डाचा यातुधानाद्या अन्नादा स्युरमडले ॥

—सूतिरकाकर ।

यातुधाना पिशाचाऽथ त्वसुरा राज्ञसास्तथा ।

इति त [ वै ] बलमन्त्रस्य मण्डलेन विवर्जितम् ॥ १६५ ॥

आर्यात्—ब्राह्मणादिक को क्रमशः चतुष्प्रोण, त्रिकोण, गोल और अर्धचन्द्राकार मण्डल बनाने चाहिये । मण्डल के बिना भोजन की शक्ति को यातुधान, पिशाच, असुर और राज्ञस दवता नष्ट कर डालते हैं ।

ये दानों श्लाक भी हि दूर्धर्म से लिय गये हैं । पहल श्लाक को आहिकसूत्रावलि में 'ब्रह्मपुराण' का वाक्य लिखा है और दूसरे को 'स्मृतिर नाकर' में 'आत्रेय' ऋषि का वचन सूचित किया है और उसका दूसरा चरण 'ह्यसुराऽधाथ राज्ञसाः' दिया है, जो बहुत ही साधारण पाठभद्र का लिय हुए है × ।

इस तरह भट्टारकजा ने हि दूर्धर्म की एक ऋयवस्था का उन्हीं के शब्दों में अपनाया है और उस जैन-ऋयवस्था प्रकट किया है, यह बहु ही खेद का विषय है ! जैनसिद्धान्तों से उनका इस ऋयवस्था का भी काई समर्थन नहीं हाता । प्रत्युत इसक जैनदृष्टि से, इस प्रकार के कथन देवताओं वा अवर्णवाद करन वाल है—उन पर मूठा दाषारोपण करते हैं । जैनमतानुसार ऋयन्तरादिक देवों का भोजन भी मानसिक है, वे इस तरह पर दूसरों के भोजन का चुराकर खात नहीं फिरत और न उनकी शक्ति ही ऐसे नि सत्त्व काल्पनिक मण्डलों के द्वारा रोकी जा सकती है । अत ऐसे मिथ्यात्ववर्धक कथन दूर से ही ल्याग किय जान के योग्य हैं ।

× दूसरे श्लोक का एक रूपान्तर भी माकण्डेयपुराण में पाया जाता है और वह इस प्रकार है—

यातुधाना पिशाचाऽथ कूराऽमैव तु राज्ञसा

इति रसमन्त्र च मण्डलेन विवर्जितम् ॥

—आहिकसूत्रावलि ।

### एक वस्त्र में भोजन-भजनादिक पर आपत्ति ।

( १६ ) एक स्थान पर भट्टारकजी लिखते हैं कि ‘एक वस्त्र पहन कर भोजन, देवपूजन, पितृकर्म, दान, होम, और जप आदिक ( स्नान, स्वाध्यायादिक शब्द ) कार्य नहीं करने चाहिये । खंड वस्त्र पहन कर तथा वस्त्रधार्ध पहन कर भी ये सब काम न करने चाहियें । यथा—

एकवस्त्रो न भुजीत न कुर्यादेवपूज [ तार्च ] नैम् ॥ ३-३६ ॥

न कुर्यात्पितृकर्मा [ कार्या ] णि दानं होमं जपादिकम् [ पं तथा ]  
खण्डवस्त्रावृतश्चैव वस्त्रार्धप्रावृतस्तथा ॥ ३७ ॥

परन्तु क्यों नहीं करने चाहियें ? करने से क्या हानि होती है अथवा कौनसा अनिष्ट संघटित होता है ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ! क्या एक वस्त्र में भोजन करने से वह भोजन पचता नहीं ? पूजन या भजन करने से वीतराग भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं अथवा भक्तिरस उत्पन्न नहीं हो सकता ? आहारादिक का दान करने से पात्र की तुसि नहीं होती या उसकी चुधा आदि को शाति नहीं मिल सकती ? स्वाध्याय करने से ज्ञान की संप्राप्ति नहीं होती ? और परमात्मा का ध्यान करने से कुशल परिणामों का उद्भव तथा आत्मानुभवन का लाभ नहीं हो सकता ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक वस्त्र में इन भोजनभजनादिक पर आपत्ति कैसी ? यह कुछ समझ में नहीं आता !! जैनमत में उत्कृष्ट श्रावक का रूप एक वस्त्रधारी माना गया है—इसीसे ‘चेलस्वरहधरः’ ‘अस्त्रैकधरः’, ‘एकशाटकधरः’, ‘कौपीनिमात्रतंत्रः’ आदि नामों या पदों से उसका उल्लेख किया जाता है—और वह अपने उस एक वस्त्र

\*आदिक शब्द का यह आशय ग्रंथ के अगले ‘स्नानं दानं जपं होमं’ नाम के पद पर से प्रदर्श किया गया है जो ‘उक्तंच’रूप से दिया है और संभवतः किसी हिन्दू-ग्रंथ का ही पद मात्रम् होता है ।

में ही भोजन के अतिरिक्त देवपूजन, स्नानाध्याय दान और जप व्याजादिक सम्पूर्ण धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करता है। यदि एक वस्त्र में इन सब कृत्यों का किया जाना निषिद्ध हो तो श्रावक का उत्कृष्ट सिंग ही नहीं बन सकता, अपवा यों कहना होगा कि उसका जीवन धार्मिक नहीं हो सकता। इसस जैनशासन के साथ इस सब कथन का बोई सबध ढीक नहीं बैठता—वह जैनियों वी सैद्धान्तिक दृष्टि से निरा सारहीन प्रतीत होता है। वास्तव में यह कथन भी हिन्दू धर्म से लिया गया है। इसके प्रतिपादक व दानों वाक्य भी जो ३६ वें पद्ध वा उत्तरार्ध और ३७ वें पद्ध का पूर्वार्ध बनाते हैं हिन्दू धर्म की चाच है—हिन्दुओं के 'चाद्रिका' प्रथ का एक इलाक है—और स्मृतिरक्षाकर में भी, ब्रैविटो में दिये हुए साधारण से पाठभद के साथ, उद्गृह याये जात है।

### सुपारी खाने की सज्जा ।

( १७ ) भोजनाध्याय \* म, ताम्बूलविधि का वर्णन करते हुए, भट्टारकजा लिखत है—

अनिधाय मुखे पर्णं पूर्ण खादति यो नर ।

सप्तजन्मदरिद्रं स्यादन्ते नैघ स्मरेज्जिनम् ॥ २३३ ॥

\* छठे अध्याय का नाम 'भोजन' अध्याय है परन्तु इसके शुरू के १४६ अंडों में जिनमदिर के निर्माण तथा पूजनादि-सम्बन्धी कितना ही कथन एसा दिया हुआ है जो अध्याय के नामके साथ समत गालूम नहीं हाता—और भी कुछ अध्यायों में एसी गड़बड़ी पाइ जानी है—और इससे यह स्पष्ट है कि अध्यायों के विषय विभाग म भी विचार स ढीक काम नहीं लिया गया।

अर्थात्—जो मनुष्य मुख में पान न रखकर—बिना पान के ही—  
सुपारी खाता है वह सात जन्म तक दरिद्र होता है और अन्त में—  
मरते समय—उसे जिनेन्द्र भगवान का स्मरण नहीं होता ।

पाठकगण ! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था और कैसा अद्भुत न्याय है ! कहाँ तो अपराध और कहाँ इतनी सख्त सज्जा !! इस धार्मिक दण्डविधान ने तो बड़े बड़े अन्यायी राजाओं के भी कान काट लिये !!! क्या जैनियों की कर्म फ़िलोसॉफी और जैनधर्म से इसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है ? कदापि नहीं । सुपारी के साथ दरिद्र की इस विलक्षण व्याप्ति को मालूम करने के लिये जैनधर्म के बहुत से सिद्धान्त-प्रणयों को टटोला गया परंतु कहाँ से भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह लाजिमी आता हो कि सुपारी पान की संगति में रहकर तो दरिद्र नहीं करेगी परंतु अलग सेवन किये जाने पर वह सात जन्म तक दरिद्र को खींच लाने अथवा उत्पन्न करने में अनिवार्य रूप से प्रवृत्त होगी, और अन्त को भगवान का स्मरण नहीं होने देगी सो जुदा रहा । कितने ही जैनी, जिन्हें पान में साधारण बनस्पति का दोष मालूम होता है, पान नहीं खाते किन्तु सुपारी खाते हैं; अनेक परिणामों और पंडितों के गुरु माननीय पं० गोपालदासजी बरैया को भी पान से अलग सुपारी खाते हुये देखा गया परंतु उनकी बाबत यह नहीं सुना गया कि उन्हें मरते समय नगवान् का स्मरण नहीं हुआ । इससे इस कथन का वह अंश जो प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखता है प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी है । और यदि उसी जन्म में भी दरिद्र का विधान इस पथ के द्वारा है तो वह भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है; क्योंकि बहुत से सेठमाल्कार भी बिना पान के सुपारी खाते हैं और उनके पास दरिद्र नहीं फटकता ।

मालूम होता है यह कथन भी हिन्दू धर्म के किसी प्रथ से लिया

गया है। हिंदुओं के 'स्मृतिरत्नाकर' प्रथ में यह स्तोक विस्तुत ज्यों का त्यों पाया जाता है, सिर्फ् अन्तिम चरण का भेद है। अंतिमचरण वहाँ 'नरकेषु निमज्जन्ति' ( नरकों में पड़ता है ) दिया है। बहुत सम्भव है भट्टारकजी ने इसी अंतिमचरण को बदल कर उसके स्थान में 'अन्ते नैष स्मरोऽग्निम्' बनाया हो। यदि ऐसा है तब तो इस परिवर्तन से इतना झरूर हुआ है कि कुछ सजा कम हो गई है। नहीं तो वेचरे को, सात जन्म तक दरिद्री रहने के सिवाय, नरकों में और जाना पड़ता !! परंतु इस पथ का एक दूसरा रूप भी है जो मुद्रूर चिंतामणि की 'पीयूषधारा' टीका में पाया जाता है। उसमें और सब बातें तो ज्यों की त्यों हैं, सिर्फ् 'अनिधाय मुखे' की जगह 'अशा-खविधिना' ( शाखविधि का उज्ज्ञापन करके ) पद का प्रयोग किया गया है और अंतिम चरण का रूप 'अन्ते विष्णु न संस्मरेत्' ( अंत में उसे विष्णु भगवान् का स्मरण नहीं होता ) ऐसा दिया है। इस अंतिमचरण पर से भट्टारकजी के उक्त चरण का रचा जाना और भी क्यादा स्वाभाविक तथा संभावित है। हो सकता है भट्टारकजी के सामने हिन्दू-प्रयों के ये दोनों ही पथ रहे हों और उन्होंने उन्हीं पर से आपने पथ का रूप गढ़ा हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि जैनसिद्धान्तों के विरुद्ध होने से उनका यह सब कथन जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

### जनेऊ की अजीष करामात।

( १८ ) ' पङ्गोपवीत ' नामक अध्याय में, भट्टारकजी ने जनेऊ की करामात का जो वर्णन दिया है उससे मालूम होता है कि ' यदि किसी को अपनी आयु बढ़ाने की—अधिक जीने की—इच्छा हो तो उसे दो या तीन जनेऊ अरने गले में ढाल लेने चाहिये —आयु बढ़ जायगी

( अकाल मृत्यु तो तब शायद पास भी न कटेगी ! ), पुत्रप्रसिद्धि की इच्छा हो तो पॉच जनेऊ डाल लेने चाहियें—पुत्र की प्राप्ति हो जायगी— और धर्म लाभ की इच्छा हो तो भी पॉच ही जनेऊ कण्ठ में धारणा करने चाहियें, तभी धर्म का लाभ हो सकेगा अथवा उसका होना अनिवार्य होगा । एक जनेऊ पहन कर यदि कोई धर्म कार्य—जप, तप, होम, दान, पूजा, स्वाध्याय, स्तुति पाठादिक—किया जायगा तो वह सब निष्फल होंगा, एक जनेऊ में किसी भी धर्म कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती ।' यथा:—

आयुःकामः सदा कुर्यात् द्वित्रियशोपवीतकम् ।

पंचभिः पुष्टकामः स्यादु धर्मकामस्तथैव च ॥ ५७ ॥

यशोपवीतेनैकेन जपद्वोमादिकं कृतम् ।

तत्सर्वं विलयं याति धर्मकार्यं न सिद्धयति ॥ ५८ ॥

पाठकजन ! देखा, जनेऊ की कैसी अजीब करामात का उल्लेख किया गया है और उसकी संख्यावृद्धि के द्वारा आयु की वृद्धि आदि का कैसा सुगम तथा सस्ता उपाय बतलाया गया है !! \* मुझे इस

\* और भी कुछ स्थानों पर ऐसे ही विलक्षण उपायों का—करामाती नुस्खों का—विधान किया गया है; जैसे ( १ ) पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करने से आयु के बढ़ने का, पश्चिम की तरफ मुँह करके साने से धन की प्राप्ति होने का और ( २ ) काँसी के बरतन में भोजन करने से आयुर्वेदादिक की वृद्धि का विधान ! इसी तरह ( ३ ) दीपक का मुख पूर्व की ओर कर देने से आयु के बढ़ने का, उत्तर की ओर कर देने से धन की बढ़वारी का, पश्चिम की ओर कर देने से दुखों की उत्पत्ति का तथा दक्षिण की ओर कर देने से हानि के पहुँचने का, और सूर्योस्त से सूर्योदय पर्यन्त घर में दीपक के जलते रहने

वृथाय की विलङ्घणता अथवा निःसरतं आदि के विषय में कुछ विशेष  
कहने की चलत नहीं है, सहदय पाठक सहज ही में अपन अनुभव  
से उसे जान सकते हैं अथवा उसकी जाँच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर  
सिर्फ़ इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि महाराकांडी ने जो यह प्रतिनिधि  
पदन किया है कि 'एक जनेऊ पहन कर कोई भी धर्मकार्य  
सिद्ध नहीं हो सकता—उसका करना ही निष्पक्ष होता है' :

से दरिद्र क भाग जाने अथवा पास न फटकने का विधान । यथा—  
( १ ) आयुष्यं प्राङ्मुखो भुक्ते .. अकाम् एविमे [अयिं प्रत्यङ्मुखो]  
भुक्ते ॥ ६ १६३ ॥

( २ ) एक पंच तु यो भुक्त विमले [ गृहस्थ ] कांस्यभाजने ।  
चत्वारि तस्य वर्धने आयु प्रक्षा यशोषलम् ॥ ६-१६७ ॥

( ३ ) आयुष्ये [ दं ] प्राङ्मुखो दीपो धनायोदङ्मुखोमतः

[ धनदः स्यादुदङ्मुखः ] ।

प्रत्यङ्मुखोऽपिदु खाय [दु खदोऽस्मौ] हानये [निदो] दक्षिणामुखः ॥  
रवेरस्त समारभ्य यावत्सूर्योदयो भवेत् ।  
यस्य निष्टेदुगृहे दीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता ॥

—अध्याय, ७ वाँ ।

और ये सब कथन हिन्दू धर्म के प्रन्थों से लिये गये हैं—हिन्दुओं  
के ( १ ) मनु ( २ ) व्यास तथा ( ३ ) मरीचि नामक ऋषियों के  
क्रमशः वचन हैं, जो प्राय उन्हों के त्यों अथवा कहीं कहीं साधारण  
से परिवर्तन के साथ डाक कर रक्षा गये हैं। आन्हिकसूत्राचलि में  
मां ये चाक्षय, बैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ इन्हीं ऋषियों के  
नाम से उल्लिखित मिलते हैं। जैनधर्म को शिक्षा अथवा उसके सत्त्व-  
ज्ञान से इन कथनों का कोई साक्ष सम्बन्ध नहीं है।

वह जैनसिद्धान्त तथा जैनवीति के लिकुल विरुद्ध है और किसी भी जैनवीत प्राचीन जैनाचार्य के बाक्य से उसका समर्थन नहीं होता। एक जनेऊ पहन कर नो क्या, यदि कोई बिना जनऊ पहने भी सच्चे हृदय से भगवान की पूजा—भक्ति में सीन हो जाय, मन लगाकर स्वाध्याय करे, किसी के प्राण बचा कर उसे अभयदान देवे, सदुपदेश देकर दूसरों को सन्मार्ग में लगाए अथवा सत्संयम का अभ्यास करे तो यह नहीं हो सकता कि उसे सत्कल की प्राप्ति न हो। ऐसा न मानना जैनियों की कर्मफ़िलॉसॉफ़ी अथवा जैनधर्म से ही हमकार करना है। जैनवर्मानुमार मन बचन-काय की शुभ प्रवृत्ति पुण्य का और अशुभ प्रवृत्ति पाप का कारण होती है—वह अपने उस फ़ल के लिये यज्ञोपवीत के धारों की साथ में कुछ अपेक्षा नहीं। रम्भती किन्तु परिणामों से खास सम्बन्ध रखती है। सैकड़ों यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारी महापातकी देखे जाते हैं और बिना यज्ञोपवीत के भी हजारों व्यक्ति उत्तर भारतादिक में धर्मकृत्यों का अच्छा अनुष्ठान करते हुए पाये जाते हैं—लियाँ तो बिना यज्ञोपवीत के ही बहुत कुछ धर्मसाधन करती हैं। अत धर्म का यज्ञोपवीत के साथ अथवा उसकी पचसह्या के साथ कोई अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है। और इस लिये भट्टारकजी का उक्त कथन मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

### तिलक और दर्भे के बँधुए।

( १६ ) चौथे अध्याय में, ' तिलक ' का विस्तृत विधान और उसकी अपूर्व महिमा का गान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं —

जपो होमस्तथा दानं स्वाध्याय पितृतर्पणम् ।

जिनपूजा श्रुताख्यान ग कुर्यात्तिलक बिना ॥ ८५ ॥

अर्थात्—तिलक के बिना जप, होम, दान, स्वाध्याय, पितृतर्पण जिनपूजा और शास्त्र का व्याख्यान नहीं करना चाहिये।

परन्तु क्यों नहीं करना चाहिये ? करने से क्या सुरक्षा पेदा हो जाती है अथवा कौनसा उपद्रव खड़ा हो जाता है ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा । क्या तिलक छाप लगाए बिना इनको करने से ये कार्य अधूरे रह जाते हैं ? इनका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ? अथवा इनका करना ही निष्कल होता है ? कुछ समझ में नहीं आता ! ! हाँ, इतना स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने जप-तप, दान, स्वाध्याय, पूजा-भक्ति और शास्त्रो-पदेश तक को तिलक के साथ बैंधे हुए समझा है, तिलक के अनुचर माना है और उनकी दृष्टि में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं—इनका स्वतंत्रता पूर्वक अनुष्ठान नहीं हो सकता अथवा वैसा करना हितकर नहीं हो सकता । और यह सब जैन शासन के विरुद्ध है । एक बाल में तथा एक जनेक पहन कर इन कार्यों के किये जाने का विरोध जैसे युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता उसी तरह पर तिलक के बिना भी इन कार्यों का किया जाना, जैन सिद्धातों की दृष्टि से कोई खास आपत्ति के बोझ नहीं जँचता । इस विषय में ऊपर ( नं० १६ तथा १८ में ) बोले तर्कणा की गई है उसे यथायोग्य यहाँ भी समझ लेना चाहिये ।

इसी तरह पर तीसरे अध्याय में दर्भे \* का माहात्म्य नाया गया है और उसके बिना भी पूजन, होम तथा जप अदिक के करने का निषेध किया है और लिखा है कि पूजन, जप तथा होम के अवसर पर दर्भे में ब्रह्मगांठ लगानी होती है । साथ ही, यह भी बतलाया है कि निष्प कर्म करते हुए हमेशा दो दर्भों को दखिल हाथ में धारणा करना चाहिये

\* कुश, कौस, दूष और मूँज वर्षरह घास, जिसमें गेहूँ, और तथा घान्त की नालियाँ भी छालिल हैं और जिसका इन भेदों का प्रतिपादक शब्द “ अजैन ग्रन्थों से संप्रद ” नामक ब्रह्मरथ में बद्धृत किया जा चुका है ।

और स्नान, दान, गप, वज्र तथा स्वाध्याय करते हुए दीनें हाथों में या तो दर्भ के नाल रखने चाहिये और या पवित्रक ( दर्भ के बने छँडे ) पहनने चाहिये । यथा—

द्वौ दर्भौ दक्षिणे हस्ते सर्वदा नित्यकर्मणि ॥ ६५ ॥

स्नाने दान जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्यकर्मणि ।

सपवित्री सद्भौं वा करी कुर्वीन नाम्यथा ॥ ६५ ॥

दर्भं विना न कुर्वात च चम पूजनगम् ।

जिनयज्ञ जपे हाम व्रह्मार्थाधिविशेषत ॥ ६७ ॥

इससे जाहिर है कि भट्टारकजी ने जिनपूजनादिक की निलक के ही नहीं किन्तु दर्भ के भी बँधुए माना है ! आपकी यह मान्यता भी, तिलक सम्पर्की उक्त मान्यता की तरह, जैन शासन के विस्त्र है । जैनों का आचार विचार भी आम तौर पर इसके अनुकूल नहीं पाया जाता अवश्य यो कहिये कि ' दर्भ हाथ में लकर ही पूजनादिक धर्मकृत्य किये जायें अन्यथा न किये जायें ' ऐसी जैन-स्माय नहीं है । लाखों जैनी विना दर्भ के ही पूजनादिक धर्मकृत्य करते आए हैं और करते हैं । नित्य की ' देवपूजा ' तथा यशोनन्दि आचार्य कृत 'पचपरमाण्डि पूजापाठ' आदिक मध्यों में भी दर्भ की इस आवश्यकता का कोई जल्द नहीं है । हाँ, हिन्दुओं के यहाँ दर्भादिक के माहात्म्य का ऐसा वर्णन जरूर है—वे तिलक और दर्भ के विना स्नान, पूजन तथा सभ्योपासनादि धर्मकृत्यों का करना ही निष्कल सपभ्ने है; जैसा कि उनके पश्चपुराण ( उत्तर खण्ड ) के निम्न वाक्य से प्रकट है—

“ स्नान संध्या पञ्च यज्ञान् पैत्र होमादिकर्म यः । ”

“ विना तिलकदर्भाभ्यां कुर्यात्तिष्ठापत्तिं भवेत् ॥ ”

शुद्धकलाद्वृप ।

इसी तरह उसके बहाप्रदपुराण में तिलक को वैष्णव का सूर्य बतलाया है और उसके बिचा दान, जप, होम तथा स्वाध्यायादिक चढ़ करना निर्थक ठहराया है । यथा—

कर्मादौ तिलकं कुर्याद्गृपं तद्वैष्णवं परं ॥

गो प्रदानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ।

भृष्मीभवति तत्सर्वं मूर्ध्वपुराङ्गं विना कृतम् ॥

—शब्दकल्पद्रुम ।

हिन्दूप्रथों के ऐसे बाक्यों पर से ही भट्टारकजी ने अपने कथन की सुष्ठि की है जो जैनियों के लिये उपादेय नहीं है ।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने तिलक करने का जो विधान किया है वह उसी \* चंदन से किया है जो भगवान के चरणों को लगाया जावे—अर्थात्, भगवान के चरणों पर लेप किये हुए चंदन को उतार कर उससे तिलक करने की व्यवस्था की है । साथ ही, यह भी लिखा है कि ‘अङ्गूठे से किया हुआ तिलक पुष्टि को देता है, मध्यमा अङ्गुली से किया हुआ यश को कैलाता है, अनामिका ( कनिष्ठा के पास की अङ्गुली ) से किया गया तिलक धन वा देने वाला है और वही प्रदेशिनी ( अङ्गूठे के पास की अङ्गुली ) से किये जाने पर मुकित का दाता है ॥

\* यह सब व्यवस्था भी कैसी विलक्षणा है, इसे पाठक स्वयं समझ

\* यथा:—

“ जिनांविचन्दनैः स्वस्य शरीरं लेपमाच्चरेत् । ..... ५६१ ॥

“ लङ्घाटे तिलकं कार्यं तेनैव चन्दनेन च ॥ ६३ ॥

\* यथा:—

अङ्गुष्ठः पुष्टिः श्रोतो यशसे मध्यमा [ मध्यमायुक्तरी ] मनेत् ॥

अनामिका धिये [ उर्ध्वा ] वृद्धात् [ नित्यं ] मुर्क्षं वृद्धात्  
[ मुकिदा च ] प्रदेशिनी ॥ ८३ ॥

सकते हैं। इसमें और सब बातें तो हैं ही परन्तु 'सुकि' इसके द्वारा अच्छी सस्ती घनादी गई है! सुकित के इच्छुकों को चाहिये कि वे इसे अच्छी तरह से नोट कर लेवे !!

### सूतक की विडम्बना ।

( २० ) जन्म—मरण के समय अशुचिता का कुछ सम्बंध होने से लोक में जननाशौच तथा मरणाशौच ( सूतक पातक ) की कल्पना की गई है, और इन दोनों को शारीय भाषा में एक नाम से 'सूतक' कहते हैं। खियों का रजस्वलाशौच भी इसी के अन्तर्गत है। इस सूतक के मूल में लोकव्यवहार की शृद्धि का जो तत्व अथवा जो उद्देश्य जिस हद तक संनिहित था, भट्टारकजी के इस प्रथ में उसकी बहुत कुछ मिही पलीद पाई जाती है। वह कितने ही अंशों में लक्ष्य-अष्ट होकर अपनी सीमा से निकल गया है—कहीं ऊपर चढ़ा दिया गया तो कहीं नीचे गिरा दिया गया—उसकी कोई एक स्थिर तथा निर्दोष नीति नहीं, और इससे सूतक को एक अच्छी खासी विडम्बना का रूप प्राप्त होगया है। इसी विडम्बना का कुछ दिग्दर्शन कराने के लिये पाठकों के सामने उसके दो चार नमूने रखे जाते हैं:—

( क ) वर्णक्रम से सूतक ( जननाशौच ) की मर्यादा का विधान करते हुए, आठवें अध्याय में, ब्राह्मणों के लिये १०, क्षत्रियों के लिये १२, और वैश्यों के लिये १४ दिनकी मर्यादा बतलाई गई है। परंतु तेरहवें अध्याय में क्षत्रियों तथा शूद्रों को छोड़कर, जिनके लिये क्रमशः १२ तथा १५ दिन वी मर्यादा दी है, अर्थों के लिये

, यह पद्धति, वैकिटों में दिये हुए पाठ भेद के साथ, हिन्दुओं के ब्रह्मपुराण में पाया जाता है ( श० क० ) और सम्भवतः वही से लिया गया जान पड़ता है ।

१० दिनकी मर्यादा का उल्लेख किया है और इस तरह पर ब्राह्मणों वैश्य दोनों ही के लिये १० दिनकी मर्यादा बतलाई गई है। इसके सिवाय, एक श्लोक में वर्णों की मर्यादा-विषयक पारस्परिक अपेक्षा (निस्चत, Ratio) का नियम भी दिया है और उसमें बतलाया है कि जहाँ ब्राह्मणों के लिये तीन दिन का सूतक, वहाँ वैश्यों के लिये चार दिन का, शत्रियों के लिये पाँच दिन का और शद्दों के लिये आठ दिन का समझना चाहिये। यथा:—

प्रसूतेऽशमे चान्दि द्वादशे वा चतुर्दशे ।

\* सूतकाशौचशुद्धिः स्याद्विप्रावीनां यथाक्रमम् ॥ ८—१०५ ॥

प्रसूतौ वैव निर्दोषं दशादं सूतकं भवेत् ।

षष्ठ्रस्य द्वादशादं सच्छूद्रस्य पक्षमात्रकम् ॥ १३-४६ ॥

\* विदिनं यत्र विप्राणां वैश्यानां स्याच्चतुर्दिनम् ।

शत्रियाणां पञ्चदिनं शूद्राणां च दिनाएकम् ॥ ४७ ॥

इन तीनों श्लोकों का कथन, एक विषय से सम्बन्ध रखते हुए भी, परस्पर में कितना विरुद्ध है इसे बतलाने की ज़रूरत नहीं; और यह तो स्पष्ट ही है कि तीसरे श्लोक में दिये हुए अपेक्षा-नियम का पहले दो श्लोकों में कोई पालन नहीं किया गया। उसके अनुसार

\* इस श्लोक का अर्थ देने के बाद सोनीजी ने जो भावार्थ दिया है वह उनका निजी कल्पित जान पड़ता है—मूल से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। मूल के अनुसार इस श्लोक का सम्बन्ध आगे पीछे दोनों ओर के कथनों से है। आगे भी ६२ वें श्लोक में जननाशौच की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। उस गर भी इस श्लोक की व्यवस्था लगाने से वही विफलना लड़ी हो जाती है। इसी तरह ४६ वें श्लोक के अनुबाद में जो उन्होंने लिखा है कि ‘राजा के लिये सूतक नहीं’ वह भी मूल से बाहर की चीज़ है।

ब्राह्मणों के लिये यदि दस दिन का सूतक था तो वैश्यों के लिये प्रायः १३ दिन का, क्षत्रियों के लिये १६ दिन का और शूद्रों के लिये २५ दिन का सूतक—विधान होना चाहिये था। परन्तु वैसा नहीं किया गया। इससे सूतक—विषयक मर्यादा की अच्छी खासी विडम्बना पाई जाती है, और वह पूर्वाचारों के कथन के भी विरुद्ध है, क्योंकि प्राय-क्षित्तसमुच्चय और छेदशाक्त्रिय गणों में क्षत्रियों के लिये ५ दिन की, ब्राह्मणों के लिये १० दिन की, वैश्यों के लिये १२ दिन की और शूद्रों के लिये १५ दिन की सूतक-व्यवस्था की गई है और उसमें जन्म तथा मरण के सूतक का कोई अलग भेद न होने से वह, आम तौर पर, दोनों के ही लिये समान जान पड़ती है। यथा:—

क्षत्रियब्राह्मणविदशुद्रा दिनैः शुद्रवन्ति पञ्चभिः ।

दशद्वादशभिः पक्षाद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥ १५३ ॥

—प्रायवित्तस०, चूलिका ।

पण दस धारस खियमा पण्णरसेद्वि तथ्य दिवसेद्वि ।

क्षतियवंभृत्वाहसा सुद्वाद कमेण सुजम्भंति ॥ ८७ ॥

—छेदशाक्त्र ।

(स्व)आठवें अध्याय में भट्टारकजी लिखते हैं कि 'पुत्र पैदा होने पर पिता को चाहिये कि वह पूजा की सामग्री तथा मंगल कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ श्रीजिनमदिर में जावे और वहाँ बच्चे की नाल कटने तक प्रति दिन पूजा के लिये ब्राह्मणों की योजना करे तथा दान से संपूर्ण भट्ट-मिल्कादिकों को तुस करे'। और फिर तेरहवें अध्याय में यह व्यवस्था करते हैं कि 'नाल कटने तक और सबको तो सूतक लगता है परन्तु पिता और भाई को नहीं लगता। इसीसे बे दान देते हैं और उस दान को लेने वाले अपवित्र नहीं होते हैं। यदि उन्हें भी उसी वक्त से सूतकी मान लिया जाय तो दान ही नहीं बन सकता'। यथा:—

“ कुञ्जे जाते पिता तस्य कुर्वादाचमनं मुक्षा ।  
 प्राणायामं विधायोद्दीरचमं पुत्राचरेत् ॥ ६३ ॥

पूजावस्तूनि चादाय मंगलं कलशं तथा ।  
 महावाद्यस्य निर्घोषं व्रजेद्दर्मजिनालये ॥ ६४ ॥

ततः प्रारम्भ सद्विप्राद् जिनालये नियोजयेत् ।  
 प्रतिदिने स पूजार्थं यावभालं प्रच्छेदयेत् ॥ ६५ ॥

वानेन तर्पयेत् सर्वान् भट्टान् भिक्षुजनान् पिता । ”

“ जननेऽप्येवमेवाऽधं माश्रादीनां तु सूतकम् ॥

तदानाऽधं पितुभ्नाँतुर्नाभिकर्तनतः पुरा ॥ ६२ ॥

पिता दद्यात्तदा स्वर्णताम्बूलवसनादिकम् ।  
 अशुचिनस्तु नैव स्युजनास्तत्र परिप्रहे ॥ ६३ ॥

तदात्त एव दानस्यानुपत्तिर्भवेद्यदि । ”

पाठक जन ! देखा, सूतक की यह कैसी विडम्बना है !! घर में  
 गल, दुर्गनिधि तथा कृष्ण का प्रवाह वह जाय और उसके प्रभाव से  
 कई कई पीढ़ी तक के कुटुम्बी जन भी अपवित्र हो जाय—उन्हे सूतक  
 का पाप लग जाय—परन्तु पिता और भाई जैसे निकट सम्बन्धी दोनों  
 उस पाप से अछूते ही रहें !!! वे खुशी से पूजन की सामग्री लेकर  
 मदिर जा सके और पूजनादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान कर सके परन्तु  
 दूसरे कुटुम्बी जन नहीं !! और दो एक दिन के बाद जब यथार्थ  
 नाल काट दी जाय तो वह पाप फिर उन्हे भी आ पिलचे—वे भी अप-  
 वित्र हो जायें—और तब से पूजन दानादि जैसे किसी भी अच्छे काग  
 को करने के बे योग्य न रहें !!! इससे अधिक और क्या विडम्बना  
 हो सकती है !!! मालूम नहीं भट्टारकजी ने जैन धर्म के कौन से  
 मूढ़ तत्व के आधार पर यह सब अध्यक्ष्या की है !! जैन सिद्धान्तों से  
 तो ऐसी हास्यास्पद बातों का कोई समर्थन नहीं होता । इस अध्यक्ष्या के

अनुसार पिता भाई के लिये सूतक की बह कोई मर्यादा भी कार्यषु नहीं रहती जो ऊपर बतलाइ गई है । युक्ति-बाद भी भट्टारकजी का बड़ा ही विषयण जान पड़ता है ! समझ में नहीं आता एक सूतकी मनुष्य दान क्यों नहीं कर सकता ? उसमें क्या दोष है ? और उसके द्वारा दान किये हुए, द्रव्य तथा सूखे अनादिक से भी उनका लेने वाला कोई कैसे आपवित्र हो जाता है ? यदि आपवित्र हो ही जाता है तो फिर इस कल्पना मात्र से उसका उद्धार अथवा रक्षा कैसे हो सकती है कि दातार दो दिन के लिये सूतकी नहीं रहा ? तब तो सूतक के बाद ही दानादिक किया जाना चाहिये । और यदि जरूरत के बहुत ऐसी कल्पनाएँ करलेना भी जायज (विधेय) है तो फिर एक श्रावक के लिये, जिसे नित्य पूजन दान तथा स्खाध्यायादिक कर नियम है, यही कल्पना क्यों न करली जाय कि उसे अपनी उन नित्यावश्यक कियाओं के करने में कोई सूतक नहीं लगता ? इस बल्पना का उस कल्पना के साथ मेल भी है जो ब्रतियों, दीक्षितों तथा ब्रह्मचारियों आदि को पिता के मरण के सिवाय और किसी का सूतक न लगने की बाबत की गई है ॥ ३ ॥ अतः भट्टारकजी का उक्त हेतुबाद कुछ भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । वास्तव में उनका यह सब कथन प्रायः ब्राह्मणिक मन्त्रब्यों को लिये हुए है और कहीं कहीं हिन्दू धर्म से भी एक क़दम आगे बढ़ा हुआ जान पड़ता है + । जैन धर्म से उसका कोई खास

\* यथा:—

ब्रतिनां दीक्षितानां च याक्षिकब्रह्मचारिणाम् ।

तैवाशौचं भवेत्तपां पितुभ्य मरणं विना ॥ १२२ ॥

+ हिन्दू धर्म में नाल कटने के बाद जन्म से पाँचवें छठे दिन भी पिता को दान देने तथा पूजन करने का अधिकारी बतलाया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि ब्राह्मणों को उस दान के लेने में कोई दोष नहीं । यथा:—

सिन्हेभ नहीं है और न जैनियों में, अमरतौर पर, नोल का काटनी दो एक दिन के लिये रोका ही जाता है; बल्कि वह उसी दिन, जितना शीघ्र होता है, काटदी जाती है और उसको काट देने के बाद ही दानादिक पुण्य कर्म किया जाता है ।

( ग ) तेरहवें अध्याय में भट्टारकजी एक व्यवस्था यह भी करते हैं कि यदि कोई पुत्र दूर देशान्तर में स्थित हो और उसे अपने पिता या माता के मरण का समाचार मिले तो उस समाचार की सुनने के दिन से ही उसे दस दिन का सूतक ( पातक ) लगेगा—चाहे वह समाचार उसने कई वर्ष बाद ही क्यों न सुना हो \* । यथा:—

पितरौ चेत्सूतौ स्यातां दूरस्थेषि हि पुत्रकः ।

श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकं [दशाहं सूतकी भवेत्]॥७१॥

यह भी सूतक की कुछ कम विडम्बना नहीं है । उस पुत्र ने पिता का दाह-कर्म किया नहीं, शव को स्पर्शा नहीं, शव के धाँचे इमशान भूमि को वह गया नहीं और न पिता के मृत शरीर की दृष्टि ब्राह्म ही उस तक पहुँच सकी है परन्तु फिर भी—इतने असे के बाद तथा हज़ारों गील की दूरी पर बैठा हुआ भी—वह अपवित्र हो जाता है और दान पूजनादिक धर्मकृत्यों के योग्य नहीं रहता ॥ यह कितनी हास्यास्पद व्यवस्था है इसे पाठक ख्यात सकते हैं ॥ ॥ क्या यह

“ जातकर्मणि दाने च मालाच्छेदनात्पूर्वे पितुरविकारः एते षष्ठमं वृष्टुदशमदिने अभ्यवादिपूजनेषु दाने चाधिकारः तत्र विप्राणां प्रतिप्रदेषि दोषो त । ” —आशौचनिर्णय ।

\* इसी तरह पर आपने पति पत्नी को भी एक दूसरे का मृत्यु-समाचार सुनने पर दस दिन का सूतक बतलाया है । यथा:—

मातापित्रोर्यथाशीचं दशाहं कियते सुतैः ।

अनेकोऽनेषि दृष्ट्यात्योहतयैव स्यात्परस्परम् ॥ ७४ ॥

भी जैन धर्म की व्यवस्था है ? छेदपिण्डादि शास्त्रों में तो जल उनका प्रवेश दिहारा मरे हुओं की तरह परदेश में मरे हुओं का भी सूतक नहीं माना है । यथा—

धालत्तणसूरत्तणजलाणादिपवेसदिक्षेदि ।

अणसणपरदेसेसु य मुदाण बलु सूतगं णात्थि ॥ ३५३ ॥

—छेदपिण्ड ।

लोहयसूरत्तविही जलादपरदेसवालस्तरणासे ।

मरिदे खये ण सोही वदसहिदे चेव सागारे ॥ ३५६ ॥

—छेद शास्त्र ।

इससे उक्त व्यवस्था को जैनधर्म की व्यवस्था बतलाना और भी आपत्ति के योग्य हो जाता है । भट्टारकजी ने इस व्यवस्था को हिन्दू धर्म से लिया है, और वह उसके ‘मरीचि’ ऋषि की व्यवस्था है \* । उक्त लोक भी मरीचि ऋषि का वाक्य है और उसका अन्तिम चरण है ‘दशाहं सूतकी भवेत्’ । भट्टारकजी ने इस चरण को बदल कर उमपी जगह ‘पुत्राणां दशरात्रकं’ बनाया है और उनका यह वरिवर्तन बहुत कुछ बेढ़ा जान पड़ना है, जैसा कि पहिले (‘अजैन-प्रम्णों से सप्रह’ प्रकरण में) बतलाया जा चुका है ।

( घ ) इसी तरहवें अध्याय में भट्टारकजी एक और भी अनोखी व्यवस्था करते हैं । अर्थात्, लिखते हैं कि ‘यदि कोई अपना कुटुम्बी

\* मनु आदि ऋषियों की व्यवस्था इससे भिन्न है और उसको आनन्द के लिये ‘मनुस्मृति’ आदि को देखना चाहिये । यहाँ पर एक वाक्य परामरसमृति का उद्घृत किया जाता है जिसमें ऐसे अधिसर पर सदा शौच की—तुरत शुद्धि कर लेने की—व्यवस्था की गई है । यथा—

देशान्तरमृत काष्ठिसागोत्र भूयते यदि ।

न त्रित्रपद्मारात्र सदा स्वात्वा शुचिर्भवेत् ॥ ३-१२ ॥

जन दूर देशान्तर को गया हो, और उसका कोई समाचार पूर्वादि अवस्था-क्रम से २८, १५ या १२ वर्ष तक सुनाई न पड़े तो इसके बाद उसका विधिपूर्वक प्रेतकर्म ( मृतक संस्कार ) करना चाहिये— सूतक ( पातक ) मनाना चाहिये—और श्राद्ध करके छुट वर्ष तक का प्रायश्चित्त लेना चाहिये । यदि प्रेतकार्य हो तुकने के बाद वह आ जाय तो उसे धी के घड़े तथा सर्वे औषधियों के रस से नहलाना चाहिये, उसके सब संस्कार फिर से करके उसे यज्ञोपवीत देना चाहिये और यदि उसकी पूर्वपत्नी मौजूद हो तो उसके साथ उसका फिर से विवाह करना चाहिये । यथा:—

दूरदेशं गते वातीं दूरतः शूयते न चेत् ।

यदि पूर्ववयस्कस्य यावन्स्यादपुर्विशतिः ॥ ८० ॥

तथा मध्यवयस्कस्य त्रावदाः पंचदर्शीव तत् ।

तथा पूर्ववयस्कस्य स्याद् द्वादशशत्सरम् ॥ ८१ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रेतकर्म कार्यं तस्य विधानतः ।

आत्मं कृत्वा षड्घण्डं तु प्रायाधित्तं स्वशक्तिः ॥ ८२ ॥

प्रेतकार्यं कुने तस्य यदि चेत्पुनरागतः ।

घृतकुम्भेन संस्नाप्य सर्वोषधिभिरप्यथ ॥ ८३ ॥

संस्कारान्सकलान् कृत्वा मौञ्जीवन्धनमाचरेत् ।

पूर्वपत्न्या सदैषास्य विवाहः कार्यं एवहि ॥ ८४ ॥

पाठकगण ! दोखिये, इस विडम्बना का भी कुछु ठिकाना है ! बिना मेरे ही मरना मना लिया गया !! और उसके मनाने की भी ज़रूरत समझी गई !!! यह विडम्बना पूर्व की विडम्बनाओं से भी बढ़ मर्ह है । इस पर अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं । जैन धर्म से ऐसी बिना सिर पैर की विडम्बनात्मक व्यवस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

( उ ) सूलक मनाने के इतने धनी भद्ररक्जी आगे चलकर लिखते हैं:—

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणप्रस्तस्य सर्वदा ।  
क्रियादीनस्य मूर्खस्य छाजितस्य विशेषतः ॥११६॥

व्यसनासकचित्स्य पराधीनस्य नित्यशु ।  
आदत्यगपिदीनस्य पण्डपाषण्डपिनाम् ॥ १२७ ॥  
पतितस्य च दुष्टस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत् ।  
यदि दग्ध शरीरं चेत्सूतकं तु दिनब्रयम् ॥ १२८ ॥

अर्थात्—जो लोग व्याधि से पीड़ित हों, कृपण हों, हमेशा कर्ज़-दार रहने हों, किया हीन हों, मूर्ख हों, सविशेष रूप से छी के वश-वर्ती हों, व्यसनासकचित्त हों, सदा पराधीन रहने वाले हों, शाद्व न करते हों, दान न देते हों, नपुसक हों, पाषण्डी हों, पापी हो पतित हो अथवा दृष्ट हों, उन सब का सूतक भस्मान्त होता है—अर्थात्, शरीर के भस्म हो जाने पर फिर सूतक नहीं रहता । सिर्फ उस मनुष्य को तीन दिन का सूतक लगता है जिसने दग्धक्रिया की हो ।

इस कथन से सूतक का मामला कितना उलट पलट हो जाता है उसे बतलाने की जरूरत नहीं, सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं । मातृम नहीं भट्टरकजी का इस में क्या रहस्य था ! उनके अनुयायी सोनीजी भी उसे खोल नहीं सके और कैसे ही दूसरों पर अश्रद्धा का आक्षेप करने बैठ गये !! हमारी राय में तो इस कथन से सूतक की विडम्बना और भी बढ़ जाती है और उसकी कोई एक निर्दिष्ट अथवा स्पष्ट नीति नहीं रहती । लोक व्यवहार भी इस व्यवस्या के अनुकूल नहीं है । वस्तुत यह कथन भी प्रायः हिन्दू धर्म का कथन है । इसके पहले दो पद्य ‘आञ्जि’ ऋषि के वचन हैं और वे ‘अत्रिसूति’ में क्रमशः नं० १०० तथा १०१ पर दर्ज हैं, सिर्फ इतना भेद है कि वहाँ दूसरे पद्य का अन्तिम चरण ‘भस्मान्तं सूतकं भवेत्’ दिया है, जिसे भट्टरकजी ने अपने तीस्रे पद्य का दूसरा

चरण बनाया है और उसकी जगह पर ‘धरण्डपाषण्डपोपिनाम्’  
नाम का चरण रख दिया है !!

इसी तरह पर और भी कितने ही कथन अथवा विधि—विधान ऐसे पाये जाते हैं, जो सूतक—मर्यादा की निःसार विषमतादि—विषयक विडम्बनाओं को लिये हुए हैं और जिन से सूतक की नीति निरापद नहीं रहती; जैसे विवाहिता पुत्री के पिता के घर पर मर जाने अथवा उसके बड़ा बचा पैदा होने पर सिर्फ तीन दिन के सूतक की व्यवस्था का दिया जाना । इत्यादि । और ये सब कथन भी अधिकांश में हिन्दू धर्म से लिये गये अथवा उसकी नीति का अनुसरण करके लिखे गये हैं ।

यहाँ पर ही आपने पाठों को सिर्फ इतना और बतला देता थाहता हूँ कि भट्टारकजी ने उस हालत में भी सूतक अथवा किसी प्रकार के अशौच को न मानने की व्यवस्था की है जब कि यह ( पूजन हवनादिक ) तथा महान्यासादि काव्यों का प्रारम्भ कर दिया गया हो और वीच में कोई सूतक आ पहुँच अथवा सूतक मानने से आपने बहुत से द्रव्य की हानि का प्रसंग उपस्थित हो । ऐसे सब अवसरों पर कौरन शुद्धि कर ली जाती है अथवा मान ली जाती है, ऐसा नद्दारकजी का कहना है । यथा:—

समारघ्नेषु वा यज्ञमहान्यासादिकर्मसु ।

वहुद्रव्यविनाशे तु सद्यःशौचं विधीयते ॥ १२४ ॥

परन्तु विवाह—प्रकरण के अवसर पर आप आपने इस व्यवस्था-नियम को मुक्ता गये हैं । यहाँ विवाह-यह का होम प्रारम्भ हो जाने पर जब यह बालूम होता है कि कन्या रजस्तका है तो आप तीन दिन के लिये विवाह को ही मुक्तत्वी ( स्थगित ) कर देते हैं और ज्येष्ठ दिन उसी जाति में फिर से होम करके कन्यादानादि शैष कार्यों को

पूरा करने की व्यवस्था देते हैं ! \* आपको यह भी ख्याल नहीं रहा कि तीन दिन तक बारात के बहाँ और पड़े रहने पर बेटी बाले का कितना खर्च बढ़ जायगा और साथ ही बारातियों को भी आपनी आर्थिक हानि के साथ साथ कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ! ! — यह भी तो बहु-द्रव्यविनाश का ही प्रसंग था और साथ ही यज्ञ भी प्रारम्भ हो गया था जिसका कोई ख्याल नहीं रखा गया—और न आप को यही ध्यान आया कि जिस ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार से हम यह पद उठा कर रख रहे हैं उसमें इसके ठीक पूर्व ही ऐसे अवसरों के लिये भी सद्यःशौच की व्यवस्था की है—अर्थात्, लिखा है कि उस वर तथा कन्या के लिये जिसका विवाहकार्य प्रारम्भ हो गया हो, उन लोगों के लिये जो होम आद्व, महादान तथा तीर्थयात्रा के कार्यों में प्रवर्त रहे हों और उन ब्रह्मचारियों के लिये जो प्रायश्चित्तादि नियमों का पालन कर रहे हों, अपने अपने कार्यों को करते हुए किसी सूतक के उपस्थित हो जाने पर सद्यःशौच की व्यवस्था है + । अस्तु; भट्टारकजी को इस विषय का ध्यान अथवा ख्याल रहा हो या न रहा हो और वे भूल गये हों या भुला गये हों परंतु

\* यथा:—

विवाहद्वामे प्रकान्ते कन्या यदि रजस्तला ।

त्रिरात्रं दम्पनी स्यातां पृथक्शश्यासनाशनौ ॥ १०६ ॥

चतुर्थऽहनि संस्नाता तस्मिन्शग्नौ यथाविधि ।

विवाहद्वामं कुर्यात् कन्यादानादिकं तथा ॥ १०७ ॥

+ यथा:—

उपक्रान्तविवाहस्य वरस्यापि लियस्तथा ।

होमआद्वमहादानतीर्थयात्राप्रवर्तनाम् ॥ ८-७६ ॥

प्रायश्चित्तादिनियमवर्तनों ब्रह्मचारिणाम् ।

इत्येषां खस्त्रहस्तेषु सद्यः शौचं निरूपितम् ॥ ८० ॥

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रंथ में उनके इस विधान से सूतक की नीति और भी ज्यादा अस्थिर हो जाती है और उससे सूतक की विडम्बना बढ़ जाती है अथवा यों कहिये कि उसकी मिट्ठी खराब हो जाती है और कुछ मूल्य नहीं रहता। साथ ही, यह मालूम होने लगता है कि 'वह अपनी वर्तमान स्थिति में महज़ काल्पनिक है; उसका मानना न मानना समय की ज़रूरत, लोकस्थिति अथवा अपनी परिस्थिति पर अवलम्बित है—लोक का वातावरण बदल जाने अथवा अपनी किसी खास ज़रूरत के खांड हो जाने पर उसमें यथेच्छ परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसे साफ़ धता भी बतलाया जा सकता है; वास्तविक धर्म अथवा धार्मिक तत्वों के साथ उसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है—उसको उस रूप में न मानते हुए भी पूजा, दान, तथा स्वाध्यायादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान किया जा सकता है और उससे किसी अनिष्ट फल की सम्भावना नहीं झो सकती' । चुनाँचे भरत चक्रवर्ती ने, पुत्रोत्पत्ति के कारण घर में सूतक होते हुए भी, भगवन् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न होने का शुभ समाचार पाकर उनके समवसरण में जाकर उनका साक्षात् पूजन किया था, और वह पूजन भी अकेले अथवा चुपचाप नहीं किन्तु बड़ी धूमधाम के साथ अपने भाइयों, बियों तथा पुरुजनों को साथ लेकर किया था। उन्हें ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगा और न उसके कारण कोई अनिष्ट ही संघटित हुआ। प्रत्युत इसके, शास्त्र में—भगवज्जिनसेनप्रणीत आदिपुराण में—उनके इस सद्विचार तथा पुण्योपार्जन के कार्य की प्रशंसा ही की गई है जो उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के उत्सव को भी गौण करके पहले भगवान का पूजन किया। भरतजी के मस्तक में उस बङ्गत इस प्रकार की किसी कल्पना का उदय तक भी नहीं हुआ। कि 'पुत्रजन्म के योग-मात्र से हम सब कुटुम्बीजन, सूतक गृह में प्रवेश न करते हुए भी,

अपवित्र हो गये हैं—कुछ दिन तक बलात् अपवित्र ही रहेंगे—और इस लिये हमें भगवान् का पूजन न करना चाहिये;<sup>2</sup> वहिक वे कुछ देर तक सिर्फ इतना ही सोचत रहे कि एक साथ उपस्थित हुए इन कार्यों में से पहले कौनसा कार्य करना चाहिये और अन्त को उन्होंने यही निश्चय किया कि यह सब पुत्रोत्पत्ति आदि शुभ फल धर्म का ही फल है, इस लिये सब से पहिले देवपूजा रूप धर्म कार्य ही करना चाहिये जो श्रेयो-नुचन्दी ( कल्याणकारी ) तथा महाफल का दाता है। और तदनुसार ही उन्होंने, मूलकावस्था में, पहले भगवान का पूजन किया + । भरतजी यह भी जानते थे कि उनके भगवान् बातराग हैं, परम पवित्र और पवित्रपात्र हैं; यदि कोई शरीर से अपवित्र मनुष्य उनकी उपासना करता है तो वे उससे नाखुश ( अप्रसन्न ) नहीं होते और न उसके शरीर की छाया पड़ जाने आश्रा वायु लग जाने से अपवित्र ही हो जाते हैं; वहिक वह मनुष्य ही उनके पवित्र गुणों की स्मृति के योग से स्वयं पवित्र हो जाता है \* । इससे भरतजी को अपनी सूतकावस्था की कुछ चिंता भी नहीं थी ।

मालूम होता है ऐसे ही कुछ कारणों से जैन धर्म में सूतकाचरण को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया । उसका आवकों की उन ५३ कियाओं में नाम तक भी नहीं है जिनका आदिपुराण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और जिन्हें ‘ सम्यक् कियाँ ’ लिखा है,

+ देखो उक्त आदिपुराण का २४ चौं पर्व ।

\* निष्ठ की ‘ देवपूजा ’ में भी देसा ही भाव व्यक्त किया गया है और उस अपवित्र मनुष्य को तब बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार से पवित्र माना है । यथा—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ।

यः स्मरेत्परमात्मां स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥

ब्रह्मिक भगवत्तिजनसुद ने 'आधानादिशमशानान्त' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों की उन विभिन्न क्रियाओं को जिनमें 'सूतक' भी शामिल है 'मिथ्या क्रियापै' बतलाया है X। इससे जैनियों के लिये सूतक का वितना महत्व है यह और भी स्पष्ट हो जाता है। इसके सिवाय, प्राचीन साहित्य का जहाँ तक भी अनुशीलन किया जाता है उससे यही पता चलता है कि बहुत प्राचीन समय अथवा जैनियों के अन्युदय काल में सूतक को कभी इतनी मठता प्राप्त नहीं थी और न वह ऐसी विडम्बना को ही लिये हुए या जैसी कि भट्टारकजी के इस प्रथ में पाई जाती है। भट्टारकजी ने किसी देश, काल अथवा सम्प्रदाय में प्रचलित सूतक के नियमों का जो यह बेटा संग्रह करके उस शब्द का रूप दिया है और सब जैनियों पर उसके अनुकूल आचरण की विमेदारी का भार लादा है वह किसी तरह पर भी समुचित प्रतीत नहीं होता। जैनियों को इस विषय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये और केवल प्रवाह में नहीं बहना चाहिये—उन्हें, जैनटष्टि से सूतक के तत्व को समझते हुए, उसके किसी नियम उपनियम का पालन उस हद तक ही करना चाहिये जहाँ तक कि लोक-व्यवहार में गलानि भेटने अथवा शुचिता ॥ सम्पादन करने के साथ उसका सम्बध है और अपने सिद्धान्तों तथा व्रताचरण में कोई

X देखें इसी परीक्षा शब्द का 'प्रतिक्षाद्विविषेष' नाम का प्रकरण।

॥ यह शुचिता प्रायः भोजनपान की शुचिता है अथवा भोजन-पान की शुद्धि को सिद्ध करना ही सूतक-पातक-सम्बन्धी वर्जन का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा काटीजिह्वा के लिए चाक्ष उपर उपनित होता है:—

सूतकं पातकं चापि वयोऽप्तं जैनशुभसने।

दण्णाशुद्धिसिद्धशर्यं वर्जयेच्छ्रावकाप्रथमः ॥ ५-२५६ ॥

आधा नहीं आती । बहुधा परस्पर के खान पान तथा विरादी के लेन देन तक ही उसे समित रखना चाहिये । धर्म पर उसका आतंक न जमना चाहिये, किन्तु ऐसे अवसरों पर, भरतजी की तरह, अपने योग्य धर्मचरण को ब्राह्मण करते रहना चाहिये । और यदि कहीं का वातावरण, अज्ञान अथवा संसर्गदोष से या ऐसे मंगलों के उपदेश से दूरित हो रहा हो—सूतक पातक की पद्धति विगड़ी हुई हो—तो उसे युक्त पूर्वक सुधारने का यत्न करना चाहिये ।

तेरहवें अध्याय में मृतकसंस्कारादि-विषयक और भी कितना ही कथन ऐमा है जो दूसरों से उभार लेकर रक्खा गया है और जैनट्रिंग से उचित प्रतीत नहीं होता । वह सब भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं हैं । यद्युपरि विस्तारभय से उसके विचार को छोड़ा जाता है ।

मैं समझता हूँ ये प्रथा पर से सूतक की विडम्बना का दिग्दर्शन कराने के लिये उसका इतना ही परिचय तथा विवेचन काफ़ी है । सहदय पाठक इस पर से बहुत कुछ अनुमत कर सकते हैं ।

### पिपलादि-पूजन ।

( २१ ) नववें अध्याय में, यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन करते हुए, भद्रारकजी ने पीपल वृक्ष के पूजने का भी विवान किया है । आपके इस विधानानुसार ‘संस्कार से चौथे दिन पीपल पूजने के लिये जाना चाहियें; पीपल का वह वृक्ष पवित्र स्थान में खड़ा हो, ऊँचा हो, छेददाहादि से रहित हो तथा मनोज्ञ हो; और उसकी पूजा इस तरह पर की जाय कि उसके स्कन्ध देश को दर्म तथा पुण्यादिक की मालाओं और हलदी में रंगे हुए सूत के धागों से अलकृत किया जाय—लपेटा अथवा सजाया जाय—, मूल को जल से सौंचा जाय और वृक्ष के पूर्व की ओर एक चबूतरे पर अग्निकुण्ड बनाकर उसमें नौ नौ समिधाओं तथा धृतादिक से होम किया जाय; इसके बाद उस वृक्ष से, जिसे सर्व मंगलों का हेतु बतलाया है,

यह प्रार्थना कीजाय तक है पिपल वृक्ष ! मुझे, आपकी तरह पवित्रता, यह योग्यता और बोधित्वादिगुणों की प्राप्ति होवे और आप मेरे जैसे चिन्हों के (मनुष्याकार के) धारक होवें; प्रार्थना के अनंतर उस वृक्ष तथा अग्नि की तीन प्रदक्षिणाएँ देकर खुशी खुशी अपने घर को जाना चाहिये और वहाँ, भोजन के पश्चात् सबको संतुष्ट करके, रहना चाहिये । साथ ही, उस संस्कारित व्यक्ति को पीपल पूजने की यह क्रिया हर महीने इसी तरह पर होमादिक के साथ करते रहना चाहिये और खासकर श्रावण के महीने में तो उसका किया जाना बहुत ही आवश्यक है' । यथा:—

चतुर्थवासरे चापि संस्नातः पितृसंनिधी ।  
 संक्षिप्तहोमपूजादि कर्म कुर्याद्यथोचितम् ॥ ४५ ॥

शुचिस्थानस्थितं तुङ्गं छेददाहादिवर्जितम् ।  
 मनोङ्गं पूजितुं गच्छेत्सुयुक्त्या ॥ श्वत्यभूद्वदम् ॥ ४६ ॥

दर्भपुष्णादिमालाभिर्द्राक्षुतन्तुभिः ।  
 स्कन्धदेशमलंकृत्य मूलं जलैश्च सिद्धयेत् ॥ ४७ ॥

वृक्षस्य पूर्वादिभागे स्थगिडलस्थाग्रिमंडले ।  
 नव नव समिद्धिश्च होमं कुर्याद् घृतादिकैः ॥ ४८ ॥

पूतत्वयश्चयोग्यत्वदोधित्वाद्या भवन्तु मे ।  
 त्वद्वद्रोधिदुम त्वं च मद्रचिन्दधरो भव ॥ ४९ ॥

तं वृक्षमिति संप्रार्थ्य सर्वमंगलहेतुकम् ।  
 वृक्षं चर्निंह चिःपरीत्य ततो गच्छेद् गृहं मुदा ॥ ५० ॥

एवं कुते न मिथ्यात्वं लौकिकाचारवर्तनात् ।  
 भोजनानन्तरं सर्वान्संतोष्य निवसेद् गृहे ॥ ५१ ॥

प्रतिमासं क्रियां कुर्याद्होमपूजापुरस्तरम् ।  
 आवश्ये तु विशेषेण सा क्रिया ॥ श्वश्यकी मता ॥ ५२ ॥

पीपल की यह पूजा जैनमत—सम्मत नहीं है। जैनदृष्टि से पीपल न कोई देवता है, न कोई दूसरी पूज्य वस्तु, और न उसके पूजन से किसी मुण्ड फल अथवा शुभफल की प्राप्ति ही होती है; उसमें पवित्रता, पूजन-पात्रता (यज्ञयोग्यता) और विज्ञता (बोधित्व) आदि के बे विशिष्ट गुण भी नहीं हैं जिनकी उससे प्रार्थना की गई है। इसके सिवाय, जगह जगह जैन शास्त्रों में विष्णलादि दृष्टों के पूजन का नियेध किया गया है और उसे देवमूढता अथवा खोकमूढता बतलाया है; जैसा कि नीचे के कुछ अवतरणों से प्रकट है:—

मुसलं देहली चुल्ली पिपलश्चम्पकोजलम् ।  
देवायैरभिधीयन्ते वर्ज्यन्ते तैः परेऽत्र के ॥४—६॥

—अभितगति उपासकाचार ।

पृथ्वी उवलनं तोयं देहलीं पिपलादिकान् ।  
देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपश्चिनः ॥१—४५॥

—सिद्धान्तसार ।

क्षेत्रपालः शिथो नागो वृक्षाश्च पिपलादयः । . . .  
यत्राच्यैन्ते शौठेरेते देवमूढः स उच्यते ॥

—सारखतुर्विशुलिका ।

. . तस्तुपात्र भक्तानां वन्दनं भृगुसंश्रवः । . .  
. एवमादिविमूढानां श्वेयं मूढमनेकधा ॥

—यशस्तिलक ।

...वृक्षपूजादीनि पुरुषकारणानि भवन्तीति यद्यदान्ति  
तत्कोकमूढन्तं विषेयं ।

—द्रवयसंभ्रहटीका ब्रह्मदेवकुता ।

...वटहृष्टविपूजनम् । . . . खोकमूढं प्रचक्षयते ॥

—धर्मोपदेशपीयूषवर्षधावकाचार ।

इससे भट्टारकजी की उक्त पिपलपूजा देवमृदता या लोकमृदता में परिणामित होती है। उन्होंने हिन्दुओं के विश्वासानुसार पीपल को यदि देवता समझ कर उसकी पूजा की यह व्यवस्था की है तो वह देवमृदता है और यदि लोगों की देखादेखी पुण्यफल समझ कर या उससे किसी दूसरे अनोखे फल की आशा रखकर ऐसा किया है तो वह लोकमृदता है; अथवा इसे दोनों ही समझना चाहिये। परन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसकी यह पूजन-व्यवस्था मिथ्यात्मा को लिये हुए है और अच्छी जासी मिथ्यात्म की पोषक है। भट्टारकजी को भी अपनी इस पूजा पर प्रकट मिथ्यात्म के आचेप का खायाल आया है। परन्तु चूँकि उन्हें अपने ग्रंथ में इसका विधान करना या इसलिये उन्होंने लिख दिया—‘एवं कृते न मिथ्यात्म’—ऐसा करने से कोई मिथ्यात्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? ‘लौकिकाचारवर्तनात्’—इस लिये कि यह तो लौकिकाचार का बतैना है! अर्थात् लोगों की देखादेखी जो काम किया जाय उसमें मिथ्यात्म का दोष नहीं लगता! भट्टारकजी का यह हेतु भी बड़ा ही विलक्षण तथा उनके अद्भुत पाणिडल्य का घोतक है!! उनके इस हेतु के अनुमार लोगों की देखादेखी यदि कुटेवों का पूजन किया जाय, उन्हें पशुओं की बति चढ़ाई जाय, साँझी-होई तथा पीरों की कब्रें पुनी जावें, नदी समुद्रादिक की बन्दना—भक्ति के साथ उनमें स्नान से धर्म माना जाय, महाण के समय ज्ञान का विशेष माहात्म्य समझा जाय और हिंसा के आचरण तथा मध्यमांसादि के सेवन में कोई दोष न माना जाय अथवा यों कहिये कि अतत्व को तत्त्व समझ कर प्रवर्ती जाय तो इसमें भी कोई मिथ्यात्म नहीं होगा!! तब मिथ्यात्म अथवा मिथ्याचार रहेगा क्या, यह कुछ समझ में नहीं आता!!! स्वोमदेवसूरि तो, ‘यशस्वितक’ में मूरताओं का वर्णन करते हुए, साक्ष लिखते हैं कि ‘इन वृक्षादिकों

का पूजन चाहे वर के लिये किया जाय, चाहे लोका-  
चार की हष्टि से किया जाय और चाहे किसी के अनु-  
रोध से किया जाय, वह सब सम्यग्दर्शन की हानि करने  
वाला है—अथवा यों कहिये कि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है’। यथा:—

वरार्थं लोकवार्तार्थं मुपरोधार्थं मेष वा ।

उपासनमर्मापां स्थात्सम्यग्दर्शनहानये ॥

पंचाध्यार्थी में भी लौकिक सुखसम्पत्ति के लिये कुदेवाराधन को  
'लोकमृद्गता' बतलाते हुए, उसे 'मिथ्या लोकाचार' बतलाया है और  
इसीलिये त्याज्य ठहराया है—यह नहीं कहा कि लौकिका-  
चार होने की वजह से वह मिथ्यात्व ही नहीं रहा। यथा:—

कुदेवाराधनं कुर्यादैकश्रेयसे कुर्धीः ।

मृषालोकोपचारन्वादश्रेया लोकमृद्गता ॥

इससे यह स्पष्ट है कि कोई मिथ्याक्रिया महज लोक में  
प्रचलित अथवा लोकाचार होने की वजह से मिथ्यात्म  
की कोटि से नहीं निकल जाती और न सम्यक्क्रिया ही कहला  
सकती है। जैनियों के द्वारा, वास्तव में, लौकिक विधि अथवा लोकाचार  
वहीं तक मान्य किये जाने के योग्य हो सकता है जहाँ तक कि उससे  
उनके सम्यक्त्व में वाधा न आती हो और न व्रतों में ही कोई दूषण  
लगता हो; जैसा कि सोमदेवसूरि के निम्न वाक्य से भी प्रकट है:—

सर्वं एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वदानिर्न यत्र न वत्तदूषणम् ॥.

—यशस्तिलक ॥

ऐसी हालत में भट्टारकजी का उक्त हेतुवाद किसी तरह भी युक्ति-  
युक्त प्रतीत नहीं होता और न सम्पूर्ण लोकाचार ही, बिना किसी विशेषता  
के, महज लोकाचार होने की वजह से मान्य किये जाने के योग्य ठहरता

है । श्रीपद्मनन्दि आचार्य ने भी अपने श्रावकाचार में उन सब कर्मों से दूर रहने का अथवा उनके त्याग का उपदेश दिया है जिनसे सम्पर्दर्शन मैला तथा व्रत खड़ित होता हो । यथा—

तं देशं तं नरं तत्स्वं तत्कर्माणि च नाशयेत् ।

मालिनं दर्शनं येन येन च ब्रतखण्डनम् ॥ २६ ॥

जोक में, हिन्दूधर्म के अनुसार, पीपल को विष्णु भगवान का रूप माना जाता है । विष्णु भगवान ने किसी तरह पर पीपल की मूर्ति धारण की है, वे पीपल के रूप में भूतल पर अवतरित हुए हैं, और उनके आश्रय में सब देव आकर रहे हैं; इसलिये जो पीपल की पूजा करता है वह विष्णु भगवान की पूजा करता है, इतना ही नहीं, किन्तु सर्व देवों की पूजा करता है—ऐसा हिन्दुओं के पादोत्तरखण्डादि कितने ही प्रथों में विस्तार के साथ विधान पाया जाता है । इसीसे उनके यहाँ पीपल के पूजने का बड़ा माहात्म्य है और उसका सर्व पापों का नाश करने आदि रूप से बहुत कुछ फल वर्णन किया गया है ॥ । और यही

\*इस विषय के कुछ थोड़े से वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं:-

“ अश्वत्थ रूपो भगवान् विष्णुरेव न संशयः । ”

“ अश्वत्थपूजको यस्तु स पव इरिपूजकः । ”

“ अश्वत्थमूर्तिर्भगवान्स्वयमेव यतो द्विज ॥ ”

“ वदात्म्यश्वत्थमाहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम् । ”

“ साक्षादेव स्वयं विष्णुरश्वत्थोऽस्तिलाविश्वराद् ॥ ”

“ अश्वत्थपूजितो येन पूजिताः सर्वदेवताः । ”

“ अश्वत्थच्छ्रेदितो येन छ्रेदिताः सर्वं देवताः ॥ ”

“ अश्वत्थं सर्वयेत्त्रिद्वान्संप्रदश्चित्तमादिशेत् । ”

“ पापोपहतमत्यानं पापनाशो भवेद् ध्रुषम् ॥ ”

—शब्दकल्पसूत्र ।

बनह है जो वे पीपल में पवित्रता, यज्ञयोग्यता और बोधित्वादि गुणों की कल्पना किये हुए हैं। पीपल में पूत्रत्व गुण अथवा पवित्रता के हेतु का उल्लङ्घन करने वाला उसका एक वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार है:-

आश्वरथ ! यस्मात्स्वयं वृद्धराज ! नारायणस्तिष्ठति सर्वकारणम् ।

आत् शुभिस्त्वं स्वतं तरुणाम् विशेषतोऽस्तिष्ठिनाशनोऽसि ॥

इस वाक्य में पीपल को सम्बोधन करके कहा गया है कि ‘हे वृद्धराज ! चूंकि सब का कारण नारायण ( विष्णु मगवान ) तुम्हारे में तिष्ठता है, इसलिये तुम सविशेष रूप से पवित्र हो और अरिष्ट का नाश करने वाले हो’ ।

ऐसी हालत में, अपने सिद्धान्तों के विनष्ट, दूसरे लोगों की देखा-देखी पीपल पूजने अथवा इस रूप में लोकानुवर्तन करने से सम्बन्धरूप मैला होता है—सम्बन्ध में आधा आती है—यह बहुत कुछ स्पष्ट है। खेद है भट्टारकजी, जैन दृष्टि से, यह नहीं बनला सके कि पीपल में किस सम्बन्ध से पूज्यपना है अथवा किस आधार पर उसमें बोधित्व तथा पूत्रत्वादि गुणों की कल्पना बन सकती है ! × प्रत्यक्ष में वह

“(अथवण उचाव) पुरा ब्रह्मादयो देवा. सर्वे विष्णुं समाधिनाः ।

प्रच्छुं देवदेवेशं राज्ञस्तैः पीडिनाः स्वयम् ।

कथं पीडोपशमनमस्माके ब्रह्मि मे प्रभो ॥

“(अधिविष्णुवाच) अहमस्वत्यरुपेण समवामि च भूतले ।

तस्मात्सर्वप्रथलेन कुठभ्यं तरुसेषनम् ॥

प्रानेन सर्वभद्राणि भविष्यन्ति न सेशुवः ।

—जयसिंहकल्पद्रुम ।

× भट्टारकजी के कथम को ब्रह्माक्य समझने वाले सोनीजी भाँ, अपने अनुवाद में ढेढ़ पेज का सम्बन्ध लागाने पर भी, इस विषय को स्पष्ट नहीं कर सके और न भट्टारकजी के हेतु को ही निर्दोष

जहाँ आप को लिये हुए हैं और उसके फलों तथा लाख में असंख्यते ब्रह्म जीवों के मृत कलेवर शामिल रहने से अच्छी ज्ञासी अपवित्रता से

सिद्ध कर सके हैं ! उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि आगम में वृक्ष पूजा का बुरा तथा लोकमूढ़ता बताया है और उसके अनुसार इस पीपल पूजा का लोकमूढ़ता में अन्तर्भूत होना चाहिये । परन्तु प्रध्यात्मकार भद्रारकजी ने चूंकि यह लिख दिया है कि 'ऐसा करने में मिथ्यात्म का दोष नहीं लगता' इससे आपकी बुद्धि चकरा गई है और आप उसमें किसी रहस्य की कल्पना करने में प्रवृत्त हुए हैं—यह कहने लगे हैं कि "इसमें कुछ घोड़ासा रहस्य है" । लेकिन वह रहस्य क्या है, उसे बहुत कुछ प्रयत्न करने अथवा इधर उधर की बहुत सी निरर्थक घातें बनाने पर भी आप कोल नहीं सके और अन्त में आपको अनिवित रूप से यही लिखना पड़ा—“संभव है कि जिस तरह लेत्र को निमित्त लेकर हान का ज्योपशम हो जाता है वैसे ही ऐसा करने से भी ज्ञान का ज्योपशम हो जाय”...“संभव है कि उस वृक्ष के निमित्त से भी आत्मा पर ऐसा असर पड़ जाय जिससे उसकी आत्मा में विलक्षणता आजाय ।” इससे सोनीजी की जीनधर्म-विषयक भवदा का भी कितना ही पता चल जाता है । अस्तु; आपकी सबसे बड़ी युक्ति इस विषय में यह मालूम होती है कि जिस तरह वर की इच्छा से गंगादिक नदियों में स्नान करना लोकमूढ़ता होते हुए भी वैसे ही—विना उस इच्छा के—महक शरीर की मलाश्चिक के लिये उनमें स्नान करना लोकमूढ़ता नहीं है, उसी तरह यहोपवीत की विशेष विधि में बोधि (ज्ञान) की इच्छा से बोधि (पीपल) वृक्षकी पूजा करने में भी लोकमूढ़ता अथवा मिथ्यात्म का दोष न होना चाहिये । यद्यपि आपके इस युक्ति-विधान में वर की इच्छा होनों जगह समान है और इस लिये उस बोधि वर की इच्छा से

भी विरा हुआ है। साथ ही, जैनागम में उसे वैसी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। अतः उसमें पूतत्व आदि गुणों की वर्त्यना करना, उससे उन गुणों की प्रार्थना करना और हिन्दुओं की तरह से उसकी पूजा

पीपल का पूजना लोक मूढ़ता की काटि से नहीं निकल सकता; फिर भी भैं यहाँ पर इतना और बतला देना चाहता हूँ कि गंगादिक नदियों के जिस स्नान की यहाँ तुलना की गई है वह संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि महज शारीरिक मलशुद्धि के लिये जो गंगादिक में स्नान करना है वह उन नदियों का पूजन करना नहीं है और यहाँ स्पष्ट रूप से 'पूजितुं गच्छेत्' आदि पदों के द्वारा पीपल की पूजा का विधान किया गया है और उसकी तीन प्रदक्षिणा देना तथा उससे प्रार्थना करना तक लिखा है—यह नहीं लिखा कि पीपल की छाया में बैठना अच्छा है, अथवा उसके नीचे बैठकर अमुक कार्य करना आहिये, इत्यादि। और इसलिये नदियों की पूजा-बन्दनादि करना जिस तरह मिथ्यात्व है उसी तरह पूज्य बुद्धि को लेकर पीपल की यह उपासना करना भी मिथ्यात्व है। हाँ, एक दूसरी जगह (१० वें अध्याय में), लोकमूढ़ता का वर्णन करते हुए सोनीजी लिखते हैं—“ सर्वसाधारण अग्नि, वृक्ष, पर्वत आदि पूज्य क्यों नहीं और विशेष विशेष कोई कोई पूज्य क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि जिससे जिन भगवान का सम्बन्ध है वे पूज्य हैं, अन्य नहीं । ” परन्तु पीपल की बाष्पत आपने यह भी नहीं बतलाया कि उससे जिन भगवान का क्या खास सम्बन्ध है, जिससे हिन्दुओं की तरह उसकी कुछ पूजा बन सकती, बल्कि यहाँ ‘बोधि’ का अर्थ ‘बड़’ करके आपने अपने पूर्व कथन के विरुद्ध यहोपवीत संस्कार के समय पीपल की जगह वह वृक्ष की पूजाका विधान करदिया है ! और यह आपके अनुष्ठान की और भी विलक्षणता है !!

करना यह सब हिन्दू धर्म का अनुकरण है, जिसे भट्टारकजी ने लोकानुवर्तन के निःसत्त्व पर्दे के नीचे छिपाना चाहा है। महज लोकानुवर्तन के आधार पर ऐसे प्रकट मिथ्यात्व को अमिथ्यात्व कह देना, निःसन्देह, बड़े ही दुःसाहस का कार्य है !! और वह इन भट्टारक जैसे व्यक्तियों से ही बन सकता है जिन्हे धर्म के मर्म की कुछ भी खबर नहीं अथवा धर्म वी आइ में जो कुछ दूसरा ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं।

इसी तरह पर भट्टारकजी ने, एक दूसरे स्थान पर, 'आक' वृक्ष के पूजने का भी विधान किया है, जिसके विधिवाक्य का उल्लेख अभी आगे 'अर्कविवाह' की आलोचना करते हुए किया जायगा।

### वैधव्य-योग और अर्क-विवाह।

( २२ ) ग्यारहवें अध्याय में, पुरुषों के तीसरे विवाह का विधान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं कि 'अर्क ( आक ) वृक्ष के साथ विवाह न करके यदि तीसरा विवाह किया जाता है तो वह तृतीय विवाहिता की विधा हो जाती है। अतः विचक्षण पुरुषों को चाहिये कि वे तीसरे विवाह से पहले अर्क-विवाह किया करें। उसके लिये उन्हे अर्क वृक्ष के पास जाना चाहिये, वहाँ जाकर खस्ति-वाचनादि कृत्य करना चाहिये, अर्क वृक्ष की पूजा करनी चाहिये, उससे प्रार्थना करनी चाहिये, और फिर उसके साथ विवाह करना चाहिये' । यथा:—

\* 'सूर्य सम्प्रार्थ्य' वाक्य में 'सूर्य' शब्द अर्कवृक्ष का वाचक और उसका पर्याय नाम है; उसी वृक्ष से पूजा के अनन्तर प्रार्थना का उल्लेख है। सोनीजी ने अपने अनुवाद में सूर्य से प्रार्थना करने की जो वात सिखी है वह उनकी कथवशैली से सूर्य देखता ले प्रार्थना को सूखित करती है और इसकिये ठिक नहीं है।

‡ अकृत्वा अर्कविवाहं तु दृतीयां यदि चोद्देत् ।

विघ्वासा सा भवेत्कन्या तस्मात्कार्यं विचक्षणा (गौः) ॥२०४॥

अर्कसंज्ञिधिमागत्य कुर्यात्स्वस्त्वादिवाचनाम् ।

अर्कस्यारात्रां कृत्वा सूर्यं सम्प्रार्थ्यं चोद्देत् ॥२०५॥

भट्टारकजी का यह सब कथन भी जैनशासन के विरुद्ध है । और उनका उक्त वैधव्ययोग जैन-तत्त्वज्ञान के विरुद्ध ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है—प्रत्यक्ष में सैकड़ों उदाहरणों एमें उपस्थित किये जा सकते हैं जिनमें तीसरे विवाह से पहले अर्कविवाह नहीं किया गया, और फिर भी वैधव्य-योग सघटित नहीं हुआ । साथ ही, ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमें अर्कविवाह किये जाने पर भी लौ विवाह हो गई है और वह अर्कविवाह उसके वैधव्ययोग का टाल नहीं सका । ऐसी द्वालत में यह कोई लाजिमी नियम नहीं ठहरता कि अर्कविवाह न किये जाने पर कोई लौ इत्वाद्वयवाह भी विवाह हो जाती है और किये जाने पर उसका वैधव्ययोग भी टल जाता है । तब भट्टारकजी का उक्त विधान कोरा वहम, भ्रम और लोक-मूढ़ता की शिक्षा के सिवाय और कुछ भी मालूम नहीं होता# ।

‡ इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने पहली लौ को ‘धर्मपक्षी’ और दूसरी को ‘मोगपक्षी’ बतलाकर जो यह लिखा है कि “इन दो लियों के होते हुए तीसरा विवाह न करे” वह सब उनकी लिजी कल्पना जान पड़ता है । मूल पद्य के आशय के साथ उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । मूल से यह लाजिमी नहीं आता कि वह दो लियों के मौजूद होते हुए ही तीसरे विवाह की व्यवस्था बतलाता है; बहिरुक्त अविकांश में, अपने पूर्वपद्य-सम्बन्ध से, दो लियों के मरआने पर तीसरी लौको विवाहने की व्यवस्था करता हुआ मालूम होता है ।

\*इसी तरह का द्वाल भट्टारकजी के उस दूसरे वैधव्य-योग का

हिन्दुओं के यहाँ अर्कविवाह का विस्तार के साथ विधान पाया जाता है, उनके कितने ही ऋषियों की यह धारणा है कि मनुष्य की तीसरी खी मानुषी न होनी चाहिये, यदि मानुषी होगी तो वह विधवा हो जायगी, इससे तीसरे विवाह से पहले उन्होंने अर्कविवाह की योजना की है—अर्क वृक्ष के पास जाकर स्वस्तिवाचनादि कृत्य करने, अर्क की पूजा करने, अर्क से प्रार्थना करने और फिर अर्क-कन्या के साथ विवाह करने आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था बतलाई है। इस विषय का कथन हिन्दुओं के कितने ही प्रन्थों में पाया जाता है। ‘नवरत्न-विवाहपद्धति’ में भी आठ पुण्यों में उसका कुछ संप्रह किया गया है। उसी पर से यहाँ कुछ वाक्य नमूने के तौर पर उदृढ़त किये जाते हैं:-

“उद्घोद्रतिलिङ्घयर्थं तृतीयां न कदाचन ।  
मोहादक्षानतो वापि यदि गच्छेत् मानुषीम् ॥  
नश्यत्येव न संवेदो गर्भस्य वचनं यथा ।  
“तृतीयां यदि चोद्धाहेत्तर्दि सा विधवा भवेत् ॥  
चतुर्थ्यादि विवाहार्थं तृतीयेऽकं समुद्धेत् ।”  
“तृतीये रुदीविवाहे तु संप्राप्ते पुरुषस्य तु ॥  
आर्कविवाहं चक्ष्यामि शौनकाऽहं विधानतः ।  
अर्कसञ्जिधिमागत्य तत्र स्वस्त्यादि वाचयेत् ॥

भी है जिसका विधान उन्होंने इसी अध्याय के निम्न पद्य में किया है:-

कृते वाग्मिभ्य सम्बन्धे पश्चान्मृत्युभ्य गोविणाम् ।

तदा न मंगलं कार्यं नारीवैधव्यं धृत्वम् ॥ १८५ ॥

इस पद्य में यह बतलाया गया है कि वाक्सम्बन्ध (सर्गाई) के पश्चात् यदि अपना कोई सगोत्री (कुटुम्बी) मर जाय तो फिर वह विवाहसम्बन्ध नहीं करना चाहिये। यदि किया जायगा तो वह रुदी निष्पत्ति से विधवा हो जायगी !!

नान्दीधार्दं प्रकुर्वीत स्थिरिङ्गलं च प्रकल्पयेत् ।  
 अर्कमध्यर्द्यं सौर्या च गंधपुष्पाक्षतादिभिः ॥”  
 (प्राथंना) “ नमस्ते मंगले देवि नमः सवितुरात्मजे ।  
 आहि मां कृपया देवि पत्नी त्वं मे इहागता ॥  
 अर्कं त्वं ब्रह्मणा सुषुः सर्वप्राणिहिताय च ।  
 वृक्षाणां आदिभूतस्त्वं देवानां प्रतिवर्धनः ॥  
 तुनीयोद्वाहजं पापं सृत्युं चाशु विनाशयेत् ।  
 ततश्च कन्यावरणं त्रिपुरुणं कुलमुदरेत् ॥”

हिन्दू प्रन्थों के ऐसे वाक्यों पर से ही भट्टारकजी ने वैधव्य—योग और अर्कविवाह की उक्त व्यवस्था अपने प्रन्थों में की है । परन्तु खेद है कि आपने उसे भी श्रावक धर्म की व्यवस्था लिखा है और इस तरह पर अपने पाठकों को धोखा दिया है !!

### संकीर्ण हृदयोद्धार ।

( २३ ) यह त्रिवर्णाचार, यथापि, हृदय के संकीर्ण उद्धारों से बहुत कुछ भरा हुआ है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस शीर्षक के नीचे उनका कुछ विशेष दिग्दर्शन कराता परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है, इससे सिर्फ दो नमूनों पर ही यहाँ सन्तोष किया जाता है । इन्हीं पर से पाठकों को यह मालूम हो सकेगा कि भट्टारकजी की हृदय—संकीर्णता किस हृद तक बढ़ी हुई थी और वे जैनसमाज को जैनधर्म की उदार नीति के विरुद्ध किस ओर ले जाना चाहते थे:—

( क ) अन्त्यजैः स्निताः कृपा वापी पुष्करिणी सरः ।

तेषां जलं न तु ग्राह्यं स्नानपानाय च क्वचित् ॥ ३-५६ ॥

इस पद्धति में कहा गया है कि ‘जो कुँएँ, बाबूँ, पुष्करिणी और तालाब अन्त्यजों के—शूद्रों अथवा चमारों आदि के—खोदे हुए हों उनका जल न तो कभी पीना चाहिये और न स्नान के लिये ही प्रहृण करना चाहिये’ ।

भट्टारकजी का यह उद्भाव कहा ही विलक्षण तथा हृद दर्जे का संकीर्ण है और इससे शद्रों के प्रति असीम वृणा तथा हेष का भाव अन्यत्र होता है । इसमें यह नहीं कहा गया कि जिन कूप बाबड़ी आदि के जल को अन्यजों ने किसी तरह पर छुआ हो उन्हीं का जल स्नान-पान के अयोग्य हो जाता है बल्कि यह स्पष्ट ज्ञोषणा की गई है कि जिन कूप बाबड़ी आदि को अन्यजों ने खोदा हो—मले ही उनके वर्तमान जल को उन्होंने कभी स्पर्श भी न किया हो—उन सब का जल हमेशा के लिये स्नानपान के अयोग्य होता है ! और इस लिये यदि यह कहा जाय तो वह नाकाफी होगा कि ‘भट्टारकजी ने अपने इस बाब्क्य के द्वारा अन्यज मनुध्यों को जलचर जीवों तथा जल को छूने पीने वाले दूसरे तिर्यंचों से ही नहीं किन्तु उस मल, गंदगी तथा कूड़े कर्कट से भी बुरा और गया बीता समझ है जो कुओं, बाबड़ियों तथा तालाचों में बहकर या उड़कर चला जाता है अथवा अनेक त्रस जीवों के मरने-जीने-गलने-सड़ने आदि के कारण भीतर ही भीतर पैदा होता रहता है और जिसकी बजह से उनका जल स्नान पान के अयोग्य नहीं माना जाता । भट्टारकजी की वृणा का मान इससे भी कहीं बढ़ा चढ़ा था, और इसी लिये मै उसे हृद दर्जे की या असीम वृणा कहता हूँ । मालूम होता है भट्टारकजी अन्यजों के संसर्ग को ही नहीं किन्तु उनकी छायाचात्र को अपवित्र, अपशुकृत और अनिष्टकरक समझते थे । इसीलिए उन्होंने, एक दूसरे स्थान पर, अन्यज का दर्शन हो जाने अथवा उसका शब्द सुनाई पड़ने पर जप को ही छोड़ देने का या यों कहिये कि सामायिक जैसे सदनुषान का स्थाग कर उठ जाने का विधान किया है \* यह कितने खेद का विषय है !!

\* यथा—

ब्रतच्युतान्त्यजादीनां दर्शने भाषणे श्रुतौ ।

कुते अधोषात्तगमने जृम्भनं जपमुत्संजल् ॥ ३-१२५ ॥

यदि भट्टारकजी की समझ के अनुसार अन्त्यजों का संसर्ग-दोष यहाँ तक बढ़ा हुआ है— इतना अधिक प्रभावशाली और बलवान है—कि उनका किसी कूप बाबड़ी आदि की भूमि को प्रारम्भ में स्पर्श करना भी उस भूमि के संसर्ग में आने वाले जल को हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र कर देता है तब तो यह कहना होगा कि जिस जिस भूमि को अन्त्यज लोगों ने कभी किसी तरह पर स्पर्श किया है अथवा वे स्पर्श करते हैं वह सब भूमि और उसके संसर्ग में आने वाले संपूर्ण अन्नादिक पदार्थ हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र हो जाते हैं और इसलिये त्रैवर्णीकों को चाहिये कि वे उस भूमि पर कभी न चलें और न जल की तरह उन संसर्गी पदार्थों का कभी व्यवहार ही करे । इसके सिवाय, जिन कूप बाबड़ी आदि की बाबत सुनिश्चित रूप से यह मालूम न हो सके कि वे किन लोगों के खोदे हुए हैं उनका जल भी, संदिग्धावस्था के कारण, कभी काम में नहीं लाना चाहिये । ऐसी हालत में कैसी विकट स्थिति उत्पन्न होगी और लोकव्यवहार कितना बन्द तथा संकटापन हो जायगा उसकी कल्पना तक भी भट्टारकजी के दिमाय में आई मालूम नहीं होती । मालूम नहीं भट्टारकजी उन खेतों की पैदावार—अन, फल तथा शाकादिक—को भी प्राप्त समझते थे या कि नहीं जिनमें मलमूत्रादिक महादुर्गंधमय अपवित्र पदार्थों से भरे हुए खाद का संयोग होता है । अथवा अन्त्यजों का वह भूमि-स्पर्श ही, उनकी दृष्टि में खाद के उस संयोग से गया थीता था !! परंतु कुछ भी हो—भट्टारकजी ऐसा वैसा कुछ समझते हों या न समझते हों और उन्होंने वैसी कोई कल्पना की हो या न की हो—, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त कथन जैनशासन के अत्यन्त विरुद्ध है ।

जो जैनशासन सार्वजनिक प्रेम तथा बात्संख्य भाव की शिक्षा देता है, घृणा तथा द्वेष के भाव को हटा कर मैत्रीभाव सिखलाता है और

अन्यजों को भी धर्म का अधिकारी बतला कर उन्हें श्रावकों की कोटि में रखता है उसका, अथवा उन तीर्थकरों का कदापि ऐसा अनुदार शासन नहीं हो सकता, जिनकी 'समवसरण' नामकी समुदार सभा में ऊँच नीच के भेद भाव को भुला कर मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु-पक्षी तक भी शामिल होते थे और वहाँ पहुँचते ही आपस में ऐसे द्विलिङ्ग जाते थे कि अपने अपने जातिविरोध तकको भुला देते थे—सर्व निर्भव होकर नकुल के पास लेलता था और बिज्ञा प्रेम से चूहे का आलिंगन करती थी। कितना ऊँचा आदर्श और कितना विश्वप्रेम-मय भाव है ! कहाँ यह आदर्श ? और कहाँ भट्टारकजी का उक्त प्रकार का घृणात्मक विधान ? इससे स्पष्ट है कि भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्म की शिक्षा न होकर उससे बाहर की चीज़ है। और वह हिन्दू-धर्म से उधार लेकर रखा गया मालूम होता है। हिन्दुओं के यहाँ उक्त वाक्य से मिलता जुलता 'यम' कृष्ण का एक वाक्य श्लोक प्रकार से पाया जाता है:—

अन्यजैः स्नानिताः कृपास्तङ्गागति तथैव च ।

एषु स्नात्वा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्धयति ॥

इसमें यह बतलाया गया है कि 'अन्यजों के खोदे द्वारे कुओं तथा तालाबों में स्नान करने वाला तथा उनका पानी पीने वाला मनुष्य अपवित्र हो जाता है और उसकी शुद्धि पंचगव्य से होती है—जिसमें गोबर और गोमूत्र भी शामिल होते हैं। सम्भवतः इसी वाक्य पर से भट्टारकजी ने अपने वाक्य की रचना की है। परन्तु यह मालूम नहीं होता कि पंचगव्य से शुद्धि की बात को इटाकर उद्दोने अपने पद के उत्तरार्थ को एक दूसरा ही रूप क्यों दिया है ? पंचगव्य से शुद्धि की इस हिन्दू व्यवस्था को तो आपने कई जगह पर अपने ग्रंथ में अपनाया

है + । शायद आपको इस प्रसंग पर वह इष्ट न रही हो । और यह भी हो सकता है कि हिन्दू-धर्म के किसी दूमेर वाक्य पर से ही आपने अपने वाक्य की रचना की हो अथवा उसे ही ज्यों का त्यों उठाकर इस दिया हो । परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह व्यवस्था हिन्दुओं से ली गई है—जैनियों के किसी भी माननीय प्राचीन मंथ में वह नहीं पढ़ जाती—हिन्दुओं की ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही दक्षिण भारत में, जहाँ ऐसी व्यवस्थाओं का खास प्रचार हुआ है, अन्त्यज लोगों पर धोर अत्याचार होता है—वे कितनी ही सङ्को पर चल नहीं सकते अथवा मंदिरों के पास से गुजर नहीं सकते, उनकी छाया पड़ जाने पर सचेल स्नान की जरूरत होती है—और इसीलिये अब उस अत्याचार के विरुद्ध सहदय तथा विवेकशील उदार पञ्चिक की आवाज उठी हुई है ।

( ४ ) अजाघ्नोप्त्वमत्पत्त्वाः कल्पानाश्चमकारकाः ।

पापर्थिकः सुरापायी एतैर्बन्धुं न युज्यते ॥ १३० ॥

एतान्किमपि नो देयं स्पर्शनांयं कदापि न ।

न तेषां चस्तुक् प्राह्यं ऊनापवाददायकम् ॥ १३१ ॥

—७ वाँ आध्याय ।

इन पदों में कहा गया है कि 'जो लोग बकरा बकरी का घात करने वाले ( कसाई आदिक ) हों, गोकुशी करने वाले ( मुसलमान आदि ब्लैच्य ) हों, मध्डी मारने वाले ( ईसाई या धीवरादिक ) हों, शराब का व्यापार करने वाले ( कलाल ) हों, चमड़े का काम करने वाले ( चमार ) हों, कोई विशेष पाप का काम करने वाले पातिकी ( पापर्थिक ) हों, अथवा शराब पीने वाले हों, उनमें से किसी के भी साथ बोलना

+ जैसे रजस्वला रुदी की चौथे दिन पंचग्रन्थ से—गोधर गंमूला-दिक से—स्नान करने पर शुद्धि मानी है । यथा—

चतुर्थं वासुरे पंचग्रन्थे संस्नानयेच ताम् ॥८-१०॥

महीं चाहिये । और इन लोगों को न तो कभी कुछ देना चाहिये, व इनकी कोई चीज़ लेना चाहिये और न इनको कभी छूना ही चाहिये; क्योंकि ऐसा करना लोकापवाद का—बदनामी का—कारण है ।'

पाठकजन ! देखा, कैसे संकीर्ण, दुष्ट और मनुष्यत्व से गिरे हुए उदार हैं ! व्यक्तिगत घृणा तथा द्वेष के भावों से किनने लचालब भेर हुए हैं !! और जगत् का उदार अथवा उसका शासन, रक्षण तथा पालन करने के लिये किनने आनुपयोगी, प्रतिकूल और विरोधी हैं !! क्या ऐसे उदागार भी धार्मिक उपदेश कहे जा सकते हैं ? अथवा यह कहा जा सकता है कि वे जैनधर्म की उस उदारनीति से कुछ सम्बन्ध रखते हैं जिसका चित्र, जैनप्रयोगे, जैन तीर्थकरों की 'समवसरण' समा का नकशा खींच कर दिखलाया जाता है ? कदापि नहीं । ऐसे उपदेश विश्वप्रेम के विद्यातक और संसारी जीवों की उन्नति तथा प्रगति के बाधक हैं । जैनधर्म की शिक्षा से इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जरा गहरा उतरने पर ही यह मालूम हो जाता है कि वे किनने योगे और निःसार हैं । भला जब उन गनुभ्यों के साथ जिन्हें हम समझते हों कि वे बुरे हैं—बुरा आचरण करते हैं—संभाषण भी न किया जाय, उन्हें सदुपदेश न दिया जाय अथवा उनकी भूल न बतलाई जाय तो उनका सुधार कैसे हो सकता है ? और कैसे वे सन्मार्ग पर लगाए जा सकते हैं ? क्या ऐसे लोगों की ओर से सर्वथा उपेक्षा धारणा करना, उनके हित तथा उत्थान की चिन्ता न रखना, और उन्हें सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर न लगान जैनधर्म की कोई नीति आथवा जैन समाज के लिये कुछ इष्ट कहा जा सकता है ? और क्या सबे जैनियों की दया-परिणामि के साथ उसका 'कुछ सम्बन्ध हो सकता है ? कदापि नहीं । जैनधर्म के तो बड़े २ नेता आचार्यों तथा महान पुरुषों ने अग्रणीत परिवर्यों, भौतिक, चांडशर्मे

तथा म्लेच्छों तक को धर्म का उपदेश दिया है, उनके दुख सुख को सुना है, उनका हर तरह से समाधान किया है और उन्हें जैन धर्म में दीक्षित करके सन्मार्ग पर लगाया है। अतः 'ऐसे लोगों से बोलना योग्य नहीं' यह सिद्धान्त विलकुल जैनधर्म की शिक्षा के विरुद्ध है।

इसी तरह पर 'उन लोगों को कभी कुछ देना नहीं और न कभी उनकी कोई चीज लेना' यह सिद्धान्त भी दूषित तथा बाधित है और जैनधर्म की शिक्षा से बहिर्भूत है। क्या ऐसे लोगों के भूख-प्यास की बेदना से व्याकुल होते हुए भी उन्हे अन्न, जल न देना और रोग से पीड़ित होने पर औषध न देना जैनधर्म की दया का कोई अंग हो सकता है ? कदापि नहीं। जैनधर्म तो कुपात्र और अपात्र कहे जाने वालों को भी दया का पात्र मानता है और उन सब के लिये करणा बुद्धि से यथोचित दान की व्यवस्था करता है। जैसाकि पचाश्यायी के निम्न वाक्यों से भी प्रकट है:—

कुपात्रायाऽप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम् ।

पात्रबुद्ध्या निषिद्धं स्याऽनिषिद्धं न कुपाधिया ॥

शेषेभ्यः कुतिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात् ।

वीनेभ्योऽभय#दानादि दानव्यं करुणार्णवैः ॥

वह असर्व भूख प्यासों के लिये आहार दान की, व्याधि-पीडितों के लिये औषधि-वितरण की, अज्ञानियों के लिये विद्या तथा ज्ञानोप-करण-प्रदान की और भयग्रस्तों के लिये अभयदान की व्यवस्था बरता है। उसकी हाथि में पात्र, कुपात्र और अपात्र सभी अपनी योग्यतानुसार इन चारों प्रकार के दान के अधिकारी हैं। इससे भट्टारकजी का उन लोगों को कुछ भी न देने का उद्धार निकालना कोरी अपनी

\* पचाश्यायीकी छुरी हुई प्रतियों में 'अभय' की जगह 'दद्या' तथा 'दद्या' पाठ गलत दिये हैं।

हृदय—संकीर्णता व्यक्त करना है और पाखरण का का उपदेश देना है । ऐसी ही हालत उन लोगों से कभी कोई चीज़ न लेने के उद्धार की है । उनसे अच्छी, उपयोगी तथा उत्तम चीज़ों का न्यायमार्ग से लेना कभी दूषित नहीं कहा जा सकता । ऐसे लोगों में से कितने ही व्यक्ति जंगलों, पहाड़ों, समुद्रों तथा भूगर्भ में से अच्छी उत्तम उत्तम चीज़ निकालते हैं; क्या उनसे वे चीज़े लेकर लाभ न उठाना चाहिये ? क्या ऐसे लोगों द्वारा बन-पर्वतों से लाई हुई उत्तम औषधों का भी व्यवहार न करना चाहिये ? और क्या चमारों से उनके बनाये हुए मृत चर्म के जूते भी लेने चाहियें ? इसके सिवाय एक मुसलमान, ईसाई अथवा बैसा ( उपर्युक्त प्रकार का ) कोई हीनाचरण करने वाला हिन्दू भाई यदि किसी औषधालय, विद्यालय अथवा दूसरी लोकोपकारिणी सेवा संस्था को द्रव्यादि की कोई अच्छी सहायता प्रदान करे तो क्या उसकी वह सहायता संस्था के अनुरूप होते हुए भी स्वीकार न करनी चाहिये ? और क्या इस प्रकार का सब व्यवहार कोई बुद्धिमानी कहला सकता है ? कदापि नहीं । ऐसा करना अनुभवशून्यता का दोषक और अपना ही नाशक है । संसार का सब काम परस्पर के लेनदेन और एक दूसरे की सहायता से चलता है । एक मच्छ्रीमार सीप में से मोती निकाल कर देता है और बदले में कुछ द्रव्य पाता है अथवा एक चमार से जूता या चमड़ा लिया जाता है तो मूल्यादि के तौर पर उसे कुछ दिया जाता है । इसी तरह पर लोक-व्यवहार प्रवर्तता है । क्या वह मोती जो मांस में ही पैदा होता तथा बृद्धि पाता है उस मच्छ्रीमार का हाथ लगने से अपवित्र या विकृत हो जाता है ? अथवा वह चमड़ा चमार के कर-स्पर्श से विगुणित और दूषित बन जाता है ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उन लोगों से कोई भी चीज़ न लेने के लिये कहना क्या अर्थ रखता है ? वह निरी सङ्कीर्णता और हिमाकृत नहीं

तो और क्या है ? भरत चक्रवर्ती जैसे धार्मिक नेता पुण्यों ने तो ऐसे लोगों से भेट में चमरी और कस्तूरी ( मुरक नाफ़े ) जैसी चीजें ही नहीं कितु कन्याएँ तक भी ली थीं, जिनका उल्लेख आदिपुराण आदि मंत्रों में पाया जाता है। राजा लोग ऐसे व्यक्तियों से कर और बर्मीदार लोग अपनी जर्मीन का महसूल तथा मकान का किराया भी लेते हैं। उनके खेतों की पैदावार भी ली जाती है। अतः भट्टारकजी का उक्त उद्घार किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता।

अब रही उन लोगों को कभी न लूने की बात, यह उद्घार भी युक्ति-संगत मालूम नहीं होता। जब हम लोग उन लोगों के उपकार तथा उधार में प्रवृत्त होगे, जो जैनमत का खास उद्देश्य है, तब उन्हें कभी अथवा सर्वथा लूँए नहीं यह बात नो बन ही नहीं सकती। फिर भट्टारकजी अपने इस उद्घार के द्वारा हमें क्या सिखलाना चाहिते हैं वह कुछ समझ में नहीं आता ! क्या एक शराबी को शराब के नशे में कूपादिक में गिरता हुआ देख कर हमें चुप बैठे रहना चाहिये और लू जाने के भय से उसका हाथपकड़ कर निवारण न करना चाहिये ? अथवा एक चमार को छूता हुआ देखकर लू जाने के ढर से उसका उद्घार न करना चाहिये ? क्या एक गोधाती मुसलमान, मध्डीमार, ईसाई या शराब बेचनेवाले हिन्दू के घर में आग लग जाने पर, स्पर्शभय से, हमें उसको तथा उसके बालबच्चों को पकड़ पकड़ कर बाहर न निकालना चाहिये ? और क्या हमारा कोई पातिकी भाई यदि अचानक चोट खाकर लहूलुहान हुआ बेहोश पड़ा हो तो हमें उसको उठा कर और उसके धाँचों को धो पूँछ कर उसकी मईम पढ़ी न करना चाहिये, इसलिये कि वह पातिकी है और हमें उसको लूना नहीं चाहिये ? अथवा एक बैद्य या डाक्टर को अपने कर्तव्य से ब्युत होकर ऐसे लोगों की चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिये ? यदि ऐसी ही शिक्षा है तब तो कहना होगा

कि भट्टारकजी हमें मनुष्यत्व से गिरा कर पशुओं से भी गया थीता बनाना चाहते थे और उन्होंने हमारे उदार दयाधर्म को कलंकित तथा बिड़म्बित करने में कोई कसर नहीं रखती । और यदि ऐसा नहीं है तो उनके उक्त उदार का फिर कुछ भी मूल्य नहीं रहता — वह निरर्थक और निःसार जान पड़ता है । मालूम होता है भट्टारकजी ने ह्यूरश्याउरश्य की समीचीन नीति को ही नहीं समझा और इसीलिये उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा ऊटपटाँग लिख मारा कि ‘इन लोगों को कभी भी न छूना चाहिये !! मानो ये मनुष्य स्थायी अङ्गूत हो और उस मल से भी गये बाते हौं जिसे हम प्रतिदिन छूते हैं !!! मनुष्यों से और इतनी घृणा !!! धन्य है ऐसी समझ तथा धार्मिक बुद्धि को !!!

अन्त में, भट्टारकजी ने जिस लोकापवाद का भय प्रदर्शित किया है वह इस संपूर्ण विवेचन पर से मूर्खों की मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता, इसीसे उस पर कुछ लिखना व्यर्थ है । निःसंदेह, जब से इन भट्टारकजी जैसे महात्माओं की कृपा से जैनधर्म के साहित्य में इस प्रकार के अनुदार विचारों का प्रवंश होकर विकार प्रारम्भ हुआ है तब से जैनधर्म को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है और उसकी सारी प्रगति रुक गई । बास्तव में, ऐसे सकीर्ण तथा अनुदार विचारों के अनुकूल चलने वाले ससार में कभी कोई उन्नति नहीं कर सकते और न उच्च तथा महान् बन सकते हैं ।

**ऋतुकाल में भोग न करने वालों की गति ।**

( २४ ) आठवें अध्याय में भट्टारकजी ने यह तो लिखा ही है कि ‘ऋतुकाल में भोग करने वाला मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है और उसके ऐसा सत्कुलीन पुत्र पैदा होता है जो पितरों को स्वर्ग प्राप्त करा देता है’ × ! परन्तु ऋतुकाल में भोग न करने वाले

× ऋतुकालोप [लाभिः] गामी तु प्राप्नोति परमां गतिम् ।

सत्कुलः प्रभवेष्युचः पितॄणां स्वर्गदो मतः ॥ ४८ ॥

इस पद्ध का पूर्वार्थ ‘संवर्त्तस्मृति’ के पद्ध नं० १०० का उत्तरार्थ है ।

जी-पुरुषों की जिस गति का उद्घोल किया है वह और भी विचित्र है ।  
आप लिखते हैं:—

\* ऋतुक्षातां तु यो भार्या संग्रिधौ नोपय [ग] च्छति ।  
घोरायां भूण्डित्यायां पितृभिः सद्म मज्जति ॥ ४६ ॥  
ऋतुक्षाता तु या नारी पति नैवोपयित्वदति ।  
शुनी वृकी शृगाली स्याच्छूकरी गर्दभी च सा ॥ ५० ॥

अर्थात्—जो पुरुष अपनी ऋतुक्षाता—ऋतुकाल में मान की हुई—  
छी के पास नहीं जाता है—उससे भोग नहीं करता है—वह अपने  
पितरों सहित भूण्डित्या के घोर पाप में इबता है—खयं दुर्गति को  
प्राप्त होता है और साथ में अपने पितरों ( माता पितादिक ) को भी  
ले मरता है । और जो ऋतुक्षाता छी अपने पति के साथ भोग नहीं  
करती है वह मर कर कुत्ती, भेड़िनी, गोदड़ी सूअरी और गधी होती है ।

\* इस पद्य का अर्थ देने के बाद सोनीजी ने एक बड़ा ही चिल-  
चण 'भावार्थ' दिया है जो इस प्रकार है:—

"भावार्थ—कितने हाँ लोग ऐसो बातों में आपत्ति करते हैं ।  
इसका कारण यही है कि वे आजकल स्वराज्य के नसे में चूर हो रहे  
हैं । अतः इरपक को समानता देने के आवेश में आकर उस किया  
के चाहने वाले लोगों को भड़का कर अपनी ब्याति-पूजा आदि  
चाहते हैं । उन्होंने धार्मिक विषयों पर आधात करना ही अपना मुख्य  
कर्तव्य समझ लिया है ।"

इस भावार्थ का मूल पद्य अथवा उसके अर्थ से ज़रा भी सम्बन्ध  
नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि इसे लिखने हुए सोनीजी खुद ही  
किसी गहरे नशे में चूर थे । अन्यथा, ऐसा बिना सिर पैर का महा-  
दास्यजनक 'भावार्थ' कभी भी नहीं लिखा जा सकता था ।

पाठकजन ! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था है !! भले ही वे दिन पर्व के दिन हों, छीपुरुषों में से कोई एक अथवा दोनों ही बती हों, बीमार हों, अनिच्छुक हों, तीर्थयात्रादि धर्म कार्यों में लगे हों या परदेश में स्थित हों परन्तु उन्हें उस वक्त भोग करना ही चाहिये !! यदि नहीं करते हैं तो वे उक्त प्रकार से घोर पाप के भागी अथवा दुर्गति के पात्र होते हैं !!! इस अन्यायमूलक व्यवस्था का भी कहीं कुछ ठिकाना है !! स्वरुचि की प्रतिष्ठा, सत्संयम के अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य के पालन और योगाभ्यासादि के द्वारा अपने अन्युदय के यज्ञ का तो इसके आगे कुछ मूल्य ही नहीं रहता !!! समझ में नहीं आता भूणा ( गर्भस्थ बालक ) के विद्यमान न होते हुए भी उसकी इत्या का पाप कोसे लग जाता है ? यदि भोग किया जाता तो गर्भ का रहना सम्भव था, इस संभावना के आधार पर ही यदि भोग न करने से भूणाहत्या का पाप लग जाता है तब तो कोई भी त्यागी, जो अपनी खीं को छोड़कर ब्रह्मचारी या मुनि हुआ हो, इस पाप से नहीं बच सकता । और जैनसमाज के बहुत से पूज्य पुरुषों अथवा महान् आत्माओं को घोर पातिकी तथा दुर्गति का पात्र करार देना होगा । परन्तु ऐसा नहीं है । जैनधर्म में ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रतिष्ठा है और उसके प्रताप से असंख्य व्यक्ति अनुकाल में भोग न करते हुए भी पाप से अलिङ्ग रहे हैं, और सद्गति को प्राप्त हुए हैं । जैनटट्टि से यह कोई लाजिमी नहीं कि ऋद्ध-काल में भोग किया ही जाय । हाँ, भोग जो किया जाय तो वह संतान के लिये किया जाय और इस उद्देश्य से अनुकाल में ही किया जाना चाहिये, ऐसी उसकी व्यवस्था है । और उसके साथ शक्ति तथा कालादिक की विशेष-पेक्षा भी लगी हुई है—अर्थात् वे खीं पुरुष यदि उस समय रोगादिक के कारण या और तौर पर वैसा करने के लिये असमर्थ न हों, और वह समय भी कोई पर्वादि वर्ज्य काल न हो तो वे परस्पर कामसेवन कर सकते हैं । दूसरी अवस्था के लिये ऐसा नियम अथवा क्रम नहीं है । और यह बात

भगवज्जिनसेन-प्रणीत आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी व्यनित होती है:—

संतानार्थमृतावेष कामसेवां मिथ्यो भजेत् ।

शक्तिकालव्यपेत्तोऽय असोऽशक्तेष्वत्तोऽन्यथा ॥ ३८-१३५ ॥

इससे भट्टारकजी का उक्त सब कथन जैनधर्म के चिलकुल विरुद्ध है और उसने जैनियों की सारी कर्म फिलॉसॉफी को ही डाल कर ताक में रख दिया है । भला यह कहाँ का न्याय और सिद्धान्त है जो पुत्र के भोग न करने पर बेचारे मरे जीते पितर भी भूणहत्या के पाप में घसीटे जाते हैं ! मालूम होता है यह भट्टारकजी के अपने ही मस्तिष्क की उपज है; क्योंकि उन्होंने पहले पद्य में, जो ‘पराशर’ ऋषि का वचन है और ‘पराशरस्मृति’ के चौथे अध्याय में नं० १५ पर दर्ज है तथा ‘मिताक्षण’ में भी उद्धृत मिलता है, इतना ही फेरफार किया है— अर्थात्, उसके अन्तिम चरण ‘युज्यते नात्र संशयः’ को ‘पितृभिः सह मज्जति’ में बदला है !! दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पराशरजी ने पितरों को उस दृत्या के पाप में नहीं हुवोया था, परन्तु भट्टारकजी ने उन्हें भी हुवोना उचित समझा है !!! \* ऐसा निराधार कथन कदापि किसी माननीय जैनाचार्य का वचन नहीं हो सकता । दूसरा पद्य भी, जिसमें ऋतुकाल में भोग न करने वाली खी की गति

\* एक बात और भी नोट किये जाने के याग्य है और वह यह कि हिन्दू प्रयोग में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले ‘देवता’ ‘आदि ऋषियों के कितने ही चक्षन पेसे भी पाये जाते हैं जिनमें ‘स्वस्थः सञ्जोपगच्छुति’ आदि पदों के द्वारा उस पुरुष को ही भूणहत्या के पाप का भागी ठहराया है जो स्वस्थ होते हुए मी ऋतुकाल में भोग नहीं करता है। और ‘पर्वचउर्य’ तथा ‘पर्वाणि वर्जयेत्’ आदि पदों के द्वारा ऋतुकाल में भी भोग के लिये पचे दिनों की छुट्टी

का उल्लेख है, हिन्दू-धर्म के किसी ग्रन्थ से लिया गया अथवा कुछ परिवर्तन करके रखा गया मालूम होता है; क्योंकि हिन्दू-प्रथों में ही इस प्रकार की आज्ञाएँ प्रचुरता के साथ पाई जाती हैं। पराशरबी ने तो ऐसी छी को सीधा नरक में भेजा है और फिर मनुष्योंनि में लाकर उसे बार बार विद्यवा होने का भी फूतवा (धर्मादेश) दिया है। यथा:-

**ऋतुस्नाना तु या नारी भर्तां नोपसर्पति ।**

**सा मृता नरकं याति विद्यवा च षुनः पुनः ॥ ४—१४ ॥**

—पराशरस्तृति ।

इस पद्य का पूर्वार्थ और भट्टारकजी के दूसरे पद्यका पूर्वार्थ दोनों एकार्थवाचक है। संभव है इस पद्य पर से ही भट्टारकजी ने अपने पद्य की रचना की हो। उन्होंने उस छी को ऋमशः नरक तथा मनुष्य गति में न भेज कर खालिस तियंच गति में ही घुमाना उचित जैसा हो और इसीलिये उन्होंने इस पद्य के उत्तरार्थ को अपनी इच्छानुसार बदला हो। परतु कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि भट्टारकजी ने कुछ दूसरों की मक्कल करके और कुछ अपनी अक्कल को बीचमे दखल देकर जो ये बेडगी व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की हैं उनका जैनशासन से कुछ भी सम्बंध नहीं है। ऐसी नामाकूल व्यवस्थाएँ कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

**अश्लीलता और अशिष्टाचार ।**

( २५ ) व्रत, नियम, पर्व, स्वास्थ्य, अनिच्छा और असमर्थता आदि की कुछ पर्वीह न करते हुए, ऋतुकाल में आवश्य भोग करने की व्यवस्था देने वाले अथवा भोग न करने पर दुर्गति का फर्मान जारी की गई है। परस्तु भट्टारकजी ने उन पद्यों को यहाँ संग्रह नहीं किया और न उनका आशय ही अपने शब्दों में प्रकट किया। इससे यह और भी साफ़ हो जाता है कि उन्होंने ऋतुकाल में भोग न करने वालों को हर इकात में भूताहत्या का आपराधी ठहराया है !!

करने वाले भट्टारकजी ने, उसी अध्याय में, भोग की कुछ विधि भी बतलाई है। उसमें, अन्य बातों को छाँड़ कर, आप लिखते हैं ‘ प्रदीपे मैथुनं चरेत् ’—दीपप्रकाश में मैथुन करना चाहिये—और उसकी बाबत यहाँ तक जोर देते हैं कि—

दीपे नष्टे तु यः सङ्गं करोनि मनुजो यदि ।

यावज्ञास्मदिद्रित्यं लभते नात्र संशयः ॥ ३७ ॥

**अर्थात्**—दीपप्रकाश के न होते हुए, अन्धेरे में, यदि कोई मनुष्य छीप्रसङ्ग करता है तो वह जन्म भर के लिये दरिद्री हो जाता है इस में सन्देह नहीं है \*। इसके सिवाय, आप भोग के समय परस्पर क्रोध, रोष, भर्तसना और ताड़ना करने तथा एक दूसरे की उचित्कृष्ट (जूठन) खाने में कोई दोष नहीं बतलाते †। साथ ही, पान चबान को भोग का आवश्यक अंग ठहराते हैं—भोग के समय दोनों का मुख ताम्बूल से पूर्ण होना चाहिये ऐसी व्यवस्था देते हैं—और यहाँ तक लिखते हैं कि वह खीं भोग के लिये त्याज्य है जिसके मुख में पान नहीं ‡। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भट्टारकजी ने उन खीं-पुरुषों अथवा श्रावक-श्राविकाओं को परस्पर कामसेवन का अधिकारी ही नहीं समझा

\* सन्देह की बात तो दूर रही, यह तो प्रत्यक्ष की विरुद्ध मालूम होता है; क्योंकि कितने ही व्यक्ति लाज्जा आदि के बश होकर या बैसे ही सोने से जाग कर अन्धेरे में काम सेवन करते हैं परन्तु वे दरिद्री नहीं देखे जाते। कितनों ही की धन-सम्पत्ति तो उसके बाद प्रारम्भ होती है।

‡ पावलम्बं तनुर्थै शुद्धिकृष्टं ताडनं तथा ।

कोपो दोषम् निर्भत्सः संयोगे न च दोष भाव ॥ ३८ ॥

† नाम्बूलेग मुखं पूर्णं ..कृत्वा योगं समाचरेत् ॥ ३६ ॥

पिना ताम्बूलघदनां...संयोगे च परित्यजेत् ॥ ४० ॥

जो रात्रि को भोजनपान न करते हों अथवा जिन्होंने संयमादिक की किसी दृष्टि से पान का खाना ही छोड़ रखा हो !! परन्तु इन सब बातों को भी छोड़िये, इस विधि में चार क्षोक ज्ञासतीर से उज्जेखनीय हैं—भट्टारकजी ने उन्हें देने की खास ज़रूरत समझी है—और वे इस प्रकार हैं:—

भुक्तिशुगविष्टस्तु शश्यायामभिसमुखः ।  
संस्मृत्य परमात्मानं पतन्या जंघे प्रसारयेत् ॥ ४१ ॥  
अलोमशां च सदुच्चामनाद्रां सुप्रनाद्वाम् ।  
योनिं स्पृष्टद्वा जपेन्मंत्रं पवित्रं पुत्रदायकम् ॥ ४२ ॥  
ओषधावाकर्षयेदौष्ठरन्योन्यमविलोकयेत् ।  
स्तनी धृत्वा तु पाणिग्रयामन्योन्यं चुम्बयेन्मुखम् ॥ ४४ ॥  
बलं देहीति मंत्रेण योन्यां शिश्मं प्रवशयेत् ।  
योनेस्तु किंचिदधिकं भवेत्तिङ्गं बलान्वितम् ॥ ४५ ॥

इन क्षोकों के बिना भट्टारकजी की भोग-विधि शायद अधूरी ही रह जाती ! और लोग समझ ही न पाते कि भोग कैसे किया करते हैं !! अस्तु; इन सब क्षोकों में क्या लिखा है उसे बतलाने की हिन्दी और मराठी के दोनों अनुवादकर्ताओं में से किसी ने भी कृपा नहीं की—सिर्फ पहले दो पदों में प्रयुक्त हुए ‘भुक्तवान्’, ‘उपविष्टस्तु शश्यायां’, ‘संस्मृत्य परमात्मानं’, ‘जपेन्मंत्रं पुत्रदायकं’ पदों में से सबका अथवा कुछ का अर्थ दे दिया है और बाकी सब क्षोककर लिख दिया है कि इन क्षोकों में बतलाइ हुई विधि अथवा क्रिया का अनुष्ठान किया जाना चाहिये । पं० पञ्चालालजी सोनी की अनुवाद-पुस्तक में एक नोट भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि—

“अश्रीलता और अशिष्टाचार का दोष आने के सबसे ४२ वें #क्षोक

\* ४१ वें क्षोक में कही गई ‘पतन्या जंघे प्रसारयेत्’ जैसी क्रिया का भी तो भाषानुवाद नहीं किया गया !

में कही गई क्रियाओं का भाशानुवाद नहीं किया गया है। इसी प्रकार छठे वें और छठवें श्लोक का अर्थ भी नहीं लिखा गया है—

मराठी अनुवादकर्ता पं० कद्माप्या भरमाप्या निट्वे ने भी ऐसा ही आशय व्यक्त किया है—आप इन श्लोकों का अर्थ देना मराठी शिष्टाचार की दृष्टि से अयोग्य बतलाते हैं और किसी संस्कृतज्ञ विद्वान् से उनका अर्थ मालूम कर लेने की जिहासुअओं को प्रेरणा करते हैं। इस तरह पर दोनों ही अनुवादकों ने अपने अपने पाठकों को उस धार्मिक (!) विधि के ज्ञान से कोरा रखा है जिसकी भट्टारकजी ने शायद बड़ी ही कृपा करके अपने प्रेष्य में योजना की थी ! और अपने इस व्यवहार से यह स्पष्ट घोषणा की है कि भट्टारकजी को ये श्लोक अपने इस प्रेष्य में नहीं देने चाहिये थे ।

यद्यपि इन अनुवादकोंने ऐसा लिखकर आपना पिंड छुड़ा लिया है परंतु एक समालोचक का पिंड वैसा लिखकर नहीं छूट सकता—उसका कर्तव्य भिन्न है—इच्छा न होते हुए भी कर्तव्यानुरोध से उसे अपने पाठकों को थोड़ा बहुत कुछ परिचय देना ही होगा, जिससे उन्हें यह मालूम हो सके कि इन श्लोकों का कथन क्या कुछ अर्णुलिता और अशिष्टता को लिये हुए है। साथ ही, उस पर से भट्टारकजी की रुचि तथा परिणति आदि का भी वे कुछ बोध प्राप्त कर सकें। अतः नीचे उसीका यत्र किया जाता है—

पहले श्लोक में भट्टारकजी ने यह नतजाया है कि ‘भोग करने वाला मनुष्य भोजन किये हुए हो, वह शम्या पर खी के सामने बैठे और परमात्मा का स्मरण करके खी की दोनों जाँधें पसरे’। फिर दूसरे श्लोक में यह व्यवस्था दी है कि ‘वह मनुष्य उस खी की योनि को छूए और वह योनि बालों से रहित हो, अच्छी देदीप्यमान हो, गीली न हो तथा भले प्रकार से मन को हरने वाली हो, और उसे छूकर पुत्र के देने वाले पवित्र मंत्र का जाप करे।’ इसके अगे प्रेष्य में योनिस्थ

देवता की अभिषेक-पुरस्सर पूजा आज्ञा वह मंत्र दिया है जो 'प्रतिज्ञादि विरोध' नामक प्रकरण के ( ज ) भाग में उद्धृत किया जा चुका है, और लिखा है कि 'इस मंत्र को पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, धी, कुश और जल से योनि का अच्छी तरह प्रक्षालन करना चाहिये और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तूरी आदि का लेप कर देना चाहिये' \*\* । इसके बाद 'योनि पश्यन् जपेन्मन्त्रान्' नाम का ४३ वाँ पद दिया है, जिसमें उस चंदनादि से चर्चित योनि को देखते हुए + पञ्च परमेष्ठिवाचक कुछ मंत्रों के जपने का विधान किया है और फिर उन मंत्रों तथा एक आलिंगन मंत्र को देकर उक्त दोनों श्लोक नं० ४४, ४५ दिये हैं । इन श्लोकों द्वारा भट्टारकजी ने यह आज्ञा की है कि 'जी पुरुष दोनों परस्पर मुँह मिला कर एक दूसरे के होठों को अपने होठों से खोचें, एक दूसरे को देखें और हाथों से छ्रातियाँ पकड़ कर एक दूसरे का मुख चुम्बन करें । फिर 'अत्म देहि' इत्यादि मंत्र को पढ़ कर योनि में लिंग को दाढ़िल किया जाय और वह लिंग योनि से कुछ बड़ा तथा बलवान् होना चाहिये X ।'

\* यथा:-"इति मंत्रेण गोमय-गोमूत्र-क्षीर-दधि-सर्पिः-  
कुशौदकैर्योनिं सम्प्रक्षालय श्रीगन्धकुंकुमकस्तूरिकायनु-  
लेपनं कुर्यात् ।"

• 'योनि पश्यन्' पदों का यह अर्थ भी अनुवादकों ने नहीं दिया ।

× इसके बाद दोनों की संतुष्टि तथा इच्छापूर्नि पर योनि में धीर्घ के सीबने की बत कही गई है, और यह कथन दो पदों में है, जिनमें पहला 'संतुष्टो भार्यधा भर्ता' नाम का पद मनुस्मृति का वाक्य है और दूसरा पद निम्न प्रकार है—-

पाठकजन ! देखा, कितनी सम्यता और शिष्टता को लिये हुए कथन है ! एक 'धर्मरसिक' नाम धराने वाले अंथ के लिये नितना उम्मुक्त है !! और अपने को 'मुनि' 'गणी' तथा 'मुनीन्द्र' तक लिखने वाले भट्टारकजी को कहाँ तक शोभा देता है !!! खेद है भट्टारकजी को विषय-सेवन का इस तरह पर खुला उपदेश देते और खी-संभोग की स्पष्ट विधि बतलाते हुए जरा भी लज्जा तथा शरम नहीं आई !! जिन बातों की चर्चा करने अथवा कहने सुनने में गृहस्थों तक को सकोच होता है उन्हें वैराग्य तथा ब्रह्मचर्य की मूर्ति बने हुए मुनिमहाराजजी वडे चाव से लिखते हैं यह सब शायद कलियुग का ही माहात्म्य है !!! मुझे तो भट्टारकजी की इस रचनामय लीला को देखकर कविवर भूधरदासजी का यह बाक्य याद आजाता है—

रागडै जग अंथ भयो, मढ़ौं सब लोगन लाज गँवाई ।

सीख विना नर मीखन हैं, विषयादिक सेवन की सुघराई ॥

ता पर और रचै रसकाव्य, कहा कहिये नितकी नितुराई !

अंथ असूझन की औंखियान में, झाकन है रज राम दुहाई !!

सचमुच ही ऐसे कुकवियों, धर्माचार्यों अथवा गोमुखव्याघ्रों से राम बचाव !! वे स्थित तो पतित होते ही हैं विन्तु दूसरों को मी पतन की ओर ले जाते हैं !!! उनकी निष्ठुरता, निःमन्देह, अनिर्वचनीय है । भट्टारकजी के इन उद्गारों से उनके हृदय का भाव भलकता है—  
कुरुचि तथा लम्पटना पर्हि जाती है—और उनके ब्रह्मचर्य की याह का

इच्छापूर्ण भवेद्याव भयोः कामयुक्तयोः ।

रेतः निचेत्तनो योन्यां तेन गर्भे विभर्ति सा ॥ ४७ ॥

धृ२ वें पद्य का उत्तरार्थ और इस पद्य का उत्तरार्थ दोनों मिल कर हिन्दुओं के 'आचारार्क' अंथ का एक पद्य होता है, जिसे संभवतः यहाँ विभक्त करके रक्खा गया है ।

किनना ही पता चल जाता है। जो लोग विवाह—विषय पर सम्मति दे देने से ही ब्रह्मचर्य में दोष या अतीचार का लगना बतलाने हैं वे, मालूम नहीं, ऐसी भोगप्रेरणा को लिये हुए अश्लील उद्गार निकालने वाले इन भट्टारकजी के ब्रह्मचर्य—विषय में क्या कहेंगे ? और उन्हें श्रावकों की दूसरी प्रतिमा में भी स्थान प्रदान करेंगे या कि नहीं ? अस्तु; वे लोग कुछ ही कहे अथवा करें, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भट्टारकजी का यह सब विधि—विधान, जिस वे 'कामयज्ञ' बतलाते हैं और जिसके अनुष्ठान में 'संसार समुद्र से पार तारने वाला पुत्र' पैदा होगा एसा लालच दिखलाते हैं\*, जैनशिष्टाचार के बिलकुल विरुद्ध है और जैनसाहित्य को कलंकित करने वाला है। जान पड़ता है, भट्टारकजी न उस देने में प्रायः वाममार्गियों अथवा शक्तिकों का अनुकरण किया है और उनकी 'योनिपूजा' जैसा घृणित शिक्षाओं के जैन समाज में फैलाना चाहा है। अतः आपका यह सब प्रयत्न किसी तरह भी प्रशसनीय नहीं कहा जा सकता।

यहाँ पर एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि ४५ वें पद्म में जो 'बलं देहिति मंत्रेण' पाठ दिया है उससे यह स्पष्ट ध्वनित हाता है कि उसमें जिस मंत्र का उल्लेख किया गया है वह 'बलं देहि' शब्दों से प्रारंभ होता है। परन्तु भट्टारकजी ने उक्त पद्म के अनन्तर जा मंत्र।दया है वह 'बलं देहि' अथवा 'उँ बलं देहि' जैसे शब्दों से प्रारंभ नहीं हाता, किन्तु 'उँ हीं शरीरस्यायिनो देवता मां बलं ददतु स्वाहा' इस रूप को लिये हुए है, और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि भट्टारकजी ने उस मंत्र को बदल

\* यथा:—

काम यहामिति प्राहुर्गृहिणां सर्वदैव च ।

अनन्ते समस्ते पुत्रं संसारार्थवतारकम् ॥ ५८ ॥

कर रखा है जिसकी बाबत यह बहुत कुछ संभव है कि वह वाम-मार्गियों अथवा शाकियों का मंत्र हो और खोज करने पर उनके किसी ग्रंथ में मिल जाय। ऐसी हालत में उक्त पद भी—अकेला अथवा दूसरे पद के साथ में—उसी ग्रंथ से लिया गया होना चाहिये। मालूम होता है, उसे देते हुए, भारकजी को यह ख्याल नहीं रहा कि जब हम पद में उल्लेखित मंत्र को नहीं दे रहे हैं तब हमें इसके 'बलं देहिनि' शब्दों को भी बदल देना चाहिये। परन्तु भारकजी को इतनी सूक्ष्म बूफ़ कहाँ थी? और इसलिये उन्होंने पद के उस पाठ को न बदल कर मंत्र को ही बदल दिया है !!!

### स्थाग या तत्त्वाकृ ।

( २६ ) यारहवें अध्याय में, विवाहविधि को समाप्त करते हुए, भारकजी लिखते हैं:—

\*अप्रजां दशमे वर्षे र्णीप्रजां द्वादशे त्यजेत् ।

मुतप्रजां पञ्चदशे साष्टस्त्वप्रियवादिनीम् ॥ १६७ ॥

अर्थात्—जिस छी के लगातार कोई संतान न हुई हो उसे दसवें वर्ष, जिसके कन्याएँ ही उत्पन्न होती रही हों उसे बारहवें वर्ष, जिसके

\* यह पद फिसी दिनदूर ग्रंथ का जान पड़ता है। दिनदूरओं की 'नवरज्ञ विवाह पद्धति' में भी वह संगृहीत मिलता है। अस्तु: इस पद के अनुवाद में सोराजी ने 'त्यजेत्' पद का अर्थ दिया है—‘दूसरा विवाह करे’ और ‘अप्रियवादिनी’ के पहले पक्ष विशेषण अपनी तरफ से जोड़ा है ‘अपुन्नवती’! साथही अप्रियवादिनी का अर्थ ‘द्युभिचारिणी’ बतलाया है!! और ये सब बातें आपके अनुवाद की विलक्षणता को सूचित करती हैं। इसके सिवाय आपने त्यागविधि के वर्षों की गणना प्रथम रजो-दर्शन के समय से की है। यह भी कुछ कम विवरणिता नहीं है।

बर्ब या जाते हों उसे पंद्रहवें वर्ष और जो अप्रियवादिनी ( कटु भाषण करने वाली ) हो उसे फौरन ( तत्काल ही ) ल्याग देना चाहिये ।

भट्टारकजी के इस 'ल्याग' के दो अर्थ किये जा सकते हैं—एक 'संभोगल्याग' और दूसरा 'वैवाहिक सम्बन्धल्याग' । 'संभोगल्याग' अर्थ भट्टारकजी के पूर्व कथनकी दृष्टि से कुछ संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि ऐसी खियाँ ऋतुमती तथा ऋतुमाता तो होती ही हैं और ऋतुकाल में ऋतुमाताओं से भोग न करने पर भट्टारकजी ने पुरुषों को भूखाहत्या के घोर पाप का अपराधी ठहराया है और साथ में उनके पितरों को भी धसीटा है; ऐसी हालत में उनके इस वाक्य से 'संभोगल्याग' का आशय नहीं लिया जा सकता—वह आपत्ति के योग्य ठहरता है—तब दूसरा 'वैवाहिक सम्बन्ध ल्याग' अर्थ ही यहाँ ठीक बैठता है, जिसे 'तलाकः' Divorce कहते हैं और जो उक्त पाप से मुक्ति दिला सकता अथवा सुरक्षित रख सकता है । इस दूसरे अर्थ की पुष्टि इससे भी होती है कि भट्टारकजी ने संभोगल्याग की बात को मतान्तर + रूप से—दूसरों के मत के तौर पर (अपने मत के तौर पर नहीं)—अगले पद में दिया है । और वह पद इस प्रकार है:—

व्याधिना रुदीप्रजा वन्ध्या उन्मत्ता विगतार्त्त्वा ।

अदुषा लभते त्यागं तीर्णतो न तु धर्मतः ॥१६८॥

इस पद में बतलाया है कि 'जो ली (चिरकाल से) रोगीडित हो, जिसके केवल कन्याएँ ही पैदा होती रही हों, जो वन्ध्या हो, उन्मत्ता हो, अथवा रजोधर्म से रहित हो (रजस्वला न होती हो) ऐसी ली यदि दुष्ट स्वभाव वाली न हो तो उसका महज कामतीर्थ से ल्याग होता है—वह संभोग के लिये त्याज्य ठहरती है—परंतु धर्म से नहीं—धर्म से उसका पर्तीसम्बन्ध बना रहता है ।'

+ मराठी अनुवाद-पुस्तक में पद के ऊपर 'मतान्तरं' का अनुवाद "दुसरे मत" दिया है परन्तु सोनीजी अपनी अनुवाद पुस्तक में उसे बिलकुल ही उड़ा गये हैं !

इस पद्य से यह स्पष्ट व्यनि निकलती है कि इमें ऐसी खी की धर्म से न त्यागने की अथवा उसके साथ इन्हीं रिक्षयन करने की जो बात नहीं। मई है उमका मूल कारण उस खी का दुष्टा न होना है और इसलिये यदि वह दुष्टा हो—अप्रियवादिनी हो अथवा भट्ठारकजी के एक दूसरे\* पद्यानुसार आत प्रचण्डा, प्रबला, कपालिनी, विवादकर्त्ता, अर्नवारिणी आकर्दिनी और सप्तगृहप्रवेशिनी जैसीं काहि हों। जिसे भी आपने त्याग देने को लिखा है—तो वह धर्म से भी त्याग किये जाने की अथवा यों कहिये कि तलाक की अविकारिणी है, इन्हीं बात इस पद्य में भी माफ सूचित होती है। चाहे वह किसी का भी पत क्यों न हो।

\* वह पद्य इस पकार है:—

अतिप्रचण्डां प्रबलां कृपालिनीं विवादकर्त्तीं स्वयमर्थचेरिणीम् ।  
आकर्दनीं सप्तगृहप्रवेशिनीं त्यजेत भार्यां दशपुत्रपुत्रिणाम् ॥३३॥

इस पद्य में यह कहा गया है कि 'जो विवादिता खी अति प्रचण्ड हो, अविक वलवती हो, कपालिनी ( दुर्गा ) हो, विवाद करने वाली हो, धनादिक वस्तुरै चुगन वाली हो जौर जोर से चिलान अथवा रान बाला हो, और सात बरों में—धरयर में—डोलने वाली हो वह यदि दस पुत्रों की माता भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिये ।'

इस पद्य के अनुवाद में सांकेती ने 'भार्या' का अर्थ 'कन्या' यातन किया है और इसलिये आपको यह 'दशपुत्रपुत्रिणीम्' का अर्थ 'झारे चलकर दशपुत्रपुत्री वाली भी क्यों न हो' यापा करना पड़ा जो ठीक नहीं है। 'भार्या' विवादिता खी को कहते हैं। वास्तव में यह पद्य ही वहाँ अनंगत जान पड़ता है। इसे त्याग विषयक उक्त दानों पद्यों के साथ में देना चाहिये था। परन्तु 'कहीं की ईट कहीं का रोडा भानमती ने कुनवा जोडा' वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले भट्ठारकजी इधर उधर से बड़ाकर रक्खे हुए पद्यों की तरफी देने में इन्हें कुशल, सावधान अथवा विवेदी नहीं थे। इसी से उनके प्रश्न में जगह जगह ऐसी अटियाँ पाई जाती हैं और यह बात पहिले भी जाहिर की जा सकती है।

इस तरह पर भट्टारकजी ने स्थियों को त्याग या तलाक़ देने की यह व्यवस्था की है। दक्षिण देश की कितनी ही हिन्दू जातियों में तलाक़ की प्रथा प्रचलित है और कुछु पुनर्विवाह वालों जैनजातियों में भी उसका रिवाज है; जैसा कि १ जी करवरी सन् १८२८ के 'जैनजगत्' अंक न० ११ से प्रकट है। मालूम होता है भट्टारकजी ने उसीको यहाँ अपनाया है और अपनी इस योजनाद्वारा संपूर्ण जैन-समाज में उसे प्रचारित करना चाहा है। भट्टारकजी का यह प्रयत्न कितना निर्दित है और उनकी उक्त व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण, एकाग्री तथा न्याय-नियमों के विरुद्ध है उसे बतलाने की जरूरत नहीं। सद्वर्य पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि जिस स्त्री को त्याग या तलाक़ दिया जाता है वह, वैवाहिक सम्बन्ध के विच्छुद होने से, अपना पुनर्विवाह करने के लिये स्वतंत्र होती है। और इसलिये यह भी कहना चाहिये कि भट्टारकजी ने अपनी हम व्यवस्था के द्वारा ऐसी 'त्यक्ता' स्थियों को अपने पति की जीवितावस्था में पुनर्विवाह करने की भी स्वतंत्रता या परदानगी दी है!! अस्तु; पुनर्विवाह के सम्बन्ध में भट्टारकजी ने और भी कुछु आङ्ग जारी की है जिसका प्रदर्शन अभी आंग 'स्त्री-पुनर्विवाह' नाम के एक स्वतंत्र शर्वाक के नीच किया जायगा।

### स्त्री-पुनर्विवाह ।

(२७) 'तलाक़' की व्यवस्था देकर उसके गलतरूप परिवहा स्थियोंने पुनर्विवाह की स्वतंत्रता देने वाले भट्टारकजी ने, कुछु हालतों में, अपरिव्यक्ता स्थियों के लिये भी पुनर्विवाहकी व्यवस्थाकी है, जिसका खुलासा \* इस प्रकार है —

\* यद्यांप इस विषय में भट्टारकजी के व्यवस्था-वाक्य बहुत कुछु हपश्च हैं किंतु भी सूक्ष्मीकि इस अवर्णाचार के भक्त कुछु नंदिनीं नं. ३२५ अपनी मरणावृत्ति के अनुकूल म पाक अथवा प्रथा के प्रचार में विशेष वाचक समझकर उन पर वहाँ डालने की ज़रूरत चौप्ता की है—अर्थात् यद्याँ

पाणिप्रहण और सप्तपदी को विवाह के पाँच अंग बतलाकर, उनकी क्रमशः सामान्यविधि बतलाई है और फिर 'विशेषविधि' दी है, जो अंकुरारोपण से प्रारम्भ होकर 'मनोरथाः सन्तु' नामक उस आशीर्वाद पर समाप्त होती है जो सप्तपदी के बाद—पूरणहुति आदि के भी अनन्तर—दिया हुआ है। इसके पश्चात् उन्होंने हिन्दुओं के 'चतुर्थी कर्म' को अपनाने का उपक्रम किया है और उसे कुछ जैन का रूप दिया है। चतुर्थी—कर्म विवाह की चतुर्थ रात्रि के कृत्य को कहते हैं \*। हिन्दुओं के यहाँ वह विवाह का एक देश अथवा अंग माना जाता है। चतुर्थी—कर्म से पहले वे लड़ी को 'भार्या' संज्ञा ही नहीं देते। उनके मतानुसार दान के समय तक 'कन्या', दान के अनन्तर 'बधू', पाणिप्रहण हो जाने पर 'पत्नी' और चतुर्थी—कर्म के पश्चात् 'भार्या' संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। इसी से वे भार्या को 'चातुर्थ कर्मणी' कहते हैं, जैसा कि मिश्र निवाहूराम विरचित उनके विवाहप्रदत्ति के निम्न वाक्यों से प्रकट है:—

चतुर्थीकर्मणः प्राक् तस्या भार्यत्वमेव न संप्रवृत्तम् । विवाहैकदे-  
शत्वाचतुर्थीकर्मणः । इतिस्त्रार्थः । तस्माद्वार्या चातुर्थकर्मणीति मुनि-  
वचनात् । "आप्रदानात् भवेत्कन्या प्रदानानन्तरं बधूः ॥ पाणिप्रहै तु  
पल्ली स्याद् भार्या-चातुर्थकर्मणीति ॥"

और इसीलिये उनकी विवाहपुस्तकों में 'चतुर्थीकर्म' का पाठ लगा रहता है जो 'ततश्चतुर्थर्यामपररात्रे चतुर्थीकर्म' इस प्रकार के

पर उनका कुछ विशेष खुलासा अथवा स्पष्टीकरण कर देता ही उचित तथा ज़रूरी मालूम हुवा है। इसीसे यह उसका प्रयत्न किया जाता है।

\* वामन शिवराम ऐपटे के कोश में भी ऐसा ही लिखा है। यथा:—

"The Ceremonies to be performed on the fourth night of the marriage" और इससे 'चतुर्थी' का अर्थ होता है The fourth night of the marriage विवाह की चतुर्थ रात्रि।

वाक्य के साथ प्रारम्भ होता है। भद्रकर्जी ने विवाह रात्रि के बाद से—उस रात्रि के बाद से जिस रात्रि को पंचाङ्गविवाह की सम्पूर्ण विधि समाप्त हो जाती है—चतुर्थीकर्म का उपक्रम करते हुए, प्रति दिन सुबह के बक्त पौष्टिक कर्म और रात्रि के समय शांतिहोम करने की व्यवस्था भी है, और फिर चौथे दिन के प्रभातादि समयों का कृत्य बतलाया है, जिसमें विवाहमंडप के भीतर पूजनादि सामग्री से युक्त तथा अनेक चित्रादिकों से चित्रित एक महामंडल की नवीन रचना, वधु का नूतन कलश स्थापन, संध्या के समय वधु-वर का बहाँ गीत वादित्रि के साथ छान और उन्हें गंधाकृतप्रदान भी शामिल है ॥। इसके बाद संक्षेप में चतुर्थरात्रि का कृत्य दिया है और उसमें मुख्यतया नीचे लिखी क्रियाओं का उल्लेख किया है—

(१) ध्रुवतारा निरीक्षण के अनन्तर सभा की पूजा (२) भगवान का अभिषेक—पुरस्तर पूजन तथा होम (३) होम के बाद पत्नी के गले में वर की दी हुई सोने की ताली का मंत्रपूर्वक बाँधा जाना (४) मंत्र पढ़कर दोनों के गले में सम्बंधमाला का ढाला जाना (५) नागों का तर्पण अथवा उन्हें बलि का दिया जाना (६) अग्नि पूजनादि के अनन्तर वर का पान बीड़ा लेकर वधूमहित नगर को देखने जाना (७) तत्प्राप्त होग के शेष कार्य को पूरा करके पूर्णाहुति का दिया जाना (८) होम की भस्म का वर वधु को वितरण

\* इस कथन के कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

“ततः प्रभुति नित्यं च प्रभाते पौष्टिकं मतम् ।

निशीथे शान्तिं होमेऽन्हि चतुर्थं नागतर्पणम् ॥ १४८ ॥

तदेव [निह] च प्रभाते च शुद्धमण्डपयोः पृथक् । सम्मार्जनं ॥ १४९ ॥

“नवीनं घटं……संस्थापयेचारुं पत्नी ॥ १५३ ॥

“सदिस्येवमेतन्महामण्डलं चेशपूजार्चनायोग्य सद्वद्यपूर्णम् ॥ १५८ ॥

“सरागेऽपि संध्याभिधाने हर्षीह वरस्यापि वध्वा शुभस्नानकेवा” ॥

द्वं वासनं युज्यते चादरेण सुमांगल्य वादित्रीतादिपूर्वम् ॥ १६० ॥

“ऊँ सहित्यगात्रस्य गंधधारादिक्चक्रं सुगंधं वो भवीति... ॥

संधारिता अक्षता अप्येवं भवन्तु ।

(८) सुवर्णदान (१०) तदनंतर कंकण खोलकर ग्राम की प्रदक्षिणा करना।

(९) प्रदक्षिणा से निवृत होकर सुखपूर्वक दुर्घटना तथा संभोगादिक करना और फिर आपने ग्राम को चले जाना।

चतुर्थ रात्रि की इन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पदवाक्य इसप्रकार हैं:-

“ राज्ञि भूवतारादर्शनानन्तरे विद्विशिष्ट एन्हुजनैश्च सभापूजा ।  
चतुर्थ(र्थी) दिनेवधूवरयोरपि महास्नानानि च स्नगनाचां होमादिकं  
कृत्वानालांय वने कुर्यात् । तथथा -‘वरण दक्षा सौवर्णी । ताली ॥१६१॥

“ऊँ एतस्याः पाणिगृहीत्यस्तालीं बध्नामि इयनित्यमवतंसलदमी  
विदध्यात् ।

“ऊँ भार्यापित्योरेतयोः परिणीति प्राप्तयोस्तुरीये घस्त्रे नक्तं वेलायां  
जैनासप्तयाऽन्नं नौ सम्बन्धयेते सम्बन्धमाला अतोलादिवर्षहपत्यानी  
द्रा गीयं आगुञ्चामि भूगात् ।

“सुदांसालाकः पूर्णंगलीयं ससूत्रं कम दु वन्वयेत्करण्डदेशे ।  
स्वमैव्यवधमालापारवेषुन च, सुकृष्टगाशार्वयोऽलेपनं च ॥ १६३ ॥  
वधूभिशुपात्तार्पणाभिराभिः, प्रवेशो वरस्यैव तद्वज्ञ वध्वा ।  
शुभ मण्डप दक्षिणाकृत्य त वे, प्रदायाणुनागस्य सादाद्विलं च ॥ १६४ ॥  
“समित्नमारंगण पूर्वकं तथा, हुताशपूजावसराच्चनं मुदा ।  
शुद्धीतनीटा च वरावन्युयुनो, विलोकनार्थं स्व (च) पुरं वज्रेत्  
प्रमोः ॥ १६५ ॥

ततः शेषहोमं कृत्वा पूर्णाहुति कुर्यात् ।

“ऊँ रक्षागार्चनमयात्तम होम भूतिः ॥ १६६ ॥ इनिभस्मप्रश्नमंशः ।

“हिरण्यगमस्य... ॥ १६६-१७१ ॥ इनि स्वर्णदानमंशः ॥

“तदनन्तरं कंकणमोचन कृत्वा महाशोभया ग्राम प्रदक्षिणाकृत्य पयः पावन  
निधुवनादिकं सुख्येन कुर्यात् । स्वप्रामं गच्छेत् ।

‘तदनंतरं’ नाम के अन्तिम वाक्य के साथ ही चतुर्थी (चतुर्थ-  
रात्रि) का विवित सामान्य दृत्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद  
महारक्षी के दृदय में इस चतुर्थीकृत्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूच-  
नाएं कर देने की भी इच्छा पैदा हुई और इसलिये उन्होंने ‘इवग्रामं

गच्छेत्' के अनंतर ही 'अथविशेषः' लिखकर उसे पौच्छ पदों में व्यक्त किया है, जो इस प्रकार हैं:—

विवाहे दम्पतीस्थानं विवाहं व्रह्माचारिणी ।

अलंकृता वधूर्भव सहशृण्यामनाशिनी ॥ १७२ ॥

विवासहैव कुर्यात् निवासं व्यतुरात्मये ।

वतुर्य दिनमधेष्व क्वचिदेवं वदन्ति दि ॥ १७३ ॥

वतुर्यमध्ये क्षायन्ते दोषा यदि वरस्य चंत् ।

दत्तामपि पुनर्दद्या विवाहन्यस्मै विदुरुंयाः ॥ १७४ ॥

प्रवरेष्यादिवोषाः स्मुः पनिसंगादवा यदि ।

दत्तामपि हेह्यादन्यस्मा इति केचन ॥ १७५ ॥

कलौ तु पुनरुद्धारं वर्जयेदिति गात्रावः ।

करिम विहेश इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन ॥ १७६ ॥

इन पदों द्वारा भट्टारकजी ने यह प्रतिपादन किया है कि—‘विवाह हो जाने पर दम्पती को—वर वधू दोनों को—नीन रात तक (विवाह रात्रि को शामिल करके) ब्रह्माचारी रहना चाहिये—परस्पर संभोग आथवा वरप्रीड़ादिक न करना चाहिये—इसके बाद वधू को अलंकृत किया जाय और फिर दोनों का शयन, आसन तथा भोजन एक साथ होने वे ॥ १७२ ॥ वर को वधू के साथ समुराल में ही निवास करना चाहियेत् परंतु कुछ विद्वानों का यह कहना है (जिस पर

\* एक छुटा पद और भी है जिसका वतुर्यांकया के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है और जो प्रायः असंगतसा जान रहता है। उसके बाद ‘विवाहानन्तरं गच्छेत्समार्यः स्वस्य मदिष्म्’ नामक पद से छौर फिर घर में वधू प्रवेश के कथन से ‘स्वप्रामं गच्छेत्’ कथन का सिलसिला ठीक बैठ जाना है और यह मातृम होने लगता है कि ये मध्य के पद ही विशेष कथन के पद हैं और वे अपने पूर्वकथन—वतुर्यकृत्य-वर्णन—के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

† कुछ स्थानों पर आथवा अवियों में ऐसा रिवाज़ याय जाता है कि वधू के पतियोह पर आने की जगह पति ही वधू के घर पर आकर

भट्टारकजी को कोई आपत्ति नहीं ) कि समुराल में चौथे दिन तक ही रहना चाहिये ॥ १७३ ॥ चौथी रात को—चतुर्थकर्मादेक के समय—यदि वरके दोष (पतितत्व—नपुसकत्वादिक) मालूम हो जायें तो पिता को चाहिये कि वर को दी हुई—विवाही हुई—अपनी पुत्री को फिर से किसी दूसरे निर्दोष वर को दे देवे—उसका पुनर्विवाह कर देवे—ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है ॥ १७४ ॥ कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है (जिस पर भी भट्टारकजी को कोई आपत्ति नहीं) कि पुत्री का पति के साथ संगम—संभोग—हो जाने के पश्चात् यदि यह मालूग पड़े कि इस सम्बंध द्वारा प्रवरों की—गोत्र शाखाओं अथवा मुनि वंशादिकों की—एकतादि जैसे दोप संबंधित हुए हैं तो ( आगे वो उन दोषों की जान बुझ कर पुनरावृत्ति न होने देने आदि के लिये ) पिता को चाहिये कि वह अपनी उस दान की हुई ( विवाहिता और पुनः कृतयेनि ) पुत्री का हरण करे और उसे किसी दूसरे के साथ विवाह देवे ॥ १७५ ॥ ‘कलियुग में लियों का पुनर्विवाह न किया जाय ’ यह गालब ऋषि का मत है ( जिससे भट्टारकजी प्रायः सहगत मालूम नहीं होते ) परंतु दूसरे कुछ आचार्यों का गत इससे भिन्न है । उनकी हृषि में वैसा निषेध सर्व स्थानों के लिये इष्ट नहीं है, वे किसी किसी देश के लिये ही उस अच्छा समझते हैं-बायती देशों के लिये पुनर्विवाह की उनकी अनुमति है ।’

रहता है और प्रायः वहीं का हो जाता है । सभव हूँ उसी रिवाज़ को इस उल्लेख द्वारा इष्ट किया गया हो और यह भी संभव है कि चार दिन से अधिक का निवास ही पश्च के पूर्वार्ध का अभीष्ट हो । परंतु कुछ भी हो इसमें सदेह नहीं कि सोनीजी ने इस पश्च का जो निभ्न अनुवाद दिया है यह थथोचित नहीं है—उसे देने हुए उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि पश्च के पूर्वार्ध में एक बात कही गई है तब उत्तरार्ध में दूसरी बात का उल्लेख किया गया है—

“कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि वर, वधु के साथ चौथे दिन भी सुमराल में ही निवास कर ।”

इससे साझ काहिर है—और पूर्व कथनसम्बन्ध से वह और भी स्पष्ट हो जाता है—कि भट्टारकजी ने यह विवाहिता खियों के लिये पुनर्विवाह की अवधि स्थापित की है। तीसरे और चौथे पद्म में उन हालतों का उल्लेख है जिनमें पिता को आपनी पुत्री के पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है, और वे क्रमशः बर के दोष तथा सम्बन्ध-दोष को लिये हुए हैं। पाँचवें पद्म में किसी हालत विशेष का उल्लेख नहीं है वह पुनर्विवाह पर एक साधारण वाक्य है और इसी से कुछ विद्वान् उस पर से विधवा के पुनर्विवाह का भी आशय निकालते हैं। परन्तु यह बात अधिकतर 'गालब' नामक हिन्दू ऋषि के उस मूल वाक्य पर अवलम्बित है जिसका इस पद्म में उल्लेख किया गया है। वह वाक्य यदि खाली विधवाविवाह का निषेधक है तब तो भट्टारकजी के इस वाक्य से विधवाविवाह को प्रायः पोषण झरूर मिलता है और उससे विधवाविवाह का आशय निकाला जा सकता है; क्योंकि वे गालब से भिन्न मत रखने वाले दूसरे आचार्यों के मत की ओर मुक्ते हुए हैं। और यदि वह विधवाविवाह का निषेधक नहीं किन्तु जीवित भर्तृका एवं अपरित्यक्ता खियों के पुनर्विवाह का ही निषेधक है, तब भट्टारकजी के इस वाक्य से वैसा आशय नहीं निकाला जा सकता और न इस वाक्य का पूर्वार्थ विधवाविवाह के श्रिरोध में ही पेश किया जा सकता है। तलाश करने पर भी अभी तक मुझे गालब ऋषि का कोई प्रथं नहीं मिला और न दूसरा कोई ऐसा संप्रहप्रन्थ ही उपलब्ध हुआ है जिसमें गालब के प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखने वाले वाक्यों का भी संप्रह हो। यदि इस परीक्षालेख की समाप्ति तक भी वैसा कोई प्रथं मिल गया—जिसके लिये खोज जारी है—तो उसका एक फेरिशिष्ट में झरूर उल्लेख कर दिया जायगा। फिर भी इस बात की संभावना बहुत ही कम जान पड़ती है कि गालब ऋषि ने ऐसी स्को-

विवाहिता ( तुरत की व्याही हुई ) और सदोषभर्तुका अधिकार सम्बन्ध-  
दूषिता लियों के पुनर्विवाह का तो निषेध किया हो, जिनका पर्याय  
नं० १७४, १७५ में उल्लेख है, और विवाहितों के पुनर्विवाह का  
निषेध न किया हो। मैं तो समझता हूँ गालबजी ने दोनों ही प्रकार के  
पुनर्विवाहों का निषेध किया है और इसीसे उनके मत का ऐसं सामान्य  
बचन द्वारा उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं में, जिनके यहाँ 'नियोग'  
भी विधिविहित माना गया है, 'पराशर' जैसे कुछ अद्विष्ट ऐसे भी हो  
सकते हैं जिन्होंने विवाह और सधारा दोनों के लिये पुनर्विवाह की व्य-  
वस्था की है \* । गालब अद्विष्ट उन से मिन्न दोनों प्रकार के पुनर्विवाहों

\* जैसा कि पाराशर स्मृति के—जिसे 'कलौ पाराशराः  
स्मृताः' वाक्य के द्वारा कलियुग के लिये साल तौर से उपयोगी  
बतलाया गया है—निम्न वाक्य से प्रकट है—

नष्टे सृतं प्रवजिते कलीवे च पतिते पतौ ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ४-३० ॥

इसमें लिखा है कि 'पति के खो जाने—देशान्तरादिक में जाकर<sup>1</sup>  
स्थापना हो जाने—मर जाने, सन्यासी बन जाने, नयुसक तथा पतित  
हो जाने रूप पाँच आवश्यितों के अवसर पर लियों के लिये दूसरा  
पति कर सकने की व्यवस्था है—वे अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं' ।

इसी बात को 'अमितगति' नाम के जैनाचार्य ने अपनी 'धर्म-  
परीक्षा' में निम्न वाक्य द्वारा उल्लेखित किया है—

पत्यौ प्रदाजिते कलीवे प्रनष्टे पतिते सृते ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ११-१२ ॥

'धर्म परीक्षा' के इस वाक्य पर से उन लोगों का किलनहोड़ी सम्म-  
धान हो जायगा जो अमवश्य पाराशरस्मृति के द्वारा वाक्य का  
पालन अर्थ करने के लिये कोरा व्याकरण छोड़ते हैं—कहते हैं 'पति'  
शब्द का संसर्गी में 'पत्यौ' रूप होता है; 'पतौ' नहीं। इसलिये  
यहाँ समाप्ति 'अपति'; शब्द का सम्बन्ध यदि 'अपती' पड़ा  
हुआ है, जिसके अकार का 'पतिते' के बाद लोप हो गया है,  
और वह उस पतिभित्र पतिसंहरण का बोधक है जिसके साथ महात्म

के निवेदक रहे होंगे । और इसलिये जब तक ग्राहक शूष्णि के किसी वाक्य से यह सिद्ध न कर दिया जाय कि वे विधवा विवाह के निवेदक नहीं थे तब तक भट्टारकजी के उक्त सामान्य व्यवस्था वाक्य नं० १७६ पर से जो लोग विधवा विवाह का आशय निकालते हैं उसपर कोई खास आपत्ति नहीं की जासकती ।

सगाई ( मँगनी ) हुई हो किन्तु विवाह न हुआ हो । ऐसे लोगों का मालूम होना चाहिये कि उल्लेक के उत्तरार्थ में जो ' पतिरन्धो ' ( दूसरा पति ) पाठ पढ़ा हुआ है वह पूर्वार्थ में 'पती' की ही स्थिति को चाहता है—' अपनी ' की नर्दी—अर्थात् जिसके मरने वर्गरह पर दूसरे पति की व्यवस्था की गई है वह 'पति' ही होना चाहिये ' अपति ' नहीं । और ' पति ' संक्षा उसीको दी जाती है जो विधि-पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार से संस्कारित होकर सप्तपदी को प्राप्त हुआ है—महज बापदान वर्गरह की वजह से किसी को ' पतित्व ' की प्राप्ति नहीं होती, जैसा कि ' उद्वाहितत्व ' में दिये हुए ' यम ' शूष्णि के निम्न वाक्य से प्रकट है—

नोदेन न च वाचा कन्यायाः पतिरिष्यने ।

पाणिग्रहणसंस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे ॥ ( शब्दकल्पद्रुम )

इसके विवाय, इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रथम ता यह आर्य प्रयोग है, और आर्य प्रयोग कभी कभी व्याकरण से भिन्न भी होते हैं । दूसरे, क्षुन्द की दृष्टि से कवि लोग आगेक वार व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, जिसके प्राचीन साहित्य में भी कितने ही उद्वाहरण मिलते हैं । बहुत संभव है ' पती ' की जगह ' पती ' पद का यह प्रयोग क्षुन्द की दृष्टि से ही किया गया हो, अन्यथा पराशरजी इस शब्द के 'पती' रूप से भी अभिहृथ्य और उन्होंने अपनी समृति में 'पती' पद का भी प्रयोग किया है, जिसका एक उद्वाहरण 'पत्यौ जीवति कुण्डस्तु मृते भर्तरि गोलकः' ( ४-२३ ) है । तीसरे 'पती' पदका प्रयोग उक्त समृति में अन्यथा भी पाया जाना है, जिसका ' अपनी ' बहाँ बन ही नहीं सकता । और उम प्रयोगवाक्य से वह साझे जाहिर है कि जो ऊंचा पति के मरने, खो जाने अथवा उसके त्याग देने पर युनार्चिवाह न करके जार से गर्भ घारण करती है उसे पराशरजी ने ' पतिता ' और ' पापकारिणी ' लिखा है—उन्

इसके सिवाय, जो महाराकर्णी पति के दोष मालूम हो जाने पर पूर्व विवाह को ही रद कर देते हैं, भेंटेग हो जाने पर भी खी के लिये दूसरे विवाह की योजना करते हैं, तलाक की विधि बतलाकर परित्यक्ता लियों के लिये पुनर्विवाह का मार्ग खोलते अथवा उन्हें उसकी स्वतंत्रता देते हैं, कामयज्ञ रचाने के बड़े ही पक्षपाती जान पड़ते हैं, योनिपूजा तक का उपदेश देते हैं, ऋतुकाल में भोग करने को बहुत ही आवश्यक समझते हैं, और ऋतुकाल में भोग न करने वाली लियों को तिर्यंच गति का पात्र ठहराते हैं—इतना अधिक जिनके सामने उस भोग का महात्व है—उनसे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने विवाहों के पुनर्विवाह का—उन नहीं नहीं बालविवाहों के पुनर्विवाह का भी जो महज फेरो की गुनहगार हों और यह भी न जानती की हथि में 'जार' दूसरा पति (पतिरन्यः) नहीं हो सकता। वे दूसरा पति प्रहण करने रूप पुनर्विवाह को विधिविहित और जार से रमण को निन्य तथा दण्डनीय ठहराते हैं। यथा:—

जारेण जनयेद्भूम्यं मृते स्त्यके गते पतौ ।

तां स्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिण्यम् ॥ १०-३८ ॥

और चौथे यह बात भी नहीं कि व्याकरण से इस 'पतौ' रूप की सर्वथा सिद्धि ही न होती हो, सिद्धि भी होती है, जैसाकि अष्टाध्यायी के 'पति: समास एव' सूत्र पर की 'तत्त्वबोधिनी' टीका के निम्न अंश से प्रकट है, जिसमें उदाहरण भी देखायोग से एराशरजी का उक्त व्युत्पादक दिया है:—

.....अथ कथं “ सीतायाः पतये नमः ” इति “ नष्टे मृते प्रब्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । पंच स्वापनसु नारीणां पतिरन्यो विधीयने ” इति पराशरम् ॥ अत्रादुः ॥ पतिरित्याख्यातः पति:—‘तत्करोति तदा चष्टे’ इति गिरि टिळोपे ‘अच इः’ इत्याख्यादिक प्रत्यये ‘गेरनिटि’ इति गिरिपोषे च निष्पञ्चोऽयं पति ‘पति: समास एव’ इत्यत्र न गृह्णते लाक्षणिकत्वादिति ।

अतः ‘पतौ’ का अर्थ ‘पत्यौ’ ही है। और इसलिये जो लोग उसके इस समीक्षीन अर्थ को बदलने का निःसार प्रयत्न करते हैं वह उनकी भूल है।

ही कि विवाह किस चिकिया का नाम है—सर्वया निषेध किया हो । ५क स्थान पर तो भट्टारकजी, कुछ नियम विधान करते हुए, लिखते हैं:—

यस्याम्त्वनामिका हस्तवा तां विदुः कलहप्रियाम् ।

भूमि न स्पृशते यस्याः स्वादते सा पतिद्वयम् ॥ ११-२४ ॥

अर्थात्—जिस लड़ी की अनामिका अङ्गुली छोटी हो वह कलह-कारिणी होती है, और जिसकी वह अङ्गुली भूमि पर न टिकती हो वह अपने # दो पतियों को खाती है—उसके कम से कम दो विवाह चरूर होते हैं और वे दोनों ही विवाहित पति मर जाते हैं ।

भट्टारकजी के इस नियम-विधान से यह साफ़ जाहिर है कि जैन समाज में ऐसी भी कन्याएँ पैदा होती हैं जो अपने शारीरिक लक्षणों के कारण एक पति के मरने पर दूसरा विवाह करने के लिये मजबूर होती हैं—तभी वे दो पतियों को खाकर इस नियम को सार्थक कर सकती हैं—और एक पति के मरने पर लड़ी का जो दूसरा विवाह किया जाता है वही विधवा-विवाह कहलाता है । इसलिये समाज में—नहीं नहीं समाज की प्रत्येक जाति में—विधवा-विवाह का हाना अनिवार्य ठहरता है; क्योंकि शारीरिक लक्षणों पर किसी का वश नहीं और यह नियम समाज में पुनर्विवाह की व्यवस्था को मँगता है । अन्यथा भट्टारकजी का यह नियम ही चरितार्थ नहीं हो सकता—वह निर्धक हो जाता है ।

और दूसरे स्थान पर भट्टारकजी ने 'शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने' आदि वाक्य के द्वारा यह स्पष्ट घोषणा की है कि 'शूद्रा के—शूद्र जाति

#भट्टारकजी का यह 'दो पतियों को जाती है' वाक्य-प्रयोग कितना अशिष्ट और असंयत भाषा को लिये हुए है उसे बताने की ज़रूरत नहीं । जब 'मुनीन्द्र' कहलाने वाले ही ऐसी भर्मविद्वारक निन्द्य भाषा का प्रयोग करते हैं तब किसी लड़की के विधवा होने पर उसकी साल यदि यह कहती है कि 'तूने मेरा लाल ला लिया' तो इसमें आश्वर्य ही क्या है ? यह सब विधवाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार है ।

की जैन खी के—पुनर्विवाह के समय खी को प्रति के दाढ़िनी और बिठ्ठा जाना। चाहिये,’ जिससे यह भी ध्वनि निकलती है कि अशूद्रा अर्थात् आहशण, क्षत्रिय और वैश्य जाति की जैन लियों के पुनर्विवाह के समय वैसा नहीं होना। चाहिये—वे बाँ और बिठलाई जानी चाहिये। अस्तु; आपका वह पूरा वाक्य इस प्रकार है—

‘गर्माघाने पुंसचने स्तीमन्तोऽन्नने तथा ।  
घधू प्रवेशने शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने ॥  
पूजने कुलदेव्याद्य कन्यादाने तथैव च ।  
कर्म स्वेतेषु चै भायां दक्षिणे तूर वेशयेत् ॥

—द वाँ अध्याय ॥ ११६—११७ ॥

इस वाक्य के ‘शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने’ पद को देख कर सोनीजी कुछ बहुत ही चकित तथा विचलित हुए मालूम होते हैं, उन्हें इसमें मूर्तिमान विधवाविवाह अपना मुँह बाए हुए नज़र आया है और इसलिये उन्होंने उमके निषेध में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डाली है। वे चाहते तो इतना कहकर कुट्टी पा सकते थे कि इसमें विधवा के पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं किन्तु महज शूद्रा के पुनर्विवाह का उल्लेख है, जो सधवा हो सकती है। परतु किसी तरह का सधवापुनर्विवाह भी आपको इष्ट नहीं था, आप दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं दखते थे और शायद यह भी समझने हो कि सधवाविवाह के स्वीकार कर लेने पर विधवाविवाह के निषेध में फिर कुछ बल ही नहीं रह जाता। और विधवाविवाह का निषेध करना आपको खास तौर से इष्ट था, इसलिये उक्त पद में प्रयुक्त हुए ‘पुनर्विवाह’ को ‘विधवाविवाह’ मान कर ही आपने प्रकारान्तर से उसके निषेध की चेष्टा की है। इस चेष्टा में आपको शूद्रों के सद्, असद् भेदादि रूप से कितनी ही इधर उधर की कल्पनाएँ करनी और निरर्थक बातें लिखनी पड़ी—मूल प्रंप से बाहर

का आश्रय लेना पड़ा—परंतु फिर भी आप यह सिद्ध नहीं कर सके कि महाराजी ने विधवाविवाह का सर्वथा निषेध किया है। आपको अपनी कल्पना के अनुसार इतना तो स्वीकार करना ही पड़ा कि इस पद में असत् शुद्धा की विधवाविवाह-विधि का उल्लेख है—हालाँकि मूल में ‘शुद्धा’ शब्द के साथ ‘असत्’ विशेषण लगा हुआ नहीं है, वह शुद्धा मात्र का बाचक है। अस्तु; आपने ‘सोमदेवनीति’ ( नीति-बाक्यामृत ) के जिस वाक्य के आधार पर अपनी कल्पना गढ़ी है वह इस प्रकार है—

सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः ।

इस वाक्य पर स्तूपत की जो टीका मिलती है और उसमें समर्थन के तौर पर जो वाक्य उद्धृत किया गया है उससे तो इस वाक्य का आशय यह मालूम होता है कि ‘जो भले शुद्ध होते हैं वे एक बार विवाह करते हैं—विवाह के ऊपर या पश्चात् दूसरा विवाह नहीं करते’—और इससे यह जान पड़ता है कि इस वाक्य द्वारा शुद्धों के बहुविवाह का नियंत्रण किया गया है। अथवा यो कहिये कि ब्रैवर्धिक पुरुषों को बहु-विवाह का जो स्वयंभू अधिकार प्राप्त है उससे बेचार शुद्ध पुरुषों को बचित रखा गया है। यथा:-

“टीका—ये सच्छूद्राः शोभन शुद्धा भवन्ति ते सकृत्परिणयना एक वारं कृतविवाहाः; द्वितीयं त कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा च डारीतः—‘द्वि भार्यो योऽथ शुद्धः स्थाद् वृषलः सहि विश्रुतः । महत्वं तस्य नो भावि शुद्धजातिसमुद्धवः ॥’”

इसके सिवाय, सोनीजी ने खुद पर्याय नं० १७६ में प्रयुक्त हुए ‘पुनरुद्धाह’ का अर्थ ली जा पुनर्विवाह न करके पुण्य का पुनर्विवाह सूचित किया है, जहाँ कि यह बताता ही नहीं। ऐसी हालत में मालूम नहीं फिर किस आधार पर आपने सोमदेवनीति के उक्त वाक्य का आशय ली के एक बार विवाह से निकाला है ? अथवा बिना किसी आधार के

जहाँ वैसा मतलब निकालना हुआ वहाँ वैसा अर्थ कर देना ही आपको  
इष्ट रहा है ? यदि सोमदेवजी की नीति का ही प्रमाण देखना या तो  
उसमें तो साफ़ लिखा है—

**विकृतपत्यूढाऽपि पुनर्विवाहमर्हतीति स्मृतिकाराः ।**

अर्थात्—जिस विवाहिता स्त्री का पति विकारी हो—या जो सदोष  
पति के साथ विवाही गई हो—वह भी पुनर्विवाह करने की अधिकारिणी  
है—अपने उस विकृत पति को छोड़कर या तलाक देकर दूसरा विवाह  
कर सकती है—ऐसा स्मृतिकारों का—धर्मशास्त्र के रचयिताओं का—मत  
है (जिससे सोमदेवजी भी सहमत हैं—तभी उसका निषेध नहीं किया)।

यहाँ ‘अपि’ ( भी ) शब्द के प्रयोग से यह भी साफ़ अनित  
हो रहा है कि यह वाक्य महज सधिवा के पुनर्विवाह की ही नहीं किन्तु  
विधवा के पुनर्विवाह की भी विधि को लिये हुए है । स्मृतिकारों ने  
दोनों का ही विधान किया है ।

इस सूत्र की मौजूदगी में ‘सकृतपरिणयन व्यवहाराः सच्छूद्राः’  
सूत्र पर से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि शूद्रों के सत् शूद्र होने  
का हेतु उनके यहाँ लियों के पुनर्विवाह बान होना है और इसलिये वैवर्णिकों  
के लिये पुनर्विवाह की विधि नहीं बनती—जो करते हैं वे सच्छूद्रों से भी गये  
बाते हैं । इतने पर भी सोनीजी वैसा नतीजा निकालने की चेष्टा करते हैं,  
यह आश्वर्य है । और फिर यहाँ तक लिखते हैं कि “जैनागम में ही नहीं,  
बल्कि ब्राह्मण सम्प्रदाय के आगम में भी विधवाविवाह की विधि नहीं कही  
गई है ।” इससे सोनीजी का ब्राह्मणग्रंथों से ही नहीं किन्तु जैनग्रंथों से  
भी खासा अझान पाया जाता है—उन्हें ब्राह्मण सम्प्रदाय के ग्रंथों का ठीक  
पता नहीं, नाना मुनियों के नाना मत मालूग नहीं और न अपने घर  
की ही पूरी ख़बर है । उन्होंने विधवाविवाह के निषेध में यन्तु का जो  
वाक्य ‘न विवाहविभावुकं विधवावेदनं पुनः’ उद्धृत किया

है वह उनकी नासमझी का घोतक है। पथ के इस उत्तरार्थ में, जिसका पूर्वार्थ है 'नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते विवित्' 'विधवावेदनं' पद अपने पूर्वापरसम्बन्ध से 'नियोग' का बाचक है—संतानोत्पत्ति के लिये विधवा के अस्थायी प्रहण का सूचक है—और इसलिये उक्त वाक्य का आशय सिर्फ इतना ही है कि 'विवाह-विधि में नियोग नहीं होता—नियोग-विधि में नियोग होता है'—दोनों की नीति और पद्धति भिन्न भिन्न हैं। अन्वया, मनुजी ने उसी अध्याय में परित्यक्ता ( तलाक दी हुई ) और विधवा दोनों के लिये पुनर्विवाहस्कार की व्यवस्था की है, जैसाकि मनुस्मृति के निम्नवाक्यों से प्रकट है:-

या पत्न्या वा पर्वत्यका विधवा वा स्वेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन मर्त्ता सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६ ॥

'विशिष्टस्मृति' में भी लिखा है कि जो ढी अपने नपुंसक, पति के उन्मत्त भर्तार को छोड़कर अथवा पति के मर जाने पर दूसरे पति के साथ विवाह करती है वह 'पुनर्भू' कहलाती है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि पाणिप्रहण संस्कार हो जाने के बाद पति के मर जाने पर यदि वह मंत्रसंस्कृता ढी अक्षतयोनि हो—पति के साथ उसका संभोग न हुआ हो—तो उसका फिर से विवाह होना योग्य है। यथा:—

"या बलीवं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सृज्यान्यं

पर्ति विन्दते सृते वा सा पुनर्भूभवति ॥

"पाणिप्रहे सृते वाला केवल मंत्रसंस्कृता ।

सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनःसंस्कार मर्हति ॥

—१७ वाँ अध्याय ।

इसी तरह पर 'नारद स्मृति' आदि के और कौटिलीय अर्थशास्त्र के भी कितने ही प्रमाण उद्भृत किये जा सकते हैं। 'पराशर स्मृति' का

याक्य पहले उद्भृत किया ही जानुका है। सोनीजी को यदि अपने घर की ही खबर होती तो वे 'सोमंदेवनीति' से नहीं तो आचार्य अमितयति की 'धर्मपरीक्षा' परसे ब्राह्मणग्रंथों का द्वाल मालूम कर सकते थे और यह जान सकते थे कि उनके आगम में विधवाविवाह का विधान है। धर्मपरीक्षा का वह 'पत्न्यौप्रव्रजिते' वाक्य ब्राह्मणों की विधवाविवाह—विधिको प्रदर्शित करनेके लिये ही लिखा गया है; जैसाकि उससे पूर्वके निम्नवाक्य से प्रकट है:—

तैदक्षं विधवां क्रापि त्वं संगृष्ण सुख्या भव ।

नोभयोर्विद्यते दोष इत्युक्तस्तापमागमे ॥ ११—११ ॥

धर्मपरीक्षा के चौदहवें परिच्छेद में भी हिंदूओं के श्री-पुनर्विवाह का उल्लेख है और उसे स्पष्टरूप से 'व्यासादीनामिदं वचः' के साथ उल्लेखित किया गया है, जिसमें से विववाविवाह का पोषक एक वाक्य इस प्रकार है:—

एकदा परिशीताऽपि विषेन्द्रैवयोगतः ।

भर्त्यच्छतयोनिः श्री पुनःसङ्स्कारमर्हति ॥ ३८ ॥

अतः सोनीजी का उक्त लिखना उनकी कोरी नासगभी तथा अज्ञता को प्रकट करता है। और इसी तरह उनका यह लिखना भी मिथ्या ठहरता है कि "विवाहविवि मे सर्वञ्चकन्याविवाह ही बतलाया गया है"। बल्कि यह भट्टारकजी के 'शूद्रापुनर्विवाहमण्डने' वाक्य के भी विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि इस वाक्य में जिस शूद्रा के पुनर्विवाह का उल्लेख है उसे सोनीजी ने 'विधवा' स्वीकृत किया है—भले ही उनकी दृष्टि में वह असत् शूद्रा ही क्यों न हों, विधवा और विवाह का योग तो हुआ।

यहाँ पर मुझे विधवाविवाह के श्रौचित्य या अनौचित्य पर विचार करना नहीं है और न उस दृष्टि को लेकर मेरा यह विवेचन है\*। मेरा उद्देश्य इसमें प्रायः इतना ही है कि भट्टारकजी के पुनर्विवाहविषयक कथन को

\* श्रौचित्यानौचित्य विचार की उस दृष्टि से एक जुदा ही बुद्धि निवारण लिखा जाने की ज़फरत है, जिसके लिये मेरे पास अभी समय नहीं है।

अपने अनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकविरुद्ध समझकर उस पर पर्दा डालने और भ्रम कैलाने की जो जघन्य चेष्टा की गई है उसका नग्न दृश्य सबके सामने उपस्थित कर दिया जाय, जिससे वह पर्दा उठ जाय और भोले भाइयों को भी भट्टारकजी का कथन अपने असली रूप में दृष्टि-गोचर होने लगे—फिर भले ही वह उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल। और इसलिए मुझे इतना और भी बतला देना चाहिये कि सोनीजी ने जो यह प्रतिपादन किया है कि ‘प्रंथकार ने विधवा के लिये तेरहवें अध्याय में दो ही मार्ग बतलाये हैं—एक जिनदीक्षा प्रहण करना और दूसरा वैधव्यदीक्षा लेना—तीसरा विधवाविवाह नाम का मार्ग नहीं बतलाया’, और उस पर से यह नतीजा निकाला है कि ‘प्रंथकार का आशय विधवाविवाह के अनुकूल नहीं है—होता तो वे वहीं पर विधवाविवाह नाम का एक तीसरा मार्ग और बतला देते’, उसमें भी कुछ सार नहीं है—वह भी असलियत पर पर्दा डालने की ही एक चेष्टा है। तेरहवें अध्याय में जिस पद्यद्वारा जिन-दीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा के विकल्प रूप से प्रहण करने की व्यवस्था की गई है उसमें उत्त, स्वित् और चा अव्ययों के साथ ‘अभ्यान्’ पद पड़ा हुआ है \* और वह इस बात को स्पष्ट बतला रहा है कि दोनों प्रकार की दीक्षा में से किसी एक का प्रहण उसके लिये अर्थहै—अति उत्तम है। यह नहीं कहा गया कि इनमें से किसी एक का प्रहण उसके लिये लाज्जिमी है अथवा इस प्रकार के दीक्षा प्रहण से भिन्न दूसरा या तीसरा कोई मध्यम मार्ग उसके लिये है ही नहीं। मध्यम मार्ग जरूर है और उसे भट्टारकजी ने आठवें तथा चारहवें अध्याय में ‘पुनर्विवाह’ के रूप में सूचित किया है। और इसलिये उसे दुबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जो उत्कृष्ट मार्ग रह गया या उसी का समुच्चय किया गया

\* यथा:—

विधवायास्ततो नार्या जिनदीक्षासमाधयः ।

अभ्यानुतस्वित्तैवधव्यदीक्षा वा शूष्णते तदा ॥ १६८ ॥ .

है। और इसलिये यदि कोई विधवा जिनदीद्वा धारण न कर सके और वैधव्यदीद्वा के योग्य देशवत का प्रहण, कण्ठसूत्र और कर्णभूषण आदि सम्पूर्ण आभूषणों का त्याग, शरीर पर सिर्फ दो बछों का धारण, खाट पर शयन तथा अंजन और लेप का त्याग, शोक तथा रुदन और विकाय-श्रवण की निवृत्ति, प्रातः स्नान, आचमन—प्राणायाम और तर्पण की नित्य प्रवृत्ति, तीनों समय देवता का स्तोत्रपाठ, द्वादशानुप्रेद्वा का चिन्तन, ताम्बूलवर्जन और लोलुपतारहित एक बार भोजन, ऐसे उन सब नियमों का पालन करने के लिये समर्थ न होवे जिन्हें महारकजी ने, 'सर्वमेतद्विधीयते' जैसे वाक्य के साथ, वैधव्यदीद्वा—प्राप्त छी के लिये आवश्यक बतलाया है, तो वह विधवा महारकजी के उस पुनर्विवाह-मार्गका अवलम्बन लेकर यथाशक्ति श्रावकर्षम् का पालन कर सकती है; ऐसा महारकजी के इस उत्कृष्ट कथन का पूर्व कथन के साथ आशय और सम्बन्ध जान पड़ता है। 'पाराशरस्मृति' में भी विधवा के लिये पुनर्विवाह की उस व्यवस्था के बाद, उसके ब्रह्मचारिणी रहने आदि को सराहा है— लिखा है कि 'जो छी पति के मर जाने पर ब्रह्मचर्यवत में स्थिर रहती है—वैधव्यदीद्वा को धारण करके उढ़ता के साथ उसका पालन करती है—वह मर कर ब्रह्मचारिणी की तरह स्वर्ग में जाती है। और जो पति के साथ ही सती हो जाती है वह मनुष्य के शरीर में जो साके तीन करोड़ बाल है उतने वर्ष तक स्वर्ग में बास करती है।' यथा:—

मृते भर्तृरि या नारी ब्रह्मचर्यवते स्थिता ।

सा मृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥

तिन्नः कोष्ठोर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे ।

तावत्कालं वसेत्स्वर्णे भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ ३२ ॥

पाराशरस्मृति के इन वाक्यों को पूर्ववाक्यों के साथ पढ़नेवाला कोई भी सहदय विद्वान् जैसे इन वाक्यों पर से यह नतीजा नहीं निकाल सकता

कि पराशरजी ने विधवाविवाह का नियेध किया है उसी तरह पर भट्टारकजी के उक्त वाक्य पर से भी कोई समझदार यह नहीं जानीजा नहीं निकाल सकता कि भट्टारकजी ने विधवाविवाह का सर्वथा नियेध किया है । उस वाक्य का पूर्वकथनसम्बन्ध से इतना ही आशय जान पड़ता है कि जो विधवा जिनदीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा धारण कर सके तो वह बहुत अच्छा है—अभिनन्दनीय है—अन्यथा, विधुरों की तरह साधारण गृहस्थ का मार्ग उसके लिये भी खुला हुआ है ही ।

अब मैं उस आवरण को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो पुनर्विवाह—विषयक पद्धति नं० १७४, १७५ और १७६ पर डाला गया है और जिसके नीचे उस सत्य को ढिपाने की चेष्टा की गई है जिसका उल्लेख ऊपर उन पद्धों के साथ किया जा चुका है—भले ही लेखक कितने ही अशो में भट्टारकजी के उस कथन से सहमत न हो अथवा अनेक दृष्टियों से उसे आपत्ति के योग्य समझना हो ।

इस विषय में, सबसे पहले मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि इन पद्धों को, आगे पीछे के तीन और पद्धों सहित, 'अन्यमत' के श्लोक बतलाया गया है और उसकी एक पहचान इन पद्धों के शुरू में 'अथ विशेषः' शब्दों का होना बतलाई गई है, जैसा कि परिडत पञ्चाजाजी सोनी के एक दूसरे लेख के निम्न वाक्य से प्रकट है, जो 'सत्यवादी' के छठे भाग के अंक नम्बर २—३ में प्रकाशित हुआ है:—

"भट्टारक महाराज अपने मन्थ में जैन मत का वर्णन करते हुए अन्य मतों का भी वर्णन करते गये हैं, जिसकी पहचान के लिये अथ विशेषः, अन्यमतं, परमतं, स्मृतिवचनं और इति परमतं स्मृतिवचनं इत्यादि शब्दों का उल्लेख किया है ।"

यद्यपि मूल प्रन्थ को पढ़ने से ऐसा मालूम नहीं होता—उसके 'अन्यमतं' 'परमतं' जैसे शब्द दूसरे जैनाचार्यों के मत की ओर इशारा

करते हुए जान पढ़ते हैं— और न अब इस परीक्षा लेख को पढ़ जाने के बाद कोई यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि इस प्रथ में जिन वाक्यों के साथ ‘अथ विशेषः’ ‘अन्यमतं’ अथवा ‘परमतं’ जैसे शब्द लगे हुए हैं वे ही जैनमत से बाहर के श्लोक हैं, बाकी और सब जैन-मत के ही श्लोकों का हसमें संग्रह है; क्योंकि ऐसे चिन्हों से रहित दूसरे पचासों श्लोकों को अजैनमत के सिद्ध किया जा चुका है और सेंकड़ों को और भी सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी यदि यह मान लिया जाय कि ये श्लोक अजैनमत के ही हैं तो उससे नतीजा ? दूसरे मत के श्लोकों का उद्धरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है—अपने मत को पुष्ट करने अथवा दूसरों के मत का खण्डन करने के लिये। यहाँ पर उक्त श्लोक दोनों में से एक भी दृष्टि को लिये हुए नहीं हैं—वे वैसे ही (स्वयं रच कर या अपना कर) प्रथ का आग बनाये गये हैं। और इसलिये उनके अजैन होने पर भी भट्टारकजी की जिम्मेदारी तथा उनके प्रतिपाद्य विषय का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता। अत उन पर अन्य मत का आवरण ढालने की चेष्टा करना निरर्थक है। इसके सिवाय, सोनीजी ने अपने उस लेख में कई जगह बड़े दर्प के साथ इन सब श्लोकों को ‘मनुस्मृति’ का बतलाया है, और यह उनका सरासर भूठ है। सारी मनुस्मृति को टटोल जाने पर भी उसमें इनका कहीं पता नहीं चलता। जो लोग अपनी बात को ऊपर रखने और दूसरों की आँखों में धूल ढालने की धुन में इतना मोटा और साढ़ा भूठ लिख जाने तक की धृष्टता करते हैं वे अपने विरुद्ध सत्य पर पर्दा ढालने के लिये जो भी चेष्टा न करें सो थोड़ा है। ऐसे अटकलपच्चू और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लिखने वालों के बचन का मूल्य भी क्या हो सकता है? इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

इहीं सोनीजी ने, चतुर्थीकर्म-विषयक सारे पूर्वकथन पर पानी केर कर १७४ वें पद में प्रयुक्त हुए 'चतुर्थीमध्ये' पद का अर्थ अपने उस लेख में, 'चौथी पदी' किया है और उस पर यहाँ तक जोर दिया है कि इसका अर्थ "चौथी पदी ही करना पड़ेगा", "चौथी पदी ही होना चाहिये", "मराठी टीकाकार ने भी भूल की है" \*। परंतु अपनी अनुवाद-पुस्तक में जो अर्थ दिया है वह इससे निन्ज है। मालूम होता है बाद में आपको पंचांगविवाह के चौथे अंग (पाणिप्रहण) का कुछ खायाल आया और वहीं चतुर्थी के सत्यार्थ पर पर्दा ढालने के लिये अधिक उपयोगी ज़ंचा है ! इसलिये आपने अपने उक्त वाक्यों और उनमें प्रयुक्त हुए 'ही' शब्द के महत्व को मुलाकर, उसे ही चतुर्थी का वाच्य बना डाला है !! वाकी 'दत्ताम्' पद का वही यज्ञत अर्थ 'वागदान में दी हुई' कायम रखता है, जैसा कि पूरे पद के आपके निम्न अनुवाद से प्रकट है:—

"पाणिपीडन नाम की चौथी किया में अथवा सप्तपदी से पहले वर में जातिच्युतरूप, हीनजातिरूप, या दुराचरणरूप दोष मालूम हो जाय तो वागदान में दी हुई कन्या को उसका विता किसी दूसरे श्रेष्ठ जाति आदि गुणयुक्त वर को देवे, ऐसा बुद्धिमानों का मत है।"

पूर्वकथनसम्बन्ध को सामने रखते हुए, जो ऊपर दिया गया है, इस अनुवाद पर से यह मालूम नहीं होता कि सोनीजी को 'चतुर्थीकर्म' का परिचय नहीं था और इसलिये 'चतुर्थीमध्ये' तथा 'दत्ताम्' पदों का अर्थ उनके द्वारा भूल से यज्ञत प्रस्तुत किया गया है; बल्कि यह साफ़ जाना जाता है कि उन्होंने जान बूझकर, विवाहिता लियों के

\* मराठी टीकाकार पं० कल्पाल्या भरमाण्या निटवे ने "चत्त्वार्था विवशीर्चेऽक्त्य दोषशास्त्रा पूर्वोत्तम" अर्थ दिया है।

पुनर्विवाह पर पर्दा छालने के लिये, उक्त पदों के प्रकृत और प्रकरणसंगत अर्थ को बदलने की चेष्टा की है। अन्यथा, 'दत्ताम्' का 'वागदान में दी हुई' अर्थ तो किसी तरह भी नहीं बन सकता था, क्योंकि चतुर्थी के सोनीजी द्वारा अविष्टृत अर्थानुसार भी जब विवाहकार्य पाणिप्रहण की अवस्था तक पहुँच जाता है तब कन्यादान तो 'प्रदान' नाम की दूसरी किया में ही हो जाता है और उस वक्त वह कन्या 'कन्या' न रहकर 'बधू' तथा पाणिप्रहण के अवसर पर 'पत्नी' बन जाती है+। फिर भी सोनीजी का उस 'वागदान में दी हुई कन्या' लिखना और अन्यत्र यह प्रतिपादन करना कि 'विवाह कन्या का ही होता है' लुल नहीं तो और क्या है? आपका यह लुल यज्ञवल्क्यस्मृति के एक टीकावाक्य के अनुवाद में भी जारी रहा है और उसमें भी आपने 'वागदान में दी हुई कन्या' जैसे अर्थों को अपनी तरफ से लाकर घुसेढ़ा है। इसके सिवाय वक्त स्मृति के 'दत्ता कन्या हरन् दण्डो व्ययं दधाच्च सोदयं' को उसी (विवाह) प्रकरण का बतलाया है, जिसका कि 'दत्तामपि हरेत्पूर्वीच्छेयांश्चद्वार आवजेत्' वाक्य है—इसके बाक्य मिन्न आद्याय के मिन्न प्रकरण (दाय भाग) का है तथा वागदत्ताविषयक स्तीधन के प्रसंग को लिये हुए है, और इसलिये उस उद्धृत करना ही निर्यक था। दूसरा वाक्य जो उद्धृत किया गया है उसमें भी कोई समर्थन नहीं होता।—न उसमें 'चतुर्थी मध्ये' पद पड़ा हुआ है और न 'दत्ताम्' का अर्थ टीका में ही 'वागदत्ता' किया गया है। बाकी टीका के अन्त में

+जैसाकि 'आप्रदानात् भवेत्कन्या' नाम के उस वाक्य से प्रकट है जो इस प्रकरण के शुरू में उद्धृत किया जा चुका है। हाँ, सोनीजी ने अपने उस लेख में लिखा है कि "तीनपदी तत्त्व कन्या संज्ञा रहती है, यथात् चौथीपदी में उसकी कन्या संज्ञा दूर हो जाती है"; यह लिखना भी आपका शायद वैसा ही अटकलपच्चू और विना सिर पैर का जान पहुँता है जैसा कि उन लोकों को मनुस्मृति के बतलाना।

जो 'एतत्वं सप्तमप्रदात्प्राग्दृष्टव्यम्' वाच्य दिया है कह मूल से बाहर की चीज़ है—मूल के किसी शब्द से सम्बन्ध नहीं रखती—उसे टीका की अपनी राय अथवा टीकाकार की खीचातानी कहना चाहिये । अन्यथा, याज्ञवल्क्यस्मृति में युद्ध उसके बाद 'अच्छता च चता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः' आदि वाक्य के द्वारा अन्यपूर्वा लीं के भेदों में 'पुनर्भू' लीं का उल्लेख किया है और उसे 'पुनः संस्कृता' लिख कर पुनर्विवाह की अधिकारिणी प्रतिपादन किया है । साथ ही, उसके चृतयोनि (पूर्व पति के साथ साम को प्राप्त हुई) और अच्छतयोनि (संस्कार मात्र को प्राप्त हुई) ऐसे दो भेद किये हैं । पुनर्भू का विशेषस्वरूप 'मनुस्मृति' और 'वशिष्ठस्मृति' के उन वाक्यों से भी जाना जासकता है जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं । ऐसी हालत में सोनी जी का अपने अर्थ को (ब्राह्मण) सम्प्रदाय के अविरुद्ध बतलाना और दूसरों के अर्थ को विरुद्ध ठहराना कुछ भी मूल्य नहीं रखता—वह प्रलापमात्र जान पड़ता है ॥

\* ब्राह्मण सम्प्रदाय के विशिष्ट ऋषितो साफ़लिखते हैं कि कन्या यदि किसी देसे पुरुष को दान कर दी गई हो जो कुलशील से विहीन हो, नपुंसक हो, पतित हो, रोगी हो, विधर्मी हो या वेशधारी हो, अथवा सगोची के साथ विवाह दी गई हो तो उसका हरण करना चाहिये—और इस तरह पर उस पूर्व विवाह को रद्द करना चाहिये । यथा—

" कुलशील विहीनस्य राहादि पतितस्य च ।

अपसारि विधर्मस्य रोगीणं वेशधारिणाम् ॥

दत्तामपि हरेत्कन्यां सगोच्रोदां तथैव च ॥ " (शब्दकल्पद्रुम)

इस वाक्य में प्रयुक्त 'सगोच्रोदां' (ममान गोची से विषाही हुई) पर 'दत्तां' पर अच्छा प्रकाश ढालता है और उसे 'विवाहिता' सूचित करता है । सोमेव ने भी अपने उस 'विकृतपत्न्यूदा' नामक वाक्य में हस्तांतिकारों का जो मत उद्घृत किया है उसमें उस पुनर्विवाहयोग्य लीं को 'जट्टा' ही बतलाया है जिसका अर्थ होता है 'विवाहिता' ।

इसी तरह पर १७५ वें पद में प्रयुक्त हुए 'दत्ता' पद का अर्थ भी 'बान्दत्ता कन्या' गलत किया गया है, जो पूर्वोक्त हेतु से किसी तरह भी वहाँ नहीं बनता। इसके सिवाय, 'पतिसंगादधः' का अर्थ आपने, 'पति के साथ संगम-संभोग-हो जाने के पश्चात्' न करके, 'पाणिपीडन से पहले' किया है—'पतिसंग' को 'पाणिग्रहण' बताया है और 'अधः' का अर्थ 'पहले' किया है। साथ ही, 'प्रवरै-क्यादिदोषाः' के अर्थ में 'दोषाः' का अर्थ छोड़ दिया है और 'आदि' को 'ऐक्य' के बाद न रखकर उसके पहले रखा है, जिससे कितना ही अर्थदोष उत्पन्न हो गया है। इस तरह से सोनीजी ने इन पदों के उस समुचित अर्थ तथा आशय को बदल कर, जो शुरू में दिया गया है, एक लक्षयोनि ली के पुनर्विवाह पर पर्दा ढालने की चेष्टा की है। परन्तु इस चेष्टा से उस पर पर्दा नहीं पड़ सकता। 'पतिसंग' का अर्थ यहाँ 'पाणिपीडन' करना विडम्बना मात्र है और उसका कहीं से भी समर्थन नहीं हो सकता। 'संग' और 'संगम' दोनों एकार्थवाचक शब्द हैं और वे जी-पुरुष के मिथुनीभाव को सूचित करते हैं ( संगः, संगः जीपुंसेमिथुनी भावः ) जिसे संभोग और Sexual intercourse भी कहते हैं। शब्दकल्पद्रुम में इसी आशय को पुष्ट करने वाला प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण भी दिया है जो इस प्रकार है:-

अमिका च गदा ज्ञाता नारी च्छुतुमती तदा ।

संग प्राप्य सुनेऽपुत्रमस्तान्धं महावलम् ॥

'अधः' शब्द 'पूर्व' या 'पहले' अर्थ में कभी व्यवहृत नहीं होता। परन्तु 'पञ्चात्' अर्थ में वह व्यवहृत जरूर होता है; जैसाकि 'अषोभकं' पद से जाना जाता है जिसका अर्थ है 'भोजनान्तं पीय-मानं जलादिकं'-भोजन के पश्चात् पीये जाने वाले जलादिक (a dose

of water, medicine etc to be taken after meals V S. Apte ) । और इसलिये सोनीजी ने 'पतिसंगादधः' का जो अर्थ 'पाणिपीड़न से पहले' किया है वह किसी तरह भी नहीं बन सकता । पाणिपीड़न नामक स्त्रकार से पहले तो 'पति' सज्जा की प्राप्ति भी नहीं होती—वह सप्तपदी के सातवें पद में जाकर होती है, जैसाकि पूर्व में उद्घृत 'नोदकेन' पद के 'पतित्वं सप्तमे पदे' बाक्य से प्रकट है । जब 'पति' ही नहीं तो फिर 'पतिसग' कैसा ? परतु यहाँ 'पतिसंगात्' पद साफ पड़ा हुआ है । इसलिये वह सप्तपदी के बाद की संभोगावस्था को ही सूचित करता है । उस पर पर्दा नहीं ढाला जा सकता ।

अब रहा गालब के उझेख बाला १७६ वाँ पद, इसके अनुवाद में सोनीजी ने और भी गलब ढाया है और सत्य का बिलकुल ही निर्देशता के साथ गला मरोड़ ढाला है !! आप जानते थे कि क्ली के पुनर्विवाह का प्रसग चल रहा है और पहले दोनों पदों में उसीका उझेख है । साथ ही, यह समझते थे कि इन पदों में प्रयुक्त हुए 'दत्तां' 'पुनर्देव्यात्' जैसे सामान्य पदों का अर्थ तो जैसे तैसे 'बागदान में ही हुई' आदि करके, उनके प्रकृत अर्थ पर कुछ पर्दा ढाला जा सकता है और उसके नीचे पुनर्विवाह को किसी तरह छिपाया जा सकता है परतु इस पद में तो साफ तौर पर 'पुनरुद्धाराह' पद पड़ा हुआ है, जिसका अर्थ 'पुनर्विवाह' के सिवाय और कुछ होता ही नहीं और वह कथन—क्रम से जियों के पुनर्विवाह का ही बाचक है, इसलिये उस पर पर्दा नहीं ढाजा जा सकता । चुनाँचे आपने अपने उसी लेख में, जो 'प्रतिप्रबोधक' में प्रकाशित बाबू सूरजभानजी के लेख की समीक्षारूप से लिखा गया था, बाबू सूरजभानजी—प्रतिपादित इस पद के अनुवाद पर और उसके इस निष्कर्ष पर कि यह श्लोक जियों के पुनर्विवाह विषय को लिये हुए है कोई आपत्ति नहीं की थी । प्रत्युत इसके लिये दिया था—

“आगे चलकर गालब महाशय के विषय में जो आपने लिखा है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे महाशय जैन नहीं हैं। किसी दिन अ॒षि का प्रमाण देकर पुनर्विवाह सिद्ध करते सो अच्छा होता। ..... यह कहा जा चुका है कि १७१ से १७६ तक के इलोक दिन अ॒षि प्रणीत नहीं हैं, मनुस्मृति के हैं।”

इससे जाहिर है कि सोनीजी इस श्लोक पर से स्थियों के पुनर्विवाह की सिद्धि जरूर मानते थे परन्तु उन्होंने उसे अजैन इलोक बतला कर उसका तिरस्कार कर दिया था। अब इस अनुवाद के समय आपको अपने उस तिरस्कार की नि सारता मालूम पढ़ी और यह जान पढ़ा कि वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसकिये आपने और भी अधिक निष्ठुरता धारण करके, एक दूसरी नई तथा विलङ्घण चाल चली और उसके द्वारा विलकूल ही अकलिप्त अर्थ कर डाला। अर्थात् इस पद्य को स्थियों के पुनर्विवाह की जगह पुरुषों के पुनर्विवाह का बना डाला। इस कपटकला, कूटलेखकता और अनर्थ का भी कहीं कुछ ठिकाना है !!! भला कोई सोनीजी से पूछे कि ‘कलौ तु पुनरङ्घाहं वर्जयेत्’ का अर्थ जो आपने “कलियुग में एक धर्मपत्नी के होते हुए दूसरा विवाह न करे” दिया है उसमें ‘एक धर्मपत्नी के होते हुए’ यह अर्थ मूल के कौन से शब्दों का है अथवा पूर्व पद्यों के किन शब्दों पर से निकाला गया है तो इसका आप क्या उत्तर देंगे ? क्या ‘इमारी इच्छा’ अथवा यह कहना समुचित होगा कि पुरुषों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये—जी के मर जाने पर भी वे कहीं इस मतानुसार पुनर्विवाह के अधिकार से बंचित न हो जाँय इसकिये— हमने अपनी ओर से ऐसा कर दिया है ! कदमपि नहीं। वास्तव में, आपका यह अर्थ किसी तरह भी नहीं बनता और न कहीं से उसका

समर्थन ही होता है। आपने एक 'भावार्थ' लगाकर उसे कुछ गले उतारने की चेष्टा भी है और उसमें ब्राह्मणधर्म के अनुसार धर्मपत्नी, भोगपत्नी, प्रथम विवाह धर्म विवाह, दूसरा विवाह काम्य विवाह, सबर्णी जी के होते हुए असबर्णी जी से धर्म कृत्य न कराये जावें, आदि किंतनी ही बातें लिखीं और कितने ही निरर्थक तथा आपने विरुद्ध वाक्य भी उद्धृत किये परन्तु बहुत कुछ सर पटकने पर भी आप गालब अृषि का तो क्या दूसरे भी किसी हिन्दू अृषि का कोई ऐसा वाक्य उद्धृत नहीं कर सके जिससे पुरुषों के पुनर्विवाहविषयक स्वयंभू अधिकार का विरोध पाया जाय। और इसलिये आपको यह कल्पना करते ही बना कि "कोई ब्राह्मण अृषि दे निवाहों को भी धर्म विवाह स्वीकार करते हैं और तृतीय विवाह का निषेध करते हैं। तब संभव है कि गालब अृषि दूसरे विवाह का भी निषेध करते हों।" इतने पर भी आप अंत में लिखते हैं— "जो लोग इस श्लोक से जियों का पुनर्विवाह अर्थ निकालते हैं वह विलकुल अयुक्त है। क्योंकि यह अर्थ स्वयं ब्राह्मणसम्प्रदाय के विरुद्ध पड़ता है।"

यह धृष्टता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? वह अर्थ ब्राह्मणसम्प्रदाय के क्या विरुद्ध पड़ता है उसे आप दिखला नहीं सके और न दिखला सकते हैं। आपका इस विषय में ब्राह्मण सम्प्रदाय की दुहाई देना उसके साहित्य की कोरी अनभिज्ञता को प्रकट करना अथवा भोले भाइयों को फँसाने के लिये व्यर्थ का जाल रचना है। अस्तु।

इस सब विवेचन पर से सहदय पाठक सहज ही में इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि भट्टारकजी ने अपरित्यक्त जियों के लिये भी— जिनमें विधवाएँ भी शामिल जान पड़ती हैं—पुनर्विवाह की साफ व्यवस्था जी है और सोनीजी जैसे पंडितों ने उसे अपनी चित्तशृणि के

अनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकविरुद्ध समझ कर जो उस पर पर्दा ढालने की चेष्टा की है वह कितनी नीच, निःसार तथा जघन्य है और साथ ही विद्वत्ता को कलंकित करने वाली है ।

जो लोग इस त्रिवर्णाचार पर अपनी 'आटल श्रद्धा' का ढैंडाग पीटते हुए उसको प्रामाणिक मंथ बतलाते हैं<sup>३०</sup> और फिर खियों के पुनर्विवाह का निषेध करते हैं उनकी स्थिति निःसंदेह बड़ी ही विचित्र और कङ्कणाजनक है । वे खुद अपने को ठगते हैं और दूसरों को उगते फिरते हैं<sup>३१</sup> ! उन्हें यदि सचमुच ही इस मंथ को प्रमाण मानना था तो खियों के पुनर्विवाह-निषेध का साहस नहीं करना था; क्योंकि खियों के पुनर्विवाह का विधान तो इस मंथ में है ही, वह किसी का मिटाया मिट नहीं सकता ।

### तर्पण, आद्व और पिण्डदान ।

( २८ ) हिन्दुओं के यहाँ, ज्ञान का अंग स्वरूप, तर्पण नाम का एक नित्य कर्म वर्णन किया है । पितरादिकों को पानी या तिलोदक ( तिलों के साथ पानी ) आदि देकर उनकी तृप्ति की जाती है, इसीका नाम तर्पण है । तर्पण के जल की देव और पितरगण इच्छा करते हैं, उसको प्रहण करते हैं और उससे तृप्त होते हैं, ऐसा उनका सिद्धान्त है । यदि कोई मनुष्य नास्तिक्य भाव से अर्थात्, यह समझ कर कि 'देव पितरों को जलादिक नहीं पहुँच सकता, तर्पण नहीं करता है तो जल के इच्छुक पितर उसके देह का रुधिर पीते हैं, ऐसा उनके पहाँ योगि याज्ञबलक्य का वचन है । यथा:—

<sup>३०</sup> प० धर्मालालजी कालखण्डन में भी १० खंड हुए 'सत्यवादी' में प्रकाशित अपने लेख द्वारा यह घोषणा की थी कि—'मेरा सोमसेन कृत त्रिवर्णाचार मंथ पर, आटल भजान है और में उसे प्रमाणीक कराना हूँ' ।

वास्तिव्यमावाद् यज्ञापि न तर्पयति वे चुतः ।

पितॄनि देहधिरं पितरो वे जलार्थिनः ॥

भहारकजी ने भी, इस त्रिवर्णाचार में, तर्पण को ज्ञान का एक अंग बतलाया है । इतना ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के यहाँ ज्ञान के जो पाँच अंग-सकल्प, सूक्तपठन मार्जन, अधमर्षण \* और तर्पण-माने जाते हैं उन सबको ही अपनाया है । यथा:—

संकल्प [ रुपः ] सूक्त [ शू ] पठनं मार्जनं ज्ञानमर्षणम् ।

देवादि [ वर्धि ] तर्पणं चैव पञ्चांगं स्नानमाचरेत् [ स्नानं पञ्चांगमित्यते ]

॥ २-१०५ ॥

यह खोक भी किसी हिन्दू प्रथा से लिया गया है । हिन्दुओं के

\* 'अधमर्षण' पापनाशन को कहते हैं । हिन्दुओं के यहाँ यह स्नानांगकर्म पापनाशन किया का एक विशेष अंग माना जाता है । वेद में 'शूतं च सत्यं' नामका एक प्रसिद्ध सूक्त है, जिसे 'अधमर्षण सूक्त' कहने हैं और जिसका अर्थ भी 'अधमर्षण' है । इस सूक्त को पानी में निमग्न होकर तीन बार पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाता है और यह उनके यहाँ अश्वमेध यज्ञ की तरह सब पापों का नाश करने वाला माना गया है, जैसा कि 'शून्यस्मृति' के निम्नवाक्यों से प्रकट है:—

ततोऽम्भसि निमग्नस्तु त्रिः पठेदधमर्षणम् ॥ ६-१२ ॥

यथा॒श्वमेधः शूतुरादू॑ सर्वयापापोदनः ।

यथा॒श्वमर्षणं सूक्तं सर्वैरपापप्रणाशनम् ॥ ६-१३ ॥

षामन शिवराम देपटे ने भी अपने कोश में इस सूक्त की उक्त मान्यता का उल्लेख किया है, और लिखा है कि 'गुरुपक्षी, माता, तथा भगिनी आदि के साथ सम्मोग जैसे घोरतम पाप भी इस सूक्त को तीन बार पानी में पढ़ने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है' यथा—

The most heinous crimes, such as illicit intercourse with preceptor's wife, one's own mother, sister, daughter-in-law etc.. are said to be expiated by repeating this शूक्त thrice in water.

‘स्मृतिरक्षाकर’ में यह ब्रैकटों में दिये हुए साधारण पाठेमें के साथ पाया जाता है और इसे ‘आचि’ शृंगि का वाक्य लिखा है। हिन्दुओं

भद्रारकजी ने इस अध्यमर्ण को स्नान का अंग बनलाकर हिन्दुओं के एक पेसे निष्ठान्त को अपनाया है जिसका जैनसिद्धान्तों के साथ कोई मेल नहीं। जैनसिद्धान्तों की हाइ से पापों को इस तरह पर खान के द्वारा नहीं धोया जा सकता। स्नान से शरीर का सिर्फ शाहमल कूर होता है, शरीर तक की शुद्धि नहीं हो सकती; फिर पापों का दूर होना तो बहुत ही दूर की बात है—बह कोई खेल नहीं है। पाप जिन मिथ्यात्व-असंयमादि कारणों से उत्पन्न होते हैं उनके विपरीत कारणों को मिलान से ही दूर किये जा सकते हैं—जलादिक से नहीं। जैसाकि श्री अमितगति आचार्य के निष्ठवाक्यों से भी प्रकट है:—

मलो विशोध्यते बाह्यो जलेनेति निगद्यताम् ।  
पापं निहन्यते तेन कस्येदं हृदि चर्तते ॥३६॥  
मिथ्यात्वाऽसंयमाऽङ्गानै करुमर्यं प्राणिनार्जितम् ।  
सम्यक्त्वं संयमङ्गानैर्हन्यते नान्यथा रुकुटम् ॥३७॥  
कषायैरर्जितं पापं सलिलेन निवार्यते ।  
एतज्जडात्मनो ब्रूते नान्ये मीमांसका ध्रुवम् ॥३८॥  
यदि शोधयितुं शक्तं शरीरमपि नो जलम् ।  
अन्तंस्थितं मनो दुष्टं कर्यं तेन विशोध्यते ॥३९॥  
—धर्मपरीक्षा, १७ वाँ परिच्छेद ।

भद्रारकजी के इस विचान से यह मालूम होता है कि वे स्नान से पापों का भुलना मानते थे। और शायद यही वजह ही जो उन्होंने अपने प्रभ्य में स्नान की इतनी भरमार की है कि उससे एक अच्छे भक्ते आदमी का नाम में दम आ सकता है और वह उसीमें उखान का रहकर अपने जीवन के समुचित घेय से वंचित रह सकता है और अपना कुछ भी उत्कर्ष साधन नहीं कर सकता। मेरी इच्छा यह कि मैं स्नान की उस भरमार का और उसकी निःसारता तथा जैन सिद्धान्तों के साथ उनके विरोध का एक स्वतन्त्र शीर्षक के नीचे पाठकों को दिग्दर्शन कराऊँ परन्तु लेक्के बहुत बहु गया है इसकिये मजबूरन अपनी उस इच्छा को दर्शाना ही पढ़ा।

ने देव, ऋषि और पितर भेद से तीन प्रकार का तर्पण माना है ( तर्पणं च शुचिः कुर्यात् प्रलयं स्नातको द्विजः । देवम्यश्च ऋषिम्यश्च पितृम्यश्च यथा क्रमम् ॥ इति शातातपः ) । भट्टारकजी ने भी तीसरे अध्याय के पद्म नं-७, ८, ९ में इन तीनों भेदों का इसी क्रम से विधान किया है । साथ ही, हिन्दुओं की उस विधि को भी प्रायः आपनाया है जो प्रत्येक प्रकार के तर्पण को किस दिशा की ओर मुँह बरके करने तथा अक्षतादिक किस किस द्रव्य द्वारा उसे कैसे सम्पादन करने से सम्बन्ध रखती है । परन्तु अध्याय के अन्त में जो तर्पणमंत्र आपने दिये हैं उनमें पहले ऋषियों का, फिर पितरों का और अन में देवताओं का तर्पण लिखा है । देवताओं के तर्पण में अर्हन्तादिक देवों को स्थान नहीं दिया गया किन्तु उन्हें ऋषियों की श्रेणीमें रखा गया है—हालांकि पद्म नं० ८ में 'गौतमादि-महर्षीणां ( नवे ) तर्पयेद् ऋषितीर्थतः' ऐसा व्यवस्थावाक्य था—और यह आपका लेखनकौशल अथवा रचनावैचित्रिय है । ! परन्तु इन सब बातों को भी छोड़िये, सबंत बड़ी बात यह है कि भट्टारकजी ने तर्पण का सब आशय और अभिप्राय प्राय वही रखा है जो हिन्दुओं का सिद्धान्त है । अर्थात्, यह प्रकट किया है कि पितरादिक को पानी या तिलोदकादि देकर उनकी तृप्ति करना चाहिये; तर्पण के जल की देव पितरगण इच्छा रखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उससे तृप्त होते हैं । जैसाकि नीचे लिखे वाक्यों से प्रकट है:—

असंस्काराद्य ये केचिज्जलाश्चाः पितरः सुराः ।  
तेषां सन्तोषतृप्तयर्थं दीयते साक्षिणं मया ॥ ११ ॥

अर्थात्—जो कोई पितर संस्कारविहीन मरे हों, जल की इच्छा रखते हों, और जो कोई देव जल की इच्छा रखते हों, उन सबके सन्तोष तथा तृप्ति के लिये मैं पानी देता हूँ—जल से तर्पण करता हूँ ।

केचिदस्मत्कुले जाता \* अपुत्रा व्यन्तराः सुराः ।

ते गृहन्तु मया दत्तं वस्त्रनिर्णीडनोदकम् ॥ १३ ॥

**अर्थात्**—इमारे कुलमें जो कोई पुत्रहीन मनुष्य मरकर व्यन्तर जातिके देव हुए हों, उन्हें मैं धोती आदि वस्त्रसे निचोड़ा हुआ पानी देता हूँ, उसे वे प्रहण करें।

यह तर्पणके बाद धोती निचोड़नेका मत्र है। इसके बाद 'शरीरके अंगों परसे हाथ या वस्त्रसे पानी नहीं पौछना चाहिये, नहीं तो शरीर कुत्ता चाटेकी समान अपवित्र होजायगा और पुनः स्नान करनेसे शुद्धि होगी' फूं ऐसा अद्भुत विधान करके उनके कामणों को बतलाते हुए लिखा है—

\* यहाँ छुपी पुस्तकों में जो 'अपूर्व' पाठ दिया है वह गलत है, सही पाठ 'अपुत्रा' है और वही जिनसेन श्रिवर्णचार में भी पाया जाता है, जहाँ वह इसी प्रथा परसे उद्धृत है।

यह मत्र हिन्दुओं के निम्न मंत्र पर से, जिसे 'मन्त्रशब्द' 'हति मन्त्रेण' शब्दों द्वारा स्नान नार पर मंत्र रूप से उल्लेखित किया है, ज्ञासा फेर बदल करके बनाया गया मालूम होता है—

ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रजा मृताः ।

ते गृहन्तु मया दत्तं वस्त्रनिर्णीडनोदकम् ॥—स्मृतिरस्नाकर ।

‡ यथा:—

तस्मात्कायं त मृजीत हास्त्रेरण करेण वा ।

स्नानलेश्वेन साम्यं च पुनः स्नानेन शुध्यति ॥ १६ ॥

हिन्दुओं के यहाँ इस पथ के आशय से मिलता जुलता एक वाक्य इस प्रकार है—

तस्मात्कानो नावसृज्यात्क्षानशाढ्या न पाणिना ।

स्नानचर्षेण हस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमार्जति ॥

वृथा भवति तस्मान् पुनः स्नानेन शुध्यति ।

'स्मृतिरस्नाकर' में यह वाक्य 'शिरोवारि शरीराम्बु वस्त्र-  
तोयं यथाक्रमम् । पिवन्ति देवा मुनयः पितरो ब्राह्म-  
णस्य तु ॥' के अनन्तर दिया है और इससे 'तस्मात्' पद का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट हो जाता है। इस हाइ से भट्टारकजी का उक्त १६ वाँ पथ 'पिवन्ति शिरसो' नामक १८ वाँ पथ के बाद होना चाहिये था।

तिक्ष्णः कोऽप्योऽर्थकोटी च यावद्ग्रोमाणि मानुषे ।  
 वसन्ति तावत्तीर्थानि तस्मान्न परिमार्जयेत् ॥ १७ ॥  
 पितॄन्ति शिरसा देवाः पितॄन्ति पितरो मुखात् ।  
 मध्याच्च यज्ञगन्धर्वा अधस्नात्सर्वजन्तवः ॥ १८ ॥

**अर्थात्**—मनुष्यके शरीरमें जो साढे तीनकरोड़ रोम हैं, उतनेही उसमें तीर्थ हैं । दूसरे, शरीर पर जो स्नान जल रहता है उसे मस्तक परसे देव, मुख परसे पितर, शरीरके मध्यभाग परसे यज्ञ गंधर्व और नीचेके भाग परसे अन्य सब जन्तु पीते हैं । इसलिये शरीरके अगोंको पौङ्कना नहीं चाहिये (पौङ्कने से उन तीर्थोंका शायद अपमान या उत्थापन हो जायगा, और देवादिकों के जल महणा कार्य में विव्रत उपस्थित होगा !! ) ।

जैनसिद्धान्तसे जिन पाठकोंका कुछ भी परिचय है वे ऊपरके इस कथनसे भले प्रकार समझ सकते हैं कि भट्टारकजीका यह तर्पणविषयक कथन कितना जैनधर्म के विरुद्ध है । जैनसिद्धान्त के अनुसार न तो देवपितरगण पानी के लिये भटकते या मारे मारे फिरते हैं और न तर्पणके जलकी इच्छा रखते या उसको पाकर तृप्त और संतुष्ट होते हैं । इसीप्रकार न वे किसी की घोती आदिका निचोड़ा हुआ पानी ग्रहण करते हैं और न किसी के शरीर परसे स्नानजलको पीते हैं । ये सब हिंदूधर्म की कियाएँ और कल्पनाएँ हैं । हिन्दुओं के यहाँ साक लिखा है कि 'जब कोई मनुष्य स्नानके लिये जाता है तब प्याससे विहळ हुए देव और पितरगण, पानी की इच्छा से वायु का रूप धारण करके, उसके पीछे पीछे जाते हैं । और यदि वह मनुष्य योही स्नान करके बढ़ (घोती आदि) निचोड़ देता है तो वे देवपितर निराश होकर जौठ आते हैं । इसलिये तर्पण के पश्चात् वस्त्र निचोड़ना चाहिये पहले नहीं । जैसा कि उनके निझलिखित बचन से प्रकट है:—

स्वानार्थप्रभिगच्छन्तं देवाः पितृगणैः सह ।  
चायुभूतास्तु गच्छन्ति तृष्णार्ता सलिलार्थिनः ॥  
निराशास्ते निवर्तन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते ।  
अतस्तर्पणानन्तरमेव वस्त्रं निष्पीडयेत् ॥

—स्मृतिरत्नाकरे, धृद्धवसिष्ठः ।

परन्तु जैनियों का ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जैनियों के यहाँ मरने के पश्चात् समस्त ससारी जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देव, मनुष्य, नरक, और तिर्यंच, इन चार गतियों में से किसी न किसी गति में अवश्य चले जाते हैं। और अधिक से अधिक तीन समय तक निराहार रहकर तुरत दूसरा शरीर धारण करलें ते हैं। इन चारों गतियों से अलग पितरों की कोई निराली गति नहीं होती, जहाँ वे बिलकुल ही परावलम्बी हुए अस्त्वयात् या अनन्तकाल तक पढ़े रहते हों। मनुष्यगति में जिस तरह पर वर्तमान मनुष्य—जो अपने पूर्वजन्मों की अपेक्षा बहुतों के पितर हैं—किसी के तर्पण जलको पीते नहीं फिरते उसी तरह पर कोई भी पितर किसी भी गति में जाकर तर्पण के जलकी इच्छा से विहृल हुआ उसके पांछे पांछे मारा मारा नहीं फिरता। प्रत्येक गति में जीवों का आहारविहार उनकी उस गति, स्थिति तथा देशकाल के अनुसार होता है और उसका वह रूप नहीं है जो ऊपर बतलाया गया है। इस तरह पर भद्रारकजी का यह सब कथन जैनधर्मके विरुद्ध है, जीवोंकी गतिस्थित्यादि-विषयक अजानकारी तथा अब्रद्वा को लिये हुए हैं और कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं हो सकता।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं के कुछ प्रसिद्ध मन्यों में भी इस बातका उल्लेख मिलता है कि जैनधर्म में इस तर्पण को स्थान नहीं है जैसाकि उनके पद्मपुराण+ के निम्न

+ देखो 'आनन्दाधमसिरीज पूना' की छपी हुई आवृत्ति।

वाक्यों से प्रकट है जो कि ३६ वें अध्याय में एक दिगम्बर साधुद्वारा, राजा 'बेन' को जैनधर्म का कुछ स्वरूप बतलाते हुए, कहे गये हैं:—

पितृणां तर्पणं नास्ति यथैव श्वदेविकम् ।

कृष्णस्य न तथा पूजा ह्याद्यन्तध्यानमुक्तमम् ॥१६॥

एवं धर्मस्तमाचारो जैनमार्गे प्रदृश्यते ।

एतत्स्तर्वमाख्यातं जैनधर्मस्य लक्षणम् ॥२०॥

और जैनियों के 'यशस्तिलक' प्रथ से भी इस विषय का समर्थन होता है; जैसा कि उसके चौथे आश्रम के निम्न वाक्य से प्रकट है, जो कि राजा यशोधर की जैनधर्म-विषयक श्रद्धा को इटाने के लिये उनकी माता द्वारा, एक वैदिकधर्मावलम्बी वो दृष्टि से जैनधर्म की नुटियों को बतलाते हुए, कहा गया है:—

न तर्पणं देवगितृडिजानां स्नानस्य होमस्य न चाहिन वार्ता ।

श्रुतेः स्मृतवाण्यात्तरे च धीस्ते धर्मे कथं पुत्र ! दिगम्बराणाम् ॥

अर्थात्—जिस धर्म में देवों, पितरों तथा द्विजों ( ऋषियों ) का तर्पण नहीं, ( श्रुतिस्मृतिविहित ) स्नान की—उसी पचांग स्नान की—और होमकी वार्ता नहीं, और जो श्रुति—स्मृति से अत्यन्त बाह्य है उस दिगम्बर जैनधर्म पर हे पुत्र ! तेरी दुःख कैसे ठहरती है ?—तुम्हें कैसे उसपर श्रद्धा होती है ?

इन्हें पर भी सोनीजी, आपने आनुवाद में, भट्टारकजी के इस तर्पण-विषयक कथन को जैनधर्म का कथन बतलाने का दुःसहस्र करते हैं—लिखते हैं 'यह तर्पण आदि का विधान जैनधर्म से बाहर का नहीं है किन्तु जैनधर्म का ही है' !! आपने, कुछ आनुवादों के साथ में लम्बे लम्बे भावार्थ जोड़कर, भट्टारकजी के कथन को जिस तिस प्रकार से जैनधर्म का कथन सिद्ध करने की बहुतेरी चेष्टा की, परन्तु आप उसमें कृत-कार्य नहीं हो सके। और उस चेष्टा में आप कितनी ही ऊटपटाँग बातें

लिख गये हैं जिनसे आपकी अद्वा, योग्यता और गुणज्ञता का खासा दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है और उसे देखकर आपकी हालत पर बढ़ा ही तर्स आता है । आप लिखते हैं—“व्यन्तरों का अनेक प्रकार का स्वभाव होता है । अतः किसी किसी का स्वभाव जल-प्रहरण करने का है । किसी किसी का वज्र निचोड़ा हुआ जल लेने का है । ये सब उनकी स्वभाविकी क्रियायें हैं ।” परन्तु कौन से जैनशास्त्रों में व्यन्तरों के इस स्वभावविशेष का उल्लेख है या इन क्रियाओं को उनकी स्वभाविकी क्रियाएँ लिखा है, इसे आप बतला नहीं सके । आप बहुत तक तो लिखगये कि “जैनशास्त्रों में साफ़ लिखा है कि व्यन्तरों का ऐसा स्वभाव है और वे क्रीड़ानिमित्त ऐसा करते हैं—ऐसी क्रियायें करा कर वे शान्त होते हैं” परन्तु फिर भी किसी माननीय जैनशास्त्र का एक भी वाक्य प्रमाण में उद्धृत करते हुए आप से बन नहीं पड़ा तब आपका यह सब कथन घोथा चारजाल ही रह जाता है । मालूम होता है अनेक प्रकार के स्वभाव पर से आप सब प्रकार के स्वभाव का नतीजा निकालते हैं, और यह आपका विलक्षण तर्क है !! व्यन्तरों का सब प्रकार का स्वभाव मानकर और उनकी सब इच्छाओं को पूरा करना अपना कर्तव्य समझ कर तो सोनीजी बहुत ही आपत्ति में पड़ जायेंगे और उन्हें व्यन्तरों के पीछे नाचते नाचते दम लेने की भी रुस्त नहीं मिलेगी । खेद है सोनीजीने यह नहीं सोचा कि प्रथम तो व्यन्तर देव क्रीड़ा के निमित्त जिन जिन चीजों की इच्छाएँ करें उनको पूरा करना श्रावकों का कोई कर्तव्य नहीं है—श्रावकाचार में ऐसी कोई विधि नहीं है—व्यन्तरदेव यदि मांसभक्षण की क्रीड़ा करने लगे तो कोई भी श्रावक पशुओं को मारकर उन्हें बलि नहीं चढ़ाएगा, और न खीसेवन की क्रीड़ा करने पर अपनी छींया पुत्री ही उन्हें संभेग के लिये देगा । दूसरे, यदि किसी तरह पर उनकी इच्छा को पूरा भी किया

जाय तो वह तभी तो किया जा सकता है जब वैसी कोई इच्छा व्यक्त हो—कोई व्यन्तर कीड़ा करता हुआ किसी तरह पर प्रकट करे कि मुझे इस बक धोती निचोड़े का पानी चाहिये तो वह उसे दिया जा सकता है—परंतु जब वैसी कोई इच्छा या कीड़ा व्यक्त ही न हो अथवा उसका अस्तित्व ही न हो तब भी उसकी पूर्ति की चेष्टा करना—विना इच्छा भी किसी को जल पीने के लिये मजबूर करना अथवा पीने वाले के मौजूद न होते हुए भी पिलाने का ढौंग करना—क्या अर्थ रखता है ? वह निरा पागलपन नहीं तो और क्या है ? क्या उद्यन्तरदेवों को ऐसा असहाय या महाब्रती समझ लिया है जो वे विना दूसरों के दिये स्वयं जल भी कहीं से ग्रहण न कर सकें ? वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है । भट्टारकजी का आशय यदि इस तर्पण से व्यन्तरों के कीड़ा—उद्देश्य की सिद्धि मात्र होता तो वे वैसी कीड़ा के समय ही अथवा उस प्रकार की सूचना मिलने पर ही तर्पण वा विधान करते; क्योंकि कोई कीड़ा या इच्छा सार्वकालिक और स्थायी नहीं होती । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिदिन और प्रत्येक स्नान के साथ में तर्पण का विधान किया है; और उनकी व्यवस्थानुसार एक दिन में बीसियों बार स्नान की नौबत आ सकती है । अतः भट्टारकजी का यह तर्पणविधान व्यन्तरों के कीड़ा उद्देश्य को लेकर नहीं है किन्तु सीधा और साफ़ तौर पर हिन्दुओं के सिद्धान्त का अनुसरण मात्र है । और इसलिए यह सोनीजी की अपनी ही कल्पना और अपनी ही ईजाद है जो वे इस तर्पण को व्यन्तरों की कीड़ा के साथ बाँधते हैं और उसे किसी तरह पर खोचताँचकर जैनधर्म की कोटि में लानेका निष्कल प्रयत्न करते हैं । ११ वें श्लोक के भावार्थ में तो सोनीजी यह भी लिख गये हैं कि “व्यन्तरों को जल किसी उद्देश्य से नहीं दिया जाता है” ! हेतु ? “ क्योंकि यह बात श्लोक ही साफ़ कह रहा है कि कोई

विना संस्कार किये हुए मर गये हों, मरकर व्यंतर के हुए हों और मेरे हाथ से जल लेने की बाढ़ा रखने हों तो उनको मैं सहज ( यह जल ) देता हूँ । इसमें कहाँ भी किसी विषय का उद्देश्य नहीं है ।' परंतु श्लोक में तो जलदान का उद्देश्य साफ़ लिखा है 'तेषां संतोषतृप्त्यर्थ'—उनके सन्तोष और तृप्ति के लिये—और आपने भी अनुवाद के समय इसका अर्थ "उनके संतोष के लिये" दिया है । यह उद्देश्य नहीं तो और क्या है ? इसके सिवाय पूर्ववर्ती श्लोक नं० १० में एक दूसरा उद्देश्य और भी दिया है और वह है 'उस पाप की विशुद्धि जो शारीरिक मल के द्वारा जल को मैला अथवा दूषित करने से उत्पन्न होता है ' । यथा :—  
 × यन्मया दुष्कृतं पापं [ दूषितं तोर्य ] शारीरमलसंभवम् [ बात् ]  
 तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं देवानां तर्पयाम्यहम् ॥१०॥

ऐसी हालत में सोनीजी का यह तर्पण के उद्देश्य से इनकार करना, उसे आगे चलकर श्लोक के दूसरे अधूरे अर्थ के नीचे छिपाना और इस तरह स्वपरप्रयोजन के बिना ही तर्पण करने की बात कहना कितना हास्यास्पद जान पड़ता है, उसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । क्या यही गुरुमुख से शालों का सुनना, उनका मनन करना और भाषा की ठाक योग्यता का रखना कहलाता है, जिसके लिये आप आपना अहंकार प्रकट करते और दूसरों पर आक्षेप करते हैं ? मालूम होता है सोनीजी उस समय कुछ बहुत ही विचलित और अस्थिरचित्त थे ।

६ 'द्यन्तर' का यह नामनिर्देश मूल श्लोक में नहीं है ।

× यह द्विन्दुओं का यदमतर्पण का श्लोक है और उनके यहाँ इसका चौथा चरण 'यदमैतत्त्वे तिलोदकम्' दिया है । ( देखो 'आनिहृसूत्रावलि ' )

‡ / प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रबर्त्तते '—यिना प्रयोजन उद्देश्य के तो मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होती । किर सोनीजी ने क्वाप्रत्यक्षर यह बिना उद्देश्य की बात कही है ।

उन्हें इस तर्पण को जैनधर्म का सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कोई ठीक युक्ति सूफ़ नहीं पड़ती थी, इसीसे वे वैसे ही यद्या तदा कुछ अद्वकी बहकी बातें लिखकर ग्रन्थ के कई पेजों को रँग गये हैं। और शायद यही बजह है जो वे दूसरों पर मूर्खतापूर्ण अनुचित कठाक्ष करने का भी दुःसाहस कर बैठे हैं, जिसकी चर्चा करना यहाँ निर्दिष्ट जान पड़ता है।

१८ वें श्लोक के भावार्थ में, कितनी ही विचलित बातों के अतिरिक्त, सोनीजी लिखते हैं:—

“ यद्यपि देवों में मानसिक आहार है, पितृगण कितने ही मुक्ति स्थान को पहुँच गये हैं इसलिये इनका पानी पीना असम्भव जान पड़ता है। इसी तरह यत्न, गंधवों और सारे जीवों का भी शरीर के जल का पानी (पीना ?) असम्भव है, पर फिर भी ऐसा जो लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य छुपा हुआ है (जो सोनीजी की समझ के बाहर है और जिसके जानने का उनके कथनानुसार इस समय कोई साधन भी नहीं है ! ) । ”

“ यद्यपि इस श्लोक का विषय असम्भव सा जान पड़ता है परन्तु फिर भी वह पाया जाता है। अतः इसका कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य है। व्यर्थ बातें भी कुछ न कुछ अपना तात्पर्य ज्ञापन कराकर सार्थक हो जाती हैं ( परन्तु इस श्लोक की व्यर्थ बातें तो सोनीजी को अपना कुछ भी तात्पर्य न बतला सकी ! ) । ”

इन उद्घारों के समय सोनीजी के मस्तिष्क की हालत उस मनुष्य जैसी मालूम होती है जो घर से यह खबर आने पर रो रहा था कि ‘तुम्हारी खीं विधवा हो गई है’ और जब लोगों ने उसे ममझाया कि तुम्हारे जीते तुम्हारी खीं विधवा कैसे हो सकती है तब उसने सिस-कियाँ लेते हुए कहा था कि ‘यह तो मैं भी जनता हूँ कि मेरे जीते मेरी खीं विधवा कैसे हो सकती है परन्तु घर से जो आदमी खबर लाया है वह बड़ा ही चिक्कासपात्र है, उसकी बात को मूठ कैसे कहा जा सकता।

है ! वह चरुर विधवा हो गई है, ' और यह कहकर और भी ज्यादा छठ छठकर रोने लगा था; और तब लोगों ने उसकी बहुत ही हँसी उड़ाई थी । सोनीजी की दृष्टि में भट्टारकजी का यह प्रथम घर के उस विश्वासपात्र आदमी की कोटि में स्थित है । इसीसे साक्षात् असम्भव जान पढ़ने वाली बातों को भी, इसमें लिखी होने के कारण, आप सत्य समझने और जैनधर्मसम्पत्ति प्रतिपादन करने की मूर्खता कर बैठे हैं ! यह है आपकी अद्वा और गुणज्ञता का एक नमूना !! अथवा गुरुमुख से शाखों के अध्ययन और मनन की एक बानगी !!!

सोनीजी को इस बात की बड़ी ही चिन्ताने वेरा मालूम होता है कि ' कहीं ऐसी असम्भव बातों को भी यदि भूठ मान लिया गया तो शाख की कोई मर्यादा ही न रहेगी, फिर हर कोई मनुष्य चाहे जिस शाख की बात को, जो उसे अनिष्ट होगी, कौरन अलीक ( भूठ ) कह देगा, तब सर्वत्र अविश्वास फैल जायगा और कोई भी क्रिया ठीक ठीक न बन सकेगी !' इस बिना सिरपैर की नि.सार चिन्ता के कारण ही आपने शाख की—नहीं नहीं शाख नाम की—मर्यादाका उल्लंघन न करनेका जो परामर्श दिया है उसका यही आशय जान पढ़ता है कि शाख में लिखी उलटी सीधी, भली बुरी, विरुद्ध अविरुद्ध और समन्वय असम्भव सभी बातों को बिना चूँचरा किये और कान हिलाए माज लेना चाहिये, नहीं तो शाख की मर्यादा बिगड़ जायगी !! वाह ! क्या ही अच्छा सत्यरामर्श है !! अंधश्रद्धा का उपदेश इससे भिन्न और क्या होगा वह कुछ समझ में नहीं आता !!! मालूम होता है सोनीजी को सत्य शाख के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं । सबे शाख तो आप पुरुषों के कहे होते हैं—उनमें कई उलटी, बुरी, विरुद्ध और असम्भव बातें भी हुआ करती हैं ? वे तो बादी-प्रतिबादी के द्वारा अनु-लंघन, युक्ति तथा आगम से विरोधरहित, यथावत् वस्तुस्वरूप के उप-

देशक, सर्व के हितकारी और कुमारी का मथन करने वाले होते हैं ॥ १  
 ऐसे शास्त्रों के विषय में उक्त प्रकार की चिंता करने के लिये कोई स्थान  
 ही नहीं होता—वे तो खुलेमैदान परीक्षा के लिये छोड़ दिये जाते हैं—  
 उनके विषय में भी उक्त प्रकार की चिन्ता व्यक्त करना अपनी अद्वा की  
 कच्चाई और मानसिक दुर्बलता को प्रकट करना है। इसके सिवाय,  
 सोनीजी को शायद यह भी मालूम नहीं कि 'कितने ही अष्टशारित्र  
 पंडितों और वठरसाधुओं ( मूर्ख तथा धूर्त मुनियों ) ने  
 जिनचन्द्रदेव के निर्मल शासन को मलिन कर दिया है—कितनी ही असत्  
 वातों को, इधर उधर से अपनी रचनादिकों के द्वारा, शासन में शामिल  
 करके उसके खरूप को विकृत कर दिया है' (इससे परीक्षा की और भी खास  
 चरूरत खड़ी हो गई है) ॥—जैसा कि अनगारधर्मामृत की टीका में पं० ०-  
 आशाधर्जी के द्वारा उद्धृत किसी विद्वान् के निम्न वाक्य से प्रकट है:—

पणिडौ भ्रष्टचारित्रै वर्तै च तपोधनैः ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

सोमसेन भी उन्हीं वठर अथवा धूर्त साधुओंमें से एक थे, और यह वात  
 ऊपरकी आलोचना परसे बहुत कुछ स्पष्ट है। उनकी इस महा आपत्तिजनक  
 रचना ( त्रिवर्णाचार ) को सत्यशास्त्र का नाम देना वास्तव में सत्य शास्त्रों  
 का अपमान करना है। अतः सोनीजी की चिन्ता, इस विषय में,

\* जैसा कि स्वामी समन्तभद्र के निम्न वाक्य से प्रकट है:—

आसोपकमनुज्ञायमहेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापयघट्नम् ॥ (रत्नकरण्ड थ्रा०)

† इसी वातको लक्ष्य करके किसी कवि ने यह वाक्य कहा है—  
 जिनमत महल मनोऽस अति कालियुग छादित पंथ ।

समझ बूझ के परजिये; चर्चा निर्णय प्रंथ ॥

और बड़े बड़े आशायों ने तो पहले से ही परीक्षाप्रघानी  
 होने का उपदेश दिया है—अन्य अद्वा बनने का नहीं।

बिलकुल ही निर्मल जान पड़ती है और उनकी अस्थिरचित्तता तथा दुःखमुलयकीनी को और भी अधिकता के साथ साबित करती है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनीजी की यह अस्थिरचित्तता बहुत दिनों तक उनका पिण्ड पकड़े रही है—सम्भवतः प्रथ के छप जाने तक भी आपका चित्त ढाँबाढोल रहा है—और तब कहीं जाकर आपको इन पदों पर कुछ संदेह होने लगा है। इसीसे शुद्धिपत्र-द्वारा, १३वें और १७वें श्लोकके अनुवाद पीछे एक एक नया भावार्थ जोड़नेकी सूचना देते हुए, आपने उन भावार्थोंमें ११ से १३ और १७ से १८ नम्बर तक के छह श्लोकों पर 'क्षेपक' होने का संदेह प्रकट किया है—निश्चय उसका भी नहीं—और वह संदेह भी निर्मल जान पड़ता है। इन पदोंको क्षेपक मानने पर १० वें नम्बर का पद निरर्थक हो जाता है, जिसमें उद्देशविशेष से देवों के तर्पण की प्रतिक्रिया गई है और उस प्रतिक्रिया के अनुसार ही अगले श्लोकोंमें तर्पण का विधान किया गया है। १३ वाँ श्लोक सुद वल्ल-निचोइने का मत्र है और हिन्दुओं के यहाँ भी उसे मत्र लिखा है; जैसा कि पदले जाहिर किया जा चुका है। सोनीजी ने उसे मत्र ही नहीं समझा और वल्ल निचोइनेका कोई मत्र न होनेके आधार पर इन श्लोकोंके क्षेपक होने की कल्पना कर डाली !! अतः ये श्लोक क्षेपक नहीं—प्रथ में वैसे हीं पीछे से शामिल होगये अथवा शामिल कर लिये गये नहीं—किंतु भट्टारकजी की रचना के अंगविशेष हैं। जिनसेनत्रिवर्णाचार में सोमसेन-त्रिवर्णाचार की जो नकल की गई है उसमें भी वे उद्धृत पाये जाते हैं।

यहाँ तक के इस सब कथन से यह स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने हिंदुओं के तर्पणसिद्धांत को अपनाया है और वह जैनधर्म के विरुद्ध है। सोनीजी ने उसे जैनधर्मसम्मत प्रतिपादन करने और इस तरह सत्य पर पर्दा डालने की जो अनुचित चेष्टा की है उसमें वे ज़रा भी सफल नहीं हो सके और अंत में उन्हें कुछ पदों पर पोथा संदेह करते ही बना। साथ में आपकी श्रद्धा और गुणज्ञता आदि का जो प्रदर्शन हुआ सो जुदा रहा।

अब रही आद्ध और पिण्डदान की बात । ये विषय भी जैन धर्म से बाहर की चीज़ हैं और हिंदूधर्म से खास सम्बंध रखते हैं । भट्टारकवी ने इन्हें भी अपनाया है और अनेक स्थानों पर इनके करने की प्रेरणा तथा व्यवस्था की है \* । पितरों का उद्देश्य करके दिया

\* जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

तीर्थतटे प्रकर्तव्यं प्राणायामं रथाच्चमम् ।

सम्भास्यां आद्यं च पिण्डस्य दानं गेहोऽथवाशुचौ ॥३-७७॥

इसमें आद्य तथा पिण्डदान को तीर्थतट पर या घर में किसी पवित्र स्थान पर करने की व्यवस्था की है ।

नान्दीश्वाद्यं च पूजांच ॥३-१६॥

इसमें 'नान्दीश्वाद्य' के करने की प्रेरणा की गई है, जो हिन्दुओं के थार्द का एक विशेष है ।

एकमेव पितृधायं कुर्यादेशे दशाहनि ।

ततो वै मातृके आद्यं कुर्यादायादि षोडश ॥१३-७८॥

इसमें अवस्थाविशेष को लेकर माता और पिता के थार्दों का विधान किया गया है ।

तदेहप्रतिविम्बायं मरुदेषे तद्विनापि च ।

स्थापयेदेकमश्मानं तीरे पिण्डादिदत्तये ॥ १६६ ॥

पिण्डं तिलोदकं चापि कर्ता दद्यादिजुलाग्रतः ।

सर्वेषि बन्धवो दद्यु खातास्तत्र निलोदकं ॥ १७० ॥

एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विधीयते ।

पिण्डं तिलोदकं चापि कर्ता दद्यात्तदान्वहं ॥ १७६ ॥

पिण्डप्रदानतः पूर्वमन्ते च स्नानमिष्यते ।

पिण्ड कपित्यमात्रश्च स च शाल्यमधसा कृत ॥१७७॥

तत्पाकश्च बहिः कार्यस्तत्पात्रं च शिलापि च ।

कर्तुः संव्यानकं चापि बहिः स्थाप्यानि गोपिते ॥ १७८ ॥

—१३ वाँ अध्याय ।

इन पद्धों में मृतक संस्कार के अनन्तर बाले पिण्डदान का विधान है और उसके विषय में लिखा है कि 'पिण्डादिक देने के लिये असाध्य के किनारे पर उस मृतक की देह के प्रतिनिधिकृप

इच्छा अनादिक पितरों के पास पहुँच जाता है और उनकी तृतीय आदि सम्पादन करता है, ऐसी अद्वा से शास्त्रोक्तविधि के साथ जो अनादिक से पक पत्थर की स्थापना करनी चाहिये, संस्कारकर्ता को उस पत्थर के आगे पिण्ड और तिलोदक देना चाहिये और स्नान किये हुए बन्धुओं को भी वहाँ पर तिलोदक चढ़ाना चाहिये । संस्कारकर्ता का यात्रावर दस दिन तक इसी तरह पर पिण्ड और तिलोदक देते रहना चाहिये, पिण्डदान से पहले और पीछे भी स्नान करना चाहिये और वह पिण्ड पके चावलों का कपित्थ ( कैथ या बेल ) के आकार जितना होना चाहिये । चावल भी घर से बाहर पकाये जायें और पकाने का पात्र, वह पत्थर, तथा पिण्डदान-समय पहनने के बख्त ये सब चीज़ें बाहर ही किसी गुप्त स्थान में रखनी चाहियें ।

अद्याभ्रप्रदानं तु सदभ्यः अद्वमितीष्यते ।

मासे मासे भवेच्छादं तहिने वत्सगच्छि ॥ १६३ ॥

आत ऊर्ध्वं भवेद्वद्धादं तु प्रनिवत्सरं ।

आदादशाद्मेवैततिक्यते प्रेतगोचरम् ॥ १६४ ॥

इन पद्यों में प्रेत के उद्देश्य से किये गये आद का स्वरूप और उसके भेदों का उल्लेख किया गया है । लिखा है कि अद्वा से—अद्वा विशेष से—किये गये अशदान को आद कहते हैं और उसके दो भेद हैं १ मासिक और २ वार्षिक । जो मृतक तिथि के दिन हर महीने साल भर तक किया जाय वह मासिक आद है और जो उसके बाद प्रतिवर्ष बारह वर्ष तक किया जाय उसे वार्षिक आद जानना चाहिये । यहाँ आद का जो व्युत्पत्यात्मक स्वरूप दिया है वह प्रायः वही है जो हिन्दुओं के यहाँ पाया जाता है और जिसे उनके 'आद-तत्व' में 'वैदिकप्रयोगाधीनयोगिक' लिखा है, जैसा कि अगले फुट नोट से प्रदर्शित है । और इस में जिस अद्वा का उल्लेख है वह भी वही 'पिश्रुद्देश्यक अद्वा' अथवा 'प्रेतोद्देश्यक अद्वा' है जिसे हिन्दुओं के पश्चपुराण में भी जैनियों की ओर से 'निरर्थिका' बताया जाता है और जो जैनहठषि से बहुत कुछ आपत्ति के योग्य है । अद्वा के इस सामाज्य प्रयोग की वजह से कुछ लोगों को जो अम होता था वह अब दूर हो सकेगा ।

दिया जाता है उसका नाम श्राद्ध \* है । हिंदुओं के यहाँ तर्पण और श्राद्ध ये दोनों विषय कृतीव कृतीव एक ही सिद्धांत पर अवस्थित हैं । दोनों को 'पितृयज्ञ' कहते हैं । भेद सिर्फ़ इतना है कि तर्पण में अंजलि से जल छोड़ा जाता है, किसी ब्राह्मणादिक को पिलाया नहीं जाता । देव पितरगण उसे सीधा प्रहण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं । परंतु श्राद्ध में प्रायः ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है अथवा सूखा अज्ञादिक दिया जाता है । और जिस प्रकार लैटरबॉक्स में ढाली हुई चिह्नी दूर देशांतरों में पहुँच जाती है उसी प्रकार मानो ब्राह्मणों के पेट में से वह भोजन देव पितरों के पास पहुँच कर उनकी तृप्ति कर देता है । इसके सिवाय कुछ क्रियाकांड का भी भेद है । पिण्डदान भी श्राद्ध का ही एक रूपविशेष है, उसका भी उद्देश्य पितरों को तृप्त करना है और वह भी 'पितृयज्ञ' कहलाता है । इसमें पिण्ड को पृथ्वी आदिक पर ढाला जाता है—किसी ब्राह्मणादिक के पेट में नहीं—और उसे प्रकट रूप में कौए आदिक खाजाते हैं । इस तरह पर श्राद्ध और पिण्डदान ये दोनों कर्म प्रक्रियादि के भेद से, पितृतर्पण के ही भेदविशेष हैं—इन्हें प्रकारांतर से 'पितृतर्पण' कहा भी जाता है—और इसलिये इनके विषय में अब मुझे अधिक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है । सिर्फ़ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि हिंदू प्रथों में 'श्राद्ध' नाम से भी इस विषयका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह जैनधर्मसम्मत नहीं है, जैसाकि उनके 'पञ्चपुराण' के निम्न वाक्यों से प्रकट है, जो कि ३६३७ अव्याय में उसी दिग्म्बरसाधु—द्वारा, श्राद्ध के निषेध में, राजा 'वेन' के प्रति कहे गये हैं:—

---

“ श्राद्धं—शास्त्रोक्तव्यानेन पितृकर्म इत्यमरः । पितृहेश्यक-  
अद्ययाऽज्ञादि दानम् । ……‘अद्यया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निराधते’  
इति पुलास्त्यवचनात् । ‘अद्यया अज्ञादेवानं श्राद्धं’ इति वैदिकप्रथो-  
गाधीनयौगिकम् । इति श्राद्धतत्त्वम् । अपिच, सम्बोधनपदायनीतान्  
पित्रादीन् चतुर्थ्यन्तपदेनोद्दिश्य हृविस्त्वागः श्राद्धम् ।—शृण्वकल्पद्रुम ।

थादं कुर्वन्ति मोहेन लयाहे पितृतर्पणम् ।  
 काऽऽस्ते मृतं समशाति कीदृशाऽसौ नरोत्तम ॥ २६ ॥  
 किं ज्ञानं कीदृशं कार्यं केन हृष्टं वदत्वं नः ।  
 मिष्टमञ्चं प्रभुका तु तृतीयान्ति च ब्राह्मणाः ॥ ३० ॥  
 कल्य थादं प्रदीयेत सा तु अद्वा निरर्थिका ।  
 अन्यदेवं प्रवद्यामि वेदानां कर्मदाहणम् ॥ ३१ ॥

इन वाक्यों में श्राद्ध को साफ़ तौर पर ‘पितृतर्पण’ लिखा है, और उससे श्राद्ध का उद्देश्य भी कितना ही स्पष्ट हो जाता है। साय ही यह बतलाया है कि जिस ( पितृतृतीय उद्देश्य की ) श्रद्धा से उसका विधान किया जाता है वह श्रद्धा ही निरर्थक है—उसमें कुछ सार ही नहीं—इस श्राद्धसे पितरोंको कोई तृतीय नहीं होती किन्तु ब्राह्मणों की तृतीय होती है। इसी तरह पर उक्त पुराण के १३ वें अध्याय में भी दिग्म्बर जैनों की ओर से श्राद्ध के निषेध का उल्लेख मिलता है।

ऐसी हालत में जैनप्रथों से श्राद्धादि के निषेध—विषयक अवतरणों के देने की—जो बहुत कुछ दिये जा सकते हैं—यहाँ कोई ज़खरत मालूम नहीं होती। जैनसिद्धान्तों से वास्तव में इन विषयों का कोई मेल ही नहीं है। और अब तो बहुत से हिंदू भाइयों की भी श्रद्धा श्राद्ध पर से उठती जाती है और वे उसमें कुछ तत्व नहीं देखते। हाल में स्वार्थीय मगनलाल गाँधीजी के विवेकी वीरपुत्र केशव भाई ने अपने पिता की मृत्यु के १० वें दिन जो मार्मिक उद्दगार महात्मा गाँधीजी पर प्रकट किये हैं और जिन्हें अहात्माजी ने बहुत पसंद किया तफ कुदुम्बीजनोंने भी अपनाया वे इस विषय में बड़ा ही महूत्व रखते हैं और उनसे कितनी ही उपयोगी शिक्षा मिलती है। वे उद्दगार इस प्रकार हैं:—

“ श्राद्ध करने में सुझे श्रद्धा नहीं है। और आस्तथ तथा मिथ्या का आचरण कर मैं अपने पिता का तर्पण

कैसे करूँ? इसकी अपेक्षा तो जो वस्तु पिनाजीको प्रिय थी वही करूँगा। गीता का पारायण तीन दिन करूँगा और तीनों दिन १२ घण्टे रोज़ चर्चा चलाऊँगा ॥”।—हि० नव०

परंतु हमारे सोनीजी, जैन पंडित होकर भी, अभीतक लकीर के फकीर बने हुए हैं, ‘बाबाबाक्यं प्रमाणं’ की नीति का अनुसरण करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और लोगों को ‘अन्धश्रद्धालु’ बनने तथा बने रहने का उपदेश देते हैं, यह बड़ा ही आश्वर्य है !! उन्हें कम से कम केशव भाई के इस उदाहरण से ही कुछ शिक्षा लेनी चाहिये।

मेरा विचार या कि मैं और भी कुछ विरुद्ध कथनों को दिखलाऊँ, विरुद्ध कथनों के कितने ही शीर्षक नोट किये हुए पढ़े हैं—खासकर ‘त्रिवर्णाचार के पूज्य देवता’ शीर्षक के नीचे मैं कुदेवों की पूजा को दिखला कर उसकी विस्तृत आलोचना करना चाहता था परंतु उसके लिये लम्बा लिखने की जरूरत थी और लेख बहुत बढ़गया है इसलिये उस विचार को भी छोड़ा द्वारा ही पड़ा। मैं समझता हूँ विरुद्ध कथनों का यह सब दिग्दर्शन काफ़ी से भी ज़्यादा हो गया है और इसलिये इतने पर ही सन्तोष किया जाता है ।

इन सब विरुद्ध कथनों के मौजूद होते हुए और अजैन विषयों तथा वाक्यों के इतने भारी संप्रहरी डपस्थितिमें—अथवा ग्रन्थकी स्थिति के इस दिग्दर्शन के सामने—सोनीजी के निम्न वाक्यों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, जो उन्होंने ग्रन्थ के अनुवाद की भूमिका में दिये हैं:—

(१) “हमें तो ग्रन्थ-परिशिलन से यही मालूम हुआ। कि ग्रन्थकर्ता की जैनधर्म पर असीम भक्ति थी, अजैन विषयों से वे परहेज़ करते थे। जोग खामुखों अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उनपर अवर्गवाद लगाते हैं ॥”

(२) “ग्रन्थ की मूल भित्ति आदिपुराण पर से खड़ी हुई है ।”  
.....“इस ग्रन्थ के विषय अद्विप्रणाति आगम में कहाँ संबोध से और

कहीं विस्तार से पाये जाते हैं। अतएव इगे तो इस ग्रंथ में न अप्रमाणित ही प्रतीत होती है और न आगमविरुद्धता ही।”

मालूम होता है ये वाक्य महज लिखने के लिये ही लिखे गये हैं, अथवा ग्रंथ का रंग जमाना ही इनका एक उद्देश्य जान पड़ता है। अन्यथा, ग्रंथ के परिशिलिन, तुलनात्मक अध्ययन और विषय की गहरी जाँच के साथ इनका कुछ भी सम्बंध नहीं है। सोनीजी के हृदय में यदि किसी समय विवेक जागृत हुआ तो उन्हें अपने इन वाक्यों और इसी प्रकार के दूसरे वाक्यों के लिये भी, जिन में से कितने ही ऊपर यथास्थान उद्भृत विये जा चुके हैं, ज़रूर स्वद होगा और आश्वर्य अथवा असमव नहीं जो वे अपनी भूल को स्वीकार करें। यदि ऐसा हो मका और शैतान ने कान में फूक न मारी तो यह उनके लिये नि.सन्देह बड़ी गौरव का विषय होगा। अस्तु।

### उपसंहार।

त्रिवर्णाचार की इस सम्पूर्ण परीक्षा और अनुवादादि-विषयक आलोचना पर से सहृदय पाठकों तथा विवेकशील विचारकों पर ग्रंथ की असलियत खुल चिना नहीं रहेगी और वे सहज ही में यह नतीजा निकाल सकेंगे कि यह ग्रंथ जिसे भट्टारकजी ‘जिनेन्द्रागम’ तक लिखते हैं वास्तव में कोई जैनग्रंथ नहीं किंतु जैनग्रंथों का कलंक है। इसमें रत्नकरण्डश्रावकाचारादि जैसे कुछ आर्थि ग्रन्थों के वाक्यों का जो संप्रह किया गया है वह ग्रंथकर्ता की एक प्रकार की चालाकी है, धोखा है, मुलम्मा है, अथवा विरुद्धकथनस्त्री जाली सिक्कों को चलाने आदि का एक साधन है। भट्टारकजी ने उनके सहारे से अथवा उनकी ओट में उन मुसलमानों की तरह अपना उल्लू सीधा करना चाहा है जिन्होंने भारत पर आक्रमण करते समय गोंधों के एक समूह को अपनी सेना के आगे कर दिया था। और जिस प्रकार गोहत्या के मय से विन्दुओं

ने उनपर आक्रमण नहीं किया उसी प्रकार शायद आर्थिकाओं की अवहेलना का कुछ खयाल करके उन जैन विद्वानों ने जिनके परिचय में यह ग्रंथ अबतक आता रहा है इसका जैसा चाहिये वैसा विरोध नहीं किया। परंतु आर्थिकाक्य और आर्थिकाक्यों के अनुकूल कहेगये दूसरे प्रतिष्ठित विद्वानों के बाक्य अपने अपने स्थान पर माननीय तथा पूजनीय हैं; भट्टारकजी ने उन्हें यहाँ जैनधर्म, जैनसिद्धान्त, जैननीति तथा जैनशिष्टाचार आदि से विरोध रखने वाले और जैनादर्श से गिरे हुए कथनों के साथ में गूँथ कर अथवा मिलाकर उनका दुरुपयोग किया है और इस तरह पर समूचे ग्रंथ को विषमित्रित भोजन के समान बना दिया है, जो त्वाग किये जाने के योग्य है। विषमित्रित भोजन का विरोध जिस प्रकार भोजन का विरोध नहीं कहलाता उसी तरह पर इस त्रिवर्णाचार के विरोध को भी आर्थिकाक्यों अथवा जैनशास्त्रों का विरोध या उनकी कोई अवहेलना नहीं कहा जा सकता। जो लोग भ्रमवश अभीतक इस ग्रंथ को किसी और ही रूप में देख रहे थे—जैन शास्त्र के नाम की मुहर लगी होने से इसे साक्षात् जैनवाणी अथवा जैनवाणी के तुल्य समझ रहे थे और इसलिये इसकी प्रकट विरोधी बातों के लिये भी अपनी समझ में न आने वाले अविरोध की कल्पनाएँ करके शान्त होते थे—उन्हें अपने उस अज्ञान पर अब ज़रूर खेद होगा, वे भविष्य में बहुत कुछ सतर्क तथा सावधान हो जायेंगे और योही इन त्रिवर्णाचार जैसे भट्टारकीय ग्रंथों के आगे सिर नहीं मुकाएँगे। बास्तव में, यह सब ऐसे ग्रंथों का ही प्रताप है जो जैन-समाज अपने आदर्श से गिरकर विलकुल ही अनुदार, अन्धअद्वालु तथा संकीर्णहृदय बनगया है, उसमें अनेक प्रकार के मिथ्यात्वादि कुसंस्कारों ने अपना घर बना लिया है और वह बुरी तरह से कुरीतियों के जाल में

**फँसा हुआ है।** साथ ही, उसके व्यक्तियों में आम, तौर, पर, हूँढ़ने पर भी जैनत्व का कोई खास लक्षण दिखलाइ नहीं पड़ता। इन सब नुटियों को दूरकरके अपना उद्धार करने के लिये समाज को ऐसे विकृत तथा दृष्टिन साहित्य से अपने व्यक्तियों को सुरक्षित रखना होगा और ऐसे जाली, ढोगी तथा कपटी प्रथों का सबल विरोध करके उनके प्रचार को रोकना होगा। साथ ही, विचारस्वातंत्र्य को उत्तेजन देना होगा, जिससे सत्य असत्य, योग्य अयोग्य और हेयादेय की खुली जाँच हो सके और उसके द्वारा समाज के व्यक्तियों की साम्प्रदायिक मोहमुग्धता तथा अनधी अद्वा दूर होकर उन्हें यथार्थ वस्तुस्थिति के परिज्ञान-द्वारा अपने विकाश का ठीक मार्ग सूझ पड़े और उसपर चलने का यथेष्ट साहस भी बन सके। इन्ही सदुदेश्यों को लेकर इस परीक्षा के लिये इतना परिश्रम किया गया है। आशा है इस परीक्षा से बहुतों का अज्ञान दूर होगा, भट्टारकीय साहित्य के किनने ही विषयों पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा और उससे जैन अजैन सभी भाई लाभ उठाएंगे।

अन्त में सत्य के उपासक सभी जैन विद्वानों से मेरा सादर निवेदन है कि वे लेखकों इस सम्पूर्ण कथन तथा विवेचन की यथेष्ट जाँच करें और साथ ही भट्टारकजी के इस ग्रंथ पर अब अपने खुले विचार प्रकट करने की कृपा करें। यदि परीक्षा से उन्हें भी यह ग्रंथ ऐसा ही निकृष्ट तथा हीन जँचे तो समाजहित की दृष्टि से उनका यह ज़रूर कर्तव्य होना चाहिये कि वे इसके विरुद्ध अपनी आवाज लठाएँ और समाज में इसके विरोध को उत्तेजित करें, जिससे धूतोंकी की हुर्दे जैनशासन की यह मलिनता दूर हो सके। इत्यत्तम्।

## धर्मपरीक्षाकी परीक्षा ।

कृत्वा कृनी पूर्वकृता पुरस्तात्प्रस्यादर ता पुनरीक्षमाण ।  
तथैव जलपेत्य योन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च ॥

—सोमदेव ।

श्रेताम्बर जैनसम्प्रदायमें, श्रीधर्मसागर महोपाध्यायके शिष्य पश्च-सागर गणीवा बनाया हुआ 'धर्मपरीक्षा' नामका एक स्त्रृकृत प्रय है, जिसे, कुछ समय हुआ, सेठ दबचदलालमाईके जैनपुस्तकोद्धार फड बर्मर्डने छुपाकर प्रकाशित भी किया है । यह प्रथ सबत् १६४५ का बना हुआ है । जैसा कि इसके अन्तमें दिये हुए निम्नपथसे प्रकट है —

तद्राज्ये विजयिन्यतन्यमतय धीवाचकाश्रेसरा  
धोतन्ते भुवि धर्मसागरमहोपाध्यायशुद्धा धिया ।  
तेषा शिष्यकणेन पंचयुगष्टद्वद्राकिते (१६४५) वत्सरे  
बेलाकृष्णपुरे द्वितेन रचितो ग्रन्थाऽयमानन्दत ॥१४८३॥

दिगम्बर जैनसम्प्रदायमें भी 'धर्मपरीक्षा' नामका एक प्रय है जिसे श्रीमाधवसेनाचार्यके शिष्य अभिलग्नि नामके आचार्यने विक्रमसवत् १०७० में बनाकर समाप्त किया है । यह प्रथ भी छुपकर प्रकाशित हो जुका है । इस प्रथका रचना-सबत् सूचक अन्तिम पथ इसप्रकार है:—

संवत्सराणां विगते लहजे, सप्तसप्ततौ (१०७०) विक्रमपार्धिवस्य ।  
इदं निविद्यास्यमतं समाप्तं, जिनेन्द्रधर्माभिलयुक्तिशास्त्रम् ॥ २० ॥

इन दोनों प्रथोंका प्रतिपाद्य विषय ग्राय एक है । दोनोंमें 'मनोवेद' और 'पञ्चवेद' की प्रधान कथा और उसके अतीर्त अन्य अनेक उप-कथाओंका समाव रूपसे बर्णन पाया जाता है; बहिक एकका समाहित दूसरे

के साहित्यसे यहाँतक पिलता जुलता है। कि एकको दूसरकी नकल कहना कुछ भी अनुचित न होगा। श्रेताम्बर 'धर्मपरीक्षा' जो इस लेखका परीक्षा विषय है, दिगम्बर 'धर्मपरीक्षा' से ५७५ वर्ष बादकी बनी हुई है। इसलिए यह कहनेमें कुछ भी सकोच नहीं हो सकता कि पश्चिमागर गणीने अपनी धर्मपरीक्षा अमितगतिकी 'धर्मपरीक्षा' परसे ही बनाई है और वह प्रायः उपकी नकल मात्र है। इस नकलमें पश्चिमागर गणीने अमितगतिके आशय, दंग ( शैली ) और भावोंकी ही नकल नहीं की, बल्कि उसके अधिकांश पद्धोंकी प्रायः अक्षरश नकल कर डाली है और उस सबको अपनी कृति बनाया है, जिसका खुलासा इस प्रकार है:—

पश्चिमागर गणीकी धर्मपरीक्षामें पद्धोंकी संख्या कुल १४८४ है। इनमेंसे चार पद्य प्रशास्तिके और छह पद्य मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञाके निकालकर शेष १४७४ पद्धोंमेंसे १२६० पद्य ऐसे हैं, जो अमितगति की धर्मपरीक्षासे ज्योंके ल्यों उठाकर रखवे गये हैं। बाकी रहे २१४४ पद्य, वे सब अमितगतिके पद्धों परसे कुछ परिवर्तन करके बनाये गये हैं। परिवर्तन प्रायः छुदोभेदकी विशेषताको लिये हुए है। अमितगति की धर्मपरीक्षाका पहला परिच्छेद और शेष १६ परिच्छेदोंके अन्तके कुछ कुछ पद्य अनुष्टुप् छन्दमें न होकर दूसरेही छन्दोंमें रखे गये हैं। पश्चिमागर गणीने उनमेंसे जिन जिन पद्धोंको लेना उचित समझा है, उन्हें अनुष्टुप् छन्दमें बदलकर रख दिया है, और इस तरहपर अपने ग्रन्थमें अनुष्टुप् छन्दोंकी एक लम्बी धारा बहाई है। इस धारामें आपने परिच्छेद-भेदको भी बहा दिया है। अर्थात्, अपने ग्रन्थको परिच्छेदों या अध्यायोंमें विस्तृत न करके उसे बिना हॉलिटिंग स्टेशन बाली एक लम्बी और सीधी सड़कके रूपमें बना दिया है!! परन्तु अन्तमें पाँच पद्धोंको, उनकी रचनापर मोहित होकर अपवा उन्हें सहजमें अनुष्टुप् छन्दका रूप न देसकते आदि किसी कारणविशेषसे, ज्योंका ल्यो भिन्न

निज कुदोंमें भी रहने दिया है; जिससे अन्तमें जाकर प्रथका अनुष्ठुप्-  
छंडी नियम मंग हो गया है। अस्तु; इन पाँचों पदोंमें से पहला पद  
नमूने के तौरपर इस प्रकार है:—

इतं व्रतं द्वादशभेदभिङ्गं, यः आवकीयं जिननाथहृष्टम् ।

करोति संसारनिपातभीतः प्रयाति कल्याणमसो समस्तम् ॥१५७६॥

यह पद अमितगति-परीक्षाके १६ वें परिच्छेदमें न० ८७ पर  
दर्ज है। इस पदके बाद एक पद और इसी परिच्छेदका देकर तीन पद  
२० वें परिच्छेदसे उठाकर रखे गये हैं, जिनके नम्बर उक्त परिच्छेदमें  
क्रमशः ८७, ८८ और ८९ दिये हैं। इस २० वें परिच्छेदके शेष सम्पूर्ण  
पदोंको, जिनमें धर्मके अनेक नियमोंका निरूपण था, प्रथकर्ताने छोड़  
दिया है। इसी प्रकार दूसरे परिच्छेदोंसे भी कुछ कुछ पद छोड़े गये हैं,  
जिनमें किसी विषयका विशेष वर्णन था। अमितगति धर्मपरीक्षाकी  
पदसंख्या कुल १६४१ है जिनमें २० पदोंकी प्रशस्ति भी शामिल है,  
और पदासागर-धर्मपरीक्षाकी पदसंख्या प्रशस्तिसे अलग १४८० है;  
जैसा कि ऊपर जाहिर किया जातुका है। इसलिए सम्पूर्ण छोड़े हुए पदोंकी  
संख्या जगभग ४४० समझनी चाहिए। इस तरह जगभग ४४०  
पदोंको निकालकर, २१४ पदोंमें कुछ छंदादिकका परि-  
वर्तन करके और शेष १२६० पदोंकी ज्योंकी त्यों नक्कल  
उतारकर ग्रंथकर्ता श्रीपदासागर गणीने इस 'धर्मपरीक्षा'  
को अपनी कृति बनानेका पुण्य सम्पादन किया है। जो जोग  
दूसरोंकी कृतिको अपनी कृति बनाने रूप पुण्य सम्पादन करते हैं उनसे यह  
आशा रखना तो व्यर्थ है कि वे उस कृतिके मूलकर्ता का आदरपूर्वक स्मरण  
करेंगे, प्रत्युत उनसे जहाँतक बन पहता है, वे उस कृतिके मूलकर्ता का नाम  
छुपाने या मिटानेकी ही चेष्टा किया करते हैं ! ऐसा ही यहाँपर पदासागर  
गणीने भी किया है। अमितगतिका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना तो दूर

रहा, अपने अपनी शक्तिभर यहाँ तक चेटाकी है कि ग्रंथमरमें अमितगतिको नाम तक न रहने पावे और न दूसरा कोई ऐसा शब्द ही रहने पावे जिससे यह ग्रंथ स्थान स्थान से किसी दिग्म्बर जैनकी कृति समझ लिया जाय। उदाहरण के तौरपर यहाँ इसके कुछ नमूने दिखलाये जाते हैं:—

१-श्रुत्वा वाचमशेषकल्पयमुवां साधोर्युक्षाशंसितो  
मृत्वा केवलिपादपंकजयुगं मर्त्यामरेन्द्रार्चितम् ।  
आत्मानं पतरक्षमभूयितमस्त्वै चक्रे विशुद्धाशयो ॥  
भव्यः प्राप्य यतेर्गिरोऽमितगतेव्यर्थाः कथं कुर्याते ॥१०१॥

यह पद्य अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके १०२ वें परिच्छेदका अन्तिम पद्य है। इसमें मुनिमहाराजका उपदेश सुनकर पवनबेगके आवक्रत धारण करनेका उल्लेख करते हुए, चौपे चरणमें लिखा है कि ‘भव्यपुरुष अपरिमित ज्ञानके धारक मुनिके उपदेशको पाकर उसे व्यर्थ कैसे कर सकते हैं।’ साथ ही, इस चरणमें अमितगतिने अन्यपरिच्छेदोंके अन्तिम पद्योंके समान युक्तिपूर्वक गुप्तरीतिसे अपना नाम भी दिया है। पद्यसागर गणोंको अमितगतिका यह गुप्त नाम भी असह्य हुआ और इसलिए उन्होंने अपनी धर्मपरीक्षामें, इस पद्यको नं० १४७७ पर ज्योंका त्वं उद्धृत करते हुए, इसके अन्तिम चरणको निम्न प्रकारसे बदल दिया है:—

“मित्रादुत्तमतो न किं भुवि नरं प्राप्नोति सद्गृह्णत्वाहो ।”

इस तबदीलीसे प्रकट है कि यह केवल अमितगतिका नाम मिटानेकी गतिसे ही की गई है। अन्यथा, इस परिवर्तनकी यहाँपर कुछ भी नकूरत न पी।

२-स्वक्षाहान्तरप्रयो निःक्षायो जितेद्रियः ।

परीषहसहः साधुज्ञोत्तरपूर्वरो भवः ॥१०—७६॥

इस पद्यमें अमितगतिने साधुका जवाह ‘जातरूपधरः’ अर्थात् नगदिग्म्बर बतलाया है। साधुका जवाह नगदिग्म्बर प्रतिपादन करनेसे कहाँ दिग्म्बर जैनधर्मको प्रवानता मास न हो जाय, अफला यह ग्रंथ

किसी दिग्म्बर जैनकी कृति न समझ लिया जाय, इस भयसे गङ्गीजी  
महाराजने इस पथकी जो कायापलट की है वह इस प्रकार है:—

त्वक्तव्याहान्तरो प्रयो निक्षियो विजितेऽद्रियः ।

परीष्वसदः साधुभवाभ्योनिधितारकः ॥१३७६॥

वहाँ 'जातरूपधरो मतः' के स्थानमें 'भवाभ्योनिधि-  
तारकः' (संसरसमुद्रसे पार करनेवाला ) ऐसा परिवर्तन किया गया  
है । साथ ही, 'निःकषायः' की जगह 'नित्किषः' मी बनाया  
गया है, जिसका कोई दूसरा ही रहस्य होगा ।

३-कन्ये नन्दासुनन्दाच्ये कच्छस्य नृपतेर्वृष्टा ।

जिनेन योजयामास नीतिकीर्तीं इवामके ॥१८—१९॥

दिग्म्बरसम्प्रदायमें, ऋषभदेवका विवाह राजा कच्छकी नन्दा और  
सुनन्दा नामकी दो कन्याओंके साथ होना माना जाता है । इसी बातको  
लेकर अमितगतिने उसका ऊपरके पथमें उल्लेख किया है । परन्तु रवेताम्बर-  
सम्प्रदायमें, ऋषभदेवकी छियोंके नामोंमें कुछ भेद करते हुए, दोनों ही  
छियोंको राजा कच्छकी पुत्रियाँ नहीं माना है । बल्कि सुमगळाको स्वयं  
ऋषभदेवके साथ उत्पन्न हुई उनकी सभी बहन बतलाया और सुनन्दाको  
एक दूसरे युगलियेकी बहन बतान किया है जो अपनी बहनके साथ  
खेलता हुआ अचानक बाल्यावस्थामें ही मर गया था । इसलिए पश्चामागरजी  
ने अमितगतिके उक्त पथको बदलकर उसे नीचेका रूप देदिया है, जिससे  
यह प्रथं दिग्म्बर प्रथं न समका जाकर रवेताम्बर समझ लिया जाय:—

सुमंगलासुनन्दाच्ये कन्ये सह-पुरन्दरः ।

जिनेन योजयामास नीतिकीर्तीं इवामके ॥१३७७॥

इस प्रकार, यद्यपि प्रथकर्ता महाशयने अमितगतिकी कृतिपर अपना  
कर्तृत्व और स्वामित्व स्थापित करने और उसे एक रवेताम्बर प्रथं बनानेके  
लिए बहुत कुछ अनुचित चेष्टाएँ की हैं, परन्तु लोभी वे इस (धर्मपरीक्षा)

प्रथ को यूर्णितया श्वेताम्बर प्रथ नहीं बना सके। अद्विक अनेक पथोंको निकाल ढालने, परिवर्तित कर देने तथा उपोका त्यों कायम रखनेकी बजहसे उनकी यह रचना कुछ ऐसी विलक्षण और दोषपूर्ण होगई है, जिससे ग्रन्थकी चोरीका सारा भेद खुल जाता है। साथही, प्रथकर्ता की योग्यता और उनके दिगम्बर तथा श्वेताम्बर धर्मसम्बन्धी परिज्ञान आदिका भी अच्छा परिचय मिल जाता है। पाठकोंके सन्तोषार्थ यहाँ इन्हीं सब वारोंका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है:—

( १ ) अभितगति—धर्मपरीक्षाके पाँचवें परिच्छेदमें, 'वक्र' नामके द्विष्ट पुरुष सी कथाका वर्णन करते हुए, एक स्थान पर लिखा है—जिस समय 'वक्र' मरणासन हुआ तब उसने, अपने 'स्कंद' नामक शत्रुका समूल नाश करनेके लिए पुत्रपर अपनी आन्तरिक इच्छा प्रकटकी और उसे यह उपाय बतलाया कि 'जिस समय मैं मर जाऊँ उस समय तुम मुझे मेरे शत्रुके खेतमें ले जाकर लकड़ीके सहारे खड़ा कर देना। साथही, अपने समस्त गाय, भैंस तथा घोड़ोंके समूहको उसके खेतमें छोड़ देना, जिससे वे उसके समस्त धान्यका नाश कर देवे। और तुम किसी वृक्ष या घासकी ओटमें मेरे पास बैठकर स्कंदके आगमनकी प्रतीक्षा करते रहना। जिस वक्र वह कोधमें आकर मुझपर प्रहार करे तब तुम सब लोगोंको दुनानेके लिए जोरसे चिङ्गा उठना और कहना कि स्कंदने मेरे पिताको मार डाला है। ऐसा करनेपर राजा स्कंदद्वारा मुझे मरा जान कर स्कंदको दण्ड देगा, जिससे वह पुत्रसहित मर जायगा।' इस प्रकरण के तीन पथ इस प्रकार हैं:—

एवं यथा क्षयमेति समूलं कंचन कर्म तथा कुरु वस्त्रः ।

येन वसामि चिरं सुरक्षाके हृष्टमना कमनीयशरीरः ॥ ८८ ॥

क्षेत्रमसुन्ध विनीय मृतं मां यथिनिवस्तुतनुं सुत कृत्वा ।

गौमहिषीहयकून्दमण्डं शस्यसमूहविनाशिष्य विसुंच ॥ ८९ ॥

शुक्रद्वाषान्तरितो मम तीरे सिंहि चितुमागतिमस्य ।

कोपपरेण कृते मम धाते पूत्कुरु सर्वजनभवत्याय ॥ ६० ॥

इन तीनों पथोंके स्थानमें पश्चासागर गणीने अपनी धर्मपरीक्षामें  
निम्नलिखित दो पथ अनुष्टुप् छन्दमें दिये हैं:—

समूलं क्षयमेत्येष यथा कर्म तथा कुरु ।

बसामि यत्स्फुरद्देह स्वर्गे हृष्टमना सुखम् ॥ २८३ ॥

वृक्षाद्यन्तरितस्तिष्ठ त्वयस्यागतिमीचितुम् ।

आयाते उसिन्मृतं हत्वा मां पूत्कुरु जनश्रुतेः ॥ २८४ ॥

इन पथोंका अमितगतिके पथोंके साथ मिलान करनेपर पाठकोंको  
सहजमें ही यह मालूम हो जायगा कि दोनों पथ क्रमशः अमितगतिके  
पथ न० ८८ और ८० परसे कुछ छील छालकर बनाये गये हैं और  
इनमें अमितगतिके शब्दोंकी प्राय नकल पाई जाती है। परन्तु साथही  
उन्हें यह जाननेमें भी विलम्ब न होगा कि अमितगतिके पथ न० ८८  
को पश्चासागरजीने विलकुल ही छोड़ दिया है—उसके स्थानमें कोई दूसरा  
पथ भी बनाकर नहीं रखा। इसलिए उनका पथ न० २८४ वहाँ ही  
विचित्र मालूम होता है। उसमें उस उपायके सिर्फ उत्तरार्धका कथन है,  
जो वकने मरने समय अपने पुत्रको बतलाया था। उपायका पूर्वार्ध न होनेसे  
यह पथ इतना असम्भव हो जायगा होगया है कि प्रकृत कथनसे  
उसकी कुछ भी समाप्ति नहीं बैठती। इसी प्रकारके पथ और भी अनेक  
स्थानोंपर पाये जानेहैं, जिनके पहलेके कुछ पथ छोड़ दिये गये हैं और  
इसलिये वे परकटे हुए कबूलरकी समान लँझूरे मालूम होते हैं।

(२) अमितगतिने अपनी धर्मपरीक्षाके १५ वें परिच्छेदमें, 'युक्तिसो  
घटने यज्ञ' इत्यादि पथ न० ४७ के बाद, जिसे पश्चासागरजीने भी अपने  
अंगमें न० १०८६ पर उयोंका ल्यों डदृश्यत किया है, नीचे लिखे दो पथों-  
द्वारा एक भीके पच मर्त्तार होनेको अति निष कर्म ठहराया है; और इस तरह

पर द्रौपदीके पंचपति होनेका निवेद किया है । वे दोनों पथ इस प्रकार हैं:—

सम्बन्धा मुवि विद्यन्ते सर्वे सर्वस्य भूरिशः ।

भर्तुणां क्षापि पंचानां तैक्या भार्यया पुनः ॥४३॥

सर्वे सर्वेषु कुर्वन्ति संविमाणं महाधियः ।

महिलासंविमागस्तु निन्द्यानामपि निन्दितः ॥४४॥

पश्चासागरजीने यद्यपि इन पथोंसे पहले और पाँछेके बहुतसे पथोंकी एकदम उयोंकी त्यों नक़ल कर डाली है, तो भी आपने इन दोनों पथोंको अपनी धर्मपरीक्षामें स्थान नहीं दिया । क्योंकि श्रेताम्बर सम्प्रदायमें, हिन्दुओंकी तरह, द्रौपदीके पंचभर्तार ही माने जाते हैं । पाँचों पाँडवोंके गलमें द्रौपदीने बरमाला डाली थी और उन्हें अपना पति बनाया था, ऐसा कथन श्रेताम्बरोंके 'त्रिशाष्टिशताकापुष्टवर्चरित' आदि अनेक प्रथामें पाया जाता है । उक्त दोनों पथोंको स्थान देनेसे यह प्रथ कहीं श्रेताम्बर-धर्मके अहंतेसे बाहर न निकल जाय, इसी भयसे शायद गणीजी महाराजने उन्हें स्थान देनेका साहस नहीं किया । परन्तु पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गणीजीने अपने प्रथमें उस ल्लोकका ज्योंका त्यों रहने दिया है जो आक्षेपके रूपमें ब्राह्मणोंके सम्मुख उपस्थित किया गया था और जिसका प्रतिबाद करनेके बिए ही अमितगति आचार्यको उक्त दोनों पथोंके जिखनेकी ज़रूरत पड़ी थी । वह ल्लोक यह है:—

द्रौपदाः पंच भर्तारः कर्त्यन्ते यज्ञ पाराङ्वाः ।

जनन्यास्तनव को दोषस्तन भर्तुद्वये सति ॥ ६७६ ॥

इस ल्लोकमें द्रौपदीके पंचभर्तार होनेकी बात कटाक्ष रूपसे कही गई है । जिसका आगे प्रतिबाद होनेकी ज़रूरत थी और जिसे गणीजीने नहीं किया । वहि गणीजीको एक छोंके अनेक पति होना अनिष्ट न था तब आपको अपने प्रथमें यह ल्लोक भी रखना उचित न था और न इस विषयकी कोई चर्चा ही आकानेकी ज़रूरत थी । परन्तु आपने ऐसा न करके अपनी

धर्मपरीक्षामें उक्त क्लोक और उसके सम्बन्धकी दूसरी चर्चाको, जिना किसी प्रतिवादके, ज्योंका त्यों स्थिर रखता है; इस लिए कहना पड़ता है कि आपने ऐसा करके निःसन्देह भारी भूल की है। और इससे आपकी योग्यता तथा विचारशीलताका भी बहुत कुछ परिचय मिल जाता है।

( ३ ) शेताम्बरी धर्मपरीक्षामें, एक स्थानपर, ये तीन पद दिये हैं:—

विलोक्य वेगतः स्वर्या क्रमस्योपरि मे कमः ।

मझो मुशालमादाय दत्तनिष्ठुरघातया ॥ ५१५ ॥

अयैतयोर्महाराटिः प्रवृत्ता दुर्निवारणा ।

लोकानां प्रेक्षणीभूता राक्षस्योरिव रुष्योः ॥ ५१६ ॥

अरे ! रक्षतु ते पादं त्वदीया जननी स्वयम् ।

रुष्यस्यां निगच्छेति पादो भज्ञो द्वितीयकः ॥ ५१७ ॥

इन पदोंमेंसे पहला पद ज्योंका त्यों वही है जो दिगम्बरी धर्मपरीक्षाके ९वें परिच्छेदमें नं० २७ पर दर्ज है। दूसरे पदमें सिर्फ़ ‘इत्थं तयोः’ के स्थानमें ‘अथैतयोः’ का और तीसरे पदमें ‘बोडे’ के स्थानमें ‘अरे’ और ‘रुष्यस्यां’ के स्थानमें ‘रुष्यस्यां’ का परिवर्तन किया गया है। पिछले दोनों पद दिगम्बरी धर्मपरीक्षाके उक्त परिच्छेदमें कमशः नं० ३२ और ३३ पर दर्ज हैं। इन दोनों पदोंसे पहले अभिगतिने जो चार पद और दिये थे और जिनमें ‘ऋक्षी’ तथा ‘खरी’ नामकी दोनों लियोंके बाग्युदका वर्णन था उन्हें पट्टसागरजीने अपनी धर्मपरीक्षासे निकाल दिया है। अस्तु, और सब बातोंको छोड़कर, यहाँ पाठकोका ध्यान उस परिवर्तनकी ओर आकर्षित किया जाता है जो ‘रुष्यस्यां’के स्थानमें ‘रुष्यस्यां’ बनाकर किया गया है। यह परिवर्तन वास्तवमें बड़ा ही विलक्षण है। इसके द्वारा यह विनित्र अर्थ घटित किया गया है कि जिस खरी नामकी झीने पहले ऋक्षीके उपास्य चरणको तोड़ डाला था उसीने ऋक्षीको यह चैलेंज देते हुए कि ‘के ! अब तू और तेरी मा अपने चरणकी रक्षा कर’ स्वयं अपने उपास्य कुर्से चरणको भी तोड़ डाला। परन्तु खरीको अपने उपास्य चरण पर कोध आने और उसे तोड़ डालनेकी कोई बहान न थी। यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो उक्त चैलेंजमें जो कुछ कहा गया है वह सब व्यर्थ पढ़ता है। क्योंकि जब खरी ऋक्षीके उपास्य चरणको पहले ही तोड़ जुकी थी, तब उसका ऋक्षीसे यह कहना कि ‘के ! अब तू अपने चरणकी रक्षा कर मैं उस पर आक्रमण करती हूँ’ विलक्षण ही भहा और असमंजस मालूम होता है। वास्तवमें, दूसरा चरण ऋक्षीके द्वारा, अपना बदला चुकानेके लिए, तोड़ा गया था और उसीने खरीको लुकार कर उपर्युक्त बाक्य कहा था। ग्रंथकर्ताने इसपर कुछ भी व्याख्या न देकर जिना सोचे समझे वैसे ही परिवर्तन कर डाला है, जो बहुत ही भहा मालूम होता है।

( ४ ) अमितगति-धर्मपरीक्षाके छठे परिच्छेदमें, ‘यज्ञा’ ब्राह्मणी और उसके जारपति ‘बटुक’ का उल्लेख करते हुए, एक पथ इस प्रकारसे दिया है—

प्रयेदे स वचस्तस्या निःशेषं हृष्टमानसः ।

जायन्ते नेहशो कार्ये दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ ४४ ॥

इस पथमें लिया है कि ‘उस कामी बटुकने यज्ञाकी आज्ञाको ( जो अपने निकल भागनेका उपाय करनेके लिए दो मुद्दे लानेके विषयमें थी ) बड़ी प्रसन्नताके साथ पालन किया; सच है कामी पुरुष ऐसे कार्यमें दुष्प्रबोध नहीं होते । अर्थात्, वे अपने कामकी बातको कठिनतासे समझनेवाले न होकर शीघ्र समझ लेते हैं । पथ-सागरजीने यही पथ अपनी धर्मपरीक्षामें न० ३१५ पर दिया है परन्तु साथ ही इसके उत्तरार्थको निम्न प्रकारसे बदलकर रखा है —

“ न जाता तस्य शंकापि दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ ”

इस परिवर्तनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ‘ उस बटुकको उक्त आज्ञाके पालनमें शका भी नहीं हुई, सच है कामी लोग कठिनतासे समझनेवाले होते हैं ’ । परन्तु बटुकने तो यज्ञाकी आज्ञाको पूरी तारसे समझकर उसे बिना किसी शकाके प्रसन्नताके साथ शीघ्र पालन किया है तब वह कठिनतासे समझनेवाला ‘ दुष्प्रबोध ’ क्यों ? यह बात बहुत ही खटकनेवाली है; और इस लिए ऊपरका परिवर्तन बवा ही बेठना मालूम होता है । नहीं मालूम व्यक्तिने इस परिवर्तनको करके पथमें कौनसी खबी पैदा की और क्या लाभ उठाया ! इस प्रकारके व्यर्थ परिवर्तन और भी अनेक स्थानोंपर पाए जाते हैं जिनसे व्यक्तिकी योग्यता और व्यर्थोच्चरणका अच्छा परिचय मिलता है ।

### अवेताम्बरशास्त्र-विरुद्ध कथन ।

( ५ ) पश्चासागर गणीने, अमितगतिके पश्चोकी ज्योंकी त्यों नकल करते हुए, एक स्थान पर ये दो पथ दिये हैं—

क्षुधा तुष्णा भयद्वेषौ रागो मोहो मदो गदः ।

चिन्ता जन्म जरा मृत्युर्विषादो विस्मयो रतिः ॥ ८९२ ॥

खेदः स्वेदस्तथा निद्रा दोषाः सावारणा इमे ।

अष्टावद्शापि विद्यन्ते सर्वेषां दुःखहेतवः ॥ ८९३ ॥

इन पथोंमें उन १८ दोषोंका नामोलेख है, जिनसे दिगम्बर लोग अहंतदेवोंको रहित भानते हैं । उक्त दोषोंका, २१ पथोंमें, कुछ विवरण देकर फिर ये दो पथ और दिये हैं—

एतैर्ये पीडिता दोषैस्तैर्मुच्यन्ते कथं परे ।

स्तिहानां हतनागानां न खेदोस्ति मृगक्षये ॥ ९१५ ॥

सर्वे रागिणि विद्यन्ते दोषा नात्रास्ति संशयः ।

ऋषिणीव सदा द्रव्ये गन्धस्पर्शरसादयः ॥ ९१६ ॥

इन पद्योंमें लिखा है कि ' जो देव इन क्षुधादिक दोषोंसे पीछित है, वे दूसरोंको दुःखोंसे मुक्त कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि हाथियोंको मारनेवाले सिंहोंको मृगोंके मारनेमें कुछ भी कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यमें स्वर्ण, रस और गधादिक गुण हमेशा पाए जाते हैं, उसी प्रकार ये सब दोष भी राणी देवोंमें पाए जाते हैं । ' इसके बाद एक पद्यमें ब्रह्मादिक देवताओं पर कुछ आझेप करके गणीजी लिखते हैं कि सूर्यसे अधिकारके समूहकी तरह जिस देवतासे ये संपूर्ण दोष नष्ट हो गये हैं वही सब देवोंका अधिपति अर्थात् देवाधिदेव है और ससारी जीवोंके पापोंका नाश करनेमें समर्थ है । ' यथा:—

पते नष्टा यतो दोषा भानोरिच तमश्चया: ।

स्त स्वामी सर्वदेवालां पापनिर्दलनक्षमः ॥ ९१८ ॥

इस प्रकार गणीजी महाराजने देवाधिदेव अहंन्त भगवानका १८ दोषोंसे रहित वह स्वरूप प्रतिपादन किया है जो दिगम्बरसम्प्रदायमें माना जाता है । परंतु यह स्वरूप श्वेताम्बरसम्प्रदायके स्वरूपसे विलक्षण मालूम होता है, क्योंकि श्वेताम्बरोंके यहाँ प्रायः दूसरे ही प्रकारके १८ दोष माने गये हैं । जैसा कि मुनि आत्मारामजीके ' तत्त्वादर्थी ' में उल्लिखित नीचे लिखे दो पद्योंसे प्रगट हैं:—

अंतरायदानलाभर्वार्यभोगोपभोगगाः ।

हासो रत्नरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥

कामो मिथ्यात्वमङ्गानं निद्रा च विरतिस्तथा ।

रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाऽप्यमी ॥ २ ॥

इन पद्योंमें दिये हुए १८ दोषोंके नामोंमेंसे रति, भीति ( भय ), निद्रा, राग और द्वेष ये पाँच दोष तो ऐसे हैं जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें समान रूपसे माने गये हैं । शेष दानान्तराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय, उप-भोगान्तराय, हास्य, अरति, जुगुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान और विरति नामके १३ दोष दिगम्बरोंके माने हुए क्षुधा, तृष्णा, मोह, मद, रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मृत्यु, विषाद, विस्मय, खेद और स्वेद नामके दोषोंसे भिन्न हैं । इस लिए गणीजीका उपर्युक्त कथन श्वेताम्बरशास्त्रोंके विवर है । मालूम होता है कि असितगतिधर्मपरीक्षाके १३ वें परिच्छेदसे इन सब पद्योंको ज्योंका त्यो उठाकर रखनेकी धुनमें आपको इस विरुद्धताका कुछ भी भान नहीं हुआ ।

(६) एक स्थानपर, पद्यसागरजी लिखते हैं कि 'कुन्तीसे उत्पन्न हुए पुत्र तपश्चरण करके मोक्ष गये और मद्दीके दोनों पुत्र मोक्षमें न जाकर सर्वार्थसिद्धिको गये ' । यथा:—

कुन्तीशरीरजा: कृत्वा तपो जग्मुः शिवास्पदम् ।

मद्रीशरीरजौ भव्यौ सर्वार्थसिद्धिमीयतुः ॥ १०९५ ॥

यह कथन यद्यपि दिग्म्बरसम्प्रदायकी दृष्टि सत्य है और इसी लिए अमित-गतिने अपने प्रथके १५ वें परिच्छेदमें इसे नं० ५५ पर दिया है। परन्तु श्वेताम्बर-सम्प्रदायकी दृष्टि से यह कथन भी विषद्द है। श्वेताम्बरोंके 'पांडवचरित्र' आदि ग्रंथोंमें 'मद्री'के मुक्त्रोंका भी मोक्ष जाना लिखा है और इस तरह पर पौँछोंही पाण्डवोंके लिए मुक्तिका विधान किया है।

( ७ ) पद्मसागरजीने, अपनी धर्मपरीक्षामें, एक स्थान पर यह पथ दिया है—

चार्वाकदर्शनं कृत्वा भूपौ शुक्रबृहस्पती ।

प्रवृत्तौ स्वेच्छया कर्तुं स्वर्कीयेन्द्रियपोषणम् ॥ १३६५ ॥

इसमें शुक्र और बृहस्पति नामके दो राजाओंको 'चार्वाक' दर्शनका बलानेवाला लिखा है, परन्तु मुनि आरम्भारमजीने, अपने 'तत्त्वादर्शी' प्रथके ४ वें परिच्छेदमें, 'शील-तरंगिणी' नामक किसी श्वेताम्बरशास्त्रके आधार पर, चार्वाक मतकी उत्पत्तिविषयक जो कथा दी है उससे यह मालूम होता है कि चार्वाक मत किसी राजा या क्षत्रिय पुष्टके द्वारा न चलाया जाकर केवल बृहस्पति नामके एक ब्राह्मणद्वारा प्रवार्तित हुआ है, जो अपनी बालविधवा बहनसे भोग करना चाहता था। और इस लिए बहनके हृदयसे पाप तथा लोकलज्जाका भय निकालकर अपनी इच्छा पूर्तिकी गरजसे ही उसने इस मतके सिद्धान्तोंही रचना की थी। इस कथनसे पद्मसागरजीका उपर्युक्त कथन भी श्वेताम्बर शास्त्रोंके विषद्द पढ़ता है।

( ८ ) इस श्वेताम्बर 'धर्मपरीक्षा' में, पथ नं० ७८२ से ७९९ तक, गधेके शिरच्छेदका हसिहास बतलाते हुए, लिखा है कि—

'योष्णाके गर्भसे उत्पन्न हुआ शभु (महादेव) सात्यकिका बेटा था। घोर तपश्चरण करके उसने बहुतसी विद्याओंका स्वामित्व प्राप्त किया था। विद्याओंके वैभवको देखकर वह दसवें वर्षमें अष्ट हो गया। उसने चारित्र (मुनिवर्ग) को छोड़कर विद्याधरोंकी आठ कन्याओंसे विवाह किया। परन्तु वे विद्याधरोंकी आठों ही पुत्रियाँ महादेवके साथ रत्निकमें करनेमें समर्थ न हो सकी और मर गईं। तब महादेवने पार्वतीको रत्निकमें समर्थ समझकर उसकी याचना की और उसके साथ विवाह किया। एक दिन पार्वतीके साथ भोग करते हुए उसकी 'त्रिशूल' विद्या नष्ट हो गई। उसके नष्ट होनेपर वह 'ब्राह्मणी' नामकी दूसरी विद्याको सिद्ध करने लगा। जब वह 'ब्राह्मणी' विद्याकी प्रतिमाको सामने रखकर जप कर रहा था तब उस विद्याने अनेक प्रकारकी विकिया करनी शुरू की। उस विकियाके समय जब महादेवने एक बार उस प्रतिमा पर दृष्टि ढाली तो उसे प्रतिमाके स्थान पर एक चतुर्मुखी मनुष्य दिखलाई पहा, जिसके मस्तक पर गधेका सिर था। उस गधेके सिरको बढ़ता हुआ देखकर उसने शीघ्रताके साथ उसे काट डाला। परन्तु वह तिर महादेवके हाथको चिपट गया, नीचे नहीं निरा। तब ब्राह्मणी विद्या महादेवकी साधनाको व्यर्थ करके चली गई। इसके बाद रात्रिको महादे-

बने श्रीवर्षमानस्वामीको श्मशानभूमिने घानासुड देखकर और उन्हें विद्यारूपी मनुष्य समझकर उन पर उपदेश किया । प्रातःकाल जब उसे यह मालूम हुआ कि वे श्रीवर्षमान जिनेश थे तब उसे अपनी हृति पर बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसने भगवानकी स्तुति की और उनके चरण हूए । चरणोंको हूते ही उसके हाथसे चिपटा हुआ वह गधेका सिर गिर पड़ा ।

यह सब कथन इवेताम्बर शास्त्रोंके विलकुल विरुद्ध है । इवेताम्बरोंके 'आवश्यक' सूत्रमें महादेवकी जो कथा लिखी है और जिसको मुनि आत्मारामजीने अपने 'तत्त्वाद्देश' नामक प्रश्नके १२ वें परिच्छेदमें उद्धृत किया है उससे यह सब कथन विलकुल ही विलक्षण मालूम होता है । उसमें महादेव ( महेश्वर ) के पिताका नाम 'सात्यकि' न बतलाकर स्वयं महादेवका ही असली नाम 'सात्यकि' प्रगट किया है और पिताका नाम 'पेढाल' परिवाजक बतलाया है । लिखा है कि, 'पेढालने अपनी विद्याओंका दान करनेके लिए किसी ब्रह्मचारीनिसे एक पुत्र उत्पन्न करनेकी जरूरत समझकर 'ज्येष्ठा' नामकी साक्षीसे व्यभिचार किया और उससे सात्यकि नामके महादेव पुत्रको उत्पन्न करके उसे अपनी संपूर्ण विद्याओंका दान कर दिया । साथ ही, यह भी लिखा है कि 'वह सात्यकि नामका महेश्वर महावीर भगवानका अविरतसम्यग्वहिं श्रावक था' । इस लिए उसने किसी चारिक्रका पालन किया, मुनिदीक्षा ली, घोर तपश्चरण किया और उससे ऋषि हुआ, इत्यादि बातोंका उसके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है । महादेवने विद्याधरोंकी आठ कन्याओंसे विवाह किया, वे मर गईं, तब पार्वतीसे विवाह किया, पार्वतीसे भोग करते समय त्रिशूल विद्या नष्ट हो गईं, उसके स्थानमें ब्राह्मणी विद्याको चिन्द करनेकी चेष्टा की गईं, विद्याकी विकिया, गधेके सिरका हाथके चिपट जाना और, फिर उसका वर्षमान स्वामीके चरण हूने पर हूटना, इन सब बातोंका भी वहाँ कोई उल्लेख नहीं है । इनके स्थानमें लिखा है कि 'महादेव बड़ा कामी और व्यभिचारी था, वह अपनी विद्याके बलसे जिस किसीकी कन्या या छीसे चाहता था विषय-सेवन कर डेना था, लोग उसकी विद्याके भयसे कुछ बोल नहीं सकते थे, जो कोई थोलता था उसे वह मार डालता था,' इत्यादि । अन्तमें यह भी लिखा है कि 'उमा ( पार्वती ) एक वेस्या थी, महादेव उस पर मोहित होकर उसीके घर रहने लगा था । और 'चद्रप्रयोत' नामके राजाने, उमासे मिलकर और उसके द्वारा यह भेद मालूम करके कि भोग करते समय महादेवकी समस्त विद्याएँ उससे अलग हो जाती हैं, महादेवको उमासहित भोग-भग्नावस्थामें अपने सुभट्टों द्वारा मरवा डाला था और इस तरह पर नगरका उपदेश वूरु किया था' । इसके बाद महादेवकी उसी भोगवस्थाकी पूजा प्रचलित होनेका कारण बतलाया है । इससे पाठक भक्त प्रकार समझ सकते हैं कि वप्सागरजी गणीका उपर्युक्त कथन इवेताम्बर शास्त्रोंके इस कथनसे कितना विलक्षण और विभिन्न है और वे कहाँ तक इस घर्मपरीक्षाको इवेताम्बरस्त्रका रूप देनेमें समर्थ हो सके हैं । गणीजीने विना सोचे समझे

ही यह सब प्रकरण विगम्बर धर्मपरीक्षाके १२ वें परिच्छेदसे ज्योंका स्तों नकल कर डाला है। सिर्फ एक पश्च नं० ७८४ में 'पूर्वे' के स्थानमें 'चर्वे' का परिवर्तन किया है। अमितगतिने 'दशमे पूर्वे' इस पदके द्वारा महादेवको दशपूर्वका पाठी सूचित किया था। परन्तु गणीजीको अमितगतिके इस प्रकरणकी सिर्फ इतनी ही बात पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने उसे बदल डाला है।

(३) पद्मसागरजी, अपनी धर्मपरीक्षामें, जैनशास्त्रानुसार 'कर्णराज' की उत्पत्तिका वर्णन करते हुए, लिखते हैं कि—

'एक दिन व्यास राजाके पुत्र पाण्डुको बनमें कीड़ा करते हुए किसी विद्याधरकी 'काममुद्रिका' नामकी एक अगृष्टी मिली। शोषी देरमें उस अगृष्टीका स्वामी चित्रांगद नामका विद्याधर अपनी अगृष्टीको हँडता हुआ बहँ आ गया। पाण्डुने उसे उसकी बह अंगृष्टी दे दी। विद्याधर पाण्डुकी इस प्रकार निस्मृहता देखकर बन्धुत्वभावको प्राप्त हो गया और पाण्डुको कुछ विषष्णवित जानकर उसका कारण पूछने लगा। इसपर पाण्डुने कुन्तीसे विवाह करनेकी अपनी उत्कट इच्छा और उसके न मिलनेको अपने विद्याधका कारण बतलाया। यह सुनकर उस विद्याधरने पाण्डुको अपनी बह काममुद्रिका देकर कहा कि इसके द्वारा तुम कामदेवका रूप बनाकर कुन्तीका सेवन करो, पीछे गर्भ रह जानेपर कुन्तीका पिता तुम्हारे ही साथ उसका विवाह कर देगा। पाण्डु काममुद्रिकाको लेकर कुन्तीके घर गया और बराबर सात दिनतक कुन्तीके सात विषयसेवन करके उसने उसे गर्भवती कर दिया। कुन्तीकी माताको जब गर्भका हाल मालूम हुआ तब उसने ग्रुप रूपसे प्रसूति कराई और प्रसव हो जाने पर बालकको एक मंजूषामें बन्द करके गंगामें बहा दिया। गंगामें बहता हुआ वह मंजूषा चंपापुरके राजा 'आदित्य' को मिला, जिसने उस मंजूषामेंसे उक्त बालकको निकालकर उसका नाम 'कर्ण' रखका, और अपने कोई पुत्र न होनेके कारण बड़े ही हृष्ण और प्रेमके साथ उसका पालन पोषण किया। आदित्यके मरने पर वह बालक चंपापुरका राजा हुआ। चूंकि 'आदित्य' नामके राजाने कर्णका पालनपोषण करके उसे वृद्धिको प्राप्त किया था इस लिए कर्ण 'आदित्यज' कहलाता है, वह ज्योतिष्क जातिके सूर्यका पुत्र कदापि नहीं है \*।'

पद्मसागरजीका यह कथन भी श्रेताम्बर शास्त्रोंके प्रतिकूल है। श्रेताम्बरोंके श्रीदेव-विजयगणिविरचित 'पांडवचरित्र'में पाण्डुको राजा 'विवित्रबीर्य' का पुत्र लिखा है और उसे 'मुद्रिका' देनेवाले विद्याधरका नाम 'विशालाक्ष' बतलाया है। साथ ही यह भी लिखा है कि 'वह विद्याधर अपने किसी शत्रुके द्वारा एक वृक्षके नितम्बमें लोहेकी कीलोंसे कीलित था। पाण्डुने उसे देखकर उसके शरीरसे वे

\* यह सब कथन नं० १०५९ से १०६० तकके पश्चोंमें वर्णित है और अमितगतिधर्मपरीक्षाके १५ वें परिच्छेदसे उठाकर रखता गया है।

लोहेकी कीले स्त्रीचकर निकालीं; चदनादिकके लेपसे उसे सचेत किया और उसके धारोंको अपनी मुद्रिकाके रत्नजलसे धोकर अच्छा किया। इस उपकारके बदलेमें विद्याधरने पांडुको, उसकी चिन्ता मालूम करके, अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि, यह अंगूठी स्मरण मात्रसे सब मनोवृच्छित कार्योंको सिद्ध करनेवाली है, इसमें अहशयीकरण आदि अनेक महान् गुण है। पाण्डुने धरपर आकर उस अंगूठीसे प्रार्थना की कि 'हे अंगूठी! मुझे कुन्तीके पास ले चल,' अंगूठीने उसे कुन्तीके पास पहुंचा दिया। उस समय कुन्ती, यह मालूम करके कि उसका विवाह पाण्डुके साथ नहीं होता है, गलेमें फॉसी डालकर भरनेके लिए अपने उपवनमें एक अशोक वृक्षके नीचे लटक रही थी। पाण्डुने वहाँ पहुँचते ही गलेसे उसकी फॉसी काट डाली और कुन्तीके सचेत तथा परिचित हो जानेपर उसके साथ भोग किया। उस एक ही दिनके भोगसे कुन्तीको गर्भ रह गया। बालकका जन्म होने पर धात्रीकी सम्मतिसे कुन्तीने उसे मंजूषामें रखकर गगामें बहा दिया। कुन्तीकी माताको, कुन्तीकी आकृति आदि देखकर, पृछनेपर पीछेसे इस कृत्यकी खबर हुई। वह मंजूषा 'इवेताम्बरि' नामके एक सारथिको मिला, जिसने बालकको उसमेंसे निकालकर उसका नाम 'कर्ण' रखा। चूंकि उस सारथिकी ज्ञानीको, मंजूषा मिलेनेके उसी दिन प्रातः काल, स्वप्नमें आकर सूर्यने यह कहा था कि हे वत्स! आज तुम्हें एक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी। इस लिए सूर्यका दिया हुआ होनेसे बालकका दूसरा नाम सूर्यपुत्र भी रखा गया।

इवेताम्बरीय पांडवचरित्रके इस संपूर्ण कथनसे पथसागरजीके पूर्वोक्त कथनका कहाँ-तक मेल है और वह कितना सिरसे पर तक विलक्षण है, इसे पाठकोंको बतलानेकी ज़रूरत नहीं है। वे एक नजर ढालते ही दोनोंकी विभिन्नता मालूम कर सकते हैं। अस्तु; इरी प्रकारके और भी अनेक कथन इस धर्मपरीक्षामें पाए जाते हैं जो दिगम्बर-शास्त्रोंके अनुकूल तथा इवेताम्बर शास्त्रोंके प्रतिकूल हैं और जिनसे ग्रंथकर्ताओंकी साफ़ चोरी पकड़ी जाती है।

अपरके इन सब विशद्ध कथनोंसे पाठकोंके हृदयोंमें आकृद्यके साथ यह प्रश्न उत्पन्न हुए, जिना नहीं रहेगा कि 'जब गणीजी महाराज एक दिगम्बरभ्रथको इवेताम्बरप्रथ बनानेके लिए प्रस्तुत हुए थे तब आपने इवेताम्बरशास्त्रोंके विरुद्ध इतने अधिक कथनोंको उसमें क्यों रहने दिया? क्यों उन्हें दूसरे कथनोंकी समान, जिनका दिग्दर्शन इस लेखके द्वारामें कराया गया है, जहाँ निकाल दिया था नहीं बदल दिया? उत्तर इस प्रश्नका दीधा सादा गही हो सकता है कि या तो गणीजीकी इवेताम्बरसम्प्रदायके प्रन्थों पर पूरी श्रद्धा नहीं थी, अथवा उन्हें उक्त सम्प्रदायके ग्रन्थोंका अच्छा ज्ञान नहीं था। इन दोनों शास्त्रोंमेंसे पहली बात बहुत कुछ संदिग्ध मालूम होती है और उसपर प्रायः विश्वास मही किया जा सकता। क्योंकि गणीजीकी यह कृति ही उनकी इवेताम्बर-सम्प्रदाय-भक्ति

और सम्प्रदायिक मोहमुग्धताका एक अच्छा नमूना जान पड़ती है और इससे आपकी अद्वितीय बहुत कुछ पता लग जाता है। इस लिये दूसरी बात ही प्रायः सत्य मालूम होती है। इवेताम्बरप्रभ्योंसे अच्छी जानकारी न होनेके कारण ही आपको यह मालूम नहीं हो सका कि उपर्युक्त कथन तथा इन्हींके सदृश और दूसरे अनेक कथन भी इवेताम्बर सम्प्रदायके विषद् हैं; और इस लिए आप उनको निकाल नहीं सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ पद्मसागरजीकी योग्यता और उनका शास्त्रीय ज्ञान बहुत साधारण था। वे इवेताम्बर सम्प्रदायमें अपने आपको विद्वान् प्रतिद्वंद्व करना चाहते थे; और इस लिए उन्होंने एक दूसरे विद्वान्की कृतिको अपनी कृति बनाकर उसे भोले समाजमें प्रचलित किया है। नहीं तो, एक अच्छे विद्वान्की ऐसे जघन्याचरणमें कभी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऐसा करना बड़े ही कलंक और शर्मकी बात होता है। पद्मसागरजीने, यथापि, यह पूरा ही प्रन्थ बुरानेका साहस किया है और इस लिए आप पर कविकी यह उक्ति बहुत ठीक घटित होती है कि 'अखिलप्रबन्धं हत्रैं साहसकर्त्रे नमस्तुभ्यं'; परंतु तो भी आप, शर्मको उतारकर अपने मुँह पर हाथ फेरते हुए, बड़े अभिमानके साथ लिखते हैं कि:—

गणेशनिर्मितां धर्मपरीक्षां कर्तुमिद्यति ।  
माहशोऽपि जनस्तत्र चित्रं तत्कुलसंभवात् ॥ ४ ॥  
यस्तर्भेत्यते हस्तिवरेण स कथं पुनः ।  
कलमेनेति नाशंकथं तत्कुलीनत्वशक्तिः ॥ ५ ॥  
चक्रे शीमत्प्रवचनपरीक्षा धर्मसागरैः ।  
वाचकेन्द्रेस्ततस्तेऽन्नं शिष्येणैषा विधीयते ॥ ६ ॥

अर्थात्—गणधरदेवकी निर्माण की हुई धर्मपरीक्षाको मुझ जैसा मनुष्य भी यदि बनानेकी इच्छा करता है तो इसमें कोई आश्वर्यकी बात नहीं है; क्योंकि मैं भी उसी कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। जिस वृक्षको एक गजराज तोड़ डालता है उसे हाथीका बच्चा कहे तो वह ढालेगा, यह आशका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्वकीय कुलशक्तिसे वह भी उसे तोड़ डाल सकता है। मेरे युह धर्मसागरजी वाचकेन्द्रने 'प्रवचनपरीक्षा' नामका प्रन्थ बनाया है और मैं उनका शिष्य यह 'धर्मपरीक्षा' नामका प्रैथ रखता हूँ। इस प्रकार पद्मसागरजीने बड़े अहंकारके साथ अपना प्रथकर्तृत्व प्रगट किया है। परन्तु आपकी इस कृतिको देखते हुए कहना पड़ता है कि आपका यह कोरा और थोथा अहंकार विद्वानोंकी हृषिमें केवल हास्यास्पद होनेके सिवाय और कुछ भी नहीं है। यहाँ पाठकोपर अस्तित्वातिका वह पथ भी प्रगट किया जाता है, जिसको बदलकर ही गणीजीने ऊपरके दो लोक (नो ४-५) बनाए हैं:—

धर्मो गणेशेन परीक्षितो यः कथं परीक्षेतमहं जडास्मा ।  
शक्तो हि ये भक्तुमिभाधिराजः स भज्यते किं शशकेन दृक्षः ॥ १५ ॥

इस पदमें अभितगति आचार्य, अपनी लबुता प्रकट करते हुए, लिखते हैं कि—  
 ‘जो धर्म गणधर देवके द्वारा परीक्षा किया गया है वह मुझ जडात्मासे कैसे परीक्षा किया जासकता है ?’ जिस वृक्षको गजराज तोड़ डालनेमें समर्थ है क्या उसे शशक भग कर सकता है ?’ इसके बाद दूसरे पदमें लिखा है—‘परन्तु विद्वान् मुनीश्वरोंने जिस धर्ममें प्रवेश करके उसके प्रवेशमार्गको सरल कर दिया है उसमें मुझ जैसे मूर्खका प्रवेश हो सकता है; क्योंकि वज्रसूचीसे छिप किये जाने पर मुक्तामणिमें सूतका नरम ढोरा भी प्रवेश करते देखा जाता है।’ पाठकगण देखा, कैसी अच्छी उक्ति और कितना नम्रतामय भाव है। कहाँ मूलकर्ताका यह भाव, और कहाँ उसको चुराकर अपनी कृति बनानेवालेका उपर्युक्त अहकार ! मैं समझता हूँ यदि पद्मसागरजी इसी प्रकारका कोई नम्र भाव प्रगट करते तो उनकी शानमें कुछ भी फर्क न आता। परन्तु मालूम होता है कि आपमें इतनी भी उदारता नहीं थी और तभी आपने, साझे होते हुए भी, दूसरोंकी कृतिको अपनी कृति बनानेस्य यह असाधु कार्य किया है !!

इसी तरह पर और भी कितने ही प्रन्थ इवेताम्बर सम्प्रदायमें जाली तथा अर्ध-जाली पाए जाते हैं, जिन सबकी जॉच, परीक्षा तथा समालोचना होनेकी ज़रूरत है। इवे० सम्प्रदायके निष्पक्ष विद्वानोंको आगे आकर इसके लिये खास परिश्रम करना चाहिये और वैसे प्रन्थोंके विषयमें यथार्थ वस्तुस्थितिको समाजके सामने रखना चाहिये। ऐसा किया जाने पर विचारस्वातंत्र्य फैलेगा, विवेक जागृत होगा और वह साम्प्रदायिकता तथा अन्धी श्रद्धा वृत हो सकेगी जो जैन समाजकी प्रगतिको रोके हुए है। इत्यलम् ।

बम्बई । ता० ८ अगस्त सन् १९१७ ।

## अकलंकप्रतिष्ठापाठकी जाँच ।

~~~~~

‘अकलंक-प्रतिष्ठापाठ’ या ‘प्रतिष्ठाकल्प’ नामका एक प्रथा है, जिसे ‘अकलंक-संहिता’ भी कहते हैं और जो जैनसमाजमें प्रचलित है। कहा जाता है कि ‘यह प्रन्थ उन भट्टाकलंक देवका बनाया हुआ है जो ‘राजवार्तिक’ और ‘अष्टशती’ आदि ग्रन्थोंके कर्ता हैं और जिनका समय विक्रमकी ८ वीं शताब्दी माना जाता है। यथापि विद्वानोंको इस कथन पर सदैह भी है, परन्तु तो भी उक्त कथन वास्तवमें सत्य है या नहीं इसका अभीतक कोई निर्णय प्रगट नहीं हुआ। अतः यहाँ इसी विषयका निर्णय करनेके लिए यह लेख लिखा जाता है:—

यह तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थमें ग्रन्थके बननेका कोई सन्-संबंध नहीं दिया। परन्तु ग्रन्थकी संधियोंमें ग्रन्थकर्ताका नाम ‘भट्टाकलंकदेव’ ज़रूर लिखा है। यथा:—

इत्यार्थं श्रीमद्भट्टाकलंकदेवसंगृहीते प्रतिष्ठाकल्पनाम्नि प्रथे सूत्रस्थाने प्रतिष्ठादिचतुष्यनिरूपणीयो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ १ ॥

संधियोंको छोड़कर पद्योंमें भी ग्रन्थकर्ताने अपना नाम ‘भट्टाकलंकदेव’ प्रकट किया है। जैसा कि आदि अन्तके निम्न लिखित दो पद्योंसे जाहिर है:—

“प्रतिष्ठाकल्पनामासौ प्रथः सारसमुख्यः ।  
भट्टाकलंकदेवेन सातुर्संगृहाते स्फुटम् ॥ ५ ॥”  
“भट्टाकलंकदेवेन कृतो प्रथो यथागमम् ।  
प्रतिष्ठाकल्पनामासौ स्थेयादाच्चंद्रतारकम् ॥”

‘राजवार्तिक’ के कर्ताको छोड़कर, भट्टाकलंकदेव नामके कोई दूसरे विद्वान् आचार्य जैनसमाजमें प्रसिद्ध नहीं है। इस लिए मालूम होता है कि, संधियों और पद्योंमें ‘भट्टाकलंकदेव’ का नाम लगा होनेसे ही यह प्रन्थ राजवार्तिकके कर्ताका बनाया हुआ समझ लिया गया है। अन्यथा, ऐसा समझ लेने और कथन करनेकी कोई दूसरी वजह नहीं है। भट्टाकलंकदेवके बाद होनेवाले किसी माननीय प्राचीन आचार्यकी कृतिमें भी इस ग्रन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन शिलालेख भी इस विषयमें मीन हैं—उनसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हालतमें पाठक समझ सकते हैं कि उक्त कथन कहाँ तक विश्वास किये जानेके योग्य हो सकता है। अन्तु। जहाँतक मैंने इस ग्रन्थको देखा और इसके साहित्यकी जॉन की है उससे मालूम होता है कि यह प्रन्थ वास्तवमें राजवार्तिकके कर्ता भट्टाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है; उनसे बहुत पीछेका बना हुआ है। भट्टाकलंकदेवके साहित्य और उनकी कथनशैलीसे इस ग्रन्थके साहित्य और कथनशैलीका कोई मेल नहीं है। इसका अधिकांश साहित्य-शरीर ऐसे ग्रन्थोंके आधार-पर बना हुआ है जिनका निर्माण भट्टाकलंकदेवके अवतारसे बहुत पीछेके समयोंमें हुआ

है। यहाँ पाठकोंके संतोषार्थी कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे पाठकोंको इस बातका भी अनुभव हो जायगा कि यह प्रन्वय कब बना है और किसने बनाया है:—

( १ ) इस प्रतिष्ठापाठके पाँचवें परिच्छेदमें बहुतसे पथ ऐसे पाए जाते हैं जो भगवज्ञिनसेनप्रीती 'आदिपुराण' से उयोंके त्यों या कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर रखके गये हैं । नमनेके तौर पर कुछ पथ इस प्रकार हैं:—

चैत्यचैत्यालयादीनां भक्त्या निर्मापणं च यत् ।

शासनीकृत्य दानं च ग्रामादीनां सदार्चनम् ॥ २३ ॥

यह पथ आदिपुराणके ३८ वें पर्वका २८ वाँ पथ है और यहाँ ज्योका स्थो बिना किसी परिवर्तनके रखा गया है।

ताः सर्वां अप्यहृदज्यापुर्विका यत् इत्यतः ।

विधिकास्तामुशान्तीज्यां वृत्तिं प्राथमकल्पकीम् ॥ २० ॥

इस पश्चाका उत्तरार्ध और आदिपुराणके उक्त पर्व सम्बन्धी ३४ वें पश्चाका उत्तरार्ध दोनों एक हैं। परन्तु पूर्वार्ध दोनों पश्चोके भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। आदिपुराणके उक्त ३४ वें पश्चाका पूर्वार्ध है 'एवं विधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम्'। प्रन्यकत्ताने इस पूर्वार्धको अपने इसी परिच्छेदके ३० वें पश्चाका पूर्वार्ध बनाया है। और इस तरह पर आदिपुराणके एक पश्चको दो टुकड़ोंमें विभाजित करके उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखता है। ५

**बलिष्ठपनमन्यथा व्रतमुद्यापनादिकम् ।**

उक्तेष्वेव विकल्पेषु श्रेयमन्यथा तादृशम् ॥ २९ ॥

यह पथ आदिपुराणके ३८ वें पर्वमें न० ३३ पर इसी प्रकारसे दर्ज है, सिर्फ़ 'मित्यन्यत् त्रिसंघ्यासेवया समम्' की जगह यहाँ 'मन्यवृत्तमुद्यापनादिकम्' ऐसा परिवर्तन पाया जाता है। इस परिवर्तनसे प्रन्थकर्ताने 'त्रिसंघ्यासेवा' के स्थानमें 'व्रत' और 'उद्यापनादिक' को खास तौरसे पंच प्रकारके पूजनमें शामिल किया है। अस्तु; इन उदाहरणोंसे प्रकट है कि यह मन्य (प्रतिष्ठापाठ) भगवज्ज्वलसेनके आदिपुराणसे पहलेका बना हुआ नहीं है। परन्तु भष्टाकलंकदेव भगवज्ज्वलसेनसे पहले हो चुके हैं। भगवज्ज्वलसेनने, 'भष्टाकलंक-धीपाल-पात्रकेसरिणं गुणाः' इत्यादि पथके द्वारा, आदिपुराणमें, उनका स्मरण भी किया है। ऐसी हालतमें यह मन्य कहापि भष्टाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं हो सकता। और इस लिए कहना होगा कि यह प्रतिष्ठापाठ भगवज्ज्वलसेनके आदिपुराणसे पीछेका—अर्थात्, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके बादका—बना हुआ है।

( २ ) इस प्रन्थके तीसरे परिच्छेदमें एक स्थान पर, प्राणायामका स्वरूप बताये हुए, कुछ पथ दिये हैं । उनमेंसे एक पथ इस प्रकार है:—

**झादशान्तात्समाकृष्ण यः समीरः प्रपूर्यते ।**

**स पूरक इति शेयो वायुविज्ञानकोनिर्देः ॥ ६६ ॥**

यह पद्य और इसके बादके दो पद्य और, जो 'निरुणाञ्चि' और 'निःसार्यते' शब्दोंसे प्रारंभ होते हैं, झानार्णवके २९ वें प्रकरणमें कमशा: नं० ४,५ और ६ पर दर्ज हैं। इससे प्रकट है कि यह प्रन्थ झानार्णवके बादका बना हुआ है। झानार्णव प्रन्थके कठां श्रीशुभचन्द्र आशार्थका समय विकमकी ११ वीं शताब्दीके लगभग माना जाता है। उन्होंने अपने इस प्रथमें, समंतभद्र, देवनन्द और जिनसेनका स्मरण करते हुए, 'श्रीमद्भृकुलकस्य पातु पुण्या सरस्वती' इस पद्यके द्वारा भृकुलकदेवका भी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है। इस लिए यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें शुभचन्द्रके बचनोंका उल्लेख पाया जाता है, भृकुलकदेवका बनाया हुआ न होकर विकमकी ११ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है, यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता।

( ३ ) एकसंधि भृकुलकका बनाया हुआ, 'जिनसंहिता' नामका एक प्रसिद्ध प्रन्थ है। इस प्रन्थसे सैकड़ों पद्य ज्योंके त्यों या कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर इस प्रतिष्ठापाठमें रखते गये हैं। कई स्थानों पर उक्त संहिताका नामोल्लेख भी किया है और उसके अनुसार किसी खास विषयके कथनकी प्रतिज्ञा या सूचना की गई है। यथा—

**द्वितीये मंडले लोकपालानामष्टकं भवेत् ।**

**इति पक्षान्तरं जैनसंहितायां निरूपितम् ॥ ७-१६ ॥**

**यदि व्यासात्पृथकेषां बलिदानं विवक्षितम् ।**

**निरूप्यते तत्त्वं जैनसंहितामार्गतो यथा ॥ १०-६ ॥**

पहले पद्यमें जैनसंहिताके अनुसार कथनकी सूचना और दूसरेमें प्रतिज्ञा की गई है। दूसरे पद्यमें जिस 'बलिदान' के कथनकी प्रतिज्ञा है उसका वर्णन करते हुए जो पद्य दिये हैं उनमेंसे बहुतसे पद्य ऐसे हैं जो उक्त संहितासे ज्योंके त्यों उठाकर रखते गये हैं। जैसा कि नं० ४७ के उत्तरार्थसे लेकर न० ६१ के पूर्वार्थ तकके १४ पद्य बिल्कुल वही हैं जो उक्त संहिताके २४ वें परिच्छेदमें न० ३ से १६ तक दर्ज हैं। इन पद्योंमेंसे एक पद्य नमूनेके तौर पर इस प्रकार है:—

**पाशिनो धान्यदुग्धधानं वायोः संपिष्ठशर्वरी ।**

**यक्षस्य पायसं भक्तं साज्यं क्षीराज्ञमीशिनः ॥ ५ ॥**

यहाँ पाठकोंको यह जानकर और भी आशर्य होगा कि इस प्रतिष्ठापाठका मंगलाचरण भी उक्त संहितापरसे लिया गया है। वह मंगलाचरण इस प्रकार है:—

**विज्ञानं विमलं यस्य विशदं विश्वगोचरं ।**

**नमस्त्वस्मै जिनेन्द्राय सुरेन्द्राम्यर्चितांब्रये ॥ १ ॥**

**वंदितवा च गणाधीशं श्रुतस्कं धमुपास्य च ।**

**ऐंद्रं युगीनामाचार्यालपि भक्त्या नमाम्यहम् ॥ २ ॥**

मंदाचरणके ये दोनों पद उक्त संहिताके शुरूमें क्रमशः नं० ३ और ३ पर दर्ज हैं। सिर्फ दूसरे पथके उत्तरार्थमें मेद है। संहितामें वह उत्तरार्थ इस प्रकारसे दिया है:—

### संप्रहित्यामि मंदानां बोधाय जिनसंहिताम् ।

पाठक समझ सकते हैं कि जिस प्रन्थमें मगलाचरण भी अन्धकर्ताका अपना बनाया हुआ न हो, वह प्रन्थ क्या भट्टाकलंकदेव जैसे भट्टाकवियोंका बनाया हुआ हो सकता है? कभी नहीं। वास्तवमें यह प्रन्थ एक संप्रग्रह\* प्रन्थ है। इसमें न सिर्फ अयोंका बल्कि शत्रुदोंका भी संप्रग्रह किया गया है। प्रन्थकर्ताकी उकियाँ इसमें बहुत कम हैं। जैसा कि इसके एक निज लिखित पथसे भी प्रगट है:—

स्तोकाः पुरातनाः किञ्चिद्दिव्यंते लक्ष्यबोधकाः ।

प्रायस्त्वदनुसारेण मदुकाश्च क्वचित् क्वचित् ॥ १० ॥

भट्टारक एक संधिका समय विकमकी १३ वीं शताब्दी पाया जाता है। इसलिए यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें उक्त भट्टारकजीकी संहिताकी बहुत कुछ नकल की गई है, विकमकी १३ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

( ४ ) इस प्रतिष्ठापाठको १३ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ कहनेमें एक प्रबल प्रमाण और भी है। और वह यह है कि इसमें पं० आशाचरजीके बनाए हुए 'जिनयज्ञकल्प' नामक प्रतिष्ठापाठ और 'सागारधर्मामृत' के बहुतसे पथ, ज्योंके ख्या गा कुछ परिवर्तनके साथ, पाये जाते हैं; जिनका एक एक नमूना इस प्रकार है:—

किमिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य यः ।

चक्रिभिः क्रियते सोऽर्हद्युद्याः कल्पदुमो मतः ॥ ५-२७ ॥

देशकालानुसारेण व्यासतो वा समासतः ।

कुर्वन्त्वानां क्रियां शको दातुक्षितं न दूषयेत् ॥ ५-२८ ॥

पहला पथ 'सागारधर्मामृत' के दूसरे अध्यायका २८ वाँ और दूसरा पथ 'जिनयज्ञकल्प' के पहले अध्यायका १४० वाँ पथ है। जिनयज्ञकल्पको, पंडित आशा-धरजीने, वि० सं० १२८५ में और सागारधर्मामृतको उसकी टोकासहित वि० सं० १२९६ में बनाकर समाप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि यह अकलंकप्रतिष्ठापाठ विकमकी १३ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है।

( ५ ) इस प्रथके तीसरे परिच्छेदमें, एक स्थान पर यह विख्याते हुए कि जिन-मंदिरमें विलासिनीके नाचके लिए एक मुन्द्र नाचघर ( नृत्यमंडप ) भी होना चाहिए, एक पथ इस प्रकारसे दिया है:—

नृत्यद्विलासिनीरम्यनृत्यमंडपमंडितम् ।

पुरः पार्वद्वये यक्षयक्षीभवनसंयुतम् ॥ ११७ ॥

\* प्रन्थकी प्रतिष्ठा और संवियोगमें भी इसे ऐसा ही प्रगट किया है।

यह ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णचारके चौथे पर्वका १९७ वाँ पद्म है। उक्त त्रिवर्णचारके और भी बहुतसे पद्म इस प्रथमें पाये जाते हैं। इसी तीसरे परिच्छेदमें लगभग २५ पद्म और हैं, जो उक्त त्रिवर्णचारसे उठाकर रखे गये हैं। इससे प्रकट है कि यह प्रथम (प्रतिष्ठापाठ) ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णचारके बादका बना हुआ है। ब्रह्मसूरिका समय विक्रमकी प्रायः १५ वीं शताब्दी पाया जाता है। इस लिए यह प्रतिष्ठापाठ विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है।

(६) इस प्रथमें शुरूमें मंगलाचरणके बाद प्रथम रचनेकी जो प्रतिहा की गई है उसमें 'नेमिचन्द्रप्रतिष्ठापाठ'का भी एक उल्लेख है। यथा:—

अथ श्रीनेमिचन्द्रीयप्रतिष्ठाशास्त्रमार्गतः ।  
प्रतिष्ठायास्तदाद्युत्तरांगानां स्वयमंगिनाम् ॥ ३ ॥

नेमिचन्द्र-प्रतिष्ठापाठ 'गोम्मटसार' के कर्ता नेमिचन्द्र लिद्धान्त चकवर्तीका बनाया हुआ न होकर उन शृहस्य नेमिचन्द्रसूरिका बनाया हुआ है जो देवनद्रके पुत्र तथा ब्रह्म-सूरिके भानजे थे और जिनके वंशादिकका विशेष परिचय पानेके लिए पाठकोंको उक्त प्रतिष्ठापाठ पर लिखे हुए उस नोटको देखना चाहिए जो जैनहितीषीके १२ वें भागके अंक नं. ४-५ में प्रकाशित हुआ है। उक्त नोटमें नेमिचन्द्र-प्रतिष्ठापाठके बननेका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके लगभग बतलाया गया है। ऐसी हालतमें विवादस्थ प्रतिष्ठापाठ विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका या उससे भी कुछ पीछेका बना हुआ मालूम होता है। परन्तु इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वह १६ वीं शताब्दीसे पहलेका बना हुआ नहीं है। अर्थात्, विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है। परन्तु कितने बादका बना हुआ है, इतना निष्ठय करना अभी और बाकी है।

(७) 'सोमसेनत्रिवर्णचार' के पहले अध्यायमें एक प्रतिज्ञावाक्य इस प्रकारसे दिया है:—

यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः सामन्तभद्रैस्तथा  
सिद्धान्ते गुणभद्रानाममुनिभिर्भट्टाकलंकैः परैः ।  
श्रीसूरिद्विजनामधेयविवृधैराशाधरैर्वात्मवै—  
स्तद्भट्टा रचयामि धर्मरसिंकं शास्त्रं त्रिवर्णात्मकम् ॥

इस वाक्यमें जिन आचारोंके अनुसार कथन करनेकी प्रतिज्ञाकी गई है उनमें 'भट्टाकलंक' का भी एक नाम है। इन भट्टाकलके 'अकलक-प्रतिष्ठापाठ' के कर्ताका ही अभिग्राय जान पड़ता है, 'राजवातिक' के कर्ताका नहीं। क्योंकि सोमसेनत्रिवर्णचारमें जिस प्रकार 'जिनसेन' आदि दूसरे आचारोंके वाक्योंका उल्लेख पाया जाता है उस प्रकार राजवातिकके कर्ता भट्टाकलंकदेवके बनाये हुए किसी भी प्रन्थका प्रायः कोई

उल्लेख नहीं मिलता। प्रथुत, अकलंक-प्रतिष्ठापाठके बहुतसे पद्धों और कवनोंका समावेश उसमें जहर पाया जाता है। ऐसी हालतमें, सोमसेन त्रिवर्णाचारमें 'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ' का उल्लेख किया गया है, यह कहना समुचित प्रतीत होता है। सोमसेनत्रिवर्णाचार वि० सं० १६६५ में बनकर समाप्त हुआ है और अकलंकप्रतिष्ठापाठका उसमें उल्लेख है। इस लिए अकलंक-प्रतिष्ठापाठ वि० सं० १६६५ से पहले बन चुका था, इस कहनेमें भी कोई संकोच नहीं होता।

नतीजा इस संपूर्ण कथनका यह है कि विवादस्थ प्रतिष्ठापाठ राजवार्तिकके कर्ता भट्टाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न विक्रमकी १६ वीं शताब्दीसे पहलेका ही बना हुआ है। बल्कि उसकी रचना विक्रमकी १६ वीं शताब्दी या १७ वीं शताब्दीके प्रायः पूर्वार्धमें हुई है। अथवा यों कहिए कि वह वि० सं० १५०१ और १६६५ के मध्यवर्ती किसी समयका बना हुआ है।

अब रही यह बात कि, जब यह प्रन्थ राजवार्तिकके कर्ता भट्टाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न 'भट्टाकलंकदेव' नामका कोई दूसरा विद्वान् जैनसमाजमें प्रसिद्ध है, तब इसे किसने बनाया है? इसका उत्तर इस समय सिर्फ इतना ही हो सकता है कि, या तो यह प्रन्थ 'अकलंक' या 'अकलंकदेव' नामके किसी ऐसे अप्रसिद्ध भट्टारक या दूसरे विद्वान् महाशश्यका बनाया हुआ है जो उपर्युक्त समयके भीतर हुए हैं और जिन्होंने अपने नामके साथ स्वयं ही 'भट' की महत्वसूचक उपाधिको लगाना पसंद किया है। अथवा इसका निर्माण किसी ऐसे व्यक्तिने किया है जो इस प्रन्थके द्वारा अपने किसी कियाकोड या मंत्रब्यक्तिके समर्थनादिरूप कोई इष्ट प्रयोजन सिद्ध करना चाहता हो और इस लिए उसने स्वयं ही इस प्रन्थको बनाकर उसे भट्टाकलंकदेवके नामसे प्रसिद्ध किया

\* बादको 'हिस्ट्री ऑफ कल्डीज़ लिटरेचर' ( कलडी साहित्यका इतिहास ) से मालूम हुआ कि इस समयके भीतर 'भट्टाकलंकदेव' नामके एक दूसरे विद्वान् हुए हैं जो दक्षिणकाशमार्गमें हातुवलिमठके अधिपति भट्टारकके छिप्प थे और जिन्होंने विक्रमकी १७ वीं शताब्दीमें ( ई० सं० १६०४ में ) कलडीभाषाका एक बड़ा व्याकरण संस्कृतमें लिखा है, जिसका नाम है 'कर्णाटकशब्दानुशासनम्' और जिसपर संस्कृतकी एक विस्तृत टीकाभी आपकी ही लिखी हुई है। हो सकता है कि यह प्रतिष्ठापाठ आपकी ही रचना हो। परंतु किर भी इसमें मंगलाचरणका दूसरे प्रन्थसे उठाकर रखा जाना कुछ स्टकता बहुर है; क्यों कि आप संस्कृतके अच्छे विद्वान् कहे जाते हैं। यदि आपका उक्त शब्दानुशासन मुझे देखनेके लिये मिल सकता तो इस विषयका किताना ही संदेह दूर हो सकता था।

हो और इस तरह पर यह ग्रन्थ भी एक आली ग्रन्थ बना हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि, यह ग्रन्थ कोई महत्वका ग्रन्थ नहीं है। इसमें बहुतसे कथन ऐसे भी पाए जाते हैं जो जैनधर्मके विरुद्ध हैं, अथवा जैनसिद्धान्तोंसे जिनका कोई मेल नहीं है। चूंकि यह लेख सिर्फ़ ग्रन्थकी ऐतिहासिकता—ग्रन्थकर्ता और ग्रन्थके बननेका समय—निपंथ करनेके लिए ही लिखा गया है इस लिए वहाँ पर विरुद्ध कथनोंके उल्लेखको छोड़ा जाता है। इस प्रकारके विरुद्ध कथन और भी प्रतिष्ठापाठोंमें पाए जाते हैं, जिन सबकी विस्तृत आलोचना होनेकी जरूरत है। अवसर मिलने पर प्रतिष्ठापाठोंके विषय पर एक स्वतंत्र लेख लिखा जायगा और उसमें यह भी दिखलाया जायगा कि उनका वह कथन कहाँ तक जैनधर्मके अनुकूल या प्रतिकूल है।

देवबन्द । ता० २६ मार्च, सन् १९७३

## पूज्यपाद-उपासकाचारकी जाँच ।

०

सन् १९०४ में, 'पूज्यपाद' आचार्यका बनाया हुआ 'उपासकाचार' नामका एक सस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। उसे कोल्हापुरके पठित श्रीयुत कलापा भरमापाजी निटवेने, मराठी पद्मानुभवाद और मराठी अवधिसंहित, अपने 'जैनेश' छापाखानेमें छापकर प्रकाशित किया था। जिस समय ग्रन्थकी यह छपी हुई प्रति मेरे देखनेमें आई तो मुझे इसके कितनेही पर्योपर सदेह हुआ और यह इच्छा पैदा हुई कि इसके पर्योक्ती जाँच की जाय, और यह मालूम किया जाय कि यह ग्रन्थ कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। तभीसे मेरी इस विषयकी खोज जारी है। और उस खोजसे अबतक जो कुछ नतीजा निकला है उसे प्रकट करनेके लिये ही यह लेख लिखा जाता है।

सबसे पहले मुझे देहलीके 'नया मंदिर' के शास्त्र-भडारसे इस ग्रन्थकी इस्तलिखित प्रतिका पता चला। इस प्रतिके साथ छपी हुई प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे मालूम हुआ कि उसमें छपी हुई प्रतिके निप्रलिखित छह लोक नहीं हैं—

पूर्णपरविरोधादिदूरं हिसाद्यपासनम् ।  
प्रमाणद्वयसंवादि शास्त्रं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ७ ॥  
गोपुच्छिलकश्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः ।  
निष्पिच्छुम्भेति पञ्चैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥  
नास्त्यहृतः परो देवो धर्मो नास्ति द्वयां विना ।  
तपः परञ्च नैग्रन्थ्यमेतत्सम्यक्त्वलक्षणं ॥ ११ ॥

मांसाशिषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु ।

धर्मभावो न जीवेषु मधूदुम्बरसेविषु ॥ १५ ॥

चित्ते ग्रान्तिर्जायते मद्यपानात् भ्रान्तं चित्तं पापचर्यामुपैति ।

पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढास्तस्मान्यथं जीव देयं न पैयं ॥ १६ ॥

अणुब्रतानि पंचैव त्रिःप्रकारं गुणब्रतम् ।

शिक्षाब्रतानि चत्वारि इत्येतद् द्वादशात्मकम् ॥ २२ ॥

साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि देहलीबाली प्रतिमें नीचे लिखे हुए इस छोड़ छपी हुई प्रतिसे अधिक हैं—

क्षेत्रं वास्तु धनं धार्यं द्विपदञ्च चतुःपदम् ।

आसनं शयनं कुप्यं भाँडं चेति बहिर्देश ॥ ७ ॥

मृद्धी च द्रवसंपन्ना मातृयोनिसमानिका ।

सुखानां सुखिनः प्रोक्ता तत्पुण्यप्रेरिता स्फुटम् ॥ ५३ ॥

सज्जातिः सद्यगृहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता ।

साप्नाज्यं परमार्हान्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ ५६ ॥

खर्जूरं पिण्डखर्जूरं कावल्यं शर्करोपमान् ।

मृदिश्वादिके भोगांश्च भुजते नाश संशयः ॥ ६० ॥

ततः कुत्सितदेवेषु जायन्ते पापपाकतः ।

ततः संसारगतांसु पञ्चधा ऋमणं सदा ॥ ६१ ॥

प्रतिग्रहोन्नतस्थानं पादक्षालनमर्चनम् ।

नमस्त्रिविधयुक्तेन पृष्णणा नवं पुण्ययुक् ॥ ६४ ॥

श्रुतिस्मृतिप्रसादेन तत्वज्ञानं प्रजायते ।

ततो ध्यानं ततो हालं बंधमोक्षो भवेत्ततः ॥ ७० ॥

नामादिमध्यतुमैवैर्जिनसंहितया पुनः ।

यंश्रमंक्रमेणैव स्थापयित्वा जिनाकृतिम् ॥ ७६ ॥

उपवासो विधातव्यो गुरुणां स्वस्य साक्षिकः ।

सोपवासो जिनैरुक्तो न च देहस्य दंडनम् ॥ ८१ ॥

दिवसस्याएते भागे मन्दीभूते दिवाकरे ।

तं नक्तं प्राहुराचार्यो न नक्तं रात्रिभोजनम् ॥ ९२ ॥

छोड़कोकी इस न्यूनाधिकताके अतिरिक्त दोनों प्रतियोंमें कहीं कहीं पर्योंका कुछ क्रममें भी पाया गया, और वह इस प्रकार हैः—

देहलीबाली प्रतिमें, छपी हुई प्रतिके ५५ वें पर्यसे ठीक पहले उर्ही प्रतिका ५७ वाँ पर्य, नम्बर ७० के छोड़से ठीक पहले नं० ६८ का छोड़, नं० ७३ वाले पर्यके

अनन्तर नं० ७१ का पश्च, न० ७८ वाले पश्चसे पहले नं० ७९ का पश्च और न० ९२ के श्लोकके अनन्तर उसी प्रतिका अन्तिम श्लोक नं० ९६ दिया है। इसी तरह ९० नम्बरके पश्चके अनन्तर उसी प्रतिके ९४ और ९५ नम्बरवाले पश्च क्रमशः दिये हैं।

इस क्रमभेदके सिवाय, दोनों प्रतियों के किसी किसी श्लोकमें परस्पर कुछ पाठ-भेद भी उपलब्ध हुआ; परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं रखता, इसलिये उसे यद्योपर छोड़ा जाता है।

देहलीकी इस प्रतिसे सदेहकी कोई विशेष निवृति न हो सकी, बल्कि कितने ही अंशोंमें उसे और भी ज्यादा पुष्टि मिली और इसलिये ग्रन्थकी दूसरी हस्तलिखित प्रतियोंके देखनेकी इच्छा बनी ही रही। कितने ही भंडारोंको देखनेका अवसर मिला और कितनेही भंडारोंकी सूचियों भी नज़रसे गुजरी, परन्तु उनमें सुझे इस ग्रन्थका दर्शन नहीं हुआ। अन्तको पिछ्ले साल जब मैं 'जैनसिद्धान्तभवन' का निरीक्षण करनेके लिये आरा गया और वहाँ करीब दो महीनेके ठहरना हुआ, तो उस वक्त भवनसे मुझे इस प्रन्थकी दो पुरानी प्रतियों कनडी अक्षरोंमें लिखी हुई उपलब्ध हुई—एक ताडपत्रोपर और दूसरी कागजपर। इन प्रतियोंके साथ छपी हुई प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे मालम हुआ कि इन दोनों प्रतियोंमें छपी हुई प्रतिके वे छह श्लोक नहीं हैं जो देहलीवाली प्रतियों भी नहीं हैं, और न वे दस श्लोक ही हैं जो देहली की प्रतियों छपी हुई प्रतिसे अधिक पाए गये हैं और जिन सबका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इसके सिवाय, इन प्रतियोंमें छपी हुई प्रतिके नीचे लिखे हुए पन्द्रह श्लोक भी नहीं हैं—

क्षुधा तृष्णा भयं द्वेषो रागो मोहश्च विन्तनम् ।

जरा रुजा च मृत्युश्च स्वेदः खेदो मदोरतिः ॥ ४ ॥

विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रुवः ।

त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषाः साधारणा इमे ॥ ५ ॥

एतैद्वैष्विनिर्मुकः सोऽयमासो निरंजनः ।

विद्यन्ते येषु ते नित्यं तेऽन्न संसारिणः स्मृताः ॥ ६ ॥

स्वतत्त्वपरतत्वेषु हेयोपादेयनिश्चयः ।

संशायादिविनिर्मुकः स सम्यग्दृष्टिश्चयते ॥ ७ ॥

रक्तमात्रप्रवाहेण स्त्री निन्दा जायते स्फुटम् ।

द्विधातुजं पुनर्मासं पवित्रं जायते कथम् ॥ १९ ॥

अक्षरैन् विना शब्दास्तेऽपि ज्ञानप्रकाशकाः ।

तद्रक्षार्थं च षट् स्थाने मौनं श्रीजिनभाषितम् ॥ ४१ ॥

दिव्यदेहप्रभावर्तीः सप्तधातुविवर्जिताः ।

गर्भोत्पत्तिर्न तत्रास्ति दिव्यदेहस्ततोमताः ॥ ५७ ॥

ज्ञानदान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽमयदानतः ।  
 अज्ञानात्सुखी नित्यं निर्व्याधिर्मेषजाद्वेत् ॥ ६९ ॥  
 येनाकारेण मुक्तात्मा शुङ्खच्यानप्रभावतः ।  
 तेनायं श्रीजिनोदेवो विम्बवाकारेण पूज्यते ॥ ७० ॥  
 आसस्यासन्निधानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् ।  
 तार्क्षमुद्रा न किं कुरुविवसामर्थ्येसूदनम् ॥ ७१ ॥  
 जन्मजन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः ।  
 तेनैवाभ्यासयोगेन तत्रैवाभ्यस्यते पुनः ॥ ७२ ॥  
 अष्टमी चाष्टकर्माणि सिद्धिलाभा चतुर्दशी ।  
 पंचमी केवलज्ञानं तस्मात्त्र यमाच्चरेत् ॥ ७३ ॥  
 कालक्षेषो नकर्तव्य आयुःक्षीणं दिने दिने ।  
 यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ ७४ ॥  
 अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।  
 नित्यं सञ्चिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंप्रहः ॥ ७५ ॥  
 जीवंतं मृतकं मन्ये देहिनं धर्मवर्तितम् ।  
 मृतो धर्मण संयुक्तो दीर्घजीवी भविष्यति ॥ ७६ ॥

छपी हुई प्रतिसे इन प्रतियोंमें अधिक पद्य कोई नहीं है; कम-मेदका उदाहरण सिफं एक ही पाया जाता है और वह यह है कि, छपी हुई प्रतियोंमें जो पद्य ५० और ५१ नम्बरों पर दिये हैं वे पद्य इन प्रतियोंमें क्रमशः ३९ और ३८ नम्बरों पर—अर्थात्, आगे पीछे—पाये जाते हैं। रही पाठभेदकी बात, वह कुछ उपलब्ध जहर होता है और कहीं कहीं इन दोनों प्रतियोंमें परश्वर भी पाया जाता है। परंतु वह भी कुछ विशेष महत्व नहीं रखता और उसमें ज्यादातर छापे की तथा लेखकों की भूलें शामिल हैं। तो भी दो एक खास खास पाठभेदोंका यहाँ परिचय करा देना मुनासिब मालूम होता है; और वह इस प्रकार है—

( १ ) तीसों पद्यमें ‘निर्ग्रन्थः स्थान्तपस्वी च’ ( तपस्वी निर्ग्रन्थ होता है ) के स्थानमें आराकी प्रतियोंमें ‘निर्ग्रन्थेन भवेन्मोक्षः’ ( निर्ग्रन्थ होनेसे मोक्ष होता है ) ऐसा पाठ दिया है। देहलीकाली प्रतियोंमें भी यही पाठ ‘निर्ग्रन्थ न भवेन्मोक्षः’ ऐसे अशुद्ध रूपसे पाया जाता है।

( २ ) छपी हुई प्रतिके ३० वें पद्यमें ‘न पापं च अमी देयाः’ ऐसा जो एक चरण है वह ताडपत्रबाली प्रतियोंमें भी बैसा ही है। परंतु आराकी दूसरी प्रतियोंमें उसका रूप ‘न परेचाममीदेयाः’ ऐसा दिया है और देहलीकाली प्रतियोंमें वह ‘न दातव्या इमे नित्यं’ इस रूपमें उपलब्ध होता है।

( ३ ) छपी हुई प्रतियों एक पद \* इस प्रकार दिया हुआ है—

बृक्षा दावाभिनालझास्तस्तव्यं कुर्वते वने ।

आत्मारुद्धतरोराभिमागच्छन्तं न वेत्यसौ ॥ ९१ ॥

इस पदका पूर्वार्थ कुछ अशुद्ध जान पड़ता है और इसी से मराठीमें इस पदका जो यह अर्थ किया गया है कि 'बनमें दावाभिसे प्रसे हुए बृक्ष उस दावाभिसे मित्रता करते हैं, परन्तु जीव स्वयं जिस देहरूपी बृक्षपर चढ़ा हुआ है उसके पास आती हुई अभिको नहीं जानता है' वह ठीक नहीं मालूम होता । आराकी प्रतियोंमें उक्त पूर्वार्थका शुद्ध रूप 'बृक्षा दावाभिनालझा ये तत्संख्या कुरुते वने' इस प्रकार दिया है और इससे अर्थकी संगति भी ठीक बैठ जाती है—यह आशय निकल आता है कि 'एक मनुष्य बनमें, जहाँ दावाभि फैली हुई है, बृक्षपर चढ़ा हुआ, उन दूसरे बृक्षोंकी गिनती कर रहा है जो दावाभिसे प्रस्त होते जाते हैं ( यह कह रहा है कि अमुक बृक्षको आग लगी, वह जला और वह गिरा । ) परन्तु स्वयं जिस बृक्षपर चढ़ा हुआ है उसके पास आती हुई आगको नहीं देखता है । इस अलंकृत आशयका स्पष्टीकरण भी प्रथमें अगले पद द्वारा किया गया है और इससे दोनों पदोंका सम्बन्ध भी ठीक बैठ जाता है ।

आराकी इन दोनों प्रतियोंमें ग्रन्थकी श्लोकसंख्या कुल ७५ दी है; यद्यपि, अंतके पदों पर जो नम्बर पड़े हुए है उनसे वह ७६ मालूम होती है । परन्तु 'न वेत्तिमद्य-पानतः' इस एक पदपर लेखकोंकी गलतीसे दो नम्बर ८ और ९ पड़ गये हैं जिससे आगेके संख्याओंमें बराबर एक एक नम्बरकी शृद्धि होती चली गई है । देहलीवाली प्रतियों भी इस पदपर भूलसे दो नम्बर १३ और १४ ढाले गये हैं और इसी लिये उसकी श्लोकसंख्या १०० होने पर भी वह १०१ मालूम होती है । छपी हुई प्रतिकी श्लोक-संख्या ९६ है । इस तरह आराकी प्रतियोंसे छपी हुई प्रतियोंमें २१ और देहलीवाली प्रतियोंमें २५ श्लोक बढ़े हुए हैं । ये सब बढ़े हुए श्लोक 'झेपक' हैं जो मूल ग्रन्थकी भिन्न भिन्न प्रतियोंमें किसी तरह पर शामिल हो गये हैं और मूल ग्रन्थके अंगभूत नहीं हैं । इन श्लोकोंको निकालकर ग्रन्थको पढ़नेसे उसका सिलसिला ठीक बैठ जाता है और वह बहुत कुछ मुसम्बद मालूम होने लगता है । प्रत्युत् इसके, इन श्लोकोंको शामिल करके पढ़नेसे उसमें बहुत कुछ बेंगापन आ जाता है और वह अनेक प्रकारकी गड-बड़ी तथा आपत्तियोंसे पूर्ण जँचेने लगता है । इस बातका अनुभव सहदेव पाठक स्वयं ग्रन्थपरसे कर सकते हैं ।

इन सब अनुसंधानोंके साथ ग्रन्थको पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है कि छपी हुई प्रति जिस इस्तलिखित प्रति परसे तथ्यार को मई है उसमें तथा देहलीकी प्रतियोंमें जो

---

\* देहलीकी प्रतियोंमें भी यह पद प्राप्तः इसी प्रकारसे है, सिर्फ इतना भेद है कि उसमें पूर्वार्थको उत्तरार्थ और उत्तरार्थको पूर्वार्थ बनाया गया है ।

पथ बढ़े हुए हैं उन्हें या तो किसी विद्वान्‌ने व्याख्या आदि के लिये अपनी प्रतिमें टिप्पणी के तौर पर लिख रखा था या ग्रन्थकी किसी कानूनी आदि टीकामें वे विवरणमध्ये नादि के लिये 'उत्तोच' आदि रूप से दिये हुए थे; और ऐसी किसी प्रतिसे नकल करते हुए लेखकोंने उन्हें मूल ग्रन्थ का ही एक अंग समझकर नकल कर डाला है। ऐसे ही किसी कारणसे ये सब श्लोक अनेक प्रतियोंमें प्रक्षिप्त हुए जान पड़ते हैं। और इसलिये यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि ये बढ़े हुए पथ दूसरे अनेक ग्रन्थोंके पथ हैं। नमूनेके तौर पर यहाँ चार पथोंको उद्घृत करके बतलाया जाता है कि वे कौन-कौनसे प्रनयके पथ हैं:—

गोपुच्छिङ्गभ्येतवासा द्राविदो यापनीयकः ।

निष्पिच्छेश्वति पंचैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥

यह पथ इन्द्रनन्दिके 'नीतिसार' ग्रन्थका पथ है और उसमें भी न० १० पर दिया हुआ है।

सज्जातिः सद्ग्रहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरैद्रता ।

साम्राज्यं परमार्हस्त्वं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ ५६ ॥

यह पथ, जो देहलीवाली प्रतिमें पाया जाता है, श्रीजिनसेनाचार्यके 'आदिपुराण'का पथ है और इसका यहाँ पूर्वापरपथोंके साथ कुछ भी मेल मालदम नहीं होता।

आपस्यासद्विधानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् ।

तार्क्षमुद्रा न किं कुर्यादिष्टसामर्थ्यसूदनम् ॥ ७३ ॥

यह श्रीसोमदेवसूरीके 'यशस्तिलक' ग्रन्थका पथ है और उसके आठवें आषाढ़में पाया जाता है।

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शास्वतः ।

नित्यं सञ्जिहितोमृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ९५ ॥

यह 'चाणक्य-नीति' का श्लोक है।

टीका—टिप्पणियोंके श्लोक किस प्रकारसे मूल ग्रन्थमें शामिल हो जाते हैं, इसका विशेष परिचय पाठकोंको 'रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी जाँच' \* नामके लेखद्वारा कराया जायगा।

यहाँ तकके इस सब कथनसे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि छापी हुई प्रतिको देखकर उसके पायोंपर जो कुछ संकेह उत्पन्न हुआ था वह अनुचित वही था अत्यं गथार्थ ही था, और उसका निरसन आराकी प्रतियों परसे बहुत कुछ हो जाता है। साथ ही, यह बात ध्यानमें आ जाती है कि यह ग्रन्थ जिस रूपसे छापी हुई प्रतिमें तथा देहलीवाली प्रतिमें पाया जाता है उस रूपमें वह पूज्यपादका 'उपासकाचार'

\* माणिक्याद्वयमाला में प्रकाशित 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' पर जो ८४ मूँडोंकी विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है उसीमें रत्नकरण्डक आ० की यह सब जाँच शामिल है।  
लेखक ।

नहीं है; विश्व क्षणी हुई प्रतिमेंसे, उपर दिये हुए, २१ श्लोक और देहलीचाली प्रतिमेंसे २५ श्लोक कम कर देनेपर वह पूज्यपादका उपासकाचार रहता है, और उसका रूप प्रायः वही है जो आराकी प्रतियोगीं पाया जाता है। संभव है कि ग्रन्थके अन्तमें कुछ पद्योंकी प्रशस्ति और हो और वह किसी जगहकी दूसरी प्रतिमें पाई जाती हो। उसके लिये विद्वानोंको अन्य स्थानोंकी प्रतियों भी खोजनी चाहिएँ।

अब देखना यह है कि, यह ग्रन्थ कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। ‘पूज्यपाद’ नामके आचार्य एकसे अधिक हो चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बहुमाननीय आचार्य ‘जैनेन्द्र’ व्याकरण तथा ‘सर्वार्थसिद्धि’ आदि ग्रन्थोंके कर्ता हुए हैं। उनका दूसरा नाम ‘देवनन्दी’ भी था; और देवनन्दी नामके भी कितने ही आचार्योंका पता चलता है X। इससे, पर्याय नामकी वजहसे यदि उनमेंसे ही किसीका प्रहण किया जाय तो किसका प्रहण किया जाय, यह कुछ समझमें नहीं आता। ग्रन्थके अन्तमें अभी तक कोई प्रशस्ति उपलब्ध नहीं हुई और न ग्रन्थके शुरूमें किसी आचार्यका स्मरण किया गया है। हाँ आराकी एक प्रतिके अन्तमें समाप्तिसूचक जो काव्य दिया है वह इस प्रकार है—

“इति श्रीवासुपूज्यपादाचार्यविरचित उपासकाचारः समाप्तः ॥”

इसमें ‘पूज्यपाद’ से पहले ‘वासु’ शब्द और छुड़ा हुआ है और उससे दो विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो यह कि यह ग्रन्थ ‘वासुपूज्य’ नामके आचार्यका बनाया हुआ है और लेखकके किसी अभ्यासकी वजहसे—पूज्यपादका नाम वित्तपर ज्यादा चढ़ा हुआ तथा अभ्यासमें अधिक आया हुआ होनेके कारण—‘पाद’ शब्द उसके साथमें गलतीसे और अधिक लिखा गया है; क्योंकि ‘वासुपूज्य’ नामके भी आचार्य हुए हैं—एक ‘वासुपूज्य’ श्रीधर आचार्यके शिष्य थे, जिनका उल्लेख माधवनंदिश्रावकाचार्यकी प्रशस्तिमें पाया जाता है और ‘दानशासन’ ग्रन्थके कर्ता भी एक ‘वासुपूज्य’ हुए हैं, जिन्होंने शक संवत् १३४३ में उक्त ग्रन्थकी रचना की है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि यह ग्रन्थ ‘पूज्यपाद’ आचार्यका ही बनाया हुआ है और उसके साथमें ‘वासु’ शब्द, लेखकके वैसे ही किसी अभ्यासके कारण, गलतीसे जुड़ गया है। ज्यादातर ख्याल यही होता है कि यह पिछला विकल्प ही ठीक है; क्योंकि आराकी दूसरी प्रतिके अन्तमें भी यही वाक्य दिया हुआ है और उसमें ‘वासु’ शब्द नहीं है। इसके तिवाय, छाँ पुर्व प्रति और देहलीकी प्रतिमें भी यह ग्रन्थ पूज्यपादका ही बनाया हुआ लिखा है। साथ ही, ‘दिग्मवरैजैनग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ’ नामकी सूचीमें भी पूज्यपादके नामके साथ एक श्रावकाचार ग्रन्थका उल्लेख मिलता है।

X एक देवनन्दी विनयचंद्रके शिष्य और ‘द्विस्थान’ काव्यकी ‘पदकौमुदी’ टीकाके कर्ता नेमिचंद्रके शुरू थे, और एक देवनन्दी आचार्य ब्रह्मलञ्जकके शुरू थे जिसके पढ़नेके लिये संवत् १६२७ में ‘जिनयहकल्प’ की वह प्रति लिखी गई थी जिसका उल्लेख सेठ माणिकचंद्रके ‘प्रशस्तिसंग्रह’ रजिष्टरमें पाया जाता है।

इन सब बातोंसे यह तो पाया जाता है कि यह प्रन्थ पूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ है; परंतु कौनसे 'पूज्यपाद' आचार्यका बनाया हुआ है, यह कुछ मालूम नहीं होता।

अपर जिस परिस्थितिका उल्लेख किया गया है उसपरसे, यथापि, यह कहना आसान नहीं है कि यह प्रन्थ अमुक पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है, परंतु इस प्रन्थके साहित्यको सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र और हाषोपदेश नामक प्रन्थोंके साहित्यके साथ मिलान करने पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यह प्रन्थ उक्त प्रन्थोंके कर्ता श्रीपूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ तो नहीं है। इन प्रन्थोंकी लेखनी जिस प्रौढ़ताको लिये हुए है, विषय-प्रतिपादनका इनमें जैसा कुछ ठंग है और जैसा कुछ इनका शब्दबिन्यास पाया जाता है, उसका इस प्रन्थके साथ कोई मेल नहीं है। सर्वार्थसिद्धिमें आवकधर्म-का भी वर्णन है, परंतु वहाँ लक्षणादिरूपसे विषयके प्रतिपादनमें जैसी कुछ विशेषता पाई जाती है वह वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होती। यदि यह प्रन्थ सर्वार्थसिद्धिके कर्ताका ही बनाया हुआ होता तो, चूंकि यह आवकधर्मका एक स्वतंत्र प्रन्थ वा इसलिये, इसमें आवकधर्म-सम्बन्धी अन्य विशेषताओंके अतिरिक्त उन सब विशेषताओंका भी उल्लेख ज़रूर होना चाहिए था जो सर्वार्थसिद्धिमें पाई जाती है। परंतु ऐसा नहीं है; बल्कि कितनी ही जगह कुछ कथन परस्पर विभिन्न भी पाया जाता है, जिसका एक नमूना नीचे दिया जाता है:—

सर्वार्थसिद्धिमें 'अनर्थ देवविरति' नामके तीसरे शुणवतका स्वरूप इस प्रकार दिया है—

"असत्युपकारे पापादानहेतुरनर्थदण्डः । ततो विरतिरनर्थदण्ड-विरतिः ॥ अनर्थदण्डः पञ्चविधः । अपञ्चानं, पापोपदेशः, प्रमादचरितम्, हिंसाप्रदानम्, अशुभशुतिरिति । तत्र परेषां जयपराजयवधवन्धनाङ्ग-च्छेदपरस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । तिर्य-क्षेत्रशब्दाणिज्यप्राणिवधकारंभवदिषु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः । प्रयोजनमन्तरेण कृक्षादिच्छेदनभूमिकुट्टनसिलिलसेचनाद्यवधकार्यं प्रमादाचारिते । विषकण्टकशस्त्राग्निरज्ञकशादण्डादिर्हिंसोपकरणप्रदानं हिंसाप्रदानम् । हिंसाप्राणादिप्रवधेन्द्रुष्टकथाश्वरणस्यापृतिरशुभसुतिः ॥"

इस स्वरूपकथनमें अनर्थदेवविरतिका लक्षण, उसके पांच भेदोंका नामनिर्देश और किर प्रत्येक भेदका स्वरूप बहुत ही ज़ंबे तुले शब्दोंमें बतलाया गया हैं। और यह सब कथन तत्त्वार्थसूत्रके उस मूल सूत्रमें नहीं है जिसकी व्याख्यामें आचार्यमहोदयने यह सब कुछ लिखा है। इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि मूल प्रन्थके अनुरोधसे उन्हें वहाँ पर ऐसा लिखना पड़ा है। वास्तवमें, उनके मतानुसार, जैन सिद्धान्तका इस विषयमें ऐसा ही आशय जान पड़ता है और उसीको उन्होंने प्रदर्शित किया है। अब उपासकाचारमें दिये हुए इस ग्रन्थको देखिये—

पाशामण्डलमार्जीरविषद्वकुदानवः ।

न पापं च अमी देयास्तृतीयं स्याद्गुणवतम् ॥ १९ ॥

इसमें अनर्थदण्डवितिका सर्वार्थसिद्धिवाला लक्षण नहीं है और न उसके पॉच भेदोंका कोई उल्लेख है । बल्कि यहाँ इस ब्रतका जो कुछ लक्षण अथवा स्वरूप बतलाया गया है वह अनर्थदण्डके पॉच भेदोंमें से 'हिंसाप्रदान' नामके चाथे भेद की विरतिसे ही सम्बन्ध रखता है । इसनिये, सर्वार्थसिद्धिकी दृष्टिसे, यह लक्षण लक्ष्यके एक देशमें व्यापनेके कारण अव्याप्ति दोषसे दूरित है, और कदापि सर्वार्थसिद्धिके कर्ताका नहीं हो सकता ।

इस प्रकारके विभिन्न कथनोंसे भी यह ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धिके कर्ता श्रीपूज्य-पाद स्वामीका बनाया हुआ मालूम नहीं होता, तब यह ग्रन्थ दूसरे कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है और कब बना है, यह बात अवश्य जाननेके योग्य है और इसके लिये विद्वानोंको कुछ विशेष अनुसधान करना होगा । मेरे ख्यालमें यह ग्रन्थ ५० आशाधरके बादका—१३ वीं शताब्दीसे पीछेका बना हुआ मालूम होता है । परंतु अभी मैं इस बातको पूर्ण निश्चयके साथ कहनेके लिये तग्यार नहीं हूँ । विद्वानोंको चाहिए कि वे स्वयं इस विषयकी खोज करें, और इस बातको मालूम करें कि किन किन प्राचीन ग्रन्थोंमें इस ग्रन्थके पदोंका उल्लेख पाया जाता है । साथही उन्हें इस ग्रन्थकी दूसरी प्राचीन प्रतियोकी भी खोज लगानी चाहिए । सभव हूँ कि उनमेंसे किसी प्रतिमें इस ग्रन्थकी प्रशस्ति उपलब्ध हो जाय ।

इस लेखपरसे पाठकोंको यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि भंडारोंमें कितने ही ग्रन्थ कैसी सदिगधावस्थामें मांजुद हैं, उनमें कितने अधिक झेपक शामिल हो गये हैं और वे मूल ग्रन्थकर्ताकी कृतिको समझनेमें क्या कुछ अभ्र उत्पन्न कर रहे हैं । ऐसी हालतमें, प्राचीन प्रतियों परसे ग्रन्थोंकी जाँच करके उनका यथार्थ स्वरूप प्रगट करनेकी और उसके लिये एक जुदाही विभाग स्थापित करनेकी कितनी अधिक जरूरत है, इसका अनुभव सहृदय पाठक स्वयं कर सकते हैं । प्राचीन प्रतियाँ दिनपर दिन नष्ट होनी जाती हैं । उनसे शीघ्र स्थायी काम ले लेना चाहिए । नहीं तो उनके नष्ट हो जानेपर यथार्थ वस्तुस्थितिके मालूम करनेमें फिर बड़ी कठिनता होगी और अनेक प्रकारकी शिकते पैदा हो जायेंगी । कमसे कम उन खास खास ग्रन्थोंकी जाँच तो जरूर हो जानी चाहिए जो बड़े बड़े प्राचीन आचार्योंके बनाये हुए हैं अथवा ऐसे आचार्योंके नामसे नामाकित हैं और इसलिये उनमें उसी नामके प्राचीन आचार्योंके बनाए हुए होनेका अभ्र उत्पन्न होता है । आशा है, हमारे दूरदर्शी भावे इस विषयकी उपयोगिताको समझकर उसपर जरूर ध्यान देनेकी कृपा करें ।



## शुलिपनाम ।

पृष्ठ	संकेत	संशोधन	शुलिपनाम
१	१००-११०	ब्रह्मवर्णी	उठाईचर्णी वाहिं
२	८	करनेका	करने और थोकेसे बदलनेका
३	१	मनवूर	कुछ मनवूर
	२	वणवान् पासी	वणवान्पासी
४	३	है	है
५	३	१२	१२
	१३	सहश	सहश
६	४	विभिन्न	दो विभिन्न
७	१	जै	जौँ
८	२३	कुराचाति	कुराचाति
९	१५	उत्सर्ग के	उत्सर्ग
१०	१०	उद्घार	उद्घार
११	२५	अमने	अमने
१२	१५	हनके	हनकी
	१५	भायांत्रमेव	भायांत्रमेव
१३	१३	सद्गृह्यपूरीम्	सद्गृह्यपूरीम्
	१६	दो भवतिः	दोभवति
१४	१२	द्वार्चीयं	द्वार्चीय
	१३	पुनर्मैत्रीय	पुनर्मैत्रीय
"	१४	परिवेष्टनं	परीवेष्टनं
१५	१४	गौतमीयं	गौतमीयं
	१५	कुंपात्तार्थं	कुंपात्तार्थं
१६	१२	पात्र	पात्र
	१६	कृत्य	कृत्य
१७	५	वस्तुरात्मे	वस्तुरात्मे
१८	४	वरदो	वह उष वरदो
१९	२६	पति	पतिकाम
२०	२३	यह	यह
२१	१५	वायव्यात्मकार्यं	वायव्यात्मकार्यं
२२	१३	वरदा	वरदा
२३	११	वायव्यं	वायव्यं